COMPENDIUM OF GAZETTE NOTIFICATIONS ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT

(From September, 2006 to January, 2021)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLAIMATE CHANGE

Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road,

NEW DELHI – 110003

Note

This is a compilation of the Notifications issued by the Ministry pertaining to EIA from September, 2006 to January, 2021. Some of the notifications are under sub-judice. Therefore, the notifications under sub-judice shall read as per the directions/orders of Hon'ble Courts/Tribunal regarding the provisions of the notification

List of contents

S. No.	Notification	Page no.
1.	S.O 1533 (E), dated the 14th September, 2006.	1 – 72
2.	S.O 1939(E), dated the 13th November, 2006.	73
3.	S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007.	74 - 80
4.	S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009.	81 - 109
5.	S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011.	110 - 116
6.	S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012.	117 - 118
7.	S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012.	119 – 120
8.	S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013.	121 – 122
9.	S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013.	123 – 125
10.	S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013.	126 – 128
11.	S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013.	129 – 132
12.	S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013.	133 – 136
13.	S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014.	137
14.	S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014.	138 – 139
15.	S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014.	140 – 149
16.	S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014.	150 – 153
17.	S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014.	154 – 155
18.	S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014.	156 – 159
19.	S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015.	160 – 162
20.	S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015.	163 – 165
21.	S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015.	166 – 168
22.	S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015.	169 – 170
23.	S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015.	171 – 173
24.	S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015.	174 – 175
25.	S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015.	176 – 177

List of contents

S. No.	Notification	Page no.
26.	S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015.	178 - 181
*27.	S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016.	182 - 208
28.	S.O. 190 (E), dated the 20th January, 2016.	209 – 211
*29.	S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016.	212 – 214
30.	S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016.	215 – 220
31.	S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016.	221 – 224
32.	S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016.	225 – 238
*33.	S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016.	239 – 261
34.	S.O. 4241(E), dated 30th December, 2016.	262 – 265
35.	S.O. 3611(E), dated 25th July, 2018	266 – 277
36.	S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018	278 – 286
*37.	S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018	287 – 294
*38.	S.O. 5736(E), dated the 15th November, 2018	295 - 298
39.	S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018	299 - 302
40.	S.O. 6250(E), dated the 19th December, 2018	303 - 307
41.	S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019	308 - 312
42	S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020	313 - 318
43	S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020	319 - 324
44	S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020	325 - 326
45	S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020	327 - 333
46	S.O. 1562(E), dated the 21st May, 2020	334 - 336
47	S.O. 3636(E), dated the 15th October, 2020	337 - 338
48	S.O. 3752(E), dated the 20th October, 2020	339 - 342
49	S.O. 4254(E), dated the 27th November, 2020	343 - 345
50	S.O. 221(E), dated the 18th January, 2021	346 - 348

Note: * indicates Sub-judice

List of contents

S. No.	**Other Notifications**	Page no.
51	S.O. 804(E)dated the 14th March, 2017	349 - 355
52	S.O. 1805(E)dated the 6th June, 2017	356 - 359
53	S.O. 1030(E)dated the 8th March, 2018	360 - 366
54	S.O. 1530(E)dated the 6th April, 2018	367 - 369
55	S.O. 2172(E) dated the 29th May, 2018	370 - 373
56	S.O. 345(E) dated the 17th January, 2019	374 - 385
57	S.O. 4307(E) dated the 29th November, 2019	386 - 389
58	S.O. 750(E), dated the 17th February, 2020	390 - 391

Part 1

Principal Notification & Subsequent Amendment of EIA, 2006

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1067] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
No. 1067] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में[1], नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाघातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अधिरोपित करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का0आ0 सं0 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना सं० का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निर्देश देती है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस अधिसूचना मे इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 के

[1] भारत का राज्यक्षेत्रीय सागर खंड और अनन्य आर्थिक जोन सम्मिलित है ।

अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ।

2. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षाएं (ई.सी.) :-

निम्नलिखित परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, कोई संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व उक्त अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण से, जिसे अनुसूची में 'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय कहा गया है, और राज्य स्तर पर राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण कहा गया है, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी जब परियोजना या क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है ।

(i) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाएं या क्रियाकलाप ;

(ii) इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का, संबंधित क्षेत्र के लिए अर्थात् परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए जो विस्तार या आधुनिकीकरण के पश्चात् अनुसूची में दी गई अधिकतम सीमाओं को पार कर लेते हैं, क्षमता में परिवर्धन सहित विस्तार या आधुनिकीकरण ;

(iii) विनिर्दिष्ट रेंज से परे अनुसूची में सम्मिलित किसी विद्यमान विनिर्माणकर्ता यूनिट में उत्पाद मिश्रण में कोई परिवर्तन ।

3. **राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण :-**(1) कोई राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिसे इसमे इसके पश्चात् एसईआईएए कहा गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित किया जाएगा जिसमें तीन सदस्य होंगे जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक सदस्य-सचिव, राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ।

(2) सदस्य-सचिव संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का सेवारत अधिकारी होगा जो पर्यावरण विधियों से परिचित होगा ।

(3) अन्य दो सदस्य या तो वृत्तिक या विशेषज्ञ होंगे जो इस अधिसूचना के परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी को पूरा करते हों ।

(4) ऊपर उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से एक सदस्य जो पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया में विशेषज्ञ हो, एसईआईएए का अध्यक्ष होगा ।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन उपपैरा (3) से उपपैरा (4) में निर्दिष्ट सदस्यों और अध्यक्ष के नामों को केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी और केन्द्रीय सरकार नामों के प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए एसईआईएए को एक प्राधिकरण के रूप में गठित करेगी ।

(6) गैर पदधारी सदस्य और अध्यक्ष की (प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से) तीन वर्षों की नियत पदावधि होगी ।

(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय एकमत से होंगे और किसी बैठक में लिए जाएंगे ।

4. परियोजना और क्रियाकलापों का प्रवर्गीकरण :--

(i) सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप मुख्यतः दो प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत हैं- प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' सक्षम समाघात की स्थानिक सीमा और मानव स्वास्थ्य और प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संसाधनों पर आधारित हैं ।

(ii) अनुसूची में प्रवर्ग 'क' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सम्मिलित है, के लिए, इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित होगी ;

(iii) अनुसूची में प्रवर्ग 'ख' के रूप में सम्मिलित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत पैरा 2 के उपपैरा (ii) में यथाविनिर्दिष्ट विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण या पैरा 2 के उपपैरा (iii) में यथाविनिर्दिष्ट उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन भी हैं, किन्तु जिसमें वे सम्मिलित नहीं हैं जो अनुसूची में निश्चित की गई साधारण शर्तों को पूरा करते हैं, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी । एसईआईएए का अपना विनिश्चय, इस इस अधिसूचना में गठित की जाने वाली किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों पर आधारित होगा । एसईआईएए सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में, कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी ;

5. **स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन समिति :–** केंद्रीय सरकार के स्तर पर वही विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य या संघ राज्य स्तर पर राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् ईएसी और एसईएसी कहा गया है) क्रमशः प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों की स्क्रीनिंग, विस्तारण और आंकलन करेंगी । ईएसी और एसईएसी की प्रत्येक मास में कम से कम एक बार बैठक होगी ।

(क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट VI में दी जाएगी । राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर एसईएसी का गठन संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से समान संरचना सहित गठन किया जाएगा ।

(ख) केंद्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक या अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी का गठन कर सकेगी ।

(ग) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी ।

(घ) संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगी गई है, को स्क्रीन करने या विस्तार करने या आंकलन के प्रयोजनों के लिए आवेदक को जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं देगा, कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देंगे ।

(ङ) विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य विशेषज्ञ आंकलन समिति संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर कृत्य करेंगी । अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति बनाने का प्रयास करेगा और सहमति नहीं बन पाती है तो बहुमत का विचार माना जाएगा ।

6. **पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन (ईसी) :--** सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन, परियोजना और/या क्रियाकलापों के लिए, जिससे आवेदन संबंधित है, आवेदक द्वारा स्थल पर किसी सन्निर्माण क्रियाकलाप या भूमि की तैयारी के प्रारंभ के पूर्व, पूर्वेक्षित स्थल (स्थलों) की पहचान के पश्चात् परिशिष्ट 2 किया गया है, यदि लागू हों, इससे संलग्न प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क में किया जाएगा । आवेदक, उसके सिवाय, संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 8) के मामले में प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क के अतिरिक्त पूर्व साध्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति, पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर धारणा योजना की एक प्रति आवेदन के साथ पेश करेगा ।

7. **(i) नई परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) प्रक्रिया के प्रक्रम :--** नई परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया में अधिकतम चार प्रक्रम समाविष्ट होंगे, जिनमें से सभी इस अधिसूचना में नीचे यथाउपवर्णित विशिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे । ये चार प्रक्रम श्रृंखलाबद्ध क्रम में होंगे :--

- प्रक्रम (1) स्क्रीनिंग (केवल प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए)
- प्रक्रम (2) विस्तारण
- प्रक्रम (3) लोक परामर्श
- प्रक्रम (4) आंकलन

I. प्रक्रम (1) - स्क्रीनिंग :

प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, यह प्रक्रम परियोजना की प्रकृति और अवस्थिति विनिर्देश पर आधारित पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने से पूर्व उसके आंकलन के लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए यह अवधारण करने के लिए कि परियोजना या क्रियाकलाप के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन करना अपेक्षित है या नहीं संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति (एसईएसी) द्वारा प्ररूप 1 में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए किसी आवेदन की संवीक्षा होगी । कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा करने वाली परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख1" कहा जाएगा और शेष परियोजनाओं को प्रवर्ग "ख2" कहा जाएगा और उसके लिए कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी । मद 8ख के सिवाय परियोजनाओं के ख 1 या ख2 में प्रवर्गीकरण के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय समय-समय पर समुचित मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

II. प्रक्रम (2) विस्तारण :

(i) उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति, और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार और/या आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के विस्तार, सौंपे जाने वाले विस्तृत और व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए, उस परियोजना या क्रियाकलाप के संबंध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, आवेदन सम्मिलित हैं । विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप 1क में दी गई जानकारी के आधार पर सौंपे जाने वाले कार्य अवधारित करेगी, जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा सौंपे जाने वाले प्रस्थापित कार्य, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी सब ग्रुप द्वारा देखा गया कोई स्थल, यदि विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कार्य और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हो, सम्मिलित हैं । अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/वाणिज्यिक काम्प्लैक्स/आवासन) के लिए विस्तार अपेक्षित नहीं होगा और उनका आंकलन प्ररूप 1/प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) सौंपे गए कृत्यों को प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवेदक को प्रेषित किया जाएगा । अनुसूची के प्रवर्ग क हाइड्रोक्लेक्ट्रिक परियोजना मद 1 (ग) (i) के मामले में सौंपे गए कृत्यों को पूर्व संनिर्माण क्रियाकलापों के लिए अनापत्ति सहित प्रेषित किया जाएगा । यदि सौंपे गए कृत्यों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और प्ररूप 1 की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाता है तो आवेदक द्वारा सुझाए गए सौंपे जाने वाले कृत्य ईआईए अध्ययन के लिए अनुमोदित अंतिम सौंपे गए कृत्यों के रूप में समझे जाएंगे । अनुमोदित सौंपे गए कृत्य, पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा संबंधित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के लिए वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे ।

(iii) इसी प्रक्रम पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफ़ारिश पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदनों को नामंजूर किया जा सकेगा । ऐसे नामंजूर किए जाने की दशा में, विनिश्चय को उसके कारणों सहित आवेदक को, आवेदन की प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर लिखित में संसूचित किया जाएगा ।

III प्रक्रम (3) लोक परामर्श

(i) "लोक परामर्श" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा स्थानीय प्रभावी व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों की चिंताओं को, जिनका परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय समाघातों में न्यायसंगत आधार है, समुचित रूप में अभिकल्पित परियोजना या क्रियाकलाप में संबंधित सभी सामग्री को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित किया जाएगा । सभी प्रवर्ग " क" और प्रवर्ग "ख1" परियोजनाएं या क्रियाकलाप निम्नलिखित के सिवाय लोक परामर्श करेंगे :-

(क) सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण (अनुसूची की मद 1(ग) (ii))।

(ख) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं या पार्कों के भीतर अवस्थित सभी परियोजनाएं या क्रियाकलाप (अनुसूची की मद 7(ग)) और जिन्हें ऐसे अनुमोदन में अननुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(ग) सड़कों और राजमार्गों का विस्तार (अनुसूची की मद 7(च))जिनमें भूमि का कोई और अर्जन अंतर्वलित नहीं है ।

(घ) सभी भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और नगरीय योजनाएं (मद 8)।

(ङ) सभी प्रवर्ग ख 2 परियोजनाएं और क्रियाकलाप ।

(च) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अवधारित राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप या जिसमें अन्य युक्तगत विचार अंतर्वलित हैं ।

(ii) लोक परामर्श में साधारणतया दो घटक समाविष्ट होंगे :-

(क) स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं को सुनिश्चित करने के लिए परिशिष्ट 4 में विहित रीति में की जाने वाली स्थल पर या उसके निकट परिसर में जिला वार कोई लोक सुनवाई ;

(ख) परियोजना या क्रियाकलाप के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रतिक्रियाएं प्राप्त करना ।

(iii) स्थल (स्थलों) पर या उसके निकट परिसर में सभी मामलों में लोक सुनवाई विनिर्दिष्ट रीति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाएगी और कार्यवाहियों को आवेदक से प्राप्त अनुरोध के पैंतालीस दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाएगा ।

(iv) यदि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई नहीं करती है और लोक सनुवाई को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं करती है और/या लोक सुनवाई की कार्यवाहियां को विहित अवधि के भीतर यथाउपर्युक्त संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रेषित नहीं करती है तो विनियामक प्राधिकरण अन्य लोक अभिकरण या प्राधिकरण को, जो विनियामक प्राधिकरण का अधीनस्थ नहीं है, प्रक्रिया को पैंतालीस दिनों की और अवधि के भीतर पूरा करने के लिए लगाएगी ।

(v) यदि ऊपर उपपैरा (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट लोक अभिकरण या प्राधिकरण, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को यह रिपोर्ट करता है, कि स्थानीय अवस्थिति के कारण लोक सुनवाई करना संभव नहीं है, तो किसी रीति में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किए जाने वाले संबंधित स्थानीय व्यक्तियों के विचारों का समर्थन करेंगे । वह उस तथ्य की रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण को ब्यौरेवार देगा जो रिपोर्ट पर और अन्य विश्वसनीय सूचना पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, जिसका लोक परामर्श के लिए विनिश्चय किया गया है, उस दशा में जिसे लोक सुनवाई में सम्मिलित करने की आवश्यकता है, रिपोर्ट करेगा ।

(vi) परियोजना या क्रियाकलापों के पर्यावरणीय पहलुओं में कोई न्यायसंगत आधार रखने वाले अन्य संबंधित व्यक्तियों से लिखित में प्रक्रिया अभिप्राप्त करने के लिए, संबंधित विनियामक प्राधिकरण और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, आवेदक द्वारा परिशिष्ट 3क में दिए गए प्ररूप में तैयार की गई संक्षिप्त ईआईए रिपोर्ट को उनके वेबसाइट पर देते हुए ऐसे संबंधित व्यक्तियों से लोक सुनवाई की व्यवस्था के लिए किसी लिखित अनुरोध की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रतिक्रियाएं प्राप्त करेंगी । गोपनीय सूचना, जिसके अंतर्गत प्रकट न करने योग्य या विधिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त सूचना, जिसमें बौद्धिक संपदा अधिकार अंतर्वलित हैं, आवेदन में विनिर्दिष्ट स्रोत, वेबसाइट पर नहीं रखे जाएंगे । संबंधित विनियामक प्राधिकरण, परियोजना या क्रियाकलाप की बाबत विस्तृत प्रचार को सुनिश्चित करने के लिए अन्य समुचित मीडिया का उपयोग भी कर सकेगा । विनियामक प्राधिकरण, तथापि लोक सुनवाई की तारीख तक निरीक्षण के लिए प्रारूप ईआईए रिपोर्ट किसी संबंधित व्यक्ति से, सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान अधिसूचित स्थान पर किसी लिखित अनुरोध पर उपलब्ध कराएगा । इस लोक परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त सभी प्रतिक्रियाएं शीघ्रतम उपलब्ध साधन से आवेदक को अग्रेषित की जाएंगी ।

(vii) लोक परामर्श पूरा करने के पश्चात्, इस प्रक्रिया के दौरान अभिव्यक्त सभी सारवान पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करेगा और प्रारूप ईआइए और ईएमपी में समुचित परिवर्तन करेगा । इस प्रकार तैयार की गई अंतिम ई आई ए रिपोर्ट आवेदक के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी । आवेदक, लोक परामर्श के दौरान अभिव्यक्त की गई सभी चिंताओं को संबोधित करते हुए, प्रारूप ईआईए और ईएमपी की एक संक्षिप्त रिपोर्ट अनुकल्पतः प्रस्तुत करेगा ।

IV प्रक्रम(4) - आंकलन :

(i) आंकलन से आवेदन और अन्य दस्तावेजों, ऐसे अंतिम ईआईए रिपोर्ट, लोक परामर्शों का निष्कर्ष, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई की कार्यवाहियां हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण को

आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विस्तृत संवीक्षा अभिप्रेत है । यह आंकलन विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा किसी कार्यवाही को, जिसमें आवेदक को आवश्यक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रुप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाता है, एक पारदर्शी रीति में किया जाएगा । इस कार्यवाही के निष्कर्ष पर विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित निबंधनों और शर्तों पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन को नामंजूर करने के लिए उसके कारणों सहित स्पष्ट सिफारिशें करेंगी ।

(ii) सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन जो लोक परामर्श के लिए अपेक्षित नहीं है या कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, जैसा लागू हो विहित आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 1क के आधार पर उपलब्ध सभी अन्य सुसंगत विधिमान्य सूचना और दौरा किए स्थल को, जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा ऐसा करना आवश्यक समझा जाता है, कार्यान्वित किया जाएगा ।

(iii) किसी आवेदन का आंकलम, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा अंतिम पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति या प्ररूप 1 या प्ररूप 1क के साठ दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जहां लोक परामर्श आवश्यक नहीं है, वहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अगले पन्द्रह दिनों के भीतर अंतिम विनिश्चय के लिए रखा जाएगा । आंकलन की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट V में दी गई है ।

7. (ii) विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया,-

उस क्षमता के परे जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की गई है, उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या तो पट्टा क्षेत्र या खनन परियोजनाओं की दशा में उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित या इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित अंतिम सीमा के परे कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि सहित विद्यमान यूनिट के आधुनिकीकरण के लिए, प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से या उत्पाद मिश्रण में किसी परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित करने वाले सभी आवेदन प्ररूप 1 में किए जाएंगे और उन पर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा साठ दिनों के भीतर विचार किया जाएगा, जो सम्यक् आवश्यक तत्परता से जिसके अंतर्गत ईआईए का तैयार किया जाना और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और आवेदन का तद्नुसार पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने के लिए आंकलन किया जाएगा ।

8. पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर किया जाना या उसको खारिज किया जाना,-

(i) विनियामक प्राधिकरण, संबंधित ई ए सी या एस ई ए सी की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपने विनिश्चय को आवेदक को विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित करेगा या अन्य शब्दों में अंतिम पर्यारणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर प्रेषित करेगा और जहां पर्यावरणीय समाघात निर्धारण पूरे आवेदन की प्राप्ति के एक सौ पांच दिनों के भीतर अपेक्षित नहीं है वहां अपेक्षित दस्तावेज, नीचे उपबंधित के सिवाय प्रेषित करेगा ।

(ii) विनियामक प्राधिकरण, सामान्यतः विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों को स्वीकार करेगा । उन दशाओं में जहां विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों से असहमत है, वहां विनियामक प्राधिकरण विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारशों की प्राप्ति के पैंतालिस दिनों के भीतर असहमति के कारणों का कथन करते हुए पुनर्विचार का अनुरोध करेगा । इस विनिश्चय की सूचना आवेदक को साथ-साथ प्रेषित की जाएगी । उसके पश्चात् विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, विनियामक प्राधिकरण के संप्रेक्षणों पर विचार करेगी और उस पर अपने विचार साठ दिनों की और अवधि के भीतर पेश करेगी । विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के विचारों को ध्यान में रखने के पश्चात् विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण को अगले तीस दिनों के भीतर आवेदक को प्रेषित किया जाएगा ।

(iii) उस दशा में जहां विनियामक प्राधिकरण का विनिश्चय आवेदक को, ऊपर उपपैरा (i) या (ii) में, जहां लागू हो विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संसूचित नहीं किया जाता है, वहां आवेदक इस प्रकार अग्रसर हो सकेगा मानो मांगी गई पर्यावरण अनापत्ति मंजूर कर दी गई है या विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशों के निबंधनों में विनियामक प्राधिकरण द्वारा नामंजूर कर दी गई है ।

(iv) ऊपर पैरा (i) और (ii) के अधीन, जहां लागू हो, विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, विनियामक प्राधिकरण का विनश्चय और विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति की अंतिम सिफारिशें लोक दस्तावेज होंगे ।

(v) अन्य विनियामक प्राधिकरणों से परियोजनाओं या क्रियाकलापों, या संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या विनिश्चय पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदनों की प्राप्ति के पूर्व तब तक अपेक्षित नहीं होगी जब तक या तो ऐसी अनापत्ति किसी विधि की अपेक्षा का आवश्यक तकनीकी कारणों से कोई श्रृंखलाबद्ध आधार न हो ।

(vi) जान बूझ कर छिपाना और/या मिथ्या प्रस्तुतीकरण या भ्रामक सूचना या आंकडे देना जो स्क्रीनिंग, विस्तारण या आंकलन या आवेदन पर विनिश्चय के लिए सारवान हो, आवेदन को नामंजूर किए जाने या उस आधार पर मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण के लिए दायी बनाएगी । किसी आवेदन को नामंजूर करना या इस आधार पर पहले मंजूर की गई किसी पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के रद्दकरण का विनिश्चय विनियामक प्राधिकरण द्वारा आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई करने के पश्चात् किया जाएगा और उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

9. पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता,-

"पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता" से वह अवधि अभिप्रेत है जिससे विनियामक प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की जाती है या आवेदक द्वारा यह समझा जा सकेगा कि वह ऊपर पैरा 7 के उपपैरा (iv) के अधीन परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन आरंभ करने या संनिर्माण परियोजनाओं की दशा में (अनुसूची की मद 8) सभी संनिर्माण प्रचालन पूरा करने, जिसके के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए

आवेदन का निर्देश करता है, मंजूर की गई है । किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं (अनुसूची की मद 1(ग)) की दशा में दस वर्ष की अवधि के लिए, विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के लिए और सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच वर्ष होगी । तथापि क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरीय की दशा में (मद 8(ख)) विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगी जहां तक किसी विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व है । इस विधिमान्यता की अवधि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पांच वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि कोई आवेदन आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर किया जाता है । इस बाबत विनियामक प्राधिकरण, यथास्थिति, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति से भी परामर्श कर सकेगा ।

10. पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानीटर करना,-

(i) परियोजना प्रबंधन के लिए प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों को अर्धवार्षिक रूप में हार्ड और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा ।

(ii) परियोजना प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई सभी ऐसी अनुपालन रिपोर्टें लोक दस्तावेज होंगी, उसकी प्रतियां संबंधित विनियामक प्राधिकरण को आवेदन पर किसी व्यक्ति को दी जाएंगी । ऐसी अंतिम अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी दर्शित की जाएगी ।

11. पर्यावरणीय अनापत्ति की अंतरणीयता,-

किसी आवेदक को किसी विनिर्दिष्ट परियोजना या क्रियाकलाप के लिए मंजूर की गई कोई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अंतरक द्वारा या अंतरिती द्वारा आवेदन पर परियोजना या क्रियाकलाप को करने के हकदार किसी अन्य विधिक व्यक्ति को अंतरक द्वारा लिखित "अनापत्ति सहित" जो इसकी विधिमान्यता की अवधि के दौरान संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आरंभ में मंजूर की गई थी और उसी विधिमान्यता अवधि के लिए अंतरित की जा सकेगी । ऐसे मामलों में विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति को कोई निर्देश आवश्यक नहीं है ।

12. लंबित मामलों के निपटान तक ई.आई.ए. अधिसूचना का प्रवर्तन,-

इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अधिसूचना सं० का.आ. 60(अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, उस सीमा तक अधिक्रांत किया जाता है कि पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए किए गए और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख को लंबित सभी या कुछ प्रकार के आवेदनों को, परियोजानाओं या क्रियाकलापों को, उस सूची के सिवाय जिनमें अनुसूची 1 में पूर्व पर्यावरणी अनापत्ति अपेक्षित है, इस अधिसूचना के किसी एक या सभी उपबंधों से छूट दे सकेगी या उक्त अधिसूचना के कुछ या सभी उपबंधों के प्रवर्तन को इस अधिसूचना के जारी करने की की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जारी रख सकेगी ।

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखे)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें, यदि कोई हो
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र का ≥50 है0 किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐस्बैस्टज खनन	< 50 हैक्टेयर . ≥ 5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शत कि वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है ।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं	-	टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है बर्शत कि वास्तिवक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमित ली गई है ।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥50 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii)≥10,000 है0खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) <50 ≥ 25 मे0वा0 जल विद्युत उत्पादन (ii) <10,000 है0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	सधारण शर्त लागू होगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेप्था गैस आधारित) ≥500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नैफ्था एवं गैस आधारित) <500 मे.वा. (पैटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)<50 मे.वा ≥5 मे.वा.	साधारण शर्त लागू होगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं	-	
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

2(ख)	खनिज सज्जीकरण	≥0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	<0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए
3	पदार्थ उत्पादन			
3(क)	धातुकर्म उद्योग (फेरस और गैर फैरस)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं ख) स्पंज आयरन विनिर्माण ≥ 200 टन पी डी ग) गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली ईकाइयां ≥ 20,000 टन/ वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण < 200 टन पी डी गौण धातु कर्म प्रसंस्करण उद्योग 1) सभी विषाक्त और भारी धातु उत्पादित करने वाली ईकाइयां <20,000 टन/ वार्षिक 2)अन्य सभी विषरहित गौण धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग > 5000 टन /वार्षिक	स्पंज आयरन विनिर्माण के लिए साधारण शर्त लागू होगी
3(ख)	सीमेंट संयंत्र	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन	वार्षिक उत्पादन क्षमता < 1.0 मिलियन टन यह सभी ग्राइंडिंग इकाइयों के लिए लागू है	साधारण शर्त लागू होगी
4	पदार्थ प्रसंस्करण			
4 (क)	पेट्रोलिम रिफाइनिंग उद्योग	सभी परियाजनाएं	-	-
4(ख)	कोक भट्टी संयंत्र	≥ 2,50,000 टन वार्षिक	< 2,50,000 एवं ≥ 25,000 टन वार्षिक	-
4(ग)	एस्बेस्टास मिलिंग और एस्बेस्टास आधारित उत्पाद	सभी परियोजनाएँ	-	-
4(घ)	क्लोरक्षार उद्योग,	उत्पादन क्षमता ≥ 300टन पी डी या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा से बाह्य अवस्थित ईकाई	उत्पादन क्षमता < 300 टन पी डी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित ईकाई	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी किसी नए पारा प्रकोष्ठ आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा झिल्लीमय प्रकोष्ठ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करने वाली विद्यमान इकाई को छूट प्राप्त है।

4 (ङ)	सोडा भस्म उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
4(च)	चमड़ा/त्वचा/खाल प्रसंस्करण उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र से बाहर सभी नई परियोजनाएं या औद्योगिक क्षेत्र के बाहर विद्यमान ईकाइयों का विस्तार	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित सभी नई परियोजनाएं या परियोजनाओं का विस्तार	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5	उत्पादन/फैब्रिकेशन			
5(क)	रासायनिक उर्वरक	सभी परियोजनाएं	-	-
5(ख)	कीटनाशक उद्योग और कीटनाशक विशिष्ट मध्यक जीवमार (विनिर्मिति को छोड़कर)	तकनीकी श्रेणी के कीटनाशको को उत्पादन करने वाली सभी ईकाइयां	-	-
5(ग)	पेट्रो रसायन परिसर (पेट्रोलियम के अंश और प्राकृतिक गैस और/या सुगन्धितों में सुधार प्रसंस्करण आधारित उद्योग	सभी परियोजनाएं	-	-
5(घ)	मानव निर्मित फाइवर	रेयन	अन्य	साधारण शर्त लागू होगी
	का उत्पादन			
5(ङ)	पेट्रो रसायन आधारित प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसर के भीतर समाविष्ट नहीं है)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक; थोक औषधि और औषधि विनिर्मितियों को छोड़कर मध्यकः संश्लि-ष्ट रबड़ मूल कार्बनिक रसायन, अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन और रसायन मध्यक)	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाह्य अवस्थित	अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के भीतर अवस्थित	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी
5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीरा आधारित आसवनी । (ii) सभी गन्ने का रस/गैर -शीरा आधारित आसवनी ≥30 कि0ली0 दैनिक	सभी गन्ने का रस/गैर शीरा आधारित आसवनी <30 कि0ली0 दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ज)	समेकित पेंट उद्योग	-	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
5(झ)	अपशिष्ट कागज से कागज का निर्माण और तैयार लुग्दी और विरंजन किए बिना तैयार लुग्दी से कागज निर्माण के अलावा लुग्दी एवं कागज	लुग्दी विनिर्माण और लुग्दी और कागज विनिर्माण उद्योग	लुग्दी विनिर्माण के बिना कागज विनिर्माण उद्योग	साधारण शर्त लागू होगी

	उद्योग			
5(ञ)	चीनी उद्योग		गन्ना पेरने की क्षमता ≥ 5000 टन दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	प्रेरण/आर्क भट्टी/कुपोला भट्टी 5 टन प्रति घंटा या ज्यादा	-	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
6	**सेवा सेक्टर**			
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों/ प्रवाल भित्तियों/ एल एन जी टर्मिनल सहित पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली तेल और गैस परिवहन पाइप लाइनें(अपरिकृष्त और परिष्करणी /पेट्रो रसायन उत्पाद)	सभी परियोजनाएं	-	-
6(ख)	एकल भंडारकरण और परिसंकटमय रसायन को संभालना (एमएसआईएचसी नियम, 1989 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के स्तंभ 3 में उपदर्शित अवसीमा योजना परिमाण के अनुसार		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7	**पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना**			
7(क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं	-	-
7(ख)	सभी पोत भंजन यार्ड जिसमें पोत भंजन इकाई भी सम्मिलित है	सभी परियोजनाएं	-	-
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्यात प्रंस्संकरण जोन(नि.प्रं.जो.),विशेष आर्थिक जोन(वि.आ.जो.) जैव प्रौद्योगिकी पार्क चमड़ा परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक संपदा में यदि एक भी उद्योग श्रेणी क के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को श्रेणी क ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो 500 हैक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित हो	औद्योगिक संपदाएं और जिनमें कम से कम एक श्रेणी ख का उद्योग स्थित है और क्षेत्र< 500 हैक्टेयर हो औद्योगिक संपदाएं क्षेत्र > 500 हैक्टेयर और जिसमें श्रेणी क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है	विशेष शर्त लागू होगी टिप्पण 500 हैक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक संपदाओं जिनमें क या ख श्रेणी का कोई उद्योग नहीं है, को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय ,अपशिष्ट उपचार भंडारकरण और निपटान सुविधाएं (उ.भं.नि.सु.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें भस्मीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है	केवल भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं	साधारण शर्त लागू होगी

7(ङ)	पत्तन, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)	< 5 मिलयन टन वार्षिक स्थोरा की उठाई-धराई की क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में ≥ 10,000 टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं ।	1) नए राज्य राजमार्गः और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राष्ट्रीय /राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आकाशी यात्री रज्जुमार्ग		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	सामान्य स्राव उपचार संयंत्र (स.स्रा.उ.सं.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	नगरपालिका ठोस अपशिट प्रबंधन सुविधा (स.न..अ.प्र.स.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8	भवन/ संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण			
8(क)	भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं		≥ 20000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और < 1,50,000 वग मीटर के निर्मित क्षेत्र #	# आवृत संनिर्माण के लिए निर्मित क्षेत्र आकाश की ओर खुली सुविधाओं की दशा में यह क्रियाकलाप क्षेत्र भी होगा ।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		≥50हे0. क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए और या निर्मित क्षेत्र ≥ 1,50,000 वर्ग मीटर ++	++ 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ख 1 प्रवर्ग के अनुसार निबंधित किया जाएगा ।

टिप्पण

साधारण शर्त (सा.श.)

प्रवर्ग "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रवर्ग "क " माना जाएगा, यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र; (ii) उसकी समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है ; और (iv) अंतरराज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप में अवस्थित है ।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई मद 4(घ), 4(च), 5(ड), 5(च) जैसी समयुग्म की प्रकार का उद्योगों वाला औद्योगिक संपदा/कांप्लेक्स/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्यान/चमड़ा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियों वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुग्म हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संपदाओं/कांप्लेक्सों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कांप्लेक्स/संपदा के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संपदा/कांप्लेक्सों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमता सुनिश्चित करने के विधिक उत्तरदायित्व से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कांप्लेक्स/संपदा के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा) ।

[सं. जे-11013/56/2004-आईए-II(I)]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट -I
(पैरा 6 देखे)
प्ररूप 1

(1) आधारभूत जानकारी

परियोजना का नाम :

विचाराधीन अनुकल्पी अवस्थिति/स्थान :

परियोजना का आकार * :

परियोजना की प्राक्कलित लागत

संपर्क जानकारी :

संवीक्षा प्रवर्ग :

- अंचलीय क्रियाकलाप के लिए तत्स्थानी क्षमता (जैसे विनिर्माण करने के लिए उत्पादन क्षमता, खनिज उत्पादन के लिए खनन पट्टा क्षेत्र और उत्पादन क्षमता, खनिज पूर्वेक्षण के लिए क्षेत्र, अनुरेख परिवहन अवसंरचना के लिए लंबाई, विद्युत उत्पादन आदि के उत्पादन क्षमता)

(II) क्रियाकलाप

1. परियोजना का संनिर्माण, प्रचालन या न निकालना जिसमें ऐसी कार्रवाई भी सम्मिलित है जो परिक्षेत्र में भौतिक परिवर्तनों का कारण होगी (स्थलाकृति, भूमि उपयोग, जल निकायों में परिवर्तन आदि)

क्र.सं.	जानकारी/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	उनके ब्यौरे (लगभग मात्रा/दरें, सहित, जो संभव हो, सहित) आंकड़ों की जानकारी के स्रोत सहित ।
1.1	भूमि उपयोग, समावेश भूमि या स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी जिसमें भूमि उपयोग की मात्रा(स्थानीय भूमि उपयोग योजना के बारे में वृद्धि भी सम्मिलित है)		
1.2	विद्यमान भूमि, वनस्पति और भवनों की अनापत्ति		
1.3	नई भूमि उपयोगों का सृजन		
1.4	संनिर्माण पूर्व अन्वेषण अर्थात बोर, गृह, मिट्टी का परिक्षण करना		
1.5	संनिर्माण कार्य		
1.6	विध्वंस कार्य		

1.7	संनिर्माण कार्य या संनिर्माण कर्मकारों के घर के प्रबंध के लिए उपयोग किए गए अस्थायी स्थल		
1.8	उपर्युक्त भू-भवन, संरचनाएं या धुस्स जिसमें अनुरेखीय संरचनाएं, काटनों और भरनों या खुदाई भी सम्मिलित है ।		
1.9	भूमिगत कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना भी सम्मिलित है ।		
1.10	भूमि उद्धार कार्य		
1.11	तलकर्षक		
1.12	अपतट संरचनाएं		
1.13	उत्पादन और विनिर्माण प्रक्रियाएं		
1.14	सामग्रियों या माल के भंडार की सुविधाएं		
1.15	ठोस अपशिष्ट या तरल बहिःस्रावों के उपचार या निपटान के लिए सुविधाएं		
1.16	परिचालन कर्मकारों के दीर्घकालिक घर का प्रबंध के लिए सुविधाएं		
1.17	संनिर्माण या प्रचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री यातायात		
1.18	नई सड़क,रेल,वायु जल वाहित या अन्य परिवहन अवसंरचना जिसमें नए या परिवर्तित मार्ग और स्टेशन, पत्तन, विमानपत्तन आदि भी सम्मिलित है ।		
1.19	विद्यमान परिवहन मार्गों को बंद करना या अपवर्तन या यातायात परिचालन में परिवर्तनों के लिए प्रमुख अवसंरचना		
1.20	नई या अपवर्तित प्रेषण लाईनें या पाइपलाइनें		
1.21	अवरूद्ध करना, बांध बनाना, पुलिया बनाना, पुनःरेखांकन या जलमार्गों या एक्वीफरों के जल विज्ञान के लिए अन्य परिवर्तन		
1.22	प्रवाह पार		
1.23	भूजल या भूतल से जल का अंतरण या पृथक्करण		
1.24	नालियों या प्रवाह को प्रभावित करने वाले जलनिष्पादों या भूमि स्तर में परिवर्तन		
1.25	संनिर्माण, परिचालन या म निकालने के लिए कार्मिक या सामग्रियों का परिवहन		
1.26	दीर्घकालिक रूप मे तोड़ना, प्रारंभ करना या कार्य पुनः आरंभ करना ।		
1.27	आरंभ के दौरान जारी ऐसे क्रियाकलाप जो पर्यावरण पर समाघात कर सकेंगे ।		
1.28	जनता का किसी क्षेत्र के लिए या तो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से आना ।		
1.29	अन्य देशीय प्रजातियों का आना		
1.30	मूल निवासी प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि		
1.31	अन्य कोई कार्रवाईयां		

2900 GI/2006—3

2. परियोजना के संनिर्माण या प्रचालन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग(जैसे भूमि,जल सामग्री या ऊर्जा विशेष रूप से ऐसा कोई संसाधन जो नवीकरणीय नहीं हैं या जिसका प्रदाय कम है)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
2.1	विशेष रूप से अविकसित भूमि या कृषि भूमि (हे0)		
2.2	जल (अनुमानित स्रोत और प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : के.एल.डी.		
2.3	खनिज (एम.टी.)		
2.4	संनिर्माण सामग्री -- पत्थर, औसत, बालू/मृदा (अनुमानित स्रोत एम.टी.)		
2.5	वन और इमारती लकड़ी (स्रोत -- एम.टी.)		
2.6	ऊर्जा जिसके अंतर्गत विद्युत और ईंधन (स्रोत, प्रतियोगी उपयोगकर्ता) इकाई : ईंधन (एम.टी.) ऊर्जा (एम.डब्ल्यू)		
2.7	कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (समुचित मानक इकाइयों का उपयोग करें)		

3. पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग भंडारण, परिवहन, उठाई धराई या उत्पादन, जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए खतरनाक या जिनके मानव स्वास्थ्य की जोखिम की वास्तविकता के बारे में चिंताएं उठती हैं ।

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टिकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
3.1	पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (फ्लोरा, फोना और जल प्रदाय के लिए परिसंकटमय) (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) है		
3.2	रोग के होने में परिवर्तन या रोग वाहकों के रोग का प्रभाव (उदहरणार्थ कीट या जल-जन्य रोग)		
3.3	लोगों के कल्याण पर प्रभाव उदहरणार्थ जीवन दशाओं में परिवर्तन करके		
3.4	लोगों के संवेदनशील समूह जो परियोजना अर्थात् अस्पताल रोगियों, बालकों, वृद्धों आदि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं		
3.5	कोई अन्य कारण		

4. निर्माण या प्रचालन या प्रारंभ न करने के दौरान ठोस अपशिष्टों का उत्पादन (एम.टी./मास)

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
4.1	मृदा, अधिक भार या खान अपशिष्ट		
4.2	नगरपालिक अपशिष्ट (घरेलू और या वाणिज्यिक अपशिष्ट)		
4.3	परिसंकटमय अपशिष्ट (परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंध तंत्र नियमों के अनुसार)		
4.4	अन्य औद्योगिक प्रक्रिया अपशिष्ट		
4.5	अधिशेष उत्पाद		
4.6	मल बही-स्राव उपचार से मल गाद या अन्य गाद		
4.7	निर्माण या ढाये गए अपशिष्ट		
4.8	बेकार मशीनरी या उपस्कर		
4.9	संदूषित मृदाएं या अन्य सामग्रियां		
4.10	कृषि अपशिष्ट		
4.11	अन्य ठोस अपशिष्ट		

5. वायु में संदूषकों या किसी परिसंकटमय विषैले या जहरीले पदार्थों का विसर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
5.1	लेखन सामग्री या चल संसाधनों से जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जन		
5.2	उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्सर्जन		
5.3	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत भंडारण या परिवहन भी है, उत्सर्जन		
5.4	निर्माण क्रियाकलापों से जिसके अंतर्गत संयंत्र और उपस्कर भी हैं, उत्सर्जन		
5.5	सामग्रियों की उठाई धराई से जिसके अंतर्गत निर्माण सामग्री, मल और अपशिष्ट भी हैं, धूल या गंध		
5.6	अपशिष्ट के भस्मीकरण से उत्सर्जन		
5.7	खुली वायु में अपशिष्ट के जलने से उत्सर्जन (उदाहरणार्थ स्लेश सामग्री, निर्माण सामग्री का ढेर)		
5.8	किन्हीं अन्य स्रोतों से उत्सर्जन		

6. शोर और कंपन का पैदा होना तथा प्रकाश और उष्मा का उत्सर्जन

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
6.1	उपस्कर के प्रचालन से उदाहरणार्थ ईंजन, वातायन संयंत्र, संदलनित्र		
6.2	औद्योगिक या उसी प्रकार की प्रक्रियाओं से		
6.3	निर्माण या ढहाने से		
6.4	विस्फोटन या पाइलिंग से		
6.5	निर्माण या प्रचालन संबंधी यातायात से		
6.6	प्रकाशन या प्रशीतन प्रणालियों से		
6.7	किन्हीं अन्य संसाधनों से		

7. भूमि या मल नालियों, सतही जल, भूमिगत जल, तटीय जल या समुद्र में प्रदूषकों के विसर्जन से भूमि या जल के संदूषण के जोखिम

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
7.1	परिसंकटमय सामग्री की उठाई धराई, भंडारण, उपयोग या गाद से		
7.2	जल या भूमि में (अनुमानित ढंग और विसर्जन का स्थान) मल या अन्य बही स्रावों के विसर्जन से		
7.3	वायु से भूमि या जल में उत्सर्जित प्रदूषकों के जमा होने से		
7.4	किन्हीं अन्य संसाधनों से		
7.5	क्या इन संसाधनों से पर्यावरण में प्रदूषकों के जमा होने से दीर्घकालिक जोखिम है ?		

8. परियोजना के निर्माण या प्रचालन के दौरान दुर्घटनाओं का जोखिम जो मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
8.1	परिसंकटमय पदार्थों के विस्फोट, गाद, आग, भंडारण, उठाई धराई या उत्पादन से		
8.2	किन्हीं अन्य कारणों से		
8.3	क्या परियोजना प्राकृतिक विपदाओं द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी (उदाहरणार्थ बाढ़, भूकंप, भू-सखलन, वृष्टिस्फोट आदि) ?		

9. बातें जिन पर विचार किया जाना चाहिए (जैसे पारिणामिक विकास) जिनके कारण पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं या जो संचयी प्रभावों को करने के लिए अन्य विद्यमान प्रभावों सहित या परिक्षेत्र में नियोजित क्रियाकलापों के लिए सामर्थवान हैं

क्र.सं.	सूचना/जांच सूची पुष्टीकरण	हां/नहीं	सूचना आंकड़ों के स्रोत सहित उनके ब्यौरे (लगभग मात्राओं/दरों सहित, जहां कहीं संभव हो)
9.1	जिसके कारण आधार का विकास, सहायक विकास या परियोजना द्वारा विकास को बल मिलता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है अर्थात् – ● आधारिक अवसंरचना (सड़कें, बिजली प्रदाय, अपशिष्ट या अपशिष्ट जल उपचार आदि) ● आवासन विकास ● निष्कर्षित उद्योग ● पूर्ति उद्योग ● अन्य		
9.2	जिसके कारण स्थल का बाद में उपयोग होता है जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है		
9.3	पश्चात्‌वर्ती विकासों के लिए उदाहरण स्थापित करना		
9.4	सामिप्य के कारण अन्य विद्यमान परियोजनाओं पर संचयी प्रभाव हैं या उसी प्रकार के प्रभावों सहित नियोजित परियोजनाएं		

(III) पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्र.सं.	क्षेत्र	नाम/पहचान	आकाशी दूरी (15 किलोमीटर के भीतर) प्रस्तावित परियोजना अवस्थान सीमा
1.	उनके पारिस्थितिक भू-दृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन संरक्षित क्षेत्र ।		
2.	क्षेत्र जो पारिस्थितिक कारणों के लिए महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं - वेट लैंड्स, जल स्रोत या अन्य जल संबंधी निकाय, तटीय जोन, बायोस्फीयर, पहाड़ियां, वन		
3.	क्षेत्र जो प्रजनन, घोसला बनाने, चारे के लिए, आराम करने के लिए, सर्दी के लिए, प्रवास के लिए फ्लोरा और फोना के संरक्षित महत्वपूर्ण या संवेदनशील प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं		
4.	अंतरदेशीय, तटीय, सामुद्रिक या भूमिगत जल		

5.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं		
6.	मनोरंजन की या अन्य पर्यटक/यात्रियों वाले क्षेत्रों में पहुंच के लिए जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं		
7.	रक्षा प्रतिष्ठापन		
8.	सघन रूप से बसे हुए या निर्मित क्षेत्र		
9.	संवेदनशील मानव निर्मित भूमि उपयोगों के अधिभोगाधीन क्षेत्र अस्पताल, पाठशालाएं, पूजा स्थल, सामुदायिक सुविधाएं		
10.	महत्वपूर्ण, उच्च क्वालिटी या दुर्लभ संसाधनों वाले क्षेत्र (भूमिगत जल संसाधन, भूतल संसाधन, वनोद्योग, कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन, खनिज)		
11.	क्षेत्र जो पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरणीय नुकसान के अधीन हैं (वे जहां विद्यमान विधिक पर्यावरणीय मानक अधिक होते हैं)		
12.	क्षेत्र जहां प्राकृतिक संकट हो सकता है जो वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं की योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं (धंसना, भूस्खलन, भूमि कटाव, बाढ़ या अत्यंत या प्रतिकूल वातावरणीय दशाएं)		

परिशिष्ट 2
(पैरा 6 देखें)

प्ररूप 1क (केवल अनुसूची की मद 8 के अधीन सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के लिए)

पर्यावरणीय प्रभावों की जांच सूची

(पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित परियोजना सलाहकार और जहां कहीं आवश्यक हो प्ररूप के साथ स्पष्टीकारक टिप्पण संलग्न करें तथा प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबंधतंत्र योजना और मानिटरी कार्यक्रम के साथ प्रस्तुत करें)

1. भूमि पर्यावरण

(परियोजना स्थल और आसपास का विशाल दृश्य संलग्न करें)

1.1 क्या विद्यमान भूमि के उपयोग में परियोजना से सारवान रूप से परिवर्तन किया जाएगा जो वातावरण आसपास से संगत नहीं है ? (प्रस्तावित भूमि उपयोग सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदित मास्टर प्लान/विकास योजना के अनुरूप होना चाहिए । भूमि उपयोग में परिवर्तन यदि कोई हो और सक्षम प्राधिकारी से कानूनी अनुमोदन प्रस्तुत किया जाए) । (i) स्थल अवस्थान, (ii) प्रस्तावित स्थल (पांच सौ मीटर के भीतर आसपास के लक्षणों) और (iii) समुचित मापमान के स्थल (स्तर और समोच्च रेखा उपदर्शित करते हुए) के नक्शे संलग्न करें । यदि उपलब्ध नहीं है तो केवल अवधारणा युक्त योजना संलग्न करें ।

1.2 भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, जल उपभोग, विद्युत अपेक्षा, संयोजकता, सामुदायिक सुविधाओं पार्किंग आवश्यकताओं आदि के अनुसार सभी बड़ी परियोजना की आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करें ।

1.3 प्रस्तावित स्थल से संलग्न विद्यमान सुविधाओं पर प्रस्तावित क्रियाकलाप के [illegible] खुले स्थल, सामुदायिक सुविधाएं, विद्यमान भूमि उपयोग के ब्यौरे, स्थानीय पारिस्थिति [illegible]

1.4 क्या किसी महत्वपूर्ण भूमि विघ्न के परिणामस्वरूप भूस्खलन, [illegible] किस्म, ढाल विश्लेषण, भूमि कटाव की संवेदनशीलता, भूकंपन आदि के ब्यौरे दिए [illegible]

1.5 क्या प्राकृतिक मल निकास प्रणाली के परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव है ? (प्रस्तावित परियोजना स्थल के निकट प्राकृतिक मल निकासी को दर्शित करते हुए किसी समोच्च नक्शे के ब्यौरे दें)

1.6 निर्माण क्रियाकलाप – कर्तन, भरण, भूमि सुधार आदि में अंतर्वलित भूमि कार्य की मात्राएं क्या हैं ? (अंतर्वलित भूमि कार्य, स्थल आदि के बाहर से सामग्री भरने के परिवहन के ब्यौरे दें)

1.7 निर्माण अवधि के दौरान जल प्रदाय अपशिष्ट उठाई धराई आदि के संबंध में ब्यौरे दें।

1.8 क्या नीचे के क्षेत्रों और वेट लैंडस में परिवर्तन होंगे ? (वह ब्यौरे दें कि किस प्रकार निचले क्षेत्र और वेट लैंडस प्रस्तावित क्रियाकलापों से उपांतरित हो रहे हैं)

1.9 क्या निर्माण के दौरान निर्माण के कूड़ा करकट और अपशिष्ट से स्वास्थ्य को खतरा होगा ? (निर्माण के दौरान जिसके अंतर्गत निर्माण श्रम और व्ययन की युक्तियां भी हैं, जनित अपशिष्टों की विभिन्न किस्मों की मात्राएं दें।)

2. जल पर्यावरण

2.1 विभिन्न उपयोगों की अपेक्षाओं के विश्लेषण सहित प्रस्तावित परियोजना के लिए जल अपेक्षा की कुल मात्रा दें। जल अपेक्षा की पूर्ति कैसे होगी। स्रोतों और मात्राओं का कथन करें तथा एक जल अतिशेष विवरण दें।

2.2 जल के प्रस्तावित स्रोत की क्षमता क्या है ? (बहाव या प्राप्ति के आधार पर)

2.3 अपेक्षित जल की क्वालिटी क्या है यदि पूर्ति किसी नगर पालिक स्रोत से नहीं है ? (जल की क्वालिटी के वर्ग सहित भौतिक, रासायनिक, जैव वैज्ञानिक लक्षणों को दर्शित करें)

2.4 कितनी जल अपेक्षा की उपचारित बेकार जल के पुनः चक्रण से पूर्ति हो सकती है ? (मात्राओं, स्रोतों और उपयोगिताओं के ब्यौरे दें।)

2.5 क्या अन्य उपयोक्ताओं से जल का उपयोजन होगा ? (कृपया अन्य विद्यमान उपयोगों और उपभोग की मात्राओं पर परियोजना के प्रभाव का निर्धारण करें)

2.6 प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल से प्रदूषण के भार में क्या वृद्धि है ? (प्रस्तावित क्रियाकलापों से प्राप्त बेकार जल की मात्राओं और संघटन के ब्यौरे दें)

2.7 जल अपेक्षाओं की जल संचयन से हुई पूर्ति के ब्यौरे दें। सृजित सुविधाओं के ब्यौरें प्रस्तुत करें।

2.8 दीर्घकालिक आधार पर निर्माण चरण के पश्चात् क्षेत्र की प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के लक्षणों (मात्रात्मकता के साथ-साथ क्वालिटी भी) के कारण भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों का क्या प्रभाव होगा ? क्या इससे बाढ़ या जल के जमा होने की किसी रूप में समस्या में वृद्धि होगी ?

2.9 भूमिगत जल पर प्रस्ताव के क्या प्रभाव होंगे ? (क्या भूमिगत जल में नल लगाया जाएगा ; भूमिगत जल की सारणी, पुनः प्रभारण क्षमता और सक्षम प्राधिकारी से अभिप्राप्त अनुमोदन यदि कोई हों के ब्यौरे दें)

2.10 भूमि और पनिलों को प्रदूषित करने वाले निर्माण क्रियाकलापों से बह होने को रोकने के लिए क्या सावधानियां/कदम उठाए जाने हैं ? (प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए मात्राओं और अपनाए जाने वाले उपायों के ब्यौरे दें)

2.11 स्थल के भीतर किस प्रकार तेज जल की व्यवस्था की जाएगी ? (क्षेत्र में बाढ़ से बचने के लिए किए गए उपबंध, समोच्च स्तरों के उपदर्शन के स्थल अभिन्यास सहित उपलब्ध कराई गई जल निकासी सुविधाओं के ब्यौरे का कथन करें)

2.12 क्या आवश्यक अवधि में विशेष रूप से निर्माण श्रमिकों के लगाए जाने से परियोजना स्थल के आसपास अस्वच्छता दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं ? (उचित स्पष्टीकरण से न्यायोचित ठहराएं)

2.13 स्थल सुविधाओं पर संग्रहण, उपचार और जल निकासी के सुरक्षित व्ययन के लिए क्या व्यवस्था की जाती है ? (पुनःचक्रण और व्ययन के लिए प्रोद्योगिकी और सुविधओं सहित जनन, उपचार क्षमताओं की, चाहे जैसी हों मात्राओं के ब्यौरे दें)

2.14 दोहरी नलसाजी प्रणाली के ब्यौरे दें यदि उपयोग किए गए उपचारित अपशिष्ट का प्रसाधनों को बहाने या किसी अन्य उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है ।

3 वनस्पति

3.1 क्या जैवविविधता पर परियोजना का कोई खतरा है ? (स्थानीय पारिस्थितिक प्रणाली का उसकी विशिष्ट बातों सहित यदि कोई हों वर्णन करें)

3.2 क्या निर्माण में वनस्पति की विस्तृत निकासी या उपांतरण अंतर्वलित है ? (परियोजना द्वारा प्रभावित वृक्षों और वनस्पति का विस्तृत लेखा जोखा दें)

3.3 महत्वपूर्ण स्थल की बातों पर प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं ? (किसी समुचित मापमान कि किसी अभिन्यास योजना सहित वृक्षारोपण, भूदृश्य, जल निकायों आदि के सृजन के प्रस्ताव के ब्यौरे दें)

4. जीव जन्तु

4.1 क्या जीव जन्तुओं, स्थलीय और जलीय रूप से किसी प्रकार हटाने या उनके चलने फिरने के लिए रुकावटें होने की संभावना है ? ब्यौरे दें ।

4.2 क्षेत्र के जीव जन्तुओं पर क्या कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं ? ब्यौरे दें ।

4.3 जीवजन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए कारीडोर, मछली सीड़ियों आदि जैसे उपाय विहित करें ।

5. वायु पर्यावरण

5.1 क्या परियोजना से द्वीपों में गैसों के वायुमंडलीय सांद्रण में वृद्धि होगी और उसके परिणामस्वरूप ऊष्मा बढ़ेगी ? (प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप वर्धित यातायात बढ़ने को ध्यान में रखते हुए विक्षेपण आदर्शों पर आधारित अनुमानित मूल्यों सहित पृष्ठभूमि वायु क्वालिटी स्तरों के ब्यौरे दें)

5.2 धूल, जहरीली वाष्पों या अन्य परिसंकटमय गैसों के बनने पर क्या प्रभाव हैं ? सभी मौसम विज्ञान परिमापों के संबंध में ब्यौरे दें ।

5.3 क्या प्रस्ताव से यानों को पार्क करने के स्थल में कमी आएगी ? परिवहन अवसंरचना और सुधार के लिए प्रस्तावित उपायों के, जिसके अंतर्गत परियोजना स्थल के प्रवेश और निर्गम पर यातायात व्यवस्था भी है, विद्यमान स्तर के ब्यौरे दें ।

5.4 प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों, बाइसिकिल मार्गों, पैदल यात्री मार्गों, पैदल मार्गों आदि पर चलने के पैटर्नों के ब्यौरे दें ।

5.5 क्या यातायात शोर और कंपन में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी ? ऊपर वर्णित बातों को कम करने के लिए स्रोतों और प्रस्तावित उपायों के ब्यौरे दें ।

5.6 परियोजना स्थल के आसपास शोर स्तरों और कंपन तथा घिरी हुई वायु की क्वालिटी पर डीजी सेटों और अन्य उपस्करों पर क्या प्रभाव होगा ? ब्यौरे दें ।

6. सौन्दर्यबोद्धी

6.1 क्या प्रस्तावित निर्माणों के परिणामस्वरूप किसी दृश्य, दृश्यसुविधा या भूदृश्य में रूकावट होगी ? क्या प्रस्तावकों ने इन बातों पर विचार कर लिया है ?

6.2 क्या विद्यमान परिनिर्माणों पर नए निर्माण से कोई प्रतिकूल प्रभाव होगा ? किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

6.3 क्या डिजाइन मापमान को प्रभावित करने वाले शहर रूपी या शहरी डिजाइनों का कोई स्थानीय आकलन हैं ? उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है ।

6.4 क्या कोई मानव विज्ञान संबंधी या पुरातत्वीय स्थल या बाह्य चीजें आसपास में हैं ? कथन करें यदि कोई अन्य महत्वपूर्ण बात, जिसपर प्रस्तावित स्थल के परिक्षेत्र में होने पर विचार किया गया है ।

7 सामाजिक - आर्थिक पहलू

7.1 क्या प्रस्ताव के परिणामस्वरूप स्थानीय जनता के समाज संबंधी परिनिर्माणों में कोई परिवर्तन होगा ? ब्यौरे दें ।

7.2 प्रस्तावित परियोजना के आसपास विद्यमान सामाजिक अवसंरचना के ब्यौरे दें ।

7.3 क्या परियोजना से स्थानीय समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव, पवित्र स्थलों या अन्य सांस्कृतिक मूल्यों में विघ्न पड़ेगा ? प्रस्तावित सुरक्षापाय क्या हैं ?

8 निर्माण सामग्री

8.1 अधिक ऊर्जा संहित निर्माण सामग्री का उपयोग हो सकेगा । क्या ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाओं सहित निर्माण सामग्री उत्पादित की जाती है ? (निर्माण सामग्री और उनकी ऊर्जा दक्षता का चयन करने में ऊर्जा संरक्षण उपायों के ब्यौरे दें)

8.2 निर्माण के दौरान सामग्री का परिवहन और उठाई धराई के कारण प्रदूषण, शोर और लोक अशान्ति हो सकती है । इन प्रभावों को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं ?

8.3 क्या सड़कों और ढांचों में पुनः चक्रित सामग्री उपयोग की जाती है ? की गई बचतों की सीमा का कथन करें ?

8.4 परियोजना के प्रचालन संबंधी चरणों के दौरान हुए कूड़े के संग्रहण, पृथक्करण और व्ययन की पद्वति के ब्यौरे दें ।

9 ऊर्जा संरक्षण

9.1 विद्युत अपेक्षा प्रदाय के स्रोत, स्रोत आदि की पृष्ठभूमि आदि के ब्यौरे दें । निर्मित क्षेत्र में प्रति वर्ग फुट ऊर्जा खपत कितनी है ? ऊर्जा खपत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

9.2 विद्युत की पृष्ठभूमि की किस्म और क्षमता, जिसको देने की आपकी योजना है, क्या है ?

9.3 उपयोग किए जाने वाले कांच के अभिलक्षण क्या हैं ? शार्ट वेव और लांग वेव विकिरण दोनों से संबंधित उसके अभिलक्षणों के निर्देश दें ।

9.4 भवन में कौन से अप्रत्यक्ष सौर वास्तविक कारक उपयोग किए जा रहे हैं ? प्रस्तावित परियोजना में किए गए उपयोजन को स्पष्ट करें ।

9.5 क्या गलियों और भवनों के अभिन्यास सौर ऊर्जा युक्तियों की क्षमता को अधिकतम करते हैं ? क्या आपने भवन कम्प्लैक्स में उपयोग के लिए सड़क प्रकाशन आपात प्रकाशन और सौर तप्त जल प्रणालियों के उपयोग पर विचार कर लिया है ? ब्यौरों का सार दें ।

9.6 क्या प्रशीतन/तापन भार को कम करने के लिए शेडिंग का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है ? पूर्व और पश्चिम की दीवारों और छत पर शेडिंग को अधिकतम करने के लिए उपयोग करने के सिद्धांत क्या हैं ?

9.7 क्या परिनिर्माणों में ऊर्जा दक्ष स्थल शीतन, प्रकाशन और यांत्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाता है ? तकनीकी ब्यौरे दें । ट्रांसफार्मरों और मोटर दक्षता प्रकाशन तीव्रता और वायु प्रशीतन भार धारणाओं के ब्यौरे दें । क्या आप सीएफसी एचसीएफसी फ्री चिलर्स का उपयोग कर रहे हैं ? विनिर्देश दें ।

9.8 सूक्ष्म जलवायु के परिवर्तन में भवन क्रियाकलापों के संभावित प्रभाव क्या हैं ? तप्त द्वीप और प्रतीपन प्रभावों के सृजन पर प्रस्तावित निर्माण के संभावित प्रभावों पर स्वतः निर्धारण का उल्लेख करें ।

9.9 भवन आहाते के तापीय अभिलक्षण क्या हैं ? (क) छत ; (ख) बाह्य दीवारें ; और (ग) झरोखे ? उपयोग की गई सामग्री और व्यष्टिक संघटकों के यू मूल्यों या आर मूल्यों के ब्यौरे दें ।

9.10 अग्नि संकट के लिए प्रस्तावित सावधानियां और सुरक्षा उपाय क्या हैं ? आपात योजनाओं के ब्यौरे दें ।

9.11 दिवाल सामग्री के रूप में यदि कांच का उपयोग किया जाता है तो ब्यौरे और विनिर्देश जिसके अंतर्गत उत्सर्जनता और तापीय अभिलक्षण भी हैं, दें ।

9.12 भवन में वायु प्रवेशन की दर क्या है ? प्रवेशन के प्रभावों को कैसे कम कर रहे हैं, उसके ब्यौरे दें ।

9.13 समग्र ऊर्जा खपत में अपारंपरिक ऊर्जा प्रोद्योगिकियों का किसी सीमा तक उपयोग किया जाता है ? उपयोग की गई नवीकरणीय ऊर्जा प्रोद्योगिकियों के ब्यौरे दें ।

10 पर्यावरण प्रबंध योजना

पर्यावरण प्रबंध योजना में, निर्माण, प्रचालन और परियोजना के क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए समस्त जीवन चक्र के दौरान किए जाने वाले क्रियाकलापों की प्रत्येक मदवार के लिए सभी न्यूनतम करने वाले उपाय अंतर्विष्ट होंगे । इसमें विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों के अनुपालन के लिए पर्यावरणीय मानिटरी योजना का आलेखन भी होगा । आपात की दशा में, जैसे स्थल पर दुर्घटना जिसके अंतर्गत आग लगना भी है, उठाए जाने वाले कदमों का कथन भी होगा ।

परिशिष्ट 3
(पैरा 7 देखे)

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण दस्तावेज की साधारण संरचना

क्र.सं.	ईआईए संरचना	अंतर्वस्तु
1.	प्राक्कथन	• रिपोर्ट का प्रयोजन • परियोजना और परियोजना प्रस्तावक की पहचान • परियोजना की प्रकृति, आकार, अवस्थान का संक्षिप्त वर्णन और देश, प्रदेश में इसका महत्व • अध्ययन का विस्तार – किए गए विनियामक विस्तार के ब्यौरे (सौंपे गए कृत्यों के अनुसार)
2.	परियोजना वर्णन	• परियोजना के उन पहलुओं का संघनित वर्णन (परियोजना साध्यता अध्ययन पर आधारित) जिनकी पर्यावरणीय प्रभाव कारित करने की संभावना है । निम्नलिखित को स्पष्ट करने के लिए ब्यौरे उपबंधित किए जाने चाहिए : • परियोजना के किस्म • परियोजना की आवश्यकता • अवस्थान (साधारण अवस्थान, विनिर्दिष्ट अवस्थान, परियोजना सीमा और परियोजना स्थल अभिन्यास को दर्शित करते हुए नक्शे) • प्रचालन का आकार या विस्तार (जिसके अंतर्गत परियोजना द्वारा या उसके लिए अपेक्षित सहयोजित क्रियाकलाप) • अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित अनुसूची • प्रोद्योगिकी और प्रक्रिया वर्णन • परियोजना वर्णन, जिसके अंतर्गत परियोजना अभिन्यास, परियोजना आदि के संघटकों को दर्शित करते हुए आरेखन । साध्यता आरेखनों के स्कीमबद्ध प्रतिनिधित्व जो ईआईए परियोजना के लिए महत्वपूर्ण जानकारी दें । • पर्यावरणीय मानकों, पर्यावरणीय प्रचालन दशाओं या अन्य ईआईए अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए परियोजनाओं में सम्मिलित न्यूनिकरण उपायों का वर्णन (विस्तार द्वारा यथाअपेक्षित) • प्रोद्योगिकीय असफलता के जोखिम के लिए नई और अपरीक्षित प्रोद्योगिकी का निर्धारण
3.	पर्यावरण का वर्णन	• अध्ययन क्षेत्र, अवधि, संघटक और पद्धति • विस्तार में पहचान किए गए मूल्यवान पर्यावरणीय संघटकों के लिए आधारिक लेखा की स्थापना • सभी पर्यावरणीय संघटकों के आधार नक्शे
4.	अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय	• परियोजना अवस्थान, संभावित दुर्घटनाओं, परियोजना डिजाइन, परियोजना निर्माण, नियमित प्रचालनों, पूरी की गई परियोजना को अंतिम रूप से बंद करना या पुर्नस्थापन के कारण अन्वेषित पर्यावरणीय समाघातों के ब्यौरे । • पहचान किए गए प्रतिकूल समाघातों न्यूनिकृत और/या दूर करने के लिए उपाय • पर्यावरणीय संघटकों के असंपरिवर्तनीय और पुनः प्राप्त न किए जा सकने वाले आश्वासन ।

		• समाघातों के महत्व का निर्धारण (महत्व महत्व निर्धारण का अवधारणा करने के लिए मानदण्ड) • न्यूनीकरण उपाय
5.	अनुकल्पियों का विश्लेषण (प्रोद्योगिकी और स्थल)	• यदि विस्तारित करने के कार्य के परिणामस्वरूप अनुकल्पियों की आवश्यकता होती है : • प्रत्येक अनुकल्पी का वर्णन • प्रत्येक अनुकल्पी के प्रतिकूल समाघातों का सार • प्रत्येक अनुकल्पी के लिए प्रस्तावित न्यूनीकरण उपाय और • अनुकल्पी का चयन
6.	पर्यावरणीय मानिटरी कार्यक्रम	• न्यूनीकरण उपायों की प्रभावशीलता को मानीटर करने के तकनीकी पहलू (जिसके अंतर्गत माप, पद्वति, आवर्त, अवस्थान, आंकड़े विश्लेषण, रिपोर्ट करने की अनुसूचियां, आपात प्रक्रियाएं, विस्तृत बजट और उपापन अनुसूचियां भी हैं)
7.	अतिरिक्त अध्ययन	• लोक परामर्श • जोखिम निर्धारण • सामाजिक समाघात निर्धारण आर और आर अनुवर्ती योजनाएं
8.	परियोजना के फायदे	• भौतिक अवसंरचना में सुधार • सामाजिक अवसंरचना में सुधार • नियोजन क्षमता - कुशल ; अर्धकुशल और अकुशल • अन्य मूर्त फायदे
9.	पर्यावरणीय लागत फायदा विश्लेषण	यदि विस्तारण प्रक्रम पर सिफारिश की जाती है ।
10.	ईएमपी	• यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यूनीकरण संबंधी उपाय कार्यान्वित किए गए हैं और ईआईए के अनुमोदन के पश्चात् उनकी प्रभावी मानीटरी की गई है, प्रशासनिक पहलुओं का वर्णन ।
11.	संक्षिप्त सार और निष्कर्ष (यह ईआईए रिपोर्ट का संक्षिप्त सार होगा)	• परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समग्र औचित्य । • यह स्पष्टीकरण कि प्रतिकूल प्रभाव किस प्रकार कम किए जाते हैं
12.	नियोजित परामर्शियों का प्रकटन	• उनके संक्षिप्त कार्य और दिए गए परामर्श की प्रकृति सहित नियोजित किए गए परामर्शियों के नाम.

परिशिष्ट 3क

(पैरा 7 देखे)

संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की अंर्तवस्तु

पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संक्षिप्त सार अधिकतम ए -4 आकार के दस पृष्ठों पर पूरी पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का एक संक्षिप्त सार होगा । इसमें संक्षेप में अनिवार्य रूप से पूर्ण पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्याय होने चाहिएं :-

(1) परियोजना वर्णन :

(2) पर्यावरण का वर्णन :

(3) अनुमानित पर्यावरणीय समाघात और न्यूनीकरण उपाय :

(4) पर्यावरणीय मानीटरी कार्यक्रम :

(5) अतिरिक्त अध्ययन :

(6) परियोजना के फायदे :

(7) पर्यावरण प्रबंधन योजना :

परिशिष्ट 4

(पैरा 7 देखिए)

लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध और पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।

2.0 प्रक्रिया :

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के परे विस्तार है तो प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस हार्ड प्रतियां और उसी के बराबर सॉफ्ट (इलैक्ट्रानिक) प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार (प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट

(ख) जिला परिषद या नगर निगम

(ग) जिला उद्योग कार्यालय

(घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेषिक कार्यालय

2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर, अपनी अधिकारिताओं के भीतर, उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे । पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार तत्परता से प्रदर्शित करेगा और दिल्ली स्थित मंत्रालय में सामान्य कार्यालय घंटों के दौरान किसी अधिसूचित स्थान पर निर्देश के लिए पूरे प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट को भी उपलब्ध करेगा ।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या पंचायतों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों अर्थात् पर्यावरण और वन मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट आदि को प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति अतिरिक्त रूप से भी उपलब्ध कराएंगे ।

3.0 लोक सुनवाई की सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोजना सलाहकार से प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम से कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके ;

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेषिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;

3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य-सचिव द्वारा लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।

4.0 पैनल

जिला मजिस्ट्रेट या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से समस्त लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।

5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय वीडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

6.0 कार्यवाहियां

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति हेतु कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।

6.4 स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यवाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को पढ़ कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी स्थानीय भाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शित भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि :

7.1 लोक सुनवाई, आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । अतः संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । आवेदक, लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण को, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।

परिशिष्ट 5

(पैरा 7 देखिए)

आंकलन के लिए विहित प्रक्रिया

1. आवेदक, संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करते हुए, जहां लोक परामर्श आज्ञापक है, एक सादा सूचना के माध्यम से आवेदन करेगा :-

- अंतिम पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट की बीस हार्ड प्रतियां और एक साफ्ट प्रति
- लोक सुनवाई की कार्यवाहियों की वीडियो टेप की एक प्रति या सी.डी.
- अंतिम अभिन्यास योजना की बीस प्रतियां
- परियोजना साध्यता रिपोर्ट की एक प्रति

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर कार्यालय में तत्परता से टीओआर के प्रतिनिर्देश से समीक्षा की जाएगी और ध्यान में रखी गई अपर्याप्तताओं को प्रत्येक अंतिम पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करते हुए, जिसके अंतर्गत लोक सुनवाई कार्यवाहियां और प्राप्त की गई अन्य लोक प्रतिक्रियाएं भी हैं, प्ररूप 1 या प्ररूप 1क की एक प्रति और प्रस्तावों पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठकों के लिए निश्चित तारीखें सहित पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्यों को एकल सेट में इलेक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा संसूचित किया जाएगा ।

3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है और इसलिए कोई औपचारिक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन अपेक्षित नहीं है, वहां आंकलन, विहित आवेदन प्ररूप 1 के आधार पर और अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किसी पूर्व साध्यता रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में, इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुएं, संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, प्ररूप 1, प्ररूप 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आंकलन करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें नियत करेंगी । जब कभी आवेदक सभी अन्य आवश्यक कानूनी अनुमोदनों सहित निश्चित पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों को पूरा करते हुए अनुमोदित स्कीम/भवन योजना प्रस्तुत करता है तो पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति, सक्षम प्राधिकारी को पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर करने की सिफारिश करेगी ।

4. प्रत्येक आवेदन, पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति के समक्ष और इसका पूरा आंकलन, विहित रीति में अपेक्षित दस्तावेजों/ब्यौरों सहित इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर रखा जाएगा ।

5. आवेदक को परियोजना प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की निश्चित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व सूचित किया जाएगा ।

6. पर्यावरणीय निर्धारण समिति/राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के पांच कार्यकरण दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित विनियामक प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । परियोजना या क्रियाकलापों को पर्यावरणीय अनापत्ति को मंजूर किए जाने के लिए सिफारिश की दशा में, कार्यवृत्त में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षापायों और शर्तों को स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा । यदि सिफारिशें नामंजूर करने के लिए हैं तो उसके कारणों को भी स्पष्ट रूप से कथित किया जाएगा ।

परिशिष्ट 6

(पैरा 5 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के लिए सेक्टर/परियोजना विनिर्दिष्ट विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों की संरचना

1. विशेषज्ञ आंकलन समितियां और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां केवल निम्नलिखित पात्रता कसौटी को पूरा करने वाले वृत्तिकों और विशेषज्ञों से मिलकर बनेगी

वृत्तिक : ऐसा व्यक्ति जिसके पास कम से कम (i) एम.ए./एम.एस.सी डिग्री सहित संबंधित विद्या शाखा में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या (ii) इंजीनयरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुविद विद्या शाखाओं की दशा में, बी.टेक/बी.ई./बी.आर्क. डिग्री सहित क्षेत्र में विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित किसी वृत्तिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में चार वर्षीय औपचारिक प्रशिक्षण या (iii) अन्य वृत्तिक डिग्री (जैसे विधि) जिसमें पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण या विहित व्यावहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित है, या (iv) विहित शिक्षुता/कारीगारी तथा संबंधित वृत्तिक संगम द्वारा संचालित परिक्षाएं उत्तीर्ण की हो (जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी) या (v) किसी विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी में दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण (जैसे एम.बी.ए./आई.ए.एस./आई.एफ.एस.) व्यष्टि वृत्तकों का चयन करते समय उनके द्वारा उनके क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा ।

विशेषज्ञ : ऊपर पात्रता कसौटी को पूरा करने वाला कोई वृत्तिक जिसके पास क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का सुसंगत अनुभव या संबंधित क्षेत्र में कोई उच्चतर डिग्री हो (जैसे पी.एच.डी. और कम से कम दस वर्ष का सुसंगत अनुभव) ।

आयु : सत्तर वर्ष से नीचे । तथापि, किसी क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता/कमी की दशा में विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों की अधिकतम आयु को पचहतर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों/विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि "विशेषज्ञ" की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा ।

- पर्यावरण क्वालिटी विशेषज्ञ : पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप/मानिटरी, विश्लेषण और निर्वचन में विशेषज्ञ ।

- परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय विशेषज्ञ : परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया /प्रचालन/सुविधा प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
- पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया विशेषज्ञ : पर्यावरणीय समाघात निर्धारण का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।
- जोखिम निर्धारण विशेषज्ञ ।
- पेड़ - पौधे और जीव- जन्तु प्रबंधन में प्राणी विज्ञान विशेषज्ञ ।
- वन और वन्य जीव विशेषज्ञ ।
- परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र विशेषज्ञ ।

3. पर्यावरणीय निर्धारण समिति की सदस्यता पंद्रह नियमित सदस्यों से अधिक की नहीं होगी । तथापि, अध्यक्ष, समिति की किसी विशिष्ट बैठक के लिए किसी सुसंगत क्षेत्र में किसी विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ।

4. अध्यक्ष, सुसंगत विकास क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और पर्यावरणीय निति या प्रबंधन में अथवा लोक प्रशासन में अनुभव प्राप्त विशेषज्ञ होगा ।

5. अध्यक्ष, सदस्यों में से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशित करेगा जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि उसके सचिव के रूप में समिति की सहायता करेगा ।

7. किसी सदस्य की अधिकतम पदावधि, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, प्रत्येक तीन वर्ष की दो पदावधि होगी ।

8. अध्यक्ष/सदस्य को किसी कारण और समुचित जांच के बिना पदावधि के अवसान से पूर्व नहीं हटाया जा सकेगा ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2006

S.O. 1533(E).—Whereas, a draft notification under Sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India[1], unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environmment Policy as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006 and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union Territory Administration concerned under Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1324(E), dated the 15th September, 2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public ;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

---

[1] Includes the territorial waters

2. **Requirements of prior Environmental Clearance (EC):-** The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

(i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;

(ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;

(iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. **State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1)** A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member – Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

(2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.

(3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.

(4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.

(5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.

(6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).

(7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. **Categorization of projects and activities:-**

(i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, *will* require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category 'B' projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. **Stage (1) - Screening**:

In case of Category 'B' projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity

requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project . The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category 'B1' and remaining projects shall be termed Category 'B2' and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. **Stage (2) - Scoping:**

(i) "Scoping": refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category 'A' projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1' projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terns of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category 'B' in Item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. **Stage (3) - Public Consultation:**

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

(a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).

(b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.

(c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.

(d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).

(e) all Category 'B2' projects and activities.

(f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.

(iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form , within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing . Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use

other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application be shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days .The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V ;

7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form 1 and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence

2900 GI/2006—6 A.

necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

8.Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

2900 GI/2006—6B

9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

10. Post Environmental Clearance Monitoring:

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I, or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit A	B	Conditions if any
1		**Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(a)	Mining of minerals	≥ 50 ha. of mining lease area Asbestos mining irrespective of mining area	<50 ha ≥ 5 ha .of mining lease area.	General Condition shall apply Note Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		Note Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey
1(c)	River Valley projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area	(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. of culturable command area	General Condition shall apply
1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/naphta & gas based); ≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -)	< 500 MW (coal/lignite/naptha & gas based); <50 MW ≥ 5MW (Pet coke ,diesel and all other fuels)	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects		
2		**Primary Processing**		
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.1million ton/annum mineral throughput	< 0.1million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)

3		**Materials Production**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	a)Primary metallurgical industry All projects b) Sponge iron manufacturing ≥ 200TPD c)Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units ≥ 20,000 tonnes /annum	Sponge iron manufacturing <200TPD Secondary metallurgical processing industry i.)All toxic andheavymetal producing units <20,000 tonnes /annum ii.)All other non –toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/annum	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply

4		**Materials Processing**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(a)	Petroleum refining industry	All projects	-	-
4(b)	Coke oven plants	≥2,50,000 tonnes/annum -	<2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum	-
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	-	-
4(d)	Chlor-alkali industry	≥300 TPD production capacityor a unit located out side the notified industrial area/ estate	<300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4(e)	Soda ash Industry	All projects	-	-
4(f)	Leather/skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units out side the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/ estate	Specific condition shall apply
5		**Manufacturing/Fabrication**		
5(a)	Chemical fertilizers	All projects	-	-
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)	All projects -	-	-
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located out side the notified industrial area/ estate -	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(g)	Distilleries	(i)All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥30 KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries – <30 KLD	General Condition shall apply
5(h)	Integrated paint industry	-	All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(l)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Pulp& Paper manufacturing industry -	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5(j)	Sugar Industry	- -	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	- -	All projects	General Condition shall apply
6		**Service Sectors**		
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects -		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	-	All projects	General Condition shall apply
7		**Physical Infrastructure including Environmental Services**		
7(a)	Air ports	All projects	-	-
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	-	-
7(c)	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.	-Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha. Industrial estates of area> 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.	Special condition shall apply Note: Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration &landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	i) New State High ways; and ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7(g)	Aerial ropeways		All projects	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		**Building /Construction projects/Area Development projects and Townships**		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-

General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre –defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

[No. J-11013/56/2004-IA-II(I)]
R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

APPENDIX I

(See paragraph – 6)

FORM 1

(I) Basic Information

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- *Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)*

(II) Activity

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?		
1.5	Construction works?		
1.6	Demolition works?		
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.9	Underground works including mining or tunneling?		
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		

1.14	Facilities for storage of goods or materials?		
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.22	Stream crossings?		
1.23	Abstraction or transfers of water form ground or surface waters?		
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		
1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.29	Introduction of alien species?		
1.30	Loss of native species or genetic diversity?		
1.31	Any other actions?		

2. **Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):**

S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		

2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material – stone, aggregates, and / soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		

4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		

5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

7. **Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:**

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. **Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment**

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

2900 GI/2006—8B

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	Lead to development of supporting. lities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.: • Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.) • housing development • extractive industries • supply industries • other		
9.2	Lead to after-use of the site, which could havean impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses *(hospitals, schools, places of worship, community facilities)*		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources *(ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)*		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. *(those where existing legal environmental standards are exceeded)*		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (*earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions*)		

(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)

CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS

(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)

1. LAND ENVIRONMENT

(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii)the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?

2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)

2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)

2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)

2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)

2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.

2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?

2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)

2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)

2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)

2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)

2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)

2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

3. VEGETATION

3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.

7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

8. BUILDING MATERIALS

8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)

8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?

8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?

8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

9. ENERGY CONSERVATION

9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?

9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?

9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?

9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.

9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.

9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?

9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.

9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

APPENDIX III

(See paragraph 7

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	• Purpose of the report • Identification of project & project proponent • Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region • Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)
2.	Project Description	• Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following: • Type of project • Need for the project • Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout)

		• Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project • Proposed schedule for approval and implementation • Technology and process description • Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose • Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope) • Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure
3.	Description of the Environment	• Study area, period, components & methodology • Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope • Base maps of all environmental components
4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	• Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project • Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified • Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components • Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance) • Mitigation measures
5.	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	• In case, the scoping exercise results in need for alternatives: • Description of each alternative • Summary of adverse impacts of each alternative • Mitigation measures proposed for each alternative and • Selection of alternative

6.	Environmental Monitoring Program	• Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	• Public Consultation • Risk assessment • Social Impact Assessment. R&R Action Plans
8.	Project Benefits	• Improvements in the physical infrastructure • Improvements in the social infrastructure • Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled • Other tangible benefits
9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	EMP	• Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	• Overall justification for implementation of the project • Explanation of how, adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	• The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

APPENDIX III A
(See paragraph 7)

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

APPENDIX IV

(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2. 0 **The Process:**

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

(a) District Magistrate/s
(b) Zila Parishad or Municipal Corporation
(c) District Industries Office
(d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz, Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings.

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate ,and the SPCB or UTPCC . The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 **Time period for completion of public hearing**

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing .The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

APPENDIX –V
(See paragraph 7)

PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC

/SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -1or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal.

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

APPENDIX VI

(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy),or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts**: Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality

- **Sectoral Experts in Project Management**: Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.

- **Environmental Impact Assessment Process Experts**: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process

- **Risk Assessment Experts**

- **Life Science Experts in floral and faunal management**
- **Forestry and Wildlife Experts**
- **Environmental Economics Expert with experience in project appraisal**

3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.

4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.

5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.

6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.

7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.

8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

(To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section 3-Sub-Section (ii))

Government of India
Ministry of Environment and forests

Corrigendum

New Delhi, the 13th November 2006

S.O.1939(E) In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E) dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 14th September, 2006, at pages 1 to 71 -

(i) in paragraph 7, in sub-paragraph (i), in clause III, in sub-clause (iii), for "45 (forty five)", read "forty five days";

(ii) in paragraph 12,-

(a) for "except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression", read "except in supersession of the things done or omitted to be done before such supersession";

(b) for "Schedule I", read "Schedule".

(iii) In column (3) and (4) of category 1(d) of Schedule, for the words "naphta" and "naptha" read "naphtha".

(iv) In para 7, sub para 7(i), clause IV, sub clause (iii), for the words "an application be shall be" read "an application shall be".

(v) In General Conditions (GC) under Note of Schedule, for the words "Critically Polluted areas as notified by the CPCB " read as "Critically Polluted areas as identified by the CPCB".

(**J.M. Mauskar**)
Joint Secretary to the Government of India
J-11013/56/2004-IA-II (I)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1231] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 11, 2007/आश्विन 19, 1929
No. 1231] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 11, 2007/ASVINA 19, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2007

का.आ. 1737(अ).— केंद्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया था कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार से या केंद्रीय सरकार द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा केवल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ।

और ऐसे खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण और भूकंपी सर्वेक्षणों को करने से, जो खोज सर्वेक्षणों के भाग हैं, पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने से, जैसा पूर्व में किया जाता रहा था, छूट देने का ; राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के सदस्यों के

चयन के लिए दी गई विद्या शाखाओं में पात्रता कसौटी में अधिक स्पष्टता लाने के लिए और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना में उपयुक्त संशोधनों को जारी करने का विनिश्चय किया गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि जब कभी केंद्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर या किसी क्षेत्र में किन्हीं प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर, प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित करने चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देगी ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंधित करता है कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभियुक्ति दे सकेगी ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों, के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में,--

(I) पैरा 3 के उपपैरा (3) और उपपैरा (4) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(3) अध्यक्ष, पर्यावरण नीति या प्रबंध में पर्याप्त अनुभव सहित किसी एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी के निबंधनों के अनुसार विशेषज्ञ होगा ।

(4) अन्य सदस्य, किसी एक विनिर्दिष्ट क्षेत्र में परिशिष्ट VI में दी गई पात्रता कसौटी पूरा करने वाला विशेषज्ञ होगा ।";

(II) पैरा 12 में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चौबीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(III) अनुसूची में,-

(i) मद संख्या 1(क) के सामने, स्तंभ 5 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण : खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण को छूट दी गई है परंतु वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई हो ।";

(ii) मद संख्या 1(ख) के सामने, स्तंभ 5 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"टिप्पण : ऐसे भूकंपी सर्वेक्षणों, जो खोज सर्वेक्षणों के भाग हैं, को छूट दी गई है परंतु वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई हो ।";

(iii) मद 7(च) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"i) नए राष्ट्रीय राजमार्ग ; और

ii) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।";

(ख) स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"i) नए राष्ट्रीय राजमार्ग ; और

ii) 30 कि.मी. से ज्यादा लंबे राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है ।";

(IV) परिशिष्ट VI में,--

(i) पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"2. पर्यावरणीय निर्धारण समिति (ईएसी) के सदस्य निम्नलिखित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव वाले विशेषज्ञ होंगे । उस दशा में कि "विशेषज्ञ" की कसौटी को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं, तो उसी क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव रखने वाले वृत्तिकों पर भी विचार किया जा सकेगा :

- **पर्यावरण क्वालिटी :** पर्यावरणीय क्वालिटी के संबंध में माप, मानिटरी, विश्लेषण और डाटा निर्वचन में विशेषज्ञ ।
- **परियोजना प्रबंधन में क्षेत्रीय :** परियोजना प्रबंधन या सुसंगत क्षेत्रों में प्रक्रिया या प्रचालन या सुविधा प्रबंधन में विशेषज्ञ ।
- **पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्रक्रिया :** पर्यावरणीय समाघात निर्धारणों (ईआईएएस) का संचालन और कार्यान्वयन तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपीएस) और अन्य प्रबंधन योजना तैयार करने में विशेषज्ञ और जो पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भावी तकनीकों और औजारों में विस्तृत विशेषज्ञता और ज्ञान रखते हों ।
- **जोखम निर्धारण ।**
- **प्राणी विज्ञान (पेड़-पौधे और जीव-जन्तु प्रबंधन) ।**
- **वन और वन्य जीव ।**
- **परियोजना आंकलन में अनुभव सहित पर्यावरणीय अर्थशास्त्र ।**
- **लोक प्रशासन या प्रबंधन";**

(ii) पैरा 4 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. जे-11013/69/2006-आईए. II(I)]

रा. आनंदकुमार, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं0 का0आ0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2007

S.O. 1737(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas it has been decided to exempt the mineral prospecting and seismic surveys which are part of exploratory surveys from seeking environmental clearance as had been done in the past; to bring in more clarity to the eligibility criteria in the disciplines given for selection of Members of the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committee and for that purpose to issue suitable amendments in the said notification;

And whereas clause clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment Protection Rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said Notification, –

(I) in para 3, for sub-paras (3) and (4), the following paras shall respectively be substituted, namely:-

"(3) The Chairman shall be an expert in terms of the eligibility criteria given in APPENDIX VI in one of the specified fields, with sufficient experience in environmental policy or management.

(4) The other Member shall be an expert fulfilling the eligibility criteria given in APPENDIX VI in one of the specified fields.";

(II) in para 12, for the words "one year", the words "twenty four months" shall be substituted;

(III) in the SCHEDULE,-

(i) against item 1(a), for the entries in column 5, the following entries shall be substituted, namely:-

"General Condition shall apply.
Note: Mineral prospecting is exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey.";

(ii) against item 1(b), for the entries in column 5, the following entries shall be substituted, namely:-

"Note: Seismic surveys which are part of Exploration Surveys are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey.";

(iii) against item 7(f),-

(a) in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"i) New National Highways; and

ii) Expansion of National Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.";

(b) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"i) New State Highways; and
ii) Expansion of State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.";

(IV) in APPENDIX VI,-
(i) for para 2, the following para shall be substituted, namely:-

"2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields or disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of "Experts" are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality**: Experts in measurement, monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality.
- **Sectoral Project Management**: Experts in Project Management or Management of Process or Operations or Facilities in the relevant sectors.
- **Environmental Impact Assessment Process**: Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management Plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process.
- **Risk Assessment**
- **Life Science (Floral and Faunal Management)**
- **Forestry and Wildlife**
- **Environmental Economics with experience in project appraisal**
- **Public Administration or Management**";

(ii) para 4 shall be omitted.

[F. No. J-11013/69/2006-IA. II(I)]

R. ANANDAKUMAR, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2002] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 1, 2009/अग्रहायण 10, 1931
No. 2002] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2009/AGRAHAYANA 10, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3067(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में कतिपय संशोधन करने वाली एक प्रारूप अधिसूचना जो का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी की गई थी, जो पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन का.आ. 195(अ), तारीख 19 जनवरी, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों के जिसके उससे प्रभावित होने की संभावना है, राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी आक्षेप और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(I) पैरा 3 के उप-पैरा (7) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) एसईआईएए के सभी विनिश्चय बैठक में बहुमत द्वारा लिए जाएंगे :

परंतु बहुमत द्वारा लिए गए विनिश्चय की दशा में इसके प्रति या इसके विरुद्ध विचार के ब्यौरे कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएंगे और इसकी एक प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी जाएगी।";

(II) पैरा 4 के उप-पैरा (iii) में, "एसईआईएए सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी की अनुपस्थिति में कोई प्रवर्ग 'ख' परियोजना प्रवर्ग 'क' परियोजना समझी जाएगी" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर, "सम्यक् रूप से गठित एसईआईएए या एसईएसी के अभाव में, किसी प्रवर्ग

'ख' परियोजना केन्द्रीय स्तर पर प्रवर्ग 'ख' परियोजना समझी जाएगी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(III) **पैरा 7(i) में लोक परामर्श से संबंधित प्रक्रम (3) के उपपैरा (iii) के खंड (i) में,—**

(i) **मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—**

"(गग) तलकर्षण अनुरक्षण परन्तु तलकर्षित सामग्री का निपटान पत्तन सीमाओं के भीतर किया जाएगा ।";

(ii) मद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(घ) सभी भवन या संन्निर्माण परियोजनाएं या क्षेत्र विकास परियोजनाएं (जिसके अंतर्गत कोई प्रवर्ग 'क' परियोजनाएं या क्रियाकलाप नहीं है) और नगरीय परियोजनाएं (अधिसूचना की अनुसूची के मद 8(क) और 8(ख) में) ।";

(IV) **पश्च पर्यावरणीय अनापत्ति को मानीटर करने से संबंधित पैरा 10 में,-**

(क) विद्यमान उपपैरा (i) को उपपैरा (ii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपपैरा (ii) के पूर्व निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(i) (क) प्रवर्ग 'क' परियोजनाओं के संबंध में, परियोजना प्रस्तावक के लिए यह आज्ञापक होगा कि वह पर्यावरणीय शर्तों और रक्षोपाय सहित अपनी परियोजना के लिए अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति को अपने खर्चे पर उस जिले या राज्य के, जहां परियोजना अवस्थित है कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में विज्ञापित करके सार्वजनिक करें । इसके अतिरिक्त, परियोजना का प्रस्तावक की वेबसाइट में परियोजना को स्थायी रूप से दर्शित किया जाएगा । (ख) प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के संबंध में, पर्यावरण और वन मंत्रालय/एसईआईएए के अनापत्तियों को विचार में लाए बिना परियोजना प्रस्तावक समाचार पत्रों में यह दर्शित करते हुए कि परियोजना की पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है और उसके ब्यौरे पर्यावरण और वन मंत्रालय की वेबसाइट पर जहां वह प्रदर्शित हैं प्रमुखता से विज्ञापित कराएगा । (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर का पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण भी पर्यावरणीय अनापत्ति को सरकारी पोटल पर लोक क्षेत्र में रखेगा । (घ) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तुत पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रतियां स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरपालिका निकायों के प्रधानों को भी प्रस्तुत की जाएगी । इसके अतिरिक्त, सरकार के सुसंगत कार्यालय में प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे दर्शित करेगा";

(ख) विद्यमान उपपैरा (ii) को उपपैरा (iii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।

(V) **अनुसूची में,-**

(i) मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क)	(i) खनिजों का खनन ।	**गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 है0 ।** कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का >150 है0 । खनन क्षेत्र पर ध्यान दिए बना एसवेस्टोज खनन ।	गैर कोयला खान पट्टे के संबंध में <50 हैक्टेयर ≥5 हैक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खान पट्टे के संबंध में खनन पट्टा क्षेत्र का ≤150 हैक्टेयर ≥5 है0 ।	साधारण शर्त लागू होगी । टिप्पण : खनिज पूर्वेक्षण को छूट दी जाती है ।";
	(ii) पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों राष्ट्रीय उद्यानों/पक्षी उद्यान/प्रवाल भित्ती से होकर गुजरने वाली पतली पाइप लाइनें (कोयला लिग्नाइट और अन्य अयस्क)	सभी परियोजनाएं ।		

(ii) मद 1(ग) के सामने स्तंभ (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण : जल मग्नता या अंतरराज्यिक क्षेत्र वाली सिंचाई परियोजना अंर्तवलित नहीं है को एसईआईएए द्वारा प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा ।";

(iii) **मद 1(घ) के सामने,-**

(क) स्तंभ (3) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"≥ 500 मेगावाट (कोयला/लिग्नाइट/नेफ्था गैस आधारित) ;

≥ 50 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और बायोमास के सिवाय परिशोधन संयंत्रों के सभी अपशिष्ट तेल के रूप में सभी अन्य ईंधन) ;

≥ 20 मेगावाट (ईंधन के रूप में बायोमास या गैर परिसंकटमय नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर आधारित) ;

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"<500 मेगावाट (कोयला लिग्नाइट/नेफ्था और गैस आधारित) ;

< 50 मेगावाट ≥5 मेगावाट (पेट कोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन बायोमास के सिवाय परिशोधन संयंत्रों के सभी अपशिष्ट तेल के रूप में सभी अन्य ईंधन) ।";

(ग) स्तंभ (5) में, प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण :

(i) बायोमास और अतिरिक्त ईंधन जैसे कोयला/लिग्नाइट/ पेट्रोलियम उत्पाद जैसे ईंधन पर आधारित 15 मेगावाट तक के विद्युत संयंत्रों में 15% तक छूट प्राप्त है ।

(ii) गैर परिसंकटमय नगरपालिक अपशिष्ट और अतिरिक्त ईंधन जैसे कोयला/लिग्नाइट/ पेट्रोलियम उत्पाद ईंधन पर आधारित 15 मेगावाट तक विद्युत संयंत्र में 15% तक छूट प्राप्त हैं ।

(iii) किसी अतिरिक्त ईंधन के बिना अपशिष्ट ऊष्मा बायलर का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।";

(iv) मद 3(क) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण :

(i) एचएसएम नियमों के अधीन आने वाली पुनःचक्रण औद्योगिक यूनिटें जिनके लिए रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित हैं छूट प्राप्त हैं ।

(ii) गौण धातुकर्म प्रसंस्करण औद्योगिक इकाईयों की दशा में केवल वे परियोजनाएं जिनमें भट्टियों का प्रचालन अंतर्वलित है जैसे कि प्रेरण और विद्युत आर्क भट्टी, सबमर्ज आर्क भट्टी और 30,000 टन प्रति वाष्पक उष्मता क्षमता वाली गुम्बदी भट्टी को पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।

(iii) नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (अपरिसंकटमय) पर आधारित विद्युत संयंत्र से भिन्न (अनुसूची की प्रविष्टि सं. 1(घ) के सामने दिया गया है) संयंत्र/इकाईयां छूट प्राप्त है ।";

(v) मद 4(ख) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण शर्तें लागू होंगी ।";

(vi) मद 4(घ) के सामने,-

(क) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(i) आकार पर ध्यान दिए बिना, सभी परियोजनाएं, यदि वे अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित हैं ।

(ii) <300 (टन प्रतिदिन) और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित ।";

(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

किसी नए मरकरी सेल आधारित संयंत्र की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी । मेंम्बरेन सेल प्रौद्योगिकी की संपरिवर्तित विद्यमान इकाई को अधिसूचना से छूट प्राप्त है ।";

(vii) मद 4(च) के सामने स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

(viii) मद 5(क) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"एकल सुपर फास्फेट को छोड़कर सभी परियोजनाएं ।";

(ख) स्तंभ (4) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"एकल सुपर फास्फेट ।";

(ix) मद 5(ङ) के सामने स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण के साथ विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

(x) मद 5(च) के सामने, स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।";

(xi) मद 5(ट) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xii) मद 7(क) के सामने,-

(क) स्तंभ (3) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रबिष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"सभी परियोजनाएं, जिनके अंतर्गत ऐसी वायु पट्टियां भी हैं जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं ।";

(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"टिप्पण :

ऐसी वायु पट्टियां जिनमें बंकर/पुनःईंधन भरण सुविधा सम्मिलित नहीं है और/या वायुमार्ग यातायात नियंत्रण छूट प्राप्त हैं ।

(xiii) मद 7(ग) के सामने, स्तंभ (5) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्तें लागू होंगी ।

टिप्पण :

1. 500 हे0 से कम क्षेत्र वाली औद्योगिक संपदा जिसमें प्रवर्ग क या प्रवर्ग ख का कोई उद्योग स्थित नहीं है को अनापत्ति अपेक्षित नहीं है ।

2. यदि क्षेत्र 500 हे0 से कम है किन्तु उसमें >20,000 वर्गमीटर के भवन और संनिर्माण परियोजनाएं और/या 50 हे0 से अधिक विकास क्षेत्र अंतर्विष्ट है तो उसे यथास्थिति अनुसूची में क्रम सं0 8(क) या 8(ख) में सूचीबद्ध कार्यकलाप माना जाएगा ।",

(xiv) मद 7(ङ) के सामने,-

(क) स्तंभ (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"पत्तन, बंदरगाह, तरंग रोध, तलकर्षण ।";

(ख) स्तंभ (5) में, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् :-

" साधारण शर्त लागू होगी ।

टिप्पण :

1. पत्तन या बंदरगाह और जलान्तराल के अंदर और बाहर मुख्य झमाई शामिल हैं ।"

2. झमाई अनुरक्षण को छूट प्राप्त है परंतु यह उस मूल प्रस्ताव का भाग हो जिसके लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार की गई थी और पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त की गई थी ।

(xv) मद 7 (च) के सामने,
(क) स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी की जाएगी, अर्थात् :--

(i) सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं ; और
(ii) पहाड़ी धरती में राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं (1,000 मी. एम.एस.एल से ऊपर) और/या पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। ";
(ख) स्तंभ (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --
"साधारण शर्तें लागू होगी ।
टिप्पण :
राजमार्ग में एक्सप्रेस मार्ग सम्मिलित हैं ।";
(xvi) मद संख्या 7 (छ) के सामने --
(क) स्तंभ (3), में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

" (i) 1000 मीटर और इससे ऊपर की ऊंचाई पर स्थित सभी परियोजनाएं;
(ii) अधिसूचित पारिस्थितिक क्षेत्रों में स्थित सभी परियोजना ।";

(ख) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : --
" स्तंभ (3), में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय सभी परियोजनाएं ।";

(xvii) अनुसूची के पश्चात् टिप्पण में साधारण शर्त (सा. श.) से संबंधित उपशीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"साधारण शर्त (सा.श.) :
प्रवर्ग 'ख' में विनिर्दिष्ट कोई परियोजना या क्रियाकलाप प्रवर्ग 'क' के रूप में समझा जाएगा यदि वह : (i) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित है; (ii) समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा पहचान किए गए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र है ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण)अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जैसे महाबलेश्वर, पंचगनी, मथेरन, पंचमढ़ी दहानू, दून घाटी, आदि और (iv) अंतर्राज्यिक सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 10 कि.मी. के भीतर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अवस्थित हैं :

परंतु यदि उपरोक्त मद (i), मद (ii) और मद (iii) में उल्लिखित क्षेत्रों में 10 किमी के अंतर्गत के क्रियाकलाप नहीं आते हैं, अंतरराज्यीय सीमाओं की 10 कि.मी.की दूरी से संबंधित

अपेक्षा को, एक ही सीमा के संबद्ध राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों के बीच करार द्वारा कम किया जा सकता है या पूरी तरह से हटाया जा सकता है ।

(VIII) परिशिष्ट 1 के प्ररूप 1 में, --

(क) आधारभूत जानकारी से संबंधित मद (I) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(I) आधारभूत जानकारी

क्रम संख्या	मद	ब्यौरे
1.	परियोजना/परियोजनाओं का नाम	
2.	अनुसूची में क्रम संख्या	
3.	प्रस्तावित क्षमता/क्षेत्र/लंबाई /उपयोग किए जाने वाले टन/समादेश क्षेत्र/पट्टाक्षेत्र/निष्कर्षी कुओं की संख्या	
4.	नया/विस्तार/आधुनिकीकरण	
5.	विद्यमान क्षमता/क्षेत्र आदि	
6.	परियोजना का प्रवर्ग अर्थात् 'क' या 'ख'	
7.	क्या इसे साधारण शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो कृपया विनिदिष्ट करें ।	
8.	क्या इसे विनिर्दिष्ट शर्त लागू होती है ? यदि हां, तो कृपया विनिदिष्ट करें ।	
9.	स्थान प्लाट/सर्वे/ खसरा सं0 ग्राम तहसील जिला राज्य	
10.	किलोमीटर में दूरी के साथ समीपस्थ रेलवे स्टेशन/ वायुपत्तन	
11.	किलोमीटर में दूरी के साथ निकटतम शहर, नगर, जिला मुख्यालय	
12.	ग्राम पंचायत, जिला परिषद्, नगरपालिक निगम, स्थानीय निकाय (टेलीफोन न. के साथ पूर्णकालिक पता दें)	
13.	आवेदक का नाम	

4372GI/09 -2

14.	रजिस्ट्रीकृत पता	
15.	पत्राचार का पता नाम पदनाम (स्वामी/भागीदार/सीईओ) पता पिन कोड ई मेल दूरभाष सं. फैक्स सं0	
16.	जांच की गई अनुकल्पी स्थल, यदि कोई हो, के ब्यौरे। इन स्थलों की अवस्थिति टापशीट पर दर्शाई जाए ।	ग्राम-जिला-राज्य 1. 2. 3.
17.	जुड़ी परियोजनाएं	
18.	क्या जुड़ी परियोजना के लिए पृथक आवेदन किया गया है ।	
19.	यदि हां, प्रस्तुतीकरण की तारीख	
20.	यदि नहीं, कारण	
21.	क्या प्रस्ताव के लिए : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (ग) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अधीन अनुमोदन/अनापत्ति की आवश्यकता है : यदि हां तो, उनके ब्यौरे या उनकी प्रास्थिति दीजिए ।	
22.	क्या स्थल से सुसंगत/संबद्ध कोई सरकारी आदेश/नीति है	
23.	अंतर्वलित वन भूमि (हैक्टेयर)	
24.	क्या परियोजना और/या भूमि जिसमें परियोजना का स्थापित किया जाना प्रस्तावित है के विरुद्ध कोई वाद लंबित है (क) न्यायालय का नाम (ख) वाद संख्या (ग) न्यायालय का आदेश/निदेश, यदि कोई है और प्रस्तावित परियोजना के लिए इसका महत्व	

(ख) अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"मैं यह वचन देता हूँ कि आवेदन और संलग्नकों में दिए गए आंकड़े और सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही है और मुझे यह जानकारी है कि यदि प्रस्तुत आंकड़े और सूचना का कोई भाग किसी प्रक्रम पर असत्य या भ्रामक पाया जाता है तो परियोजना को अस्वीकार कर दिया जाएगा और परियोजना को दी गई अनापत्ति, यदि कोई है, हमारे जोखिम और लागत पर प्रतिसंहृत की जाएगी ।

तारीख :
स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम और पूरा पता
(परियोजना प्रस्तावक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

टिप्पण :

1. तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 के अधीन अनापत्ति वाली परियोजनाएं आवेदन के साथ परियोजना क्रिया कलाप, डब्लू आर टी, सी आर जैड (टी.ओ.आर.की अवस्था में) दर्शाते हुए एक प्राधिकृत अभिकरण द्वारा सम्यक रूप से रेखांकित सी आर जैड नक्शा और राज्य तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (ई.सी. की अवस्था में) की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी । सी आर जैड में की जाने वाली क्रियाकलापों के लिए सी आर जैड अधिसूचना, 1991 के उपबंधों के अधीन अपेक्षित अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए भी साथ साथ कारवाई की जाएगी ।

2. राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारणय, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य पशुओं के प्रवासी कारीडोर की 10कि.मी. के भीतर स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रस्तावक इन लक्षणों के साथ साथ परियोजना अवस्थिति दर्शाते हुए मुख्य वन प्राणी वार्डन द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित नक्शा और उस पर मुख्य वन प्राणी वार्डन की सिफारिशें या टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा ।";

3. टी.ओ.आर/पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन, पश्चात स्पष्टीकरण के प्रस्तुति करने सहित पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ सभी पत्राचार समय-समय पर अपेक्षित हैं, परियोजना प्रस्तावक के निमित्त ई.ए.सी. में भागीदारी केवल प्राधिकृत हस्ताक्षरधारी द्वारा की जाएगी । प्राधिकृत हस्ताक्षरी, विनिर्दिष्ट परियोजना के लिए परियोजना के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।"

(Ix) **परिशिष्ट 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्** :-- -

"परिशिष्ट 4
(पैरा 7 देखिए)

लोक सुनवाई को संचालित करने के लिए प्रक्रिया

1.0 लोक सुनवाई की, संबंधित राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा परियोजना स्थल (स्थलों) में या उसके निकटस्थ परिसर में जिला वार एक प्रणालीबद्ध, समयबद्ध या पारदर्शी रीति में अधिकतम संभव लोक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए व्यवस्था की जाएगी ।

2.0 प्रक्रिया :

2.1 आवेदक, उस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव को, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, विहित कानूनी अवधि के भीतर लोक सुनवाई की व्यवस्था करने के लिए एक सादा पत्र के माध्यम से अनुरोध करेगा । यदि परियोजना स्थल एक से अधिक जिले या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है तो प्रत्येक जिला, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में जिसमें परियोजना स्थित है, लोक सुनवाई आज्ञापक है और आवेदक, इस प्रक्रिया के अनुसार लोक सुनवाई करने के लिए प्रत्येक संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण समिति को पृथक अनुरोध करेगा ।

2.2 आवेदक, अनुरोध पत्र के साथ प्ररूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की कम से कम दस मुद्रित प्रतियां और उसी के बराबर इलैक्ट्रानिक प्रतियां, परिशिष्ट 3 में दी गई सामान्य संरचना सहित (जिसके अंतर्गत विस्तार(प्रक्रम 2) के पश्चात् संसूचित किए गए सौंपे गए कृत्यों के अनुसार निर्बाध रूप से अंग्रेजी और राज्य की राजभाषा/ स्थानीय भाषा में तैयार की गई संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट सम्मिलित है) संलग्न की जाएगी । इसके साथ-साथ आवेदक संक्षिप्त पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के साथ ऊपर प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की हार्ड प्रति और एक सॉफ्ट प्रति पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा निम्नलिखित प्राधिकारियों या कार्यालयों को जिनकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित होगी, अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा :

(क) जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/उपायुक्त
(ख) जिला परिषद या नगर निगम या पंचायत संघ
(ग) जिला उद्योग कार्यालय
(घ) शहरी स्थानीय निकाय /संबद्ध पी आर आई/विकास प्राधिकरण
(ङ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का संबंधित प्रादेशिक कार्यालय

2.3 ऊपर उल्लिखित प्राधिकारी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के सिवाय, प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति पर अपनी अधिकारिता के भीतर उसमें हितबद्ध व्यक्तियों से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को अपनी टीका-टिप्पणियां भेजने का अनुरोध करते हुए, विस्तृत प्रचार करने की व्यवस्था करेंगे । वे लोक सुनवाई होने तक सामान्य कार्यालय घंटों के

दौरान जनता को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा निरीक्षण करने के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराएंगे ।

2.4 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति भी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर परियोजना की बाबत प्रचार करने के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेगी और चयनित कार्यालयों या लोक पुस्तकालयों या किसी अन्य उपयुक्त स्थानों आदि में निरीक्षण के लिए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (परिशिष्ट 3क) का संक्षिप्त सार उपलब्ध कराएगी । वे जैसा पैरा 2.2 में वर्णित है, उपर्युक्त पांच प्राधिकारियों/कार्यालयों, को अतिरिक्त रूप प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की एक प्रति से भी उपलब्ध कराएंगे ।

3.0 लोक सुनवाई की सूचना

3.1 संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य सचिव परियोज़ना प्रस्तावक प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर लोक सुनवाई संचालित करने के लिए तारीख, समय और निश्चित स्थान को अंतिम रूप देगा और उसको मुख्य राष्ट्रीय दैनिक में और एक प्रादेशिक भाषा /राज्य की राजभाषा के दैनिक समाचारपत्र में विज्ञापित करेगा । जनता को अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कम कम तीस दिनों की सूचना उपलब्ध कराई जाएगी ;

3.2 विज्ञापन, जनता को उन स्थानों या कार्यालयों की बाबत भी सूचित करेगा जहां प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार तक सुनवाई से पूर्व जनता की पहुंच हो सके । ऐसे स्थानों को जहाँ समाचार पत्र नहीं पहुंचते हैं, वहां सक्षम प्राधिकारी को ढोल बजाकर और रेडियो/टेलीविजन पर विज्ञापन /घोषणा द्वारा जैसे अन्य माध्यमों से जनता को आम जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए ।

3.3 लोक सुनवाई की तारीख, समय और स्थान को तब तक आस्थगित नहीं किया जाएगा जब तक कोई अवांछित आपात स्थिति न आ जाए और केवल संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/ जिला उपायुक्त की सिफारिश पर किया आस्थगन को उन्हीं राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषा के समाचार पत्रों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा पहचान किए सभी कार्यालयों में मुख्य रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा ;

3.4 ऊपर आपवादिक परिस्थितियों में, केवल जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/उपायुक्त के परामर्श से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य - सचिव लोक परामर्श के लिए नई तारीख, समय और स्थान का विनिश्चय किया जाएगा और ऊपर 3.1 के अधीन प्रक्रिया के अनुसार नए सिरे से अधिसूचित किया जाएगा ।

4.0 पर्यवेक्षण और सुनवाई का पीठासीन अधिकारी

जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर/उपायुक्त या किसी अपर जिला मजिस्ट्रेट से अन्यून की पंक्ति का उसका प्रतिनिधि, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि की सहायता से सम्पूर्ण लोक सुनवाई प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा ।

5.0 वीडियोग्राफी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, समस्त कार्यवाहियों की वीडियो फिल्म तैयार करने की व्यवस्था करेगी । संबंधित विनियामक प्राधिकरण को इसे अग्रेषित करते समय विडियो टेप की एक प्रति या एक सीडी लोक सुनवाई कार्रवाईयों के साथ संलग्न की जाएगी ।

6.0 कार्यवाहियां

6.1 उन सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को जो स्थल पर विद्यमान हैं, अंतिम कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.2 कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए उपस्थिति के लिए कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी ।

6.3 आवेदक का कोई प्रतिनिधि, परियोजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के संक्षिप्त सार की प्रस्तुति के साथ कार्यवाहियां आरंभ करेगा ।

6.4 स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों को, आवेदक से परियोजना पर सूचना या स्पष्टीकरण मांगने का अवसर दिया जाएगा । लोक सुनवाई कार्यावाहियों का संक्षिप्त सार ठीक रूप से प्रदर्शित करते हुए अभिव्यक्त सभी विचारों और अभिव्यक्त चिंताओं को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि द्वारा अभिलिखित किया जाएगा और प्रांतीय भाषा में अंतर्वस्तुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यवाहियों के अंत में श्रोताओं को स्थानीय/देशी भाषा में पढ़कर सुनाया जाएगा तथा करार पाए गए कार्यवृत्त पर उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/उपायुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति को अग्रेषित किया जाएगा ।

6.5 जनता द्वारा उठाए गए मुद्दों का एक विवरण और आवेदक की टीका-टिप्पणियों को भी, यथास्थिति, स्थानीय भाषा या राज्य की राजभाषा में और अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जाएगा तथा कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाएगा ।

6.6 लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को उस पंचायत घर के कार्यालय पर, जिसकी अधिकारिता में परियोजना अवस्थित है, संबंधित जिला परिषद्, जिला मजिस्ट्रेट/ जिला कलक्टर/उपायुक्त और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति के कार्यालय में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति

साधारण जानकारी के लिए अपने वेबसाइट पर कार्यवाहियों को प्रदर्शि भी करेगी । कार्यवाहियों पर टीका-टिप्पणियों को, यदि कोई हों, संबंधित विनियामक प्राधिकरणों और संबंधित आवेदक को प्रत्यक्षतः भेजी जा सकेगी ।

7.0 लोक सुनवाई को पूरा करने के लिए कालावधि

7.1 लोक सुनवाई आवेदक से अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी । इसके पश्चात् संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति लोक सुनवाई के पूरा होने के आठ दिनों के भीतर संबंधित विनियामक प्राधिकरण को लोक सुनवाई की कार्यवाहियों को भेजेगी । उसी तरह एक प्रति परियोजना प्रस्तावक को भी भेजी जाएगी । आवेदक, उन समुत्थानों को संबोधित करते हुए कार्रवाई योजना और वित्तीय आबंटन मद-वाद के साथ लोक सुनवाई में व्यक्त चिंताओं को सम्मिलित करते हुए लोक सुनवाई और लोक परामर्श के पश्चात् तैयार की गई अंतिम पर्यावरणीय समाघात रिपोर्ट या प्रारूप पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट पर अनुपूरक रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित विनियामक प्राधिकरण की, अनुमोदित लोक सुनवाई कार्यवाहियों की एक प्रति प्रत्यक्षतः भी अग्रेषित करेगा ।

7.2 यदि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति, नियत पैंतालीस दिनों के भीतर लोक सुनवाई करने में असफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय, प्रवर्ग 'क' परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और प्रवर्ग ख परियोजना या क्रियाकलाप के लिए और राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, राज्य पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण के अनुरोध पर, किसी अन्य अभिकरण या प्राधिकरण को इस अधिसूचना में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोजित करेगी ।";

VIII परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन अनुसूची की मद 8 के अलावा सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में विहित आवेदन प्ररूप 1 और ईआईए रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए संबद्ध पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति प्ररूप 1 प्ररूप - 1क और धारणा योजना के आधार पर सभी प्रवर्ग ख परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन करेंगी और परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति देने या अन्यथा के अनुमोदन के बारे में सिफारिश करेगी और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तों का भी अनुबंध करेगी ।" ।

[सं. जे-11013/56/2004-I ए. II(I)]

जी. के. पाण्डेय, सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनको का.आ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 द्वारा संशोधित किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2009

S.O. 3067(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment notification, 2006 issued vide no. S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, was published under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide number S.O. 195 (E), dated the 19th January, 2009, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification, -

I **in para 3, for sub-para (7), the following shall be substituted, namely:—**

"(7) All decisions of the SEIAA shall be taken in a meeting and shall ordinarily be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to MoEF."

II **in para 4, in sub-para (iii),** for the words and letters "In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project", the words and letters "In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be considered at the Central Level as a Category 'B' project" shall be substituted.

III in para 7(i), in sub-para III relating to Stage (3) - Public Consultation, in clause (i),—

(i) after item (c), the following item shall be inserted, namely:—

"(cc) maintenance dredging provided the dredged material shall be disposed within port limits.";

(ii) for item (d), the following item shall be substituted, namely:—

"(d) All Building or Construction projects or Area Development projects (which do not contain any category 'A' projects and activities) and Townships (item 8(a) and 8(b) in the Schedule to the notification).".

IV In para 10 relating to Post Environmental Clearance Monitoring,-

(a) the existing sub-para (i) shall be renumbered as sub-para (ii) and before sub-para (ii) as so re-numbered, the following sub-para shall be inserted namely;

"(i) (a) In respect of Category 'A' projects, it shall be mandatory for the project proponent to make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the district or State where the project is located and in addition, this shall also be displayed in the project proponent's website permanently. (b) In respect of Category 'B' projects, irrespective of its clearance by MoEF / SEIAA, the project proponent shall prominently advertise in the newspapers indicating that the project has been accorded environment clearance and the details of MoEF website where it is displayed. (c) The Ministry of Environment and Forests and the State/Union Territory Level Environmental Impact Assessment Authorities (SEIAAs), as the case may be, shall also place the environmental clearance in the public domain on Government portal. (d) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.";

(b) existing sub-para (ii) shall be renumbered as sub-para (iii).

V in the Schedule,—

(i) for item 1(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

4372 GI/09—3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(a)	(i)Mining of minerals.	≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease. Asbestos mining irrespective of mining area.	<50 ha ≥5 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. ≤150 ha ≥5 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Condition shall apply. Note: Mineral prospecting is exempted.";
	(ii)Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks/ sanctuaries/ coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		

(ii) against item 1(c), for the entries in column (5), the following entries shall be substituted, namely:—

"General Condition shall apply.

Note: Irrigation projects not involving submergence or inter-state domain shall be appraised by the SEIAA as Category 'B' Projects.";

(iii) against item 1(d),—

(a) in column (3), for the entries, the following entries shall be substituted, namely—

"≥ 500 MW (coal/lignite/naphtha and gas based);
≥ 50 MW (Pet coke, diesel and all other fuels including refinery residual oil waste except biomass);

≥ 20 MW (based on biomass or non hazardous municipal solid waste as fuel).";

(b) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"<500MW (coal/lignite/naphtha and gas based);
<50 MW ≥ 5 MW (Pet coke, diesel and all other fuels including refinery residual oil waste except biomass);
<20MW > 15MW (based on biomass or non hazardous municipal solid waste as fuel).";

(c) in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"General Condition shall apply.

Note:
(i) Power plants up to 15 MW, based on biomass and using auxiliary fuel such as coal / lignite / petroleum products up to 15% are exempt.
(ii) Power plants up to 15 MW, based on non-hazardous municipal waste and using auxiliary fuel such as coal / lignite / petroleum products up to 15% are exempt.
(iii) Power plants using waste heat boiler without any auxiliary fuel are exempt.";

(iv) against item 3(a), in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"General condition shall apply.

Note:
(i) The recycling industrial units registered under the HSM Rules, are exempted.
(ii) In case of secondary metallurgical processing industrial units, those projects involving operation of furnaces only such as induction and electric arc furnace, submerged arc furnace, and cupola with capacity more than 30,000 tonnes per annum (TPA) would require environmental clearance.
(iii) Plant / units other than power plants (given against entry no. 1(d) of the schedule), based on municipal solid waste (non-hazardous) are exempted.".

43726/09-4

(v) against item 4(b), in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General conditions shall apply.";

(vi) against item 4(d),—

(a) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(i) All projects irrespective of the size, if it is located in a Notified Industrial Area/Estate.

(ii) < 300 tonnes per day (TPD) and located outside a Notified Industrial Area/ Estate.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.

No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempt from the notification.";

(vii) against item 4(f), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.";

(viii) against item 5(a),—

(a) in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects except Single Super Phosphate.";

(b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Single Super Phosphate.";

(ix) against item 5(e), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.";

(x) against item 5(f), in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General and specific conditions shall apply." ;

(xi) item 5(k) and the entries relating thereto shall be omitted;.

(xii) against item 7(a),—

(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects including airstrips, which are for commercial use.";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Note:

Air strips, which do not involve bunkering/ refueling facility and or Air Traffic Control, are exempted.";

(xiii) against item 7(c), in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General as well as specific conditions shall apply.

Note:

1. Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of Category 'A' or 'B' does not require clearance.
2. If the area is less than 500 ha. but contains building and construction projects > 20,000 Sq. mtr. and or development area more than 50 ha it will be treated as activity listed at serial no. 8(a) or 8(b) in the Schedule, as the case may be.";

(xiv) against item 7(e),—

(a) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Ports, harbours, break waters, dredging."

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"General Condition shall apply.

Note:

1. Capital dredging inside and outside the ports or harbors and channels are included;

2. Maintenance dredging is exempt provided it formed part of the original proposal for which Environment Management Plan (EMP) was prepared and environmental clearance obtained.";

(xv) against item 7(f),

(a) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted namely:-

"(i) All State Highway Projects; and
(ii) State Highway expansion projects in hilly terrain (above 1,000 m AMSL) and or ecologically sensitive areas.";

(b) in column (5) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"General Condition shall apply.

Note:
Highways include expressways.";

(xvi) against item 7(g),—

(a) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(i) All projects located at altitude of 1,000 mtr. and above.
(ii) All projects located in notified ecologically sensitive areas.";

(b) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"All projects except those covered in column (3).";

(xvii) after the Schedule, in the 'Note', for sub-heading relating to 'General Condition (GC)', the following shall be substituted, namely:—

"General Condition (GC):

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category 'A', if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972; (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, such as, Mahabaleshwar Panchgani, Matheran, Pachmarhi, Dahanu, Doon Valley, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries:

Provided that the requirement regarding distance of 10 km of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or U.Ts sharing the common boundary in case the activity does not fall within 10 kilometres of the areas mentioned at item (i), (ii) and (iii) above."

VI in the Appendix I, in Form I,—

(a) for item (I) relating to the Basic Information, the following shall be substituted, namely:—

"(I) Basic Information

Serial Number	Item	Details
1.	Name of the project/s	
2.	S. No. in the schedule	

4372GI/09-5

3.	Proposed capacity/area/length/tonnage to be handled/command area/lease area/number of wells to be drilled	
4.	New/Expansion/Modernization	
5.	Existing Capacity/Area etc.	
6.	Category of Project i.e. 'A' or 'B'	
7.	Does it attract the general condition? If yes, please specify.	
8.	Does it attract the specific condition? If yes, please specify.	
9.	Location	
	Plot/Survey/Khasra No.	
	Village	
	Tehsil	
	District	
	State	
10.	Nearest railway station/airport along with distance in kms.	
11.	Nearest Town, city, District Headquarters along with distance in kms.	
12.	Village Panchayats, Zilla Parishad, Municipal Corporation, Local body (complete postal addresses with telephone nos. to be given)	
13	Name of the applicant	
14.	Registered Address	
15.	Address for correspondence :	
	Name	
	Designation (Owner/Partner/CEO)	
	Address	
	Pin Code	
	E-mail	
	Telephone No.	
	Fax No.	
16.	Details of Alternative Sites examined, if any. Location of these sites should be shown on a topo sheet.	Village-District-State 1. 2. 3. ";
17.	Interlinked Projects	
18.	Whether separate application of interlinked project has been submitted?	
19.	If yes, date of submission	
20.	If no, reason	

21.	Whether the proposal involves approval/clearance under: if yes, details of the same and their status to be given. (a) The Forest (Conservation) Act, 1980 ? (b) The Wildlife (Protection) Act, 1972 ? (c) The C.R.Z Notification, 1991 ?	
22	Whether there is any Government Order/Policy relevant/relating to the site?	
23.	Forest land involved (hectares)	
24.	Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is propose to be set up? (a) Name of the Court (b) Case No. (c) Orders/directions of the Court, if any and its relevance with the proposed project.	

(b) the following shall be inserted at the end, namely:—

"I hereby given undertaking that the data and information given in the application and enclosures are true to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data and information submitted is found to be false or misleading at any stage, the project will be rejected and clearance give, if any to the project will be revoked at our risk and cost.

Date: ____________________

Place: ____________________

Signature of the applicant
With Name and Full Address
(Project Proponent / Authorised Signatory)

NOTE:

1. The projects involving clearance under Coastal Regulation Zone Notification, 1991 shall submit with the application a C.R.Z map duly demarcated by one of the authorized agencies, showing the project activities, w.r.t. C.R.Z (at the stage of TOR) and the recommendations of the State Coastal Zone Management Authority (at the stage of EC). Simultaneous action shall also be taken to obtain the requisite clearance under the provisions of the C.R.Z Notification, 1991 for the activities to be located in the CRZ.
2. The projects to be located within 10 km of the National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves, Migratory Corridors of Wild Animals, the project proponent shall submit the map duly authenticated by Chief Wildlife Warden showing these features vis-à-vis the project location and the

recommendations or comments of the Chief Wildlife Warden thereon (at the stage of EC)."

3. All correspondence with the Ministry of Environment & Forests including submission of application for TOR/Environmental Clearance, subsequent clarifications, as may be required from time to time, participation in the EAC Meeting on behalf of the project proponent shall be made by the authorized signatory only. The authorized signatory should also submit a document in support of his claim of being an authorized signatory for the specific project.".

VII for Appendix IV, the following shall be substituted, namely:—

"APPENDIX IV

(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District-wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2. 0 The Process:

2.1 The applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is covering more than one District or State or Union Territory, the public hearing is mandated in each District, State or Union Territory in which the project is located and the applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and **in the official language of the state**/local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

(a) District Magistrate/**District collector/Deputy commissioner/s**

(b) Zila Parishad or Municipal Corporation **or Panchayats Union**

(c) District Industries Office
(d) Urban Local Bodies (ULBs) / PRIs Concerned/**Development authorities**
(e) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the Regional Office of MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or any other suitable location etc. They shall also additionally make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices as given in para 2.2.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7 (seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in **one** major National Daily and one Regional vernacular Daily / Official State Language. A minimum notice period of 30 (thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing. In places where the newspapers do not reach, the Competent Authority should arrange to inform the local public about the public hearing by other means such as by way of beating of drums as well as advertisement / announcement on radio / television.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and then only on the recommendation of the concerned District Magistrate/District collector/Deputy commissioner, the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances, fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member – Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District

Magistrate/**District Collector/Deputy Commissioner** and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 Supervision and Presiding over the Hearing:

4.1 The District Magistrate / District Collector / Deputy Commissioner or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Persons present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the applicant. The summary of the public hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the **local**/vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate/**District Collector/Deputy Commissioner** or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the applicant shall also be prepared in the local language or the Official State language, as the case may be, and in English and annexed to the proceedings.

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate / **District collector / Deputy Commissioner**, and the SPCB or UTPCC. The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings, may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the applicant concerned.

7.0 Time period for completion of public hearing

7.1 The public hearing shall be completed within a period of forty five days from date of receipt of the request letter from the applicant. Thereafter the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within eight days of the completion of the public hearing. ***Simultaneously, a copy will also be provided to the project proponent.*** The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations incorporating the concerns expressed in the public hearing along with action plan and financial allocation, item-wise, to address those concerns."

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45 (forty five) days, the Central government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this Notification.".

VIII in Appendix V, for para 3, the following para shall be substituted, namely:—

"3. Where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and EIA report, in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule. In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and make recommendations on the project regarding grant of environmental clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance.".

[No. J-11013/56/2004-IA. II(I)]

G. K. PANDEY, Advisor

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 580] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2011/चैत्र 16, 1933
No. 580] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2011/CHAITRA 16, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2011

का.आ. 695(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1533(अ) , तारीख 14 सितंबर, 2006, द्वारा निदेश दिया था कि उसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा केवल पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;

और, उक्त अधिसूचना में प्रयुक्त " निर्मित क्षेत्र" पद के संबंध में स्पष्टीकरण का उपबंध करने और अधिसूचना के भिन्न-भिन्न पैराओं को पारस्परिक रूप से संगत बनाने के लिए भी तथा ऐसे अनाशयित परिवर्तनों को प्रत्यावर्तित करने के लिए जो राजमार्ग परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में विशेषकर मद संख्या 7(च) के सामने प्रविष्टि में का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा संशोधन करते समय अधिसूचना में किए गए थे और उक्त अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन करने के इस प्रयोजन के लिए विनिश्चय किया गया है ।

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर या

किसी क्षेत्र में किन्हीं प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर, प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित करना चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देगी;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंधित करता है कि उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों, के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) पैरा 6 में "सभी मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति मांगने के लिए कोई आवेदन," शब्दों के पश्चात् "परियोजना प्रस्तावक द्वारा" किया जाएगा ।

(II) पैरा 7, के खंड (i) के उप पैरा II क्रम (2) विस्तारण के उप पैरा (i) के अंतिम वाक्य में "अनुसूची की मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (संनिर्माण, नगरी/ वाणिज्यिक, काम्पलैक्स/आवासन)" के स्थान निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुसूची की मद 8(क) में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों (निर्माण और संनिर्माण परियोजना)" ।

(III) अनुसूची में,-

(i) मद 1(क) के सामने ,-

स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् –

" साधारण शर्तें लागू होंगी ।

टिप्पणः

(i) ऐसे खान पटटे के नवीकरण के प्रक्रम पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति भी अपेक्षित है जिसके लिए आवेदन, नवीकरण की तारीख से एक वर्ष पूर्व किया जाना चाहिए ।

(ii) खनिज पूर्वेक्षण छूट प्राप्त है ।"

(ii) मद 7(च) के सामने ,-

स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर " (i) सभी राज्य राजमार्ग परियोजनाएं; और" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

" (i) सभी नई राज्य राजमार्ग परियोजनाएं " ।

(iii) मद 8(क) के सामने,-

स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए निर्मित क्षेत्र को "बेसमेंट (बेसमेंटों) सहित, समस्त मंजिलें एक साथ रखे जाने पर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र और अन्य सेवा क्षेत्र जो निर्माण/संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित किए गए हैं" के रूप में परिभाषित है ।"

(IV) परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

" 3 जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन, विहित आवेदन प्ररूप-1 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर अनुसूची की मद 8 से भिन्न सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में किया जाएगा । अनुसूची की मद 8 की दशा में इसके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए संबंधित पर्यावरणीय निर्धारण समिति या राज्य पर्यावरणीय निर्धारण समिति प्ररूप-1, प्ररूप-1क, धारणा योजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट [केवल 8(ख) के अधीन सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए अपेक्षित] के आधार पर परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन करेंगी और पर्यावरणीय अनापत्ति को प्रदान करने के संबंध में परियोजना पर या अन्यथा सिफारिशें करेंगी तथा पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें भी नियत करेंगी" ।

[फा. सं. 3-101/2010-आईए. III]

डा. नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का0आ0 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का0आ0 1737(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007 और का0आ0 सं. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2011

S.O. 695(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, it has been decided to provide clarification with regard to the term "built up area" used in the said Notification and also to make various paras of the Notification mutually consistent and to restore the unintentional changes, which got into the Notification while making amendment vide S.O. 3067 (E) dated 1st December, 2009, in particular the entry against item no. 7(f) in the schedule to the EIA Notification, 2006 relating to highway projects and for this purpose to issue suitable amendments in the said Notification.

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that

prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall given notice of its intention to do so;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the said Notification, namely:-

In the said notification, -

(I) In para 6, for the existing words "An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made", the following words shall be substituted, namely:-

"An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent".

(II) In para 7, in sub-para 7 in clause (i), sub para II, stage (2) – scoping, sub para (i), in the last sentence, for the words "activities listed as Category 'B' in item 8 of the schedule (Construction / Township / Commercial Complexes / Housing)", the following words shall be substituted, namely:-

"Activities listed as Category 'B' in item 8(a) of the schedule (building and construction projects)".

1244 GI/11-2

(III) In the Schedule, -

(i) against item 1(a), -

in column (5), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"General conditions shall apply.

Note:

(i) Prior environmental clearance is as well required at the stage of renewal of mine lease for which application should be made up to one year prior to date of renewal.

(ii) Mineral prospecting is exempted."

(ii) against item 7(f), -

in column (4), for the entry "(i) All State Highway Projects; and" the following entry shall be substituted, namely:-

"(i) All New State Highway Projects".

(iii) against item 8(a), -

in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"The built up area for the purpose of this Notification is defined as "the built up or covered area on all the floors put together including basement(s) and other service areas, which are proposed in the building / construction projects"."

(IV) In Appendix V, for para 3, the following para shall be substituted, namely:-

"3. where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of prescribed application Form-1 and EIA report, in the case of all projects and activities other than item 8 of the schedule. In the case of item 8 of the schedule, considering its unique project cycle, the EAC or SEAC concerned shall appraise projects or activities on the basis of Form-1, Form-1A, conceptual plan and the EIA report [required only for projects listed under 8(b)] and make recommendations on the project regarding grant of environmental clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance".

[F. No. 3-101/2010-IA. III]

Dr. NALINI BHAT, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007 and S.O. No. 3067(E) dated 1st December, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2012/माघ 5, 1933
No. 138] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2012/MAGHA 5, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2012

का.आ. 156(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेशित किया था कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही भारत के किसी भाग में नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;

और, आकलन के लिए विहित प्रक्रिया से संबंधित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा उक्त अधिसूचना के संशोधन के पश्चात् उस अधिसूचना में और संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है;

और, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करेगी कि किसी उद्योग पर या किसी क्षेत्र में किन्ही प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित करना चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देगी;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, वह उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के उपबंधों की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में समीचीन है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (प) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट 5 के पैरा 3 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3. जहां कोई लोक परामर्श आज्ञापक नहीं है वहां आकलन (अनुसूची की मद 8 से भिन्न) सभी परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में, प्रवर्ग 'ख.2' के अधीन होने वाली उक्त परियोजना और क्रियाकलाप के सिवाय, और विहित आवेदन प्ररूप-1 और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा और अनुसूची की मद 8(क) और 8(ख) की दशा में उनके विलक्षण परियोजना चक्र को ध्यान में रखते हुए, संबंधित विशेषज्ञ आकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति प्ररूप 1, प्ररूप 1क, धारणा योजना और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट (केवल 8ख के अधीन सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए अपेक्षित) के

आधार पर परियोजनाओं या क्रियाकलापों का आकलन करेंगी और पर्यावरणीय अनापत्ति को प्रदान करने के संबंध में परियोजना पर या अन्यथा सिफारिशें करेंगी तथा पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए शर्तें भी नियत करेंगी" ।

[फा. सं. 3-101/2010-आईए, III]

नलिनी भट्ट, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण.—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 और का.आ. 695(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2011 द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2012

S.O. 156(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or, as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of Section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, it has been decided to make further amendments in the said notification subsequent to its amendment *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011 relating to the procedure prescribed for appraisal;

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall given notice of its intention to do so;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

And whereas, it is expedient in the public interest to dispense with the requirement of the provisions of clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the said Environment (Protection) Act, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, namely :—

1. In the said notification, in the Appendix V, for paragraph 3, the following paragraph shall be substituted, namely :—

> "3. where a public consultation is not mandatory, the appraisal shall be made on the basis of prescribed application in Form-1 and environment impact assessment report, in the case of all projects and activities (other than item 8 of the Schedule), except in case where the said project and activity falls under category 'B2', and in the case of items 8(a) and 8(b) of the Schedule, considering their unique project cycle, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall appraise projects or activities on the basis of Form-1, Form IA, conceptual plan and the environment impact assessment report [required only for projects listed 8(b)] and make recommendations on the project regarding grant of environment clearance or otherwise and also stipulate the conditions for environmental clearance."

[F. No. 3-101/2010-IA.III]

NALINI BHAT, Scientist 'G'

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007; S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009 and S.O. 695(E), dated the 6th April, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 13, 2012/अग्रहायण 22, 1934

No. 2395] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 13, 2012/AGRAHAYANA 22, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2896(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006) द्वारा निदेश दिया था कि उसके प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार से या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा केवल पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा ।

और उक्त अधिसूचना में अधिसूचना संख्यांक 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे खान पट्टे के, जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीकरण की तारीख के एक वर्ष पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन किया जाना अपेक्षित है, नवीकरण के स्तर पर खनन परियोजनाओं [संदर्भ: का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा मूल अधिसूचना की अनुसूची की मद (क)] की बाबत पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए उपबंध किया गया है ।

और यह विनिश्चत किया गया है कि पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए खान पट्टे के नवीकरण की देय तारीख के एक वर्ष पूर्व की विहित कालावधि को बढ़ाकर दो वर्ष किया जाना चाहिए और ऐसे सभी खान पट्टों के लिए जो आवश्यक विधिमान्य पर्यावरणीय अनापत्ति सहित 4 अप्रैल, 2011 को क्रियाशील थे और जिनका नवीकरण 4 अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् देय है, पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की कालावधि दिए जाने का विनिश्चय भी किया गया है ।

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उप-नियम (3) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर या किसी क्षेत्र में किन्हीं प्रक्रियाओं या प्रचालन को चलाने पर प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित करना चाहिए तो वह ऐसा करने के लिए अपने आशय की सूचना देगी ।

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों का नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंधित करता है कि उप-नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को जब कभी यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, यह उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ।

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 1(क) के सामने, स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"साधारण शर्तें लागू होंगी ।

टिप्पण :

(i) खान पट्टे के नवीकरण के प्रक्रम पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है जिसके लिए आवेदन नवीकरण की देय तारीख से दो वर्ष पूर्व किया जाएगा । इसके अतिरिक्त उन सभी खान पट्टों के लिए, जो आवश्यक विधिमान्य पर्यावरणीय अनापत्ति सहित 4 अप्रैल, 2011 को क्रियाशील थे और जिनका नवीकरण 4 नवम्बर, 2011 को या उसके पश्चात् देय हो गया है, पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के लिए 4 अप्रैल, 2011 से दो वर्ष की कालावधि दी गई है ।

(ii) खनिज पूर्वेक्षण छूट प्राप्त है ।"

[फा. सं. 3-101/2010-आईए.-III]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. सं. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 और का.आ. सं. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2012

S.O. 2896(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (Environment Impact Assessment Notification, 2006) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of publication, the required construction of new project or activities or the expansion of modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environment clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of Section (3) of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the above said notification was amended *vide* notification number S.O. 695(E), dated 4th April, 2011 which, *inter-alia*, provided for obtaining prior environment clearance in respect of mining projects [ref.: item 1a of the schedule to the Principal Notification *vide* S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006] at the stage of renewal of mine lease for which the project proponent is required to submit application for environmental clearance up to one year prior to the date of renewal.

And whereas, it has been decided that the prescribed period of one year prior to the date due for renewal of mine lease should be increased to two years for submitting application for environmental clearance. And whereas, it has been further decided to provide a period of two years from the date of issue of the notification *vide* S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011 for obtaining environmental clearance for all such mine leases, which had been operating as on 4th April, 2011 with requisite valid environmental clearance, whose renewal fell due on or after 4th April, 2011.

And whereas, clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that whenever the Central Government considers that prohibition or restriction of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall be given notice of its intention to do so.

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3) whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the said Environmental (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule (5) of the said Environment (Protection) Rules, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely :—

In the Schedule to the said notification against item 1(a), in column (5) for the entries, the following entries shall be substituted namely,

"General conditions shall apply.

Note :

(i) Prior environment clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal. Further, a period of two years with effect from the 4th April, 2011 is provided for obtaining environmental clearance for all those mine leases, which were operating as on the 4th April, 2011 with requisite valid environmental clearance and which have fallen due for renewal on or after the 4th November, 2011.

(ii) Mineral prospecting is exempted."

[F. No. 3-101/2010-IA-III]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended *vide* S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007, S.O. No. 3067(E), dated 1st December, 2009 and S.O. No. 695(E), dated 4th April, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2013/फाल्गुन 22, 1934

No. 587] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2013/PHALGUNA 22, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2013

का.आ. 674(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में स्तंभ (5) के मद 1(क) में 'परियोजना और क्रियाकलाप' शीर्षक के अधीन टिप्पण (i) के नीचे निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् "परन्तु यह कि ऐसे कोई खनन पट्टे के नवीकरण के समय खनन परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नई पर्यावरण अनापत्ति अपेक्षित नहीं होगी जिसने इस अधिसूचना के अधीन पहले से ही पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त कर ली है।"

[सं. एल-11011/15/2012-आईए-2 (एम)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किए गए :—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011; और
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2013

S.O. 674(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section 2 of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely :—

In the said notification, in the Schedule, under the heading 'Project or Activity' in item 1(a) in column (5), under note (i) the follwoing proviso shall be inserted, namely :—"provided that no fresh environment clearance shall be required for a mining project or activity at the time of renewal of mining lease, which has already obtained environment clearance, under this notification".

[No. L-11011/15/2012-IA-II(M)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows :

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009:
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011; and
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. **1698]** **नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2013/आषाढ़ 28, 1935**
No. 1698] **NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2013/ASHADA 28, 1935**

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2013

का.आ. 2204(अ).—पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त अधिसूचना पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्ताव पर आक्षेप या सुझाव, सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकेंगे । आक्षेप या सुझाव, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियम की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त किए जा सकेंगे, उन पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

<u>प्रारूप अधिसूचना</u>

1. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में, पैरा 11 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

11क. पर्यावरण संबंधी समाघात निर्धारण (ईआईए) रिपोर्ट तथा पर्यावरण संबंधी प्रबंध योजना (ईएमपी)की तैयारी और प्रस्तुतिकरण -

पर्यावरण संबंधी परामर्शी संगठन जो, भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) या राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीईटी) या किसी अन्य अभिकरण, जिसे समय-समय पर पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाए, उस विशिष्ट सेक्टर या क्षेत्र में तथा उस सेक्टर या क्षेत्र के लिए परियोजना के प्रवर्ग हेतु प्रत्यायित हैं, उस सेक्टर और प्रवर्ग में किसी परियोजना की पर्यावरण संबंधी समाघात निर्धारण रिपोर्ट तथा पर्यावरण संबंधी प्रबंधन योजना तैयार करने और संबद्ध विशेषज्ञ आकलन समिति (ईएसी) या राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (एसईएसी) के समक्ष उपसंजात होने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे ।

[जे-11013/56/2004-आईए. II (I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण :-मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए-

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2013

S.O. 2204(E).—The following draft notification further to amend the Environment Impact Assessment Notification, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S. 1533 (E) dated the 14th September, 2006, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette containing this notification is made available to the public;

Objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may be forwarded to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003. Objections or Suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

Draft Notification

1. In the Environment Impact Assessment Notification, 2006 after paragraph 11, the following paragraph shall be inserted, namely :-

11 A. Preparation and Presentation of Environmental Impact Assessment (EIA) report and Environmental Management Plan (EMP).-

The Environmental consultant organization which are accredited for a particular sector or area and the category of project for that sector or area with the Quality Council of India (QCI) or National Accreditation Board for Education and Training (NABET) or any other agency as may be notified by the Ministry of Environment and Forests from time to time shall be allowed to prepare the Environmental Impact Assessment

report and Environmental Management Plan of a project in that sector and category and to appear before the concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or the State Expert Appraisal Committee (SEAC).

[J-11013/ 56 / 2004- IA.II (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009;
3. S. O. 695(E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012; and
5. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1956] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935
No. 1956] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2013

का.आ. 2555(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की और धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 60 (अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) द्वारा केंद्रीय सरकार ने जब तक कि उस सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी अनापत्ति मंजूरी न दे दी गई हो तब तक किसी परियोजना के आरंभ किए जाने वाले क्रियाकलाप या नई परियोजना के संबंध में विस्तार और आधुनिकीकरण के संबंध में कतिपय रूप से निर्बंधित और प्रति-ेध अधिरोपित करती है ।

2. और, उपरोक्त उक्त अधिसूचना को अधिसूचना संख्यांक का.आ. 356 (अ), तारीख 4 मई, 1994 द्वारा और संशोधित किया गया था और उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के (iii) के खंड (ग) यह उपबंध करता है कि -

"दी गई अनापत्ति, संनिर्माण या संक्रिया के प्रारंभ होने से पांच व-ा की अवधि के लिए विधिमान्य होगी'' ।

3. और केंद्रीय सरकार का आशय यह रहा है और सदेव यह रहा है कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता, संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ ''के लिए'' पांच व-ा है और न कि संनिर्माण या प्रचालन के आरंभ से पांच व-ा के लिए है ।

4. और, उक्त अधिसूचना का. आ. 60, तारीख 27 जनवरी, 1994 और उसके पश्चात्वर्ती संशोधन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा अधिक्रांत किए गए थे । उक्त अधिसूचना का पैरा 9 अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबद्ध करता है कि संनिर्माण परियोजनाएं जिसको पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति के लिए आवेदन भेजा जाता है, के मामले में परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन, प्रचालन के आरंभ करने को पूर्व पर्यावरण संबंधी अनापत्ति मंजूर की जाती है ।

5. और किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं की दशा में दस व-ा की अवधि के लिए विशे-ाज्ञ आकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशे-ाज्ञ आकलन समिति द्वारा यथा प्रक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस व-ाों के लिए और अन्य सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच व-ा होगी और इस प्रकार केंद्रीय सरकार का आशय पूर्ण रूप से यह संप्रे-ित था कि पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता संनिर्माण या प्रचालन " के लिए" थी न कि संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ " होने से" थी ।

6. और, शंकर रघुनाथ जोग और अन्य बनाम तलालुकर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या, 2011 का 6 में तारीख 12 अगस्त, 2011 के आदेश में गोवा स्थित बंबई उच्च न्यायालय ने उक्त अधिसूचना और उसके संशोधनों का निर्वचन करते समय यह अभिनिर्धारित किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता खनन परियोजनाओं के प्रचालन या परियोजना के विस्तार के प्रारंभ की तारीख से पांच व-ा की अवधि के लिए है ।

7. और, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने तारीख 12 अगस्त, 2011 के आदेश के विरुद्ध भारत संघ शंकर रघुनाथ जोग के मामले में विशे-ा इजाजत याचिका (सी सी 20925/2012) की है और इस बीच अधिसूचना संख्यांक का.आ. 356 (अ), तारीख 4 मई, 1994 की अधिसूचना के पैरा २ के उप-पैरा (iii)के खंड (ग) के वि-ाय में स्प-टीकारक अधिसूचना जारी की जानी है ।

8. और, केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 356 (अ), तारीख 4 मई, 1994 के अधीन चल रही हजारों परियोजनाओं के संबंध में जारी की गई पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता पर बंबई उच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित आदेश द्वारा संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ की तारीख से केवल पांच व-र्ा की पर्यावरण संबंधी अनापत्ति की विधिमान्यता का निर्वचन करने के कारण प्रकट हुई असंगत स्थिति और पारिणामिक प्रतिप्रभाव को दूर करने के लिए स्प-टीकरण जारी करने का विनिश्चय किया है ।

9. अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (xiv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 4 मई, 1994 में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 356(अ) तारीख 4 मई, 1994 में यह स्प-ट करती है कि "से पांच व-र्ा की अवधि के लिए" पद से "संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ के लिए पांच व-र्ा की अवधि के लिए और न कि संनिर्माण या प्रचालन के प्रारंभ से पांच व-र्ा" अभिप्रेत होगा ।

[फा. सं. एल-11011/12/2011-आईए-II(एम) पार्ट)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2013.

S.O. 2555(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the said notification), issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub- rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government imposed certain restrictions and prohibitions on the expansion and modernisation of any activity or the undertaking of any project unless environmental clearance has been granted by that Government.

2. And whereas the above said notification was further amended vide notification number S.O. 356(E), dated the 4th May, 1994. Clause (c) of sub-paragraph (III) of paragraph (2) of the said notification provides that—

"the clearance granted shall be valid for a period of five years from commencement of the construction or operation".

3. And whereas the intent of the Central Government has been and has always been that the validity of the environmental clearance is five years "for" commencement of the construction or operation and not that the environment clearance is only for five years "from" the commencement of construction or operation.

4. And whereas the said notification S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 and subsequent amendments thereto were superseded by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006. Para 9 of the said notification, interalia, stipulates that prior environmental clearance is granted to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects to which the application for prior environmental clearance refers.

5. And whereas the prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects, project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects

and activities and as such conveying the intent of the Central Government all through that the validity of the environment clearance was "for" construction or operation and not "from" commencement of the construction or operation.

6. And whereas the High Court of Bombay, at Goa in its order dated the 12th August, 2011 in Writ Petition no. 6 of 2011 in the matter of Shankar Raghunath Jog and Ors. vs. Talaulicar and Sons Pvt. Ltd. and Ors. while interpreting the provisions of the said notification and amendments thereof has held that the validity of the Environmental Clearance granted by the Ministry of Environment and Forests is for a period of five years from the date of the commencement of the operation of the mining projects or expansion of the project.

7. And whereas the Ministry of Environment and Forests has preferred a Special Leave Petition (cc 20925/2012)- in the matter of Union of India vs. Shankar Raghunath Jog and Anr. against the order dated the l2th August, 2011 and meanwhile to issue a clarificatory notification with respect to clause (c) of sub-paragraph (III) of paragraph (2) of notification number S.O. 356 (E), dated the 4th May, 1994.

8. And whereas the Central Government has decided to issue a clarification in order to remove the anomalous situation emerged due to the interpretation held by the aforementioned order of the High Court of Bombay in construing the validity of the Environmental clearance merely five years from the date of the commencement of the construction or operation and consequential repercussions on the validity of environment clearance issued to several thousand ongoing projects under notification number S.O. 356 (E), dated the 4th May, 1994.

9. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (xiv) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (4) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby clarifies that in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 356 (E), dated the 4th May, 1994, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 4th May, 1994 the expression "for a period of five years", shall mean "for a period of five years for commencement of the construction or operation and not five years from commencement of the construction or operation".

[F. No. L-11011/12/2011-IA-II(M)-Part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1960] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935
No. 1960] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2013

का.आ.2559(अ).-केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए अपरिहार्य क्षमतावर्धन के लिए प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और या उत्पाद मिश्रण, भारत के किसी भी भाग में यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण की उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में पूर्व पर्यावरण निकासी के पश्चात् ही हाथ में लिया जाएगा;

और भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय में राजमार्गों, भवनों और विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय निकासी प्रदान करने से संबंधित पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों का पुनर्विलोकन करने के लिए कार्यालय ज्ञापन सं. 21-270/2008-आईए.III, तारीख 11 दिसंबर, 2012 और पर्यावरण और वन मंत्रालय के गगनचुंबी भवनों के संबंध में कार्यालय ज्ञापन तारीख 7 फरवरी, 2011 द्वारा सदस्य, (पर्यावरण और वन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी), योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था ;

और समिति के संदर्भ के निबंधनों (टीओआर) में एक निबंधन पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना के अधीन 60 मीटर के मार्गाधिकार और 200 किलोमीटर लंबी राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण निकासी की अपेक्षाओं का पुनर्विलोकन करना था ;

और समिति ने मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस टीओआर पर समिति ने राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को विस्तारण की अपेक्षा और पर्यावरण संघात निर्धारण से छूट देने की सिफारिश की है या राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबंधन परियोजना माडल टीओआर, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा के अनुसार तैयार किया जा सकता है और पर्यावरण निकासी की अपेक्षा के संबंध में समिति ने सिफारिश की है कि 100 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विस्तार जिसमें अतिरिक्त मार्गाधिकार या विद्यमान संरेखणों पर 40 मीटर तक अर्जन और पुन:संरेखण पर 60 मीटर या उप-मार्गों को अधिसूचना की परिधि से बाहर रखने की सिफारिश की है ;

और समिति की रिपोर्ट की पर्यावरण और वन मंत्रालय में जांच की गई है । पहले ही अधिसूचना सं. का. आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा सभी राज्य राजमार्ग विस्तार परियोजनाओं को सिवाय उन परियोजनाओं के जो पहाड़ी क्षेत्रों (1000 मीटर एएमएसएल) और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में है, को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना 2006 से छूट प्रदान कर दी गई है ।

और अन्य बातों के साथ पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन सं. 21-270/2008-आईए.III, तारीख 11 दिसंबर, 2012 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पूर्वोक्त सिफारिशों को स्वीकार करने का विनिश्चय किया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (5) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 7 के उपपैरा II के मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

'(i) "विस्तारण" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है, जिसके द्वारा प्रवर्ग 'क' परियोजना क्रियाकलापों के मामले में विशेषज्ञ आंकलन समिति और प्रवर्ग 'ख 1' परियोजनाओं या क्रियाकलापों के मामले में, राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति, जिसके अंतर्गत विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन उस परियोजना या क्रियाकलाप, जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है, के संबंध में पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ईआईए) तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विस्तृत और समग्र निर्देश के निबंधनों का अवधारण और विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति विहित आवेदन प्ररूप 1/प्ररूप1क में दी गई जानकारी के आधार पर जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्देश के निबंधन हैं, किसी विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर आंकलन समिति के किसी उप समूह द्वारा स्थल भ्रमण यदि संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या संबंधित राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा आवश्यक समझा जाए, आवेदक द्वारा सुझाए गए निर्देश के निबंधन, यदि प्रस्तुत किए जांए और अन्य सूचना जो विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति के पास उपलब्ध हों, सम्मिलित है:

परंतु निम्नलिखित को विस्तारण की आवश्यकता नहीं होगी-

(i) अनुसूची के मद 8 में प्रवर्ग ख के रूप में सूचीबद्ध सही परियोजनाएं और कार्यकलाप (नगरों या वाणिज्यिक परिसरों या आवासन का संनिर्माण) ;

(ii) अनुसूची के मद 7 की उपमद (च) के अधीन स्तंभ (3) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (II) के अधीन आने वाली राजमार्ग विस्तार परियोजनाएं ;

परंतु यह और कि -

अ. खंड (i) में निर्दिष्ट परियोजनाएं और कार्यकलापों का अंकन प्ररूप 1 या प्ररूप 1क और अवधारणा योजना के आधार पर किया जाएगा ;

आ. खंड (ii) में निर्दिष्ट परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट माडल टीओआर के आधार पर ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट तैयार करेंगी ;

(ख) अनुसूची में मद 7 की उप मद (च) के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों का 100 किलोमीटर से अधिक विस्तार जिनमें अतिरिक्त 40 मीटर से अधिक विद्यमान संरेखणों पर और पुन: संरेखणों या उपमार्गों पर 60 मीटर क्षेत्राधिकार या भूमि अर्जन अंतवर्लित है ।"

[फा.सं.21-270/2008-आईए.III]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए :

1. का.आ. 1733(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2013

S.O. 2559(E).- Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the Government of India in the Ministry of Environment and Forests had constituted a High Level Committee under the Chairmanship of Member (Environment and Forests and Science and Technology), Planning Commission, vide OM No.21-270/2008-IA.III dated the 11th December, 2012 to review the provisions of Environmental Impact Assessment Notification, 2006 relating to granting Environmental Clearances for Roads, Buildings and Special Economic Zone projects and provisions under the OM dated the 7th February, 2012 issued by the Ministry of Environment and Forests regarding guidelines for High Rise Buildings;

And whereas one of the terms of reference (ToR) of the Committee was to review the requirement of Environmental Clearance for highway expansion projects up to the right of way of 60 meters and length of 200 kms under Environmental Impact Assessment notification;

And whereas the Committee has submitted its report to the Ministry and on this ToR, the Committee has recommended exempting highway expansion projects from the requirement of scoping and that Environmental Impact Assessment or Environment Management Plan for highway expansion projects may be prepared on the basis of model ToRs to be posted on Ministry's website and in respect of requirement of environmental clearance, the Committee has recommended that expansion of National Highway projects up to 100 kms involving additional right of way or land acquisition up to 40 mts on existing alignments and 60 mts on re-alignments or by-passes may be exempted from the preview of the notification;

And whereas the report of the Committee has been examined in the Ministry of Environment and Forests. Earlier, vide notification S.O. 3067(E), dated the 1st December 2009 all State Highway expansion projects, except those in hilly terrain (above 1000 m AMSL) and ecologically sensitive areas, have already been exempted from the purview of the Environmental Impact Assessment notification, 2006.

And whereas, keeping inter-alia in view the foregoing, the Ministry of Environment and Forests has decided to accept the aforesaid recommendations of the High Level Committee constituted vide OM No.21-270/2008-IA.III, dated the 11th December 2012;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

2. In the said notification, —

(a) in paragraph 7, in sub-paragraph II, for item (i), the following item shall be substituted, namely:

'(i) "Scoping" refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category A 'projects activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category 'B1'projects or activities, including applications for expansion or modernization or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought and the Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the terms of reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form 1 or Form 1A including terms of reference proposed by the applicant, a site visit by a sub-group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned:

Provided that the following shall not require Scoping—

(i) all projects and activities listed as Category 'B' in item 8 of the Schedule (Construction or Township or Commercial Complexes or Housing);

(ii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and column (4) under sub-item (f) of item 7 of the Schedule:

Provided further that—

A. the projects and activities referred to in clause (i) shall be apprised on the basis of Form I or Form IA and the conceptual plan;

B. The projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of model TOR specified by Ministry of Environment and Forests;

(b) in the Schedule, against sub-item (f) of item 7, in column (3), for the entry (ii), the following entry shall be substituted, namely:—

"(ii) Expansion of National Highways greater than 100 km involving additional right of way or land acquisition greater than 40m on existing alignments and 60m on re-alignments or by-passes."

[F. No. 21-270/2008-IA.III]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012; and
5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2116] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 10, 2013/भाद्र 19, 1935
No. 2116] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2013/BHADRA 19, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2013

का.आ. 2731(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (5) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन, लोक हित में सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात, भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जांएगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क) 1	(i)खनिजों का खनन	गैर कोयला खनन पट्टा की बाबत ≥50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र। कोयला खान पट्टा के संबंध में >150 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	गौण खनिज खनन पट्टा के संबंध में <50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र; और अन्य गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में <50 हेक्टेयर ≥5 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र ! कोयला खनन पट्टा के संबंध में ≤ 150 हेक्टेयर ≥ 5 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	खनिजों के खनन के लिए पांच हेक्टेयर से कम खनन पट्टा क्षेत्र के लिए परियोजना या कार्यकलापों के सिवाय साधारण शर्तें लागू होंगी: परंतु यह कि पूर्वोक्त अपवाद उस परियोजना या कार्यकलाप के लिए लागू नहीं होगा यदि उक्त परियोजना या कार्यकलाप के खनन पट्टा क्षेत्र और विद्यमान प्रचालन कर रही खानों और खनन परियोजनाओं जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई थी और जो ऐसी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना एस्बेसटस खनन।		परियोजना या कार्यकलाप की परिधि से पांच सौ मीटर के भीतर अवस्थित हैं, के क्षेत्र का कुल योग, पांच हेक्टेयर के बराबर या उससे अधिक हैं। **टिप्पण:** (i) खनन पट्टा के नवीकरण के स्तर पर पूर्व पर्यावरण निकासी अपेक्षित है जिसके नवीकरण के लिए नियत तारीख से दो वर्ष पूर्व आवेदन किया जाएगा । इसके अतिरिक्त 4 अप्रैल, 2011 के प्रभाव से उन सभी खनन पट्टों के लिए पर्यावरण निकासी अभिप्राप्त करने के लिए जो 4 अप्रैल, 2011 को अपेक्षित वैध पर्यावरणीय निकासी के साथ प्रचालन कर रहे थे और जो 4 नवंबर, 2011 के पश्चात् नवीकरण के लिए शोध्य हो गए हैं, के लिए दो वर्ष की अवधि का उपबंध किया गया है : परंतु यह कि किसी खनन परियोजना या कार्यकलाप के लिए, जिसने इस अधिसूचना के अधीन पहले ही पर्यावरणीय निकासी अभिप्राप्त कर ली है खनन पट्टे के नवीकरण के समय कोई नवीन पर्यावरण निकासी की अपेक्षा नहीं होगी। (ii) खनन पूर्वेक्षण को छूट प्रदान की गई है।''।
	(ii) राष्ट्रीय पार्कों या अभ्यारणयों या मूंगा चट्टानों, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली द्रव (कोयला, लिग्नाइट और अन्य अयस्क) पाइप लाइनें	सभी परियोजनाएं		

[फा. सं. जैड–11013 / 271 / 2012–आईए–II(एम)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए : —

1. का.आ. 1733(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;

3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012; और
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2013

S.O. 2731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for item 1(a) and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(a)	(i) Mining of minerals.	≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease.	<50 ha of mining lease area in respect of minor minerals mine lease; and	General Conditions shall apply except for project or activity of less than 5 ha of mining lease area for minor minerals:
			≤ 50 ha ≥5 ha of mining lease area in respect of other non-coal mine lease.	Provided that the above exception shall not apply for project or activity if the sum total of the mining lease area of the said project or activity and that of existing operating mines and mining projects which were accorded environment clearance and are located within 500 metres from the periphery of such project or activity equals or exceeds 5 ha.
		>150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	≤ 150 ha>5 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	**Note:** (i) Prior environmental clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal. Further, a period of two years with effect from the 4th April, 2011 is provided for obtaining environmental clearance for all those mine leases, which were operating as on the 4th April, 2011 with requisite valid environmental clearance and which have fallen due for renewal on or after 4th November, 2011:
		Asbestos mining irrespective of mining area.		
				Provided that no fresh environmental clearance shall be required for a mining project or activity at the time of renewal of mining lease, which has already obtained

		All projects.		environmental clearance under this notification.
	(ii) Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, ecologically sensitive areas.			(ii) Mineral prospecting is exempted.”.

[No. Z-11013/271/2012-IA-II (M)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
3. S. O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012; and
5. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935
No. 482] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

का.आ. 562(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक हित में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में पैरा 7 के उपपैरा (2) में पहले परंतुक की मद (i) में मद (i) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(i) अनुसूची की मद 8 (क) के सामने प्रवर्ग 'ख' के अधीन सूचीबद्ध सभी परियोजनाएं और क्रियाकलाप;" ।

[फा. सं. 21-270/2008-आई ए. III]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी:—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए:—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013; और
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

S.O. 562(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby markes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in paragraph 7, in sub-paragraph II, in item (i), in the first proviso, for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

"(i) all projects or activities listed under Category, 'B' against item 8(a) of the Schedule;".

[F. No. 21-270/2008-IA.III]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013; and
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013.

840 GI/2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 545] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 545] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 637(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन इसमें निहित शक्तियों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किए गए सभी राज्य और संघराज्यक्षेत्र पर्यावरण समाघात प्राधिकरणों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) को उक्त प्राधिकरणों द्वारा अपनी अधिकारिता के भीतर परियोजनाओ या क्रिया कलापों को जारी पर्यावरण अनापत्तियों की शर्तों के अतिक्रमण की दशा में परियोजना प्रस्तावकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा इस शर्त के अधीन कि केंद्रीय सरकार शक्तियों के ऐसे प्रत्यायोजन का प्रतिसंहरण कर सकेगी या उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबंधों को स्वयं अवलंब ले सकेगी, यदि केंद्रीय सरकार की राय में लोक हित में ऐसी कार्यवाही आवश्यक है, यदि अपेक्षित हो तो अतिक्रमणों के लिए उक्त परियोजना प्रस्तावकों को ऐसी पर्यावरण अनापत्तियों को उन्हें प्रास्थगित रखने या वापस लिए जाने हेतु निदेश जारी करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन करती है।

[सं. जे-11013/2/2013-आई ए (आई)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 637(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the powers vested in it under section 5 of the said Act to all the State and Union Territory Environment Impact Assessment Authorities (Hereinafter referred to as the said Authorities) constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of Environment (Protection) Act, 1986, to issue show cause notice to project proponents in case of violation of the conditions of the envioronment clearances issued by the said Authorities to projects or activities within their jurisdiction and to issue directions to the said project proponents for keeping such environment clearances in abeyance or withdrawing them, if required, for violations, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegations of powers or may itself invoke the provisions of section 5 of the said Act, if in the opinion of the Central Government such a Course of action is necessary in the public interest.

[No. J-11013/2/2013-IA. (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2014

का.आ. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त की धारा के प्रयोजन के लिए इससे उपाबद्ध उस सारणी के स्तंभ (3) में उनमे से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अधिकारिता के साथ उस सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित प्राधिकरण या अधिकारी को प्रातिकृत करती है:

सारणी

क्रम संख्यांक	प्राधिकरण/अधिकारी	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)	संपूर्ण राज्य या संघ राज्यक्षेत्र
2.	पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) के किन्हीं प्रादेशिक कार्यालयों में तैनात कोई निदेशक, वन संरक्षक या अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा यथा-विनिश्चित प्रादेशिक कार्यालय की अधिकारिता

[सं. जे-11013/2/2013-आई ए (आई)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2014

S.O. 638(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby authorises the Authority or officer mentioned in column (2) of the Table hereto for the purpose of the said section with the jurisdiction mentioned against each of them in column (3) of that Table:

TABLE

S. No.	Authority/Officer	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	State or Union Territory level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.	Whole of State or Union Territory
2.	Any Director, Conservator of Forests or Additional Principal Chief Conservator of Forests Posted in any of the Regional Offices of the Ministry of Environment and Forests (MoEF).	Jurisdiction of the Regional Office as decided by the Ministry of Environment and Forests

[No. J-11013/2/2013-IA. (I)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1331] नई दिल्ली, बुधवार, जून 25, 2014/आषाढ़ 4, 1936
No. 1331] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 25, 2014/ASADHA 4, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

का.आ. 1598(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिसका केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा:-

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों पर कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: satish.garkoti@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) मद 1(ग) में स्तंभ (2), स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"1(ग)	(iii) बृहत पेयजल आपूर्ति परियोजना जैसी गैर सिंचाई परियोजनाएं ।	(iii) ≥ 5,000 है. जलमग्न क्षेत्र	(iii) < 5,000 है. जलमग्न क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी

(ii) ईंधन के रूप में गैर परिसंकटमय नगर पालिक ठोस अपशिष्ट पर आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से संबंधित मद 1(घ) में स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

(i) स्तंभ (3).-

"≥ 15 मे.वा."

(ii) स्तंभ (4).-

"< 15 मे.वा."

[फा. सं. जे- 11013/12/2013-आईए.II(1)(भाग)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आं. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 और का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2014

S.O. 1598(E).—The following draft of the notification, further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment and Forest, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003, or at e-mail address:- satish.garkoti@nic.in.

Draft Notification

In the said notification, in the Schedule.-

(i) in item 1(c), after the entries in columns (2), (3), (4) and (5), the following inserted, namely:-

1(c)	"(iii) Non –Irrigation projects such as large drinking water supply projects.	(iii)≥ 5,000 ha submergence area	(iii)< 5,000 ha submergence of area	General Condition shall apply.”;

(ii) in, item 1(d), for the entries in column (3) and column (4), relating to thermal power plants based on non-hazardous municipal solid waste as fuel, the following entries shall be substituted, namely.-

(i) In column(3).-
"≥ 15MW"

(ii) In column(4).-
"< 15MW"

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (1) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 and S.O.637(E) dated the 28th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2014

का.आ. 1599(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

I. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(i) मद 1(ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(ग)	(i) नदी घाटी परियोजनाएं (ii) सिंचाई परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) ≥ 10,000 हे0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) < 50 ≥ 25 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) < 10,000 हे0 > 2000 हे0 खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण :- एक से अधिक राज्य में आने वाली प्रवंग **'ख'** नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय सरकार स्तर पर किया जाएगा ।";

(ii) मद 1(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	≥ 500 मे.वा. (कोयला/लिग्नाइट/नेफ्था और गैस आधारित) ; ≥ 50 मे.वा. (जैव द्रव्यमान के सिवाय सभी अन्य ईंधन) । ≥ 20 मे.वा. (जिसमें गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का ईंधन के रूप में उपयोग होता है) ।	≥ 50 मे.वा. से < 500 मे.वा. (कोयला/लिग्नाइट/नेफ्था और गैस आधारित) < 50 मे.वा. और ≥ 5 मे.वा.(जैव द्रव्यमान और गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के सिवाय सभी अन्य ईंधन) । < 20 मे.वा. > 15 मे.वा. (जिसमें गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट का ईंधन के रूप में उपयोग होता है) । ≥ 15 मे.वा. जैव द्रव्यमान पर आधारित संयंत्र	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण :- (i) जैव द्रव्यमान या गैरपरिसंकटमय नगरपालिक ठोस अपशिष्ट जिसमें कोयला, लिग्नाइट/पेट्रोलियम उत्पाद पेट्रोलियम उत्पाद जैसे सहायक ईंधन का उपयोग होता है, पर अधारित 15 मे.वा. तक के तापीय विद्युत संयंत्रों को छूट प्राप्त है । (ii) किसी सहायक ईंधन के बगैर अपशिष्ट ताप बायलरों का उपयोग करने वाले तापीय विद्युत संयंत्र छूट प्राप्त हैं ।";

(iii) मद 2(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"2(ख)	खनिज सज्जीकरण	≥ 0.5 मिलियन टी पी ए का उत्पादन	> 0.5 मिलियन टी पी ए का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी (अनापत्ति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव का खनिज सज्जीकरण के साथ मूल्यांकन किया जाएगा) ।";

(iv) मद 4(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4(ख)	(i) कोक भट्टी संयंत्र (ii) कोलतार प्रसंस्करण इकाईयां	≥2,50,000 टन/प्रतिवर्ष -	< 2,50,000 और ≥ 2,50,000टन/प्रतिवर्ष सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी ।";

(v) मद 4(घ) के स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"उत्पादन क्षमता ≥ 300 यदि कोई इकाई अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित है ।";

(vi) मद 4(च) के स्तंभ (2) में, की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"त्वचा/खाल प्रसंस्करण जिसके अंतर्गत चर्म शोधन उद्योग भी है ।";

(vii) मद 5(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(क)	रासायनिक उर्वरक	रासायनिक उर्वरकों के दानों के सिवाय सभी परियोजनाएं जिसके अंतर्गत H_2SO_4 उत्पादन के साथ सभी एकल सुपर फोसफेट परियोजनाएं भी हैं ।	H_2SO_4 उत्पादन और रासायनिक दानों के बगैर सभी एकल सुपर फोसफेट परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी सुपर फॉसफेट पाउडर के दाने बनाने को छूट दी गई है ।";

(viii) मद 5(ङ) में :-

(क) स्तंभ (2) में की प्रविष्टी के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"पैट्रोलियम उत्पाद और पैट्रो रसायन आधारित कार्बन ब्लैक तथा इलेक्ट्रोड ग्रेड ग्रेफाइट के उत्पादन का प्रसंस्करण (भंजन से भिन्न अन्य प्रसंस्करण तथा सुधार और जो परिसरों के भीतर समाविष्ट नहीं है)।";

(ख) स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"साधारण और विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी ।
टिप्पण—बहुलक दानों से उत्पादों के विनिर्माण को छूट प्राप्त होगी ।";

2589 GI/14-2

(ix) मद 5(च) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(च)	संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन उद्योग (रंजक और रंजक मध्यक ; थोक ओषधि और ओषधि विर्निमितियों को छोड़कर मध्यक ; संश्लिष्ट रबर मूल कार्बनिक रसायन और अन्य संश्लिष्ट कार्बनिक रसायन मध्यक)	स्तंभ (5) में यथापरिभाषित लघु इकाईयों के सिवाय अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित ।	(i) अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा के बाहर अवस्थित । (ii) स्तंभ (5) में यथापरिभाषित लघु इकाइयां ।	साधारण और विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी लघु इकाइयां : < 25m³/दिन जल खपत, < 25टीपीडी ईंधन खपत के साथ और जो परिसंकटमय रसायन का प्रबंधन, भंडारण और आयात नियम, 1989 के अनुसार एमएएच इकाइयों के प्रवर्ग में नहीं आती हैं ।";

(x) मद 5(छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(छ)	आसवनी	(i) सभी शीरा आधारित आसवनी । (ii) गैर शीरा आधारित आसवनी ≥ 60 कि.ली.दैनिक	गैर शीरा आधारित आसवनी- < 60 कि.ली.दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी ।";

(xi) मद 5(झ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"5(झ)	लुग्दी और कागज़ उद्योग	लुग्दी विनिर्माण तथा अपशिष्ट कागज से विनिर्माण के सिवाय लुग्दी तथा का कागज विनिर्माण उद्योग ।	अपशिष्ट कागज से लुग्दी विनिर्माण तथा अपशिष्ट कागज लुग्दी और अन्य तैयार लुग्दी से कागज विनिर्माण ।	साधारण शर्त लागू होगी टिप्पण : रंजन, विरंजन और रंगाई के बगैर अपशिष्ट कागज लुग्दी और तैयार लुग्दी से कागज विनिर्माण को छूट प्राप्त है ।";

II. अनुसूची के पश्चात्, साधारण शर्त से संबंधित टिप्पण में निम्नलिखित साधारण शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :-

"साधारण शर्त (सा.श.) :

प्रवर्ग 'ख' विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप का केन्द्रीय स्तर पर प्रर्वग 'क' के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा, यदि वह पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से : (i) वन्य जीव संरक्षण

अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के अधीन संरक्षित क्षेत्रों की ; (ii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर पहचान किए गए गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों की ; (iii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन यथाअधिसूचित पारिस्थितकी संवेदनशील क्षेत्रों की और (iv) अंतर राज्यिक सीमाओं और अंतराष्ट्रीय सीमाओं से पांच किलोमीटर की सीमाओं के भीतर अवस्थित है ;

परंतु 1(ग) में विनिर्दिष्ट नदी घाटी परियोजनाएं, मद 1(घ) में विनिर्दिष्ट तापीय विद्युत संयंत्र, मद 7(ग) विनिर्दिष्ट औद्योगिक संपदा/पार्क/क्षेत्र/निर्यात प्रसंस्करण जोन, विशेष आर्थिक जोन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, चमड़ा परिसर और मद 7(घ) में विनिर्दिष्ट समान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधाओं का मूल्यांकन केन्द्रीय स्तर पर किया जाएगा यदि वह 10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित है ।

परंतु यह और कि उपरोक्त मद (i), मद (ii) और मद (iii) में वर्णित क्षेत्रों की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर के भीतर कोई क्रियाकलाप न होने की दशा में अंतर राज्यिक सीमाओं की, यथास्थिति, पांच किलोमीटर या दस किलोमीटर की दूरी से संबंधित अपेक्षा को क्रमश: सामान्य सीमाओं वाले राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की बीच करार द्वारा कम या पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है ।"

[फा. सं. जे- 11013/12/2013-आईए.II(1)(भाग)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 और का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th June, 2014

S.O. 1599(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India , in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule, in public interest, namely:-

I. In the said notification, in the Schedule,-

(i) **for item 1(c) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

2589 GI/14-3

"1(c)	(i) River Valley projects (ii) Irrigation projects	(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation; (ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area.	(i) ≤ 50 MW ≥ 25 hydroelectric power generation; (ii) < 10,000 ha. > 2000 ha. of culturable command area.	General condition shall apply. Note:- Category 'B' river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level...";

(ii) **for item 1(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"1(d)	Thermal Power Plants	≥ 500 MW (coal/lignite/naphta and gas based); ≥ 50 MW (all other fuels except biomass). ≥ 20MW (using municipal solid non hazardous waste, as fuel).	≥ 50MW to <500 MW (coal/lignite/ naphta and gas based); < 50 MW and ≥5MW (all other fuels except biomass and municipal solid non hazardous waste). < 20MW >15MW (using municipal solid non hazardous waste, as fuel). ≥ 15 MW plants based on biomass fuel.	General condition shall apply Note:- (i) Thermal Power plants up to 15 MW based on biomass or non hazardous municipal solid waste using auxiliary fuel such as coal, lignite/ petroleum products upto 15% are exempt. (ii)Thermal power plants using waste heat boilers without any auxiliary fuel are exempt.";

(iii) **for item 2(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.5 million TPA throughput	< 0.5 million TPA throughput	General condition shall apply (Mining proposal with mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance).";

(iv) for Item 4(b) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

"4(b)	(i)Coke oven plants (ii) Coaltar processing units	≥2,50,000 tonnes/annum -	<2,50,000 and ≥25,000 tonnes/annum All projects	General condition shall apply.";

(v) **in item 4(d), in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-**

"≥300 TPD production capacity if a unit located outside the notified industrial area/ estate.";

(vi) **in item 4(f), in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-**

"Skin/hide processing including tanning industry.";

(vii) **for item 5(a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(a)	Chemical fertilizers	All projects including all single super phosphate with H_2SO_4 production except granulation of chemical fertilizers.	All Single Super Phosphate without H_2SO_4 production and granulation of chemical fertilizers.	General condition shall apply. Granulation of single super phosphate powder is exempt.";

(viii) **in item 5(e):-**

(a) in column (2), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Petroleum products and petrochemical based processing such as production of carbon black and electrode grade graphite (processes other than cracking and reformation and not covered under the complexes).";

(b) in column (5), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"General as well as specific condition shall apply.

~~Note- Manufacturing of products from polymer granules is exempt.~~";

(ix) **for item 5(f) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes and dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located outside the notified industrial area/ estate except small units as defined in column (5).	(i) Located in a notified industrial area/ estate. (ii) Small units as defined in column (5).	General as well as specific condition shall apply. Small units: with water consumption <25m^3/day, fuel consumption <25TPD and not covered in the category of MAH units as per the Management, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.";

(x) **for item 5(g) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries (ii) Non-molasses based distilleries ≥ 60KLD	Non-molasses based distilleries – <60 KLD	General condition shall apply.";

(xi) **for item 5(i) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-**

"5(i)	Pulp and paper industry	Pulp manufacturing and Pulp and Paper manufacturing industry except from waste paper.	Pulp manufacturing from waste paper and paper manufacturing from waste paper pulp and other ready pulp.	General condition shall apply Note: Paper manufacturing from waste paper pulp and ready pulp without deinking, bleaching and colouring is exempt.";

II. After the Schedule, in the Note relating to General Condition(GC), the following General Condition shall be substituted, namely:-

General Condition(GC):

Any project or activity specified in category 'B' will be appraised at the Central level as Category 'A', if located in whole or in part within 5 km. from the boundary of : (i) Protected areas notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972); (ii) Critically polluted areas as identified by the Central Pollution Control Board constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) from time to time; (iii) Eco-sensitive areas as notified under sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, and (iv) inter-State boundaries and international boundaries; provided that for River Valley Projects specified in item 1(c), Thermal Power Plants specified in item 1(d), Industrial estates/parks/complexes/areas, export processing zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), biotech parks, leather complexes specified in item 7(c) and common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs) specified in item 7(d), the appraisal shall be made at Central level even if located within 10km.

Provided further that the requirement regarding distance of 5 km or 10 km, as the case may be, of the inter-State boundaries can be reduced or completely done away with by an agreement between the respective States or the Union Territories sharing the common boundary in case the activity does not fall within 5km or 10 km, as the case may be of the areas mentioned at item (i), (ii) and (iii) above."

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (1) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 and S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2057] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2014/आश्विन 17, 1936
No. 2057] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASVINA 17, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2601(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में, उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करने के पश्चात्, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद संख्या 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क)	(i) खनिजों का खनन	गैर कोयला खनन पट्टा की बाबत ≥50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	गैर कोयला खनन पट्टा की बाबत <50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	खनिजों के खनन के लिए पांच हेक्टेयर से कम खनन पट्टा क्षेत्र के लिए परियोजना या कार्यकलापों के सिवाय साधारण शर्तें लागू होंगी
		कोयला खनन पट्टा की बाबत >150 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	कोयला खनन पट्टा की बाबत >150 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र।	परंतु यह कि पूर्वोक्त अपवाद उस परियोजना या कार्यकलाप के लिए लागू नहीं

				होगा यदि उक्त परियोजना या कार्यकलाप के खनन पट्टा क्षेत्र और विद्यमान प्रचालन कर रही खानों और खनन परियोजनाओं जिन्हें पर्यावरणीय निकासी प्रदान की गई थी और जो ऐसी परियोजना या कार्यकलाप की परिधि से पांच सौ मीटर के भीतर अवस्थित हैं, के क्षेत्र का कुल योग, पांच हेक्टेयर के बराबर या उससे अधिक हैं।
		खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना एस्बेसटस खनन।		टिप्पण: (i) खनन पट्टा के नवीकरण के स्तर पर पूर्व पर्यावरण निकासी अपेक्षित है जिसके नवीकरण के लिए नियत तारीख से दो वर्ष पूर्व आवेदन किया जाएगा। परंतु यह कि किसी खनन परियोजना या कार्यकलाप के लिए, जिसने इस अधिसूचना के अधीन पहले ही पर्यावरणीय निकासी अभिप्राप्त कर ली है खनन पट्टे के नवीकरण के समय कोई नवीन पर्यावरण निकासी की अपेक्षा नहीं होगी।
	(ii) राष्ट्रीय पार्कों या अभ्यारण्यों या मूंगा चट्टानों, पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली द्रव (कोयला, लिग्नाइट और अन्य अयस्क)पाईप लाइनें	सभी परियोजनाएं		(ii) खनन पूर्वेक्षण को छूट प्रदान की गई है।

[फा.सं. जैड-11013/271/2012-1ए-II(एम)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित की गई :—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007 ;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ;
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
9. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 ; और
10. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2014

S.O. 2601(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely :—

In the said notification, in the Schedule, for item 1(a) and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(a)	(i) Mining of minerals.	≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	<50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease. ≤ 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.	General Conditions shall apply except for project or activity of less than 5 ha of mining lease area: Provided that the above exception shall not apply for project or activity if the sum total of the mining lease area of the said project or activity and that of existing operating mines and mining projects which were accorded environment clearance and are located within 500 metres from the periphery of such project or activity equals or exceeds 5 ha. **Note:** (i) Prior environmental clearance is required at the stage of renewal of mine lease for which an application shall be made up to two years prior to the date due for renewal.

		Asbestos mining irrespective of mining area.		Provided that no fresh environmental clearance shall be required for a mining project or activity at the time of renewal of mining lease, which has already obtained environmental clearance under this notification. (ii) Mineral prospecting is exempted. "
	(ii) Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		

[F. No. Z-11013/271/2012-IA-II (M)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013;
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013;
8. S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014;
9. S.O. 637(E), dated the 28th February, 2014; and
10. S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2056] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2014/आश्विन 17, 1936
No. 2056] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2014/ASVINA 17, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2014

का.आ. 2600(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में, लोक हित में, उक्त नियम के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा का त्याग करने के पश्चात्, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, परिशिष्ट 6 में,—

(i) पैरा 2 में, 'लोक प्रशासन या प्रबंध' शब्दों के स्थान पर, 'लोक प्रशासन या विभिन्न विकासात्मक सेक्टरों और पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत आने वाले प्रबंध' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) पैरा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4. अध्यक्ष, विभिन्न विकासात्मक सेक्टरों से संबंधित प्रबंध में या लोक प्रशासन से संबंधित मुद्दों की पर्यावरणीय नीति में अनुभव रखने वाला ख्यातिप्राप्त व्यक्ति होगा।"

[फा. सं. जे.-11013/12/2013-आई.ए.-II(I)(पार्ट)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 और का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2014

S.O. 2600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, namely:—

In the said notification, in the APPENDIX VI,—

(i) in paragraph 2, for the words "Public Administration or Management", the words "Public Administration or Management covering various developmental sectors and environmental issues";

(ii) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:—

"4. The Chairperson shall be an eminent person having experience in environmental policy related issues, in management or in public administration dealing with various developmental sectors".

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (part)]

AJAY TYAGI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended *vide* S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O. 637(E), dated the 28th February, 2014 and S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2615] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2014/पौष 1, 1936
No. 2615] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2014/PAUSA 1, 1936

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3252(अ).—एक प्ररूप अधिसूचना, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना, सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए, सं. का.आ. 2319 (अ) तारीख 11 सितम्बर, 2014 (जिसे इसमें इसके उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 11 सितम्बर, 2014 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और साठ दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अत: अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

मूल अधिसूचना में अनुसूची में स्तंभ (1) के अधीन भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाओं से संबंधित मद्द 8 और उपमद 8(क) तथा उपमद 8(ख) तद्धीन विनिर्दिष्ट उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद, उपमदें और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8		भवन या संनिर्माण परियोजनाएं या नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		
8(क)	भवन और संनिर्माण परियोजनाएं		>20000 वर्ग मीटर और < 1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" को, सभी तलों पर इकट्ठे निर्मित या आच्छादित क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अंतर्गत बेसमेंट और अन्य सेवा क्षेत्र भी हैं जिनका भवन/संनिर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किया गया है। **टिप्पण 1** : परियोजना या कार्यकलापों में औद्योगिक शेड, विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षिक संस्थाओं के लिए छात्रावास शामिल नहीं होंगे किंतु ऐसे भवन भरणीय पर्यावरणीय प्रबंधन ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण का सुनिश्चय करेंगे और वे पुन: चक्रित सामग्रियों जैसे भस्म ईंटों का उपयोग कर सकेंगे। **टिप्पण 2** : "साधारण शर्तें" लागू नहीं होंगी।
8(ख)	नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		जो >50 हेक्टेयर के क्षेत्र और या >1,50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर कर रही हैं	इस मद के अधीन आने वाली नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाओं से पर्यावरण निर्धारण रिपोर्ट की अपेक्षा होगी और उनका निर्धारण श्रेणी "ख1" परियोजना के रूप में किया जाएगा। **टिप्पण** : "साधारण शर्तें" लागू नहीं होंगी।

[फा. सं. 19-2-2013-आईए. III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार पश्चावर्ती संशोधन किए गए:—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर,, 2013;
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014; और
9. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2014

S.O. 3252(E).—Whereas, a draft notification further to amend the notification number S.O 1555(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the principal notification), was published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 in the Gazette of India ,Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2319, (E) dated the 11th September, 2014 (hereinafter referred to as the said notification), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 11th September, 2014;

And whereas, no objections or suggestions have been received in response to the said notification within the specified period of sixty days;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and clause (v) of Sub-section (2) of Section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:—

In the principal notification, in the Schedule, under Column (1), for item 8 relating to Building/Construction Projects/Area Development Projects and Townships and sub-items 8 (a) and 8 (b) and the entries relating thereto, specified there under, the following item, sub-items and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8		**Building or Construction projects or Area Development projects and Townships**		
8 (a)	Building and Construction projects		>20000 sq.mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs. of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification the built up or covered area on all floors put together, including its basement and other service areas, which are proposed in the building or construction projects. **Note 1.-** The projects or activities shall not include industrial shed, school, college, hostel for educational institution, but such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid waste management, rain water harvesting and may use recycled materials such as fly ash bricks. **Note 2.-** "General Conditions" shall not apply.
8	Townships and Area Development Projects		Covering an area of > 50 ha and or built up area > 1,50,000 sq. mtrs	A project of Township and Area Development Projects covered under this item shall require an Environment Assessment report and be appraised as Category 'B1' Project. **Note.-** "General Conditions" shall not apply.

[F. No. 19-2/2013-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013 ;
7. S. O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
8. S. O. 562(E), dated the 26th February 2014; and
9. S. O. 1599(E), dated the 25th June, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2015/माघ 17, 1936

No. 294] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2015/MAGHA 17, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2015

का.आ. 382(अ).—पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में, कतिपय संशोधन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन प्रारूप अधिसूचना, जो का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा जारी की गई थी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्यांक 2545(अ), तारीख 30 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 30 सितंबर, 2014 को जनता को उपलब्ध करवा दी गई थीं;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऊपर वर्णित प्रारूप अधिसूचना के जवाब में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के पैरा 7 (i) में,--

(क) 'प्रक्रम (2)- विस्तारण' से संबंधित उपपैरा II के खंड (i) में, पहले परंतुक में मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित

मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(ii) अनुसूची की मद 7(च) के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (i) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (i) के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती राज्यों में की सभी राजमार्ग परियोजनाएं;

(iii) अनुसूची की मद 7(च) के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (ii) और स्तंभ (4) की प्रविष्टि (ii) के अंतर्गत आने वाली सभी राजमार्ग विस्तारण परियोजनाएं;

(ख) 'प्रक्रम (3)- लोक परामर्श' से संबंधित उपपैरा III के खंड (i) में, उप-खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) सीमावर्ती राज्यों में राजमार्ग, पाइपलाइन, आदि जैसी सभी अनुरेखीय परियोजनाएं ।"

[फा. सं.2-33/2014-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंम्बर, 2009;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंम्बर, 2012;
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013;
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014; और
9. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2015

S.O. 382(E).—Whereas, a draft notification under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued vide number S O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 2545(E), dated the 30th September, 2014 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 30th September, 2014;

And whereas, no objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:—

In the said Environment Impact Assessment Notification, 2006 in paragraph 7 (i),—

(a) in sub- paragraph II relating to Stage (2)- Scoping, in clause (i), in the first proviso, for item (ii), the following items shall be substituted, namely:—

"(ii) all Highway projects in border States covered under entry (i) of column (3) and entry (i) of column (4) against item 7 (f) of the Schedule;

(iii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and entry (ii) of column (4) against item 7 (f) of the Schedule;

(b) in sub-paragraph III relating to Stage (3)- Public Consultation, in clause (i), after sub-clause (f), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(g) all linear projects such as Highways, pipelines, etc., in border States."

[F. No. 2-33/2014-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 1737(E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013 ;
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013;
8. S.O. 562(E), dated the 26th February 2014; and
9. S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2015/चैत्र 2, 1937
No. 617] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2015/CHAITRA 2, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2015

का.आ. 811(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना के पैरा 11 को उसके उपपैरा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपपैरा के पश्चात्, निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(2) जहां किसी विधिक कार्यवाही में या सरकार द्वारा विधि के अनुसार कोयला ब्लॉक का आबंटन रद्द कर दिया जाता है, ऐसे कोयला ब्लॉक के संबंध में मंजूर की गई पर्यावरणीय अनापत्ति, किसी विधिक व्यक्ति को जिसे ऐसे ब्लॉक का तत्पश्चात् आबंटन किया जाता है, उसी वैधता अवधि के अधीन जो आरंभ में मंजूर की गई थी, अंतरित की जा सकेगी और ऐसे मामले में या तो पर्यावरण अनापत्ति के धारक से या संबंधित विनियामक प्राधिकारी से "निरापेक्ष" प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा और संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निर्देश नहीं किया जाएगा"।

[फा. सं. जेड-11013/109/2014-आईए-II(एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :--

1. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007 ;
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 ;
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012 ;
5. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013 ;
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
9. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014; और
12. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2015

S.O. 811(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after dispensing with the requirement of notice in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, (hereinafter referred to as the said notification), namely:—

In the said notification, paragraph 11 shall be renumbered as sub-paragraph (1) thereof, and after sub-paragraph (1) as so renumbered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(2) Where an allocation of coal block is cancelled in any legal proceeding, or by the Government in accordance with law, the environmental clearance granted in respect of such coal block may be transferred, subject to the same validity period as was initially granted, to any legal person to whom such block is subsequently allocated, and in such case, obtaining of "no objection" from either the holder of environment clearance or from the regulatory authority concerned shall not be necessary and no reference shall be made to the Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee concerned."

[F. No. Z-11013/109/2014-IA-II(M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* Notification Number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was subsequently amended as follows:—

1. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
7. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
8. S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014;
9. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
10. S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014;
11. S.O. 2601(E), dated the 7th October, 2014; and
12. S.O. 3252(E). dated the 22nd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 765] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 10, 2015/चैत्र 20, 1937
No. 765] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 10, 2015 /CHAITRA 20, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2015

का.आ. 996(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात् लोकहित में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, -

पैरा 7 के उप-पैरा 2 के उपशीर्ष के खंड (i) और (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,अर्थात् :—

(i) "विस्तारण" उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जिसके द्वारा विस्तृत व्यापक कार्य अवधारित करने के लिए उस परियोजना या क्रियाकलापों के संबध में कोई पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी सुसंगत पर्यावरणीय समुत्थानों को जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति ईप्सित की गई है । सेक्टर विशेषज्ञ आकलन समिति से परामर्श कर मंत्रालय द्वारा विकसित मानक परियोजना क्रियाकलापों के लिए सौंपे गए कृत्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे :

परंतु यह कि विशेषज्ञ आकलन समिति या राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति, यदि परियोजना के लिए यह आवश्यक पाया जाए तो विनिर्दिष्ट प्ररूप 1 या प्ररूप 2 में आवेदन को स्वीकार करने के तीस दिन में संशोधन को अंतिम रूप में प्रदान करेगी ।

मानक सौंपे गए कृत्य आवेदन के आनलाइन प्रस्तुत होने और रजिस्ट्रीकरण के सफलतापूर्वक होने के पश्चात् कोई पर्यावरण समाघात निर्धारण के प्रारंभ की तैयारी का परियोजना प्रस्ताव होगा।

तथापि यह और कि विशेषज्ञ आकलन, यदि यह आवश्यक हो तो विनिर्दिष्ट आवेदन प्ररूप 1 और प्ररूप 2 में आवेदन को स्वीकार होने में तीस दिन में अतिरिक्त सौंपे गए कृत्यों का अनुबंध कर सकेगी ।

और प्रस्तावक परियोजना अतिरिक्त सौंपे गए कृत्यों के साथ-साथ मानक सौंपे गए कृत्यों पर आधारित ईआईए को करेगा यदि सीईएसी द्वारा अनुबंधित हो, यदि कोई हो ।

परंतु यह कि निम्नलिखित के लिए विस्तारण अपेक्षित नहीं है :—-

(i) अनुसूची के मद 8 (क) के सामने प्रवर्ग 'ख' के अधीन सूचीबद्ध सभी परियोजना और क्रियाकलाप ;

(ii) अनुसूची के मद 7 (च) के सामने और स्तंभ (3) को (i) स्तंभ (4) की प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाले सीमांत राज्यों के सभी राजमार्ग ;

(iii) अनुसूची के मद 7 (च) के सामने स्तंभ (3) की प्रविष्टि (i) और प्रविष्टि (ii) के अधीन आने वाले सभी राजमार्ग विस्तार परियोजना ;

परंतु यह भी कि –

(क) खंड (i) में निर्दिष्ट सभी परियोजना और कृत्य प्ररूप 1 और प्ररूप 1क और संकल्पना परियोजना के आधार पर आकलित किए जाएंगे ।

(ख) खंड (ii) में निर्दिष्ट सभी परियोजनाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट मानक सौंपे गए कृत्यों के आधार पर पर्यावरण समाधात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरण ईएमपी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किए जाएंगे ।

(ii) पैरा 7 के उप पैरा (i) के उपशीर्ष में खंड (iii) को उनके खंड (ii) के रूप में पुर्नसंख्याकित किया जाएगा ।

[फा. सं. 22-62/2015-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उप खंड (ii) संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013, का.आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014, का.आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2015

S.O. 996(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule (3) of said rule 5, in public interest, namely.—

In the said notification, in paragraph 7 in sub–paragraph (i), in sub-heading II. for clauses (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

(i) "Scoping" refers to the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. Standard TOR developed by the Ministry in consultation with the sector specific Expert Appraisal Committees shall be the deemed approved TOR for the projects or activities. The standard Terms of Reference are displayed on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided that the Expert Appraisal Committee (EAC) or State Expert Appraisal Committee (SEAC) may finalise amendment, if found necessary for a project within thirty days of the acceptance of application in specified application Form I or Form IA. These standard TOR shall enable the Project Proponent to commence preparation of an Environment Impact Assessment Report after successful online submission and registration of the application:

Provided further that, the Expert Appraisal Committee (EAC) or State Expert Appraisal Committee (SEAC) may stipulate additional Terms of Reference, if found necessary, within thirty days of the acceptance of the application in the specified application Form I or Form IA and the Project Proponent shall carry out the EIA study based on the standard TORs as well as the additional TOR, if any, stipulated by EAC/SEAC:

Provided also that the following shall not require Scoping–

(i) all projects and activities listed under Category 'B', against Item 8(a) of the Schedule;

(ii) all Highway projects in border States covered under entry (i) of column (3) and entry (i) of column (4) against item 7(f) of the Schedule;

(iii) all Highway expansion projects covered under entry (ii) of column (3) and entry (ii) of column (4) against item 7(f) of the Schedule;

Provided also that –

(A) the project and activities referred to in clause (i) shall be appraised on the basis of Form I or Form IA and the conceptual plan;

(B) the projects referred to in clause (ii) shall prepare EIA and EMP report on the basis of standard TOR specified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

(ii) in Paragraph 7 in sub-paragraph (i), in sub-heading, clause (iii) shall be renumbered as clause (ii) thereof.

[F. No. 22-62/2015-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014, S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937
No. 887] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

का.आ. 1142(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की आवश्यकता से छूट के पश्चात्, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में मद 7(घ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(घ)(क)	जैव-चिकित्सा (बायो-मैडिकल) अपशिष्ट उपचार सुविधाएं		सभी परियोजनाएं	

[फा.सं.3-9/2014-आईए.III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं.का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नानुसार पश्चातवर्ती संशोधन किए गए :--

1. का.आ.1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
2. का.आ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
3. का.आ.695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
4. का.आ.2893(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;

5. का.आ.674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
6. का.आ.2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
7. का.आ.2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
8. का.आ.562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.आ.637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
10. का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
11. का.आ.2601(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
12. का.आ.3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
13. का.आ.382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
14. का.आ.811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015; और
15. का.आ.996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 I

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

S.O.1142(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 after dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of the said rule 5 in public interest, namely:—

In the said notification, in the Schedule, after item 7(d) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(da)	Bio-Medical Waste Treatment Facilities	-	All projects	-

[F. No. 3-9/2014-IA.III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:-

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E) dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E) dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E) dated the 28th February, 2014
10. S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014
12. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
13. S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015
14. S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015
15. S.O. 996(E) dated 10th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 886] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937
No. 886] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015 /VAISAKHA 10, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2015

का.आ. 1141(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में,-

(i) पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) की विधिमान्यता के संबंध में पैरा 9 पैरा उसके पैरा (i) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा;

(ii) पैरा (i) इस प्रकार संख्यांकित किया जाएगा,-

(क) "और सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "और सभी अन्य परियोजनाओं और क्रियाकलापों की दशा में सात वर्ष" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) "तथापि, क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगर क्षेत्र की दशा में" शब्दों के साथ प्रारंभिक भाग पर और "यथास्थित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ समिति के परामर्श" शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग पर निम्नलिखित शब्दों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) क्षेत्र विकास परियाजनाओं और नगर क्षेत्र [मद 8(ख)], की दशा में विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगा जहां तक किसी विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व है :

परंतु यह भी कि विधिमान्यता की यह अवधि संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा सात वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा परंतु यह तब जबकि कोई आवेदन आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्रारूप I और अनुपूरक प्रारूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर विनियामक अवधि के भीतर किया जाता है :

परंतु यह भी कि विनियामक प्राधिकरण यथास्थित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति इसके विस्तार की मंजूरी के लिए परामर्श भी कर सकेगा ।

(क) ईसी की विधिमान्य अवधि के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसे मामलों के लिए विलंब को संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति (ईएसी) या राज्य स्तर आंकलन समिति (एसईएसी) और उनकी सिफारिशों के आधार पर यथास्थिति संयुक्त सचिव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या सदस्य सचिव एसईआईएए के स्तर पर माफ किया जाएगा;

(ख) ईसी की विधिमान्य अवधि के पश्चात् एक माह से अधिक परंतु ऐसी विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीन मास से अन्यून है तो ईएसी या एसईएसी की सिफारिशों के आधार पर यथास्थिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन प्रभारी मंत्री या अध्यक्ष के अनुमोदन से विलंब माफ किया जाएगा :

परंतु यह कि विलंब की माफी के लिए विस्तार हेतु कोई आवेदन ईसी की 90 दिन की विधिमान्य अवधि के पश्चात् मंजूर नहीं किया जाएगा ।"।

[फा. सं. जे-11013/12/2013-आईए-II(I)(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007 ; का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ; का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ; का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसबर, 2012 ; का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ; का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ; का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ; का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ; का.आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014; का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014; और का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2015

S.O. 1141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986(29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment(Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India , in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of rule 5 of the said rule, in public interest, namely:—

In the said notification,—

(i) Paragraph 9 relating to validity to Environment Clearance (EC) shall be re-numbered as paragraph (i) thereof;

(ii) in paragraph (i) as so numbered,-

(a) for, the words "and five years in the case of all other projects and activities", the words "and seven years in the case of all other projects and activities" shall be substituted;

(b) for the portion beginning with the words "However, in the case of Area Development projects and Townships" and ending with the words "consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be." The following shall be substituted, namely:-

"(ii) In the case of Area Development projects and Townships [item 8 (b), the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer:

Provided that this period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of seven years if an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form I, and Supplementary Form IA, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule):

Provided further that the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, for grant of such extension.

(iii) Where the application for extension under sub-paragraph (ii) has been filed-

(a) within one month after the validity period of EC, such cases shall be referred to concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or State Level Expert Appraisal committee (SEAC) and based on their recommendations, the delay shall be condoned at the level of the Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Member Secretary, SEIAA, as the case may be;

(b) more than one month after the validity period of EC but less than three months after such validity period, then, based on the recommendations of the EAC or the SEAC, the delay shall be condoned with the approval of the Minister in charge of Environment Forest and Climate Change or Chairman, as the case may be:

Provided that no condonation for delay shall be granted for any application for extension filed 90 days after the validity period of EC."

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended *vide* S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014, S.O. 1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014 and S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1448] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2015/आषाढ़ 16, 1937
No. 1448] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2015 /ASHADHA 16, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2015

का.आ.1834(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन, लोक हित में सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देने के पश्चात, भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मद 1(घ) में ताप विद्युत संयंत्रों से संबंधित स्तंभ (4) में पंक्ति (1) में "$\geq$ 50 मे.वा." से चिन्ह, अंक और अक्षरों के स्थान पर "$\geq$ 5 मे.वा." चिन्ह, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

[फा.सं. जे-11013/12/2013-आईए.II(1)(पार्ट)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित की गई का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तुबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015,

का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 और का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2015

S.O.1834(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rule, in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 namely:—

In the said notification, in the Schedule, against item 1(d) relating to Thermal Power Plants, in column 4 in line one, for the symbol, figure and letters "≥ 50 MW", the symbol, figure and letters "≥ 5MW" shall be substituted.

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II(I)(part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide numbers S.O. 1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E), dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E), dated the 13th December, 2012, S.O. 674(E), dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O. 637(E), dated the 28th February, 2014, S.O. 1599(E), dated the 25th June, 2014, S.O. 2601(E), dated 7th October, 2014, S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382(E), dated 3rd February, 2015, S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015, S.O. 996(E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142(E) dated 17th April, 2015 and S.O. 1141(E) dated 29th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2023] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937
No. 2023] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2015

का.आ. 2571(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग का प्रयोग करते हुए, का.आ. 1533 (अ.), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 9 के उप पैरा (ii) के प्रथम परन्तुक में "सात वर्ष की अधिकतम अवधि" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष की अधिकतम अवधि" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जे-11013/12/2013-आईए-II(I) (भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ.1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ.3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ.695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ.2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ.2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014,

का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ.3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014, का.आ.382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ.996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ.1142(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 और का.आ.1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2015

S.O. 2571(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest & Climate Change dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Pat II, Section 3, sub-section (ii) extraordinary *vide* S.O. 1533 (E) dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in paragraph 9, in sub-paragraph (ii), in the first proviso, for the words "period of seven years", the words "period of three years" shall be substituted.

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) *vide* notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended *vide* S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012, S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014 and S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, S.O.996(E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142(E) dated 17th April, 2015 and S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2024] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2015/भाद्र 27, 1937
No. 2024] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2015/BHADRA 27, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2015

का.आ. 2572(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना संख्यांक का0आ0 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया था कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही नई परियोजनाओं या कार्यकलापों का संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ पश्चातवर्ती क्षमता वर्धन भारत के किसी भी भाग में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के पश्चात् ही उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार हाथ में लिया जाएगा ।

और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने मैसर्स अर्डेंट स्टील लिमिटेड, उडीसा बनाम भारत संघ के मामले में 2014 की अपील सं0 5, तारीख 27 मई, 2014 में अपने आदेश द्वारा अभिनिर्धारित किया कि गुटिकाकरण संयंत्र पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना 2006 के अधीन आते हैं और पूर्व पर्यावरण निकासी ली जानी चाहिए और उसमें विद्यमान गुटिकाकरण संयंत्रों को ऐसी निकासी अभिप्राप्त करने के लिए एक वर्ष का समय दिया था ;

और गुटिका विनिर्माताओं से पर्यावरण निकासी अभिप्राप्त करने के लिए लोक परामर्श करने से छूट की वांछा के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, चूंकि वे एकल गुटिकाकरण संयंत्रों का पहले से ही प्रचालन कर रहे हैं और अनावश्यक कठिनाइयों को कम करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि गुटिकाकरण संयंत्रों को लोक परामर्श की प्रक्रिया से छूट प्रदान करना अनुज्ञात किया जाए ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम का नियम 5 का उपनियम (3) का खंड (क) यह उपबंध करता है कि जब केंद्रीय सरकार यह विचार करे कि किसी क्षेत्र में किसी उद्योग या किसी प्रसंस्करण या प्रचालन पर कोई प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किया जाना चाहिए तो वह ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देगी ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन, लोक हित में सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी ;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में स्तर (3)- लोक परामर्श से संबंधित पैरा 7 के उपपैरा III में खंड (i) में उपखंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ज) सभी एकल गुटिकाकरण संयंत्र, जो 27 मई, 2004 को या उससे पूर्व विद्यमान थे और प्रचालन में थे और जिनके पास संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति से स्थापना और प्रचालन की वैध सहमति है ।" ।

[फा. सं. जे-11013/27/2015-आईए-II(I)(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015, और का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th September, 2015

S.O. 2572(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on or from the dates of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act in accordance with the procedure specified therein;

And whereas the Hon'ble Principal Bench of National Green Tribunal vide its order in Appeal No. 05 of 2014, dated 27th May, 2014, in the matter of M/s. Ardent Steel Limited, Orissa vs. Union of India, held that pelletization plants are covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and should take prior Environment Clearance and had given one year time for obtaining such clearance to the existing pelletization plants;

And whereas a number of representations have been received from the pellet manufacturers seeking exemption from public consultation for obtaining Environment Clearance since they are already operating standalone pelletization plants and to mitigate undue hardships it has been decided to allow the Pelletization plants to exempt from the process of undertaking public consultation;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the said Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3);

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the said Environment Protection Rules, 1986 the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely:—

In the said Notification, in paragraph 7, in sub-paragraph III relating to Stage (3)-Public Consultation, in clause (i), after sub-clause (g), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(h) all standalone pelletization plants, which were in existence and in operation on or before the 27th day of May, 2014 and have valid consent to establish and consent to operate from the concerned State Pollution Control Board or the Union Territory Pollution Control Committee.".

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II (I) (part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O. 695(E) dated the 4th April, 2011, S.O. 2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O. 674(E) dated the 13th March, 2013, S.O. 2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O. 637(E) dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601(E) dated 7th October, 2014 and S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382(E) dated 3rd February, 2015, S.O. 996(E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142(E) dated 17th April, 2015 and S.O. 1141(E) dated 29th April, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 15, 2016/पौष 25, 1937
No. 125]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 15, 2016/ PAUSA 25, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2016

का. आ. 141(अ).—एक प्ररूप अधिसूचना, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना, सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 में कतिपय और संशोधन करने के लिए सं. का.आ. 2588 (अ) तारीख 22 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 सितम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सुझावों या आक्षेपों पर सम्यक्त: विचार किया गया है ;

और दीपक कुमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2009 की विशेष अनुमति याचिका (सि) सं. 19628-19629 तारीख 27 फरवरी, 2012 में आई.ए.सं. 12-13, के आदेश के अनुसरण में खनन पट्टे के क्षेत्र पर विचार किए बिना लघु खनिजों के खनन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अब आज्ञापक हो गई है ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में ऐसे मामले जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करना अपेक्षित हो गया है, सारवान रूप से बढ़ गए है ;

और माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने बालू खनन के मामले में 13 जनवरी, 2015 के अपने आदेश द्वारा समूह में लघु खननों के खनन पट्टे की पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए नीति बनाने का निदेश दिया है ;

और राज्य सरकारों ने लघु खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभ्यावेदन दिए है ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श से भरणीय बालू खनन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए है जिसमें क्लस्टर के लिए पर्यावरणीय निकासी के उपबंधों, जिला

पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण के ब्यौरे दिए गए है और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं का स्त्रोत से गंतव्य तक खनन की गई सामग्रियों को ट्रेक करने में समर्थ होने में उपयोग करने का वर्णन किया गया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड **(v)** द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् **:-**

उक्त अधिसूचना में,-

(क) पैरा 2 में, **"**उक्त अनुसूची में**"** शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् **:-**

"और जिला स्तर पर उक्त अनुसूची में लघु खनिजों के खनन के लिए **'**ख2**'** प्रवर्ग के अधीन आने वाले मामलों के लिए जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए)**"**;

(ख) पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:-**

"3क. जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण **:-**

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीईआईएए कहा गया है) का गठन किया जाएगा जो चार सदस्यों के मिलकर बनेगा जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य सचिव है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर डीईआईएए का अध्यक्ष होगा।

(3) राज्य के संबंधित जिला मुख्यालय का उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय अधिकारी डीईआईएए का सदस्य सचिव होगा।

(4) डीईआईएए के अन्य दो सदस्य सबसे ज्येष्ठ प्रभागीय वन अधिकारी और एक विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञ को, यथास्थिति, प्रभाग के प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले विशेषज्ञ की पदावधि और अर्हताएं इस अधिसूचना के परिशिष्ट 7 में दी गई है।

(5) डीईआईएए के ऐसे सदस्य जो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सेवारत अधिकारी है सिवाय विशेषज्ञ सदस्य के पदेन सदस्य होंगे।

(6) जिला स्तरीय विशेषज्ञ निर्धारण समिति जिसे इसमें इसके पश्चात् डीईएसी कहा गया है ग्यारह सदस्यों से मिलकर बनेगी जिसके अंतर्गत एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव है।

(7) संबंधित राज्य सरकार के जिले या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में सबसे ज्येष्ठ कार्यपालक इंजीनियर, सिंचाई विभाग डीईएसी का अध्यक्ष होगा।

(8) खनन और भूविज्ञान विभाग में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिले का भूविज्ञानी डीईएसी का उस क्रम में सदस्य सचिव होगा।

(9) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि, जिले में सबसे ज्येष्ठ उप प्रभागीय अधिकारी (वन) सुदूर संवेदन विभाग या भूविज्ञान विभाग या राज्य भूजल विभाग का प्रतिनिधि, एक व्यवसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिला परिषद् से इंजीनियर और, यथास्थिति, प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ सदस्य डीईएसी के अन्य सदस्य होंगे। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले विशेषज्ञ की पदावधि और अर्हताएं इस अधिसूचना के परिशिष्ट 7 में दी गई है।

(10) डीईएसी के ऐसे सदस्य जो संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सेवारत अधिकारी है सिवाय विशेषज्ञ सदस्य के पदेन सदस्य होंगे।

(11) जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर किसी अभिकरण को डीईआईएए के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित करेंगे और डीईएसी उनको कानूनी कृत्यों के लिए सभी वित्तीय और लोजिस्टक सहायता प्रदान करेगी।

(12) डीईआईएए और डीईएसी समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे और शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(13) डीईएसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक दशा में एक मत पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सहमति नहीं होती है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।" ;

(ग) पैरा 4 में उप पैरा **(iii)** के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:-**

"(iv) **'ख2'** प्रवर्ग की पांच हेक्टेयर से कम या उसके बराबर लघु खनिज के खनन से संबंधित परियोजनाओं के लिए डीईआईएए से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी । डीईआईएए अपने विनिश्चय को इस अधिसूचना के लिए यथागठित डीईएसी की सिफारिशों पर आधारित करेगी ।**"** ;

(घ) पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् **:-**

"**5. स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और निर्धारण समितियां** :-

केन्द्रीय सरकार में वहीं विशेषज्ञ निर्धारण समितियां (ईएसी) राज्य या संघ राज्य स्तर पर एसईएसी और जिला स्तर पर डीईएसी प्रवर्ग **'क'**, **'ख1'**, **'ख2'**, प्रवर्ग की परियोजनाओं या कार्यकलापों की स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और निर्धारण तथा क्रमशः पांच हेक्टेयर से कम या उसके बराबर लघु खनिजों के खनन पट्टे की **'ख2'** प्रवर्ग की परियोजनाओं की स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और निर्धारण करेगी । ईएसी, एसईएसी और डीईएसी प्रत्येक मास कम से कम एक बार बैठक करेंगी ।

(क) ईएसी की संरचना परिशिष्ट 6 में दिए अनुसार होगी । राज्य या संघ राज्य स्तर पर एसईएसी का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से उसी प्रकार किया जाएगा । जिला स्तर पर डीईएसी का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा पैरा 3क में दी गई संरचना के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की पूर्व सहमति से प्रशासनिक सुविधा और लागत के कारणों से एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक एसईएसी का गठन कर सकेगी ।

(ग) ईएसी और एसईएसी का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

(घ) संबंधित ईएसी, एसईएसी और डीईएसी के प्राधिकृत सदस्य उस परियोजना या कार्यकलाप से संबंधित स्थल का जिसके लिए स्क्रीनिंग या स्कोपिंग या निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पर्यावरणीय निकासी की ईप्सा की गई है । परियोजना प्रस्तावक जो निरीक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, को कम से कम सात दिन की पूर्व सूचना देकर निरीक्षण कर सकेंगे ।

(ङ) ईएसी, एसईएसी और डीईएसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेंगे । अध्यक्ष प्रत्येक दशा में एक मत पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सहमति नहीं होती है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा । " ;

(ङ) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् **:-**

"**(6)** पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) के लिए आवेदन **:-**

कोई संनिर्माण कार्यकलाप करने या भूमि को तैयार करने या परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल पर खनन करने से पूर्व सभी मामलों में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की ईप्सा करने वाला आवेदन परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के लिए प्रस्तावित स्थल (स्थलों) की पहचान या कार्यकलापों जिनसे आवेदन संबंधित है की पहचान करने के पश्चात् इसके साथ उपाबद्ध प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क, यदि लागू हों, जैसा परिशिष्ट 2 में दिया गया है, में किया जाएगा और प्रवर्ग **'ख2'** परियोजनाओं के अधीन पांच हेक्टेयर तक लघु खनिजों के खनन के लिए प्ररूप1ड में किया जाएगा । परियोजना प्रस्तावक आवेदन के साथ पूर्व साध्यता परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति प्ररूप 1, प्ररूप 1क और प्ररूप1ड के साथ प्रस्तुत करेगा **;** और संनिर्माण परियोजनाओं या कार्यकलापों की दशाओं (अनुसूची की मद 8) अवधारणा योजना की एक प्रति पूर्व साध्यता रिपोर्ट के स्थान पर प्रस्तुत की जाएगी ।**"** **;**

(च) पैरा 7 में,-

(i) उप पैरा **(i)** में शीर्ष **"I** प्रक्रम (1)-स्क्रीनिंग **: "** , विद्यमान उप पैरा को उप पैरा **"**(क)**"** के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार अक्षरांकित उप पैरा के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:-**

"(ख) परिशिष्ट 9 में यथाविनिर्दिष्ट मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्रदान की जाएगी ।" ;

(ii) उप पैरा 7**(ii)** के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:-**

"7 (iii) **बालू खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना** :

(क) खनन या नदी तट खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट 10 में दी गई है ।

(ख) लघु खनिजों के खनन जिसके अंतर्गत समूह अवस्थिति भी है, के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट 11 में दी गई है ।" ;

(छ) पैरा 8 में,-

(i) "ईएसी या एसईएसी" अक्षरों और शब्द के स्थान पर "ईएसी या एसईएसी या डीईएसी" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर "विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) पैरा 9 में, उप पैरा (i) में, -

"विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर "विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) पैरा 10 में, उप पैरा **(iii)** के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् **:-**

"(iv) बालू खनन या नदी तट खनन और मानीटरी की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट 12 में दी गई है । ";

(ञ) पैरा 11 में,-

"विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्द जहां-जहां वे आते है, के स्थान पर "विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ट) अनुसूची में,-

(i) मद 1(क) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात् **:-**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(क)	(i) खनिजों का खनन	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में ≥50 खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में >150 खनन पट्टा क्षेत्र खनन क्षेत्र तक विचार किए बिना अज़बेस्टो	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में <50 खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में ≤150 खनन पट्टा क्षेत्र	सिवाय निम्नलिखित के साधारण शर्तें लागू होंगी: (i) प्रवर्ग 'ख2' लघु खनिजों के खनन (25 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र तक) के लिए परियोजना या कार्यकलाप ; (ii) अंतरराज्यीय सीमा के लेखें नदी

		का खनन		तट खनन परियोजनाएं। **टिप्पण :** (1) खनिज के पूर्वेक्षण को छूट दी गई है। "; (2) लघु खनिजों जिसके अंतर्गत समूह अवस्थिति है, के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट 11 में दी गई है। "; (3) ऐसे खनन पट्टे जिन्होंने पर्यावरण निकासी, पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 1994 और पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन अभिप्राप्त की है, के लिए नई पर्यावरणीय अनापत्ति नवीकरण के दौरान प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं होगी परंतु यह कि परियोजना के पास विधिमान्य और विद्यमान पर्यावरणीय अनापत्ति हो।
	(ii) पिच्छल पाइप लाईनें (कोयला लिगनाइट और अन्य अयस्क) जो राष्ट्रीय उद्यानों या अभ्यारण्यों या कोरल रीफ, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों से गुजरती है।	सभी परियोजनाएं।		

(ठ) परिशिष्ट 6 के पश्चात् निम्नलिखित परिशिष्ट अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परिशिष्ट 7"

(पैरा 3क देखें)

डीईआईएए और डीईएसी में विशेषज्ञों की अर्हताएं और निबंधन

1. अर्हता : व्यक्ति के पास कम से कम **(i)** संबंधित विषय में पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण होना चाहिए जिसकी परिणीति एम.ए. या एम.एस.सी. डिग्री के रूप में हों या **(ii)** इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/अभिन्यास विषय की दशा में उस क्षेत्र में विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण के साथ चार वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जिसकी परिणीति बी.टेक./बी.ई./बी.आर्क. डिग्री के रूप में या **(iii)** अन्य व्यवसायिक डिग्री (अर्थात् एम.बी.ए. आदि) जिसमें कुल पांच वर्ष का औपचारिक विश्वविद्यालय प्रशिक्षण और विहित व्यवहारिक प्रशिक्षण अंतर्वलित हों या **(iv)** विहित शिक्षुता/आर्टिकल शिप और संबंधित व्यवसायिक संगमों द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण (अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंसी) या **(v)** विश्वविद्यालय डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय या सेवा अकादमी (अर्थात् एम.बी.ए./ एम.पी.ए.) आदि के पश्चात् दो वर्ष का औपचारिक प्रशिक्षण । व्यष्टिक व्यवसायियों का चयन करते समय उनके द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में अर्जित अनुभव का ध्यान रखा जाएगा ।

2. विशेषज्ञ : पूर्वोक्त पात्रता मानदंड को पूरा करने वाला व्यवसायी जिसके पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो या कम से कम पांच वर्ष के सुसंगत अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में उन्नत डिग्री (अर्थात् पी.एच.डी.)।

3. आयु : सत्तर वर्ष से कम । तथापि किसी दिए गए क्षेत्र में विशेषज्ञों की अनुपलब्धता या कमी की दशा में अधिकतम आयु को पचहत्तर वर्ष तक अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

4. क्षेत्र : खनन, भूविज्ञान, जल विज्ञान, सुदूर संवेदन पर्यावरण क्वालिटी, पर्यावरण संघात निर्धारण प्रक्रिया, जोखिम निर्धारण, जीव विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वाणिकी और वन्य जीवन, पर्यावरण अर्थशास्त्र, जैव विभिन्नता और नदी पारिस्थितिकी ।

5. पदावधि : विशेषज्ञ सदस्यों की अधिकतम पदावधि दो पदावधियों में तीन वर्ष होगी ।

6. विशेषज्ञ सदस्य को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व बिना कारण और उचित जांच के नहीं हटाया जाएगा ।

परिशिष्ट 8
(पैरा 6 देखें)
प्ररूप 1ड

पांच हेक्टेयर से कम और उसके बराबर प्रवर्ग 'ख2' के अधीन लघु खनिजों के खनन के लिए आवेदन

(I) मूल सूचना

(i) खनन पट्टा स्थल का नाम :

(ii) अवस्थिति/स्थल (जीपीएस समन्वयक):

(iii) खनन पट्टे का आकार (हेक्टेयर):

(iv) खनन पट्टे की क्षमता (टीपीए):

(v) खनन पट्टे की कालावधि :

(vi) परियोजना की अनुमानित लागत:

(vii) संपर्क सूचना:

पर्यावरण संवेदनशीलता

क्रम सं.	क्षेत्र	किलोमीटर में दूरी / ब्यौरे
1.	निकटतम रेल या संबंधित नदी, उप नदी, नाले आदि के ऊपर पुल से परियोजना की दूरी	

2.	अवसंरचना प्रसुविधा से दूरी रेलवे लाईन राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य राजमार्ग प्रमुख जिला सड़क कोई अन्य सड़क वैद्युत पारेषण लाईन खंभा या टावर नहर या चैक बांध या जलाशय या झील या तालाब पेयजल पंप हाउस के लिए अन्तर्ग्रहण सिंचाई नहर पंपों के लिए अन्तर्ग्रहण	
3.	अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों, राष्ट्रीय या स्थानीय विधान के अधीन अपनी पारस्थितिकी, भूदृश्य, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्य के लिए संरक्षित क्षेत्र	
4.	ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी कारणों से महत्वपूर्ण या संवेदनशील हैं—आर्द्रभूमि, जलमार्ग या अन्य जल निकाय, तटीय क्षेत्र, जीव मंडल, पर्वत, वन	
5.	प्राणी या वनस्पति प्रजातियों के उनके प्रजनन, घोंसलों, चराई, आराम के लिए सर्दियों में, प्रवास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले संरक्षित, महत्वपूर्ण या संवेदनशील क्षेत्र	
6.	अंतर्देशीय, तटीय, समुद्री या भूगर्भीय जल	
7.	राज्य, राष्ट्रीय सीमाएं	
8.	पब्लिक द्वारा मनोरंजन या अन्य पर्यटन, धार्मिक स्थलों तक पहुंच के लिए उपयोग किए जाने वाले मार्ग या सुविधाएं	
9.	रक्षा संस्थापन	
10.	गहन जनसंख्या या निर्मित क्षेत्र, निकटतम मानव पर्यावास से दूरी	
11.	मानव निर्मित संवेदनशील भू-उपयोग के अधिभोग में क्षेत्र (अस्पताल, स्कूल, पूजास्थल, सामुदायिक सुविधाएं)	
12.	ऐसे क्षेत्र जिनमें महत्वपूर्ण उच्च क्वालिटी या दुर्लभ स्रोत विद्यमान है (भूजल स्रोत, भू-स्रोत, वानिकी, कृषि, मछली उद्योग, पर्यटन, खनिज)	
13.	ऐसे क्षेत्र जिनमें पहले से ही प्रदूषण या पर्यावरण नुकसान हुआ है (ऐसे क्षेत्र जहां विद्यमान विधि पर्यावरणीय मानकों से परे कार्य किया गया है)	
14.	ऐसे क्षेत्र जो प्राकृतिक संकटों के प्रति अति संवेदनशील हैं जिससे परियोजना द्वारा पर्यावरणीय समस्याएं उपस्थित हो सकती हैं (भूकंप, अवतलन, भूस्खलन, अवक्षयन, बाढ़ या अत्यधिक या प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन)	
15.	क्या प्रस्तावित खनन स्थल के लिए भूजल रिचार्ज के लिए विदर/ दरार के पास अवस्थित है	
16.	क्या प्रस्ताव में निम्नलिखित विनियमों या अधिनियमों के अधीन अनुमोदन या निकासी अंतर्वलित है, अर्थात्:— (क) वन (परिरक्षण) अधिनियम, 1980;	

	(ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; (ग) तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011. यदि हां, तो उनके ब्यौरे और परिस्थिति दी जानी है।	
17.	अंतर्वलित वन भूमि (हेक्टेयर)	
18.	क्या परियोजना और/या भूमि जिसमें परियोजना स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, के विरुद्ध कोई मुकद्दमेबाजी लंबित है ? (क) न्यायालय का नाम (ख) वाद संख्या (ग) न्यायालय के आदेश या निदेश, यदि कोई हों और उनकी प्रस्तावित परियोजना के लिए संगतता।	

(नाम और पते के साथ परियोजना प्रस्तावक के हस्ताक्षर)

परिशिष्ट 9

[पैरा 7 (i)(ख) देखें]

कतिपय मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :—

1. साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैंप, खिलौने आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मिट्टी की टाइलें बनाने वालों द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्त्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में सामुदायिक कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गांरटी स्कीमों, अन्य सरकारी प्रायोजित स्कीमों तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों, बांधों का संनिर्माण।
6. बांधों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
7. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं.जीयू/90(16)/एमसीआर-2189 (68)/5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड़ द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
8. सिंचाई या पेयजल के लिए कुंओं की खुदाई।
9. ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
10. जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
11. ऐसे कार्यकलाप जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकारी की सहमति से गैर खननकारी कार्यकलाप घोषित किया है।

परिशिष्ट - 10

[पैरा 7 (iii) (क) देखें]

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रक्रिया

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित का सुनिश्चय करना है :

भूमिवृद्धि या जमाव के क्षेत्रों की पहचान जहां खनन को अनुज्ञात किया जा सकता है ; और अपक्षरण के क्षेत्रों की पहचान तथा उसकी अवसंरचना, ढांचों और संस्थापनों से निकटता जहां खनन को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए तथा फिर से भराव की वार्षिक दर की संगणना तथा क्षेत्र में खनन के पश्चात् भराव के लिए अनुज्ञात समय।

रिपोर्ट का निम्नलिखित ढांचा होगा :

1. प्राक्कथन
2. जिले में खनन कार्यकलापों पर विहंगम दृष्टि
3. अवस्थिति, क्षेत्र और विधिमान्यता का कालावधि के साथ जिले में खनन पट्टों की सूची
4. पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त स्वामिस्व या राजस्व के ब्यौरे
5. पिछले तीन वर्षों के दौरान बालू या बजरी के उत्पादन के ब्यौरे
6. जिले की नदियों में तलछटों के जमाव की प्रक्रिया
7. जिले का सामान्य प्रोफाइल
8. जिले में भूमि के उपयोग का पैटर्न : वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि
9. जिले की भू-भौगोलिकी
10. वर्षा : मास-वार
11. जियोलोजी और खनिज संपदा

उपरोक्त के अतिरिक्त, रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा :

(क) नदी या धाराओं का जिलावार ब्यौरा और बालू के अन्य स्रोत।
(ख) जिलावार बालू या पत्थरों की उपलब्धता या समग्र संसाधन।
(ग) जिलावार बालू के विद्यमान खनन पट्टों के ब्यौरे तथा समग्र।

डीईआईएए द्वारा जिले में जियोलोजी विभाग या सिंचाई विभाग या वन विभाग या लोक निर्माण विभाग या भूजल बोर्ड या सुदूर संवेदन विभाग या खनन विभाग आदि की सहायता से एक सर्वेक्षण किया जाएगा।

मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली

क्रम सं.	नदी का नाम	निकासी क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	जिले में निकासी किया गया % क्षेत्र

महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं :

क्रम सं.	नदी या धारा का नाम	जिले में कुल दूरी (कि.मी. में)	उद्गम का स्थान	उद्गम पर ऊंचाई

खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (कि.मी. में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खनन योग्य खनिज संभावना (मीट्रिक टन में) (कुल खनिज संभावना का 60%)

खनिज संभावना

बोल्डर (एमटी)	बजरी (एमटी)	बालू (एमटी)	कुल खनन योग्य खनिज संभावना (एमटी)

वार्षिक जमाव

क्रम सं.	नदी या धारा	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (कि.मी. में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खनन योग्य खनिज संभावना (मीट्रिक टन में) (कुल खनिज संभावना का 60%)
जिले के लिए योग						

उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट सिंचाई विभाग से अधिकारियों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति, बन विभाग जियोलोजी या खनन अधिकारी से मिलकर बनने वाली उप प्रभागीय समिति ऐसे प्रत्येक स्थल का भ्रमण करेगी जिसके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन किया गया है और खनन के लिए या खनन का प्रतिषेद्ध करने के लिए स्थल की उपयोगिता पर सिफारिश करेगी ।

खनिज संभावना की संगणना के लिए अंगीकृत विधि :

खनिज संभावना की संगणना क्षेत्र की जांच और नदी या धाराओं के आवाह क्षेत्र की जियोलोजी के आधार पर की जाती है । स्थल की स्थिति और अवस्थिति के अनुसार खनन योग्य खनिजों की गहराई को परिभाषित किया जाता है । किसी नदी या धारा में खनिजों को हटाने के क्षेत्र का विनिश्चय जियो-मोर्फोलोजी और अन्य कारकों पर निर्भर करता है । यह किसी विशिष्ट नदी या धारा में क्षेत्र का पचास प्रतिशत से साठ प्रतिशत तक हो सकता है । उदाहरण के लिए कुछ पहाड़ी राज्यों में खनिज संघटक जैसे बोल्डर, नदी से बजरी, बालू को एक मीटर की गहराई तक स्त्रोत खनिज माना जा सकता है । अन्य संघटक जैसे क्ले और गाद को किसी विशिष्ट नदी या धारा की खनिज संभावना की संगणना करते समय अपशिष्ट के रूप में अपवर्जित किया जाता है ।

जिले में प्रत्येक लघु खनिज के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पृथक् रूप से तैयार की जाएगी और इसके प्रारूप को कोलेक्टोरेट में इसकी प्रति को रखते हुए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा तथा इसे जिले की वेबसाइट पर इक्कीस दिन के लिए पोस्ट किया जाएगा। प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें डीईआईएए द्वारा छः मास के भीतर अंतिम रूप दी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय अनापत्ति रिपोर्टों को तैयार करने और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आवेदन का आधार होगी। रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में अद्यतन किया जाएगा।

परिशिष्ट - 11

[पैरा 7 (iii) (ख) देखें]

समूह सहित लघु खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की प्रक्रिया

समूह अवस्थिति सहित लघु खनिजों के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए निम्नलिखित नीति का अनुसरण किया जाएगा :-

(1). राज्यों (वर्णीय बालू खनन मार्गदर्शक सिद्धांत) द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा उपदर्शित करता है कि लघु खनिजों के लिए अधिकांश खनन पट्टे पांच हेक्टेयर से कम पट्टा क्षेत्र के लिए है। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि पहाड़ी राज्यों में पांच हेक्टेयर से अधिक नदी के भाग को प्राप्त करना बहुत असामान्य है। इसलिए लघु खनिजों के लिए पट्टे का आकार जिसके अंतर्गत नदी बालू खनन है, का अवधारण राज्यों द्वारा उनकी परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा।

(2). लघु खनिजों का अधिकाशतः खनन समूहों में है। पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को समस्त समूह के लिए तैयार करने की आवश्यकता है ताकि सभी संभावित बाह्यताओं को लिया जा सके। इन रिपोर्टों में समूह की वहन क्षमता, परिवहन और संबंधित मुद्दे पुनः भराव और रिचार्ज मुद्दों, समूह क्षेत्र का भूजलीय अध्ययन शामिल होगा। पर्यावरणीय संघात निर्धारण या पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को राज्य या राज्य द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण या परियोजना प्रस्तावकों द्वारा समूह में या समूह के समर्थकों द्वारा तैयार किया जाएगा।

(3). संपूर्ण समूह के लिए एक लोक परामर्श होगा जिसके पश्चात् समूह के लिए अंतिम अंतिम पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

(4). पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन किया जाएगा और उसे व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावक को जारी किया जाएगा। समूह में व्यष्टिक पट्टा धारक उसी पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना का पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करने में उपयोग कर सकते है। समूह पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को आवश्यकता के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया जाएगा।

(5). पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को उस समूह में प्रत्येक पर्यावरण अनापत्ति में उपदर्शित किया जाएगा और डीईएसी, एसईएसी और ईएसी यह सुनिश्चित करेंगे कि पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना से न्यूनीकरण उपाय अध्ययन को व्यष्टिक परियोजना प्रस्तावकों की उस समूह में पर्यावरणीय अनापत्ति में उपदर्शित किया जाए।

(6). किसी समूह का तब निर्माण किया जाएगा जब किसी पट्टे की सीमाओं के बीच दूरी किसी अन्य पट्टे की सीमा से किसी एक समान खनिज क्षेत्र में 500 मीटर से कम हो।

(7). प्ररूप 1ड, पूर्व साध्यता रिपोर्ट और लघु खनिजों के खनन के लिए प्रवर्ग 'ख2' परियोजना प्रवर्ग के लिए खनन योजना को रजिस्ट्रीकृत अर्हित व्यक्ति या भारत की क्वालिटी परिषद् के प्रत्ययित सलाहकारों, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यय बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख1' परियोजनाओं के लिए पर्यावरण संघात निर्धारण या पर्यावरण प्रबंधन योजना को भारत की क्वालिटी परिषद् के प्रत्ययित सलाहकारों, राष्ट्रीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रत्यय बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा।

(8). एसईआईएए के पास डीईआईएए पर पर्यवेक्षणीय आधिकारिता होगी और डीईआईएए के विनिश्चयों की एसईआईएए द्वारा किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समीक्षा की जाएगी।

लघु खनिजों जिसके अंतर्गत समूह स्थिति है की पर्यावरणीय निकासी के लिए अपेक्षाओं का स्कीमटाइज्ड प्रस्तुतीकरण

पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	परियोजना का प्रवर्ग	ईआईए / ईएमपी की अपेक्षा	लोक सुनवाई की अपेक्षा	ईसी की अपेक्षा	जो ईआईए / ईएमपी तैयार कर सकता है	ईसी के लिए कौन आवेदन करेगा	ईसी का मूल्यांकन/ अनुदत्त करने के लिए प्राधिकारी	ईसी की अनुपालना की मानीटरी करने के लिए प्राधिकारी
व्यष्टिक खनन पट्टे के आधार पर बालू खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए ईसी प्रस्ताव								
0 – 5ha	**'ख2'**	प्ररूप – 1एम, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	डीईआईएए एसआईएए एसपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी एमओईएफएफ द्वारा नामनिर्देशित अभिकरण
> 5 ha और < 25 ha	**'ख2'**	प्ररूप –I, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना तथा ईएमपी	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	सीईएसी / एसआईएए	
≥ 25ha और < 50ha	**'ख1'**	हां	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	सीईएसी/ सीआईएए	
≥ 50 ha	**'क'**	हां	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	
समूह स्थिति में बालू, खनन और अन्य लघु खनिज खनन के लिए ईसी प्रस्ताव								
5 ha तक खनन पट्टे का समूह क्षेत्र	**'ख2'**	प्ररूप –I, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना तथा ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए/	एमओईएफसीसी द्वारा नामनिर्दिष्टडीईआईएए एसईआईए एसपीसीबी सीपीसीबी अभिकरण
> 5 ha तक खनन पट्टे का	**'ख2'**	प्ररूप –I, पीएफआर और	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए/	

समूह क्षेत्र और < 25 ha बिना किसी व्यष्टिक पट्टे के > 5 ha		अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टों के लिए एक ईएमपी			प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक			
व्यष्टिक पट्टा आकार < 50ha हेक्टेयर के साथ ≥ 25 से खनन पट्टे का समूह	**'ख1'**	हां	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण , परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	सीईएसी/ एसईआईए	
≥ 50ha से किसी व्यष्टिक पट्टे के आकार का कोई समूह	**'क'**	हां	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	

परिशिष्ट - XII

[पैरा 10 (iv) देखें]

बालू खनन या नदी तट खनन की मानीटरी की प्रक्रिया

1. परिवहन अनुज्ञा पत्र के सुरक्षा अभिलक्षण नीचे दिए अनुसार है :

(क) भारतीय बैंक संगम द्वारा अनुमोदित चुंबकीय स्याही अक्षर पहचान (एमआईसीआर) कोड पेपर पर मुद्रित

(ख) विशिष्ट बारकोड

(ग) विशिष्ट त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड

(घ) फ्युजिटिव इंक पृष्ठभूमि

(ङ) अदृश्य इंक चिन्ह

(च) वाय्ड पैंटओग्रॉफ

(छ) वॉटरमार्क

2. खनन पट्टा स्थल पर अपेक्षा :

(क) छोटे आकार का प्लाट (5 हेक्टेयर तक): एंडरायड आधारित स्मार्ट फोन

(ख) बड़े आकार के प्लाट (5 हेक्टेयर से अधिक): सीसीटीवी कैमरा, पर्सनल कंप्यूटर (पीसी), इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप

(ग) खनन पट्टा स्थल का पहुंच नियंत्रण

(घ) इस्तेमाल किए गए वाहन के ट्रेलर के आयतन के आधार पर खनन किए गए खनिज के भार को तोलने के लिए प्रबंध या अनुमानित भार।

3. परिवहन अनुज्ञापत्र या रसीद की स्कैनिंग और उसे सर्वर पर अपलोड करना :

(क) वेबसाईट: खनन स्थल पर रसीद की स्कैनिंग, बारकोड स्कैनर और कंप्यूटर के माध्यम से सोफ्टवेयर का इस्तेमाल करके की जा सकती है ;

(ख) एंडरायड अनुप्रयोग : खनन स्थल पर स्कैनिंग, स्मार्ट फोन का उपयोग करके एंडरायड अनुप्रयोग द्वारा की जा सकती है। इसके लिए सिमकार्ड पर इंटरनेट की उपलब्धता की अपेक्षा होगी ;

(ग) एसएमएस : सर्वर पर परिवहन अनुज्ञापत्रों या रसीद को मोबाइल फोन के माध्यम से एसएमएस भेजकर अपलोड किया जाएगा। एक बार परिवहन अनुज्ञापत्र या रसीद को अपलोड करने पर अपनी विधिमान्यता की अवधि के साथ एक विशिष्ट बीजक कोड सृजित हो जाता है।

4. प्रणाली का प्रस्तावित कार्यकरण :

राज्य खनन विभाग को परिवहन अनुज्ञापत्र या रसीद को ऊपर पैरा 1 में उपदर्शित सुरक्षा अभिलक्षणों के साथ मुद्रित करना चाहिए और उन्हें जिला कलक्टर के माध्यम से पट्टा धारक को जारी किया जाएगा। एक बार इन परिवहन अनुज्ञापत्रों या रसीदों को जारी करने के पश्चात् उन्हें खनन पट्टा क्षेत्र के विरुद्ध सर्वर पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक रसीद अधिमानतः पूर्व नियत मात्रा के साथ होनी चाहिए ताकि जारी की गई रसीदों के लिए कुल मात्रा का अवधारण किया जा सके।

जब परिवहन अनुज्ञापत्र या रसीद का बारकोड स्कैन हो जाता है और बीजक का सृजन कर दिया जाता है जिससे विशिष्ट बारकोड का इस्तेमाल होता है और उसकी विधिमान्यता के समय को सर्वर पर अभिलिखित कर दिया जाता है। ताकि खनन की गई सामग्री के परिवहन के सभी ब्यौरों को सर्वर पर रखा जा सकें और परिवहन अनुज्ञापत्र या रसीद का पुनः इस्तेमाल नहीं किया जा सके।

5. मार्ग पर जांच :

खनन किए गए खनिजों को ले जाने वाले यानों की जांच करने के प्रयोजन के लिए तैनात कर्मचारिवृंद को परिवहन अनुज्ञापत्र या रसीद की वेबसाइट, एंडरायड अनुप्रयोग और एसएमएस का उपयोग करके उन्हें स्कैन करने की स्थिति में होना चाहिए।

6. यानों का खराब हो जाना :

यान के खराब होने की दशा में परिवहन अनुज्ञापत्र या रसीद की विधिमान्यता का चालक द्वारा यान के खराब हो जाने की रिपोर्ट करने के लिए विशिष्ट फोरमेट में एसएमएस भेजकर विस्तार किया जाएगा। सर्वर इस सूचना को रजिस्टर करेगा और खराब होने को रजिस्टर करेगा। राज्य एक काल सेंटर की भी स्थापना कर

सकता है जो ऐसे यानों के खराब होने को रजिस्टर कर सकता है तथा वैधता की अवधि का विस्तार कर सकता है। यान के पश्चात्वर्ती ठीक होने की भी इसी प्रकार सर्वर या काल सेंटर में रिपोर्ट की जानी चाहिए।

7. यानों की ट्रैकिंग :

यान के स्रोत से गंतव्य तक के मार्ग को जांच बिंदुओं, आरएफआईडी टैगों और जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता हैं।

8. चौकसी या रिपोर्ट सृजन और कार्रवाई समीक्षा :

प्रणाली दैनिक उठाई रिपोर्ट, यान लोग या इतिहास, आबंटन के विरुद्ध उठाई और कुल उठाई जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर प्राधिकारियों को आवधिक रिपोर्ट विकसित करने में समर्थ करेगी। प्रणाली का उपयोग आटोमेल या एसएमएस सृजित करने के लिए किया जा सकता है। इससे जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट सभी सुसंगत ब्यौरे प्राप्त करने में समर्थ होंगे और इससे प्राधिकारी किसी अनियमितता में लिप्त पाए गए किसी स्थल से स्कैनिंग सुविधा को रोकने में समर्थ होंगे। जब भी कोई प्राधिकारी अवैध बालू का परिवहन करने वाले किसी यान को अंतररुद्ध करता है तो वह सर्वर पर रजिस्ट्रीकृत हो जाएगा और अधिकारी के लिए की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट करना आज्ञापक होगा। प्रत्येक अंतररुद्ध किए गए यान को ट्रैक किया जाएगा।

खनन किए गए खनिज, पर्यावरणीय अनापत्त शर्तों और पर्यावरण प्रबंधन योजना के प्रवर्तन की मानीटरी का डीईआईएए, एसईआईएए और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति द्वारा सुनिश्चिय किया जाएगा। ऊपर परकल्पित मानीटरी इंतजामों को तीन मास से पूर्व लागू किया जाएगा। पर्यावरणीय अनापत्ति शर्तों के प्रवर्तन की मानीटरी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट अभिकरण द्वारा किया जाएगा। "।

[सं. जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं द्वारा किया गया :-

1. का.आ. 1737(अ) तारीख 11 अक्टूबर 2007;
2. का.आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर 2009;
3. का.आ. 695(अ) तारीख 4 अप्रैल 2011;
4. का.आ. 2896(अ) तारीख 13 दिसम्बर 2012;
5. का.आ. 674(अ) तारीख 13 मार्च 2013;
6. का.आ. 2204(अ) तारीख 19 जुलाई 2013;
7. का.आ. 2555(अ) तारीख 21 अगस्त 2013;
8. का.आ. 2559(अ) तारीख 22 अगस्त 2013;
9. का.आ. 2731(अ) तारीख 9 सितंबर 2013;

10 का.आ. 562(अ) तारीख 26 फ़रवरी 2014;

11. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फ़रवरी 2014;

12. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून 2014;

13. का.आ. 2601(अ) तारीख 7 अक्टूबर 2014;

14. का.आ. 2600(अ) तारीख 9 अक्टूबर 2014

15. का.आ. 3252(अ) तारीख 22 दिसम्बर 2014;

16. का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015;

17. का.आ. 811(अ) तारीख 23 मार्च, 2015;

18. का.आ. 996(अ) तारीख 10 अप्रैल 2015;

19. का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अप्रैल 2015;

20. का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अप्रैल 2015;

21. का.आ. 1834(अ) तारीख 6 जुलाई 2015;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2016

S.O. 141(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, issued *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September 2006, was published under sub-rule (3) of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide number S.O. 2588(E), dated 22nd September, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication on which copies of Gazette containing the said notification were available to the public;

And whereas, copies of said notification were made available to the public on 22nd September 2015;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, in pursuance to the order of Hon'ble Supreme Court dated the 27th February, 2012 in I.A. No.12-13 of 2011 in Special Leave Petition (C) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior environmental clearance has now become mandatory for mining of minor minerals irrespective of the area of mining lease;

And whereas, as a result of the above said Order of Hon'ble Supreme Court, the number of cases which are now required to obtain prior environmental clearance has increased substantially;

And whereas, the Hon'ble National Green Tribunal, *vide* its order dated the 13th January, 2015 in the matter regarding sand mining has directed for making a policy on environmental clearance for mining leases in cluster for minor minerals;

And whereas, the State Governments have represented for streamlining the process of environmental clearance for mining of minor mineral;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in consultation with State Governments has prepared Guidelines on Sustainable Sand Mining detailing the provisions on environmental clearance for cluster, creation of District Environment Impact Assessment Authority and proper monitoring of sand mining using information technology and information technology enabled services to track the mined out material from source to destination;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification,-

(a) in paragraph 2, after the words "in the said Schedule", the following words shall be inserted, namely:-

"and at District level, the District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) for matters falling under Category 'B2' for mining of minor minerals in the said Schedule";

(b) after paragraph 3, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"3 A. District Level Environment Impact Assessment Authority:-

(1) A District Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the DEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of four members including a Chairperson and a Member-Secretary.

(2) The District Magistrate or District Collector shall be the Chairperson of the DEIAA.

(3) The Sub-Divisional Magistrate or Sub-Divisional Officer of the district head quarter of the concerned district of the State shall be the Member-Secretary of the DEIAA.

(4) The other two members of the DEIAA shall be the senior most Divisional Forest Officer and one expert. The expert shall be nominated by the Divisional Commissioner of the Division or Chief Conservator of Forest, as the case may be. The term and qualifications of the expert fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.

(5) The members of the DEIAA who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be *ex-officio* members except the expert member.

(6) The District Level Expert Appraisal Committee hereinafter referred to as the DEAC shall comprise of eleven members, including a Chairman and a Member-Secretary.

(7) The senior most Executive Engineer, Irrigation Department in the district of respective State Governments or Union territory Administration shall be the Chairperson of the DEAC.

(8) The Assistant Director or Deputy Director of the Department of Mines and Geology or District Mines Officer or Geologist of the district shall be the Member-Secretary of the DEAC in that order.

(9) A representative of the State Pollution Control Board or Committee, senior most Sub-Divisional Officer (Forest) in the district, representative of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water Department, one occupational health expert or Medical Officer to be nominated by the District Magistrate or District Collector, Engineer from Zila Parishad, and three expert members to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest, as the case may be, shall be the other members of the DEAC. The term and qualifications of the experts fulfilling the eligibility criteria are given in Appendix VII to this notification.

(10) The members of the DEAC who are serving officers of the concerned State Government or the Union territory Administration shall be *ex-officio* members except the expert members.

(11) The District Magistrate or District Collector shall notify an agency to act as Secretariat for the DEIAA and the DEAC and shall provide all financial and logistic support for their statutory functions.

(12) The DEIAA and DEAC shall exercise the powers and follow the procedure as specified in the said notification, as amended from time to time.

(13) The DEAC shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail. ";

(c) in paragraph 4, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(iv) The 'B2' Category projects pertaining to mining of minor mineral of lease area less than or equal to five hectare shall require prior environmental clearance from DEIAA. The DEIAA shall base its decision on the recommendations of DEAC, as constituted for this notification." ;

(d) for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government, SEACs at the State or Union territory level and DEAC at the district level shall screen, scope and appraise projects or activity in category 'A', 'B1 and B2' and 'B2' projects for mining of minor minerals of lease area less than and equal to five hectare respectively. EAC, SEACs and DEACs shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union

territory Administration with identical composition. DEAC at the district level shall be constituted by the Central Government as per the composition given in paragraph 3 A.

(b) The Central Government may with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administration constitute one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost.

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years.

(d) The authorised members of the EAC, SEACs and DEACs concerned, may inspect any site connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought for the purpose of screening or scoping or appraisal with prior notice of at least seven days to the project proponent who shall provide necessary facilities for the inspection.

(e) The EAC, SEACs and DEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case and if consensus cannot be reached the view of the majority shall prevail.";

(e) for paragraph 6, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made by the project proponent in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II after the identification of prospective site (s) for the project and/or activities to which the application relates; and in Form 1M for mining of minor minerals up to five hectare under Category 'B2' projects, as given in Appendix VIII, before commencing any construction activity, or preparation of land, or mining at the site by the project proponent. The project proponent shall furnish along with the application, a copy of the pre-feasibility project report, in addition to Form 1, Form 1A, and Form 1M; and in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule), a copy of the conceptual plan shall be provided instead of pre-feasibility report.";

(f) in paragraph 7,-

(i) in sub-paragraph (i), under the heading "I. Stage (1)- Screening:", the existing sub-paragraph shall be lettered as sub-paragraph "(A)" and after sub-paragraph as so lettered, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(B) The cases as specified in Appendix IX shall be exempted from prior environmental clearance." ;

(ii) after sub-paragraph 7 (ii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"7 (iii) Preparation of District Survey Report for Sand Mining or River Bed Mining and Mining of other Minor Minerals:

(a) The prescribed procedure for preparation of District Survey Report for sand mining or river bed mining and mining of other minor minerals is given in Appendix X.

(b) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI.";

(g) in paragraph 8,-

(i) for the letters and word "EAC or SEAC", the words and letters "EAC or SEAC or DEAC" shall be substituted;

(ii) for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee" wherever they occur, the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted;

(h) in paragraph 9, in sub-paragraph (i),-

for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee", the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted;

(i) in paragraph 10, after sub-paragraph (iii), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(iv) The prescribed procedure for sand mining or river bed mining and monitoring is given in Appendix XII.";

(j) in paragraph 11, -

for the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee", the words "Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee" shall be substituted;

(k) in the Schedule,-

(i) for item 1 (a) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"1(a)	(i) Mining of minerals	≥50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease >150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease Asbestos mining	<50 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease ≤150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease	General Conditions shall apply except: (i) for project or activity of mining of minor minerals of Category 'B2' (up to 25 ha of mining lease area); (ii) River bed mining projects on account of inter-state boundary.

		irrespective of mining area		**Note:** (1) Mineral prospecting is exempted. ''; (2) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI."; (3) The mining leases which have obtained environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 1994 and Environment Impact Assessment Notification, 2006 shall not require fresh environmental clearance during renewal provided the project has valid and subsisting environmental clearance.
	(ii) Slurry pipelines (coal lignite and other ores) passing through national parks or sanctuaries or coral reefs, ecologically sensitive areas.	All projects.		

(l) after Appendix VI, the following appendices shall be inserted, namely:-

"APPENDIX VII

(See paragraph 3 A)

Qualifications and terms for the Experts in DEIAA and DEAC

1. **Qualification:** The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA or M Sc Degree or (ii) in case of Engineering/ Technology/ Architectural discipline, 4 years formal training course together with prescribed practical training in the field leading to a B. Tech/ B.E./ B. Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. MBA etc.) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/ article ship and pass examinations conducted by the concerned professional associations (e.g. Chartered Accountancy) or (v) a University degree, followed by two years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/MPA etc.). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.
2. **Expert:** A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 10 years of relevant experience in the field or with an advanced degree (e.g. Ph. D) in a concerned field with at least 5 years of relevant experience.
3. **Age:** Below 70 years. However, in the event of non-availability of paucity of experts in a given field, the maximum age of a member may be allowed up to 75 years.
4. **Fields:** Experts in Mining, Geology, Hydrology, Remote Sensing, Environment Quality, Environment Impact Assessment Process, Risk Assessment, Life Sciences, Marine Sciences, Forestry and Wildlife, Environmental Economics, Bio-diversity, and River Ecology.

5. **Tenure:** The maximum tenure of expert members shall be for two terms of three years each.

6. The Expert Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

APPENDIX VIII
(See paragraph 6)
FORM 1 M
APPLICATION FOR MINING OF MINOR MINERALS UNDER CATEGORY 'B2' FOR LESS THAN AND EQUAL TO FIVE HECTARE

(II) Basic Information
(viii) Name of the Mining Lease site:
(ix) Location / site (GPS Co-ordinates):
(x) Size of the Mining Lease (Hectare):
(xi) Capacity of Mining Lease (TPA):
(xii) Period of Mining Lease:
(xiii) Expected cost of the Project:
(xiv) Contact Information:

Environmental Sensitivity

Sl. No.	Areas	Distance in kilometer / Details
1.	Distance of project site from nearest rail or road bridge over the concerned River, Rivulet, Nallah etc.	
2.	Distance from infrastructural facilities Railway line National Highway State Highway Major District Road Any Other Road Electric transmission line pole or tower Canal or check dam or reservoirs or lake or ponds In-take for drinking water pump house Intake for Irrigation canal pumps	
3.	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value	
4.	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests	
5.	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration	
6.	Inland, coastal, marine or underground waters	
7.	State, National boundaries	
8.	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas	
9.	Defence installations	
10.	Densely populated or built-up area, distance from nearest human habitation	
11.	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)	
12.	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)	
13.	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)	
14.	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)	

15.	Is proposed mining site located over or near fissure / fracture for ground water recharge	
16.	Whether the proposal involves approval or clearance under the following Regulations or Acts, namely:- (a) The Forest (Conservation) Act, 1980; (b) The Wildlife (Protection) Act, 1972; (c) The Coastal Regulation Zone Notification, 2011. If yes, details of the same and their status to be given.	
17.	Forest land involved (hectares)	
18.	Whether there is any litigation pending against the project and/or land in which the project is propose to be set up? (a) Name of the Court (b) Case No. (c) Orders or directions of the Court, if any, and its relevance with the proposed project.	

**(Signature of Project Proponent
Along with name and address)**

APPENDIX – IX
[See paragraph 7(i) (B)]
EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require prior environmental clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand, manually, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works like de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds, bunds undertaken in Mahatama Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes, and community efforts.
6. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river, and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
7. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat *vide* notification number GU/90(16)/ MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
8. Digging of well for irrigation or drinking water.
9. Digging of foundation for buildings not requiring prior environmental clearance.
10. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nala, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of District Collector or District Magistrate.
11. Activities declared by State Government under legislations or rules as non-mining activity with concurrence of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.

APPENDIX - X
[See paragraph 7 (iii) (a)]
PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT

The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the Sustainable Sand Mining Guideline) is to ensure the following:

Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

The report shall have the following structure:

1. Introduction
2. Overview of Mining Activity in the District
3 The List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity
4. Details of Royalty or Revenue received in last three years
5. Detail of Production of Sand or Bajari or minor mineral in last three years
6. Process of Deposition of Sediments in the rivers of the District
7. General Profile of the District
8. Land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.

9. Physiography of the District
10. Rainfall: month-wise
11. Geology and Mineral Wealth

In addition to the above, the report shall contain the following:

(a) District wise detail of river or stream and other sand source.

(b) District wise availability of sand or gravel or aggregate resources.

(c) District wise detail of existing mining leases of sand and aggregates.

A survey shall be carried out by the DEIAA with the assistance of Geology Department or Irrigation Department or Forest Department or Public Works Department or Ground Water Boards or Remote Sensing Department or Mining Department etc. in the district.

Drainage system with description of main rivers

S. No.	Name of the River	Area drained (Sq. Km)	% Area drained in the District

Salient Features of Important Rivers and Streams:

S. No.	Name of the River or Stream	Total Length in the District (in Km)	Place of origin	Altitude at Origin

Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)

Mineral Potential

Boulder (MT)	Bajari (MT)	Sand (MT)	Total Mineable Mineral Potential (MT)

Annual Deposition

S. No.	River or Stream	Portion of the river or stream recommended for mineral concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)
Total for the District						

A Sub-Divisional Committee comprising of Sub-Divisional Magistrate, Officers from Irrigation department, State Pollution Control Board or Committee, Forest department, Geology or mining officer shall visit each site for which environmental clearance has been applied for and make recommendation on suitability of site for mining or prohibition thereof.

Methodology adopted for calculation of Mineral Potential:

The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river or streams. As per the site conditions and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of the mineral in a river or stream can be decided depending on geo-morphology and other factors, it can be 50 % to 60 % of the area of a particular river or stream. For example in some hill States mineral constituents like boulders, river born Bajri, sand up

to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river or stream.

The District Survey Report shall be prepared for each minor mineral in the district separately and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district's website for twenty one days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the DEIAA.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years.

APPENDIX - XI

[See paragraph 7 (iii) (b)]

PROCEDURE FOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE FOR MINING OF MINOR MINERALS INCLUDING CLUSTER

The following policy shall be followed for environmental clearance of mining of minor minerals including cluster situation:-

(1). The data provided by the States (Sustainable Sand Mining Guidelines) shows that most of the mining leases for minor minerals are of lease area less than 5 hectare. It is also reported that in hill States getting a stretch in river with area more than 5 hectare is very uncommon. So the size of lease for minor minerals including river sand mining will be determined by the States as per their circumstances.

(2). The mining of minor minerals is mostly in clusters. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan are required to be prepared for the entire cluster in order to capture all the possible externalities. These reports shall capture carrying capacity of the cluster, transportation and related issues, replenishment and recharge issues, geo-hydrological study of the cluster area. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be prepared by the State or State nominated Agency or group of project proponents in the Cluster or the project proponent in the cluster.

(3). There shall be one public consultation for entire cluster after which the final Environment Impact Assessment or Environment Management Plan report for the cluster shall be prepared.

(4). Environmental clearance shall be applied for and issued to the individual project proponent. The individual lease holders in cluster can use the same Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for application for environmental clearance. The cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be updated as per need keeping in view any significant change.

(5). The details of cluster Environment Impact Assessment or Environment Management Plan shall be reflected in each environmental clearance in that cluster and DEAC, SEAC, and EAC shall ensure that the mitigative measures emanating from the Environment Impact Assessment or Environment Management Plan study are fully reflected as environmental clearance conditions in the environmental clearance's of individual project proponents in that cluster.

(6). A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area.

(7). Form 1M, Pre-Feasibility Report and mine plan for Category 'B2' projects for mining of minor minerals shall be prepared by the Registered Qualified Person or Accredited Consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training. The Environment Impact Assessment or Environment Management Plan for Category 'A' and Category 'B1' projects shall be prepared by the accredited consultants of Quality Council of India, National Accreditation Board for Education and Training.

(8). The SEIAAs shall have supervisory jurisdiction over the DEIAAs and decisions of DEIAA shall be reviewed by the SEIAA without prejudice to any provisions under any existing law.

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation

Area of Lease (Hectare)	Category of Project	Require-ment of EIA / EMP	Require-ment of Public Hearing	Require-ment of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	**'B2'**	Form –1M, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency

> 5 ha and < 25 ha	**'B2'**	Form –I, PFR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	nominated by MoEFCC
≥ 25ha and < 50ha	**'B1'**	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
≥ 50 ha	**'A'**	Yes	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	**'B2'**	Form –1M, PFR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	**'B2'**	Form –I, PFR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size < 50ha	**'B1'**	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease ≥ 50ha	**'A'**	Yes	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

APPENDIX - XII

[See paragraph 10 (iv)]

PROCEDURE FOR MONITORING OF SAND MINING OR RIVER BED MINING

1. The security feature of Transport Permit shall be as under:

   (a) Printed on Indian Banks' Association (IBA) approved Magnetic Ink Character Recognition (MICR) Code paper.

   (b) Unique Barcode.

   (c) Unique Quick Response (QR) code.

   (d) Fugitive Ink Background.

   (e) Invisible Ink Mark.

   (f) Void Pantograph.

   (g) Watermark.

2. Requirement at Mine Lease Site:

   (a) Small Size Plot (Up to 5 hectare): Android Based Smart Phone.

(b) Large Size Plots (More than 5 hectare): CCTV camera, Personal Computer (PC), Internet Connection, Power Back up.

(c) Access control of mine lease site.

(d) Arrangement for weight or approximation of weight of mined out mineral on basis of volume of the trailer of vehicle used.

3. Scanning of Transport Permit or Receipt and Uploading on Server:

(a) Website: Scanning of receipt on mining site can be done through barcode scanner and computer using the software;

(b) Android Application: Scanning on mining site can be done using Android Application using smart phone. It will require internet availability on SIM card;

(c) SMS: Transport Permit or Receipt shall be uploaded on server even by sending SMS through mobile. Once Transport Permit or Receipt get uploaded, an unique invoice code gets generated with its validity period.

4. Proposed working of the system:

The State Mining Department should print the Transport Permit or Receipt with security features enumerated at Paragraph 1 above and issue them to the mine lease holder through the District Collector. Once these Transport Permits or Receipts are issued, they would be uploaded on the server against that mine lease area. Each receipt should be preferably with pre-fixed quantity, so the total quantity gets determined for the receipts issued.

When the Transport Permit or Receipt barcode gets scanned and invoice is generated, that particular barcode gets used and its validity time is recorded on the server. So all the details of transporting of mined out material can be captured on the server and the Transport Permit or Receipt cannot be reused.

5. Checking On Route:

The staff deployed for the purpose of checking of vehicles carrying mined mineral should be in a position to check the validity of Transport Permit or Receipt by scanning them using website, Android Application and SMS.

6. Breakdown of Vehicle:

In case the Vehicle breakdown, the validity of Transport Permit or Receipt shall be extended by sending SMS by driver in specific format to report breakdown of vehicle. The server will register this information and register the breakdown. The State can also establish a call centre, which can register breakdowns of such vehicles and extend the validity period. The subsequent restart of the vehicle also should be similarly reported to the server or call centre.

7. Tracking of Vehicles:

The route of vehicle from source to destination can be tracked through the system using check points, RFID Tags, and GPS tracking.

8. Alerts or Report Generation and Action Review:

The system will enable the authorities to develop periodic report on different parameters like daily lifting report, vehicle log or history, lifting against allocation, and total lifting. The system can be used to generate auto mails or SMS. This will enable the District Collector or District Magistrate to get all the relevant details and shall enable the authority to block the scanning facility of any site found to be indulged in irregularity. Whenever any authority intercepts any vehicle transporting illegal sand, it shall get registered on the server and shall be mandatory for the officer to fill in the report on action taken. Every intercepted vehicle shall be tracked.

The monitoring of mined out mineral, environmental clearance conditions and enforcement of Environment Management Plan will be ensured by the DEIAA, SEIAA and the State Pollution Control Board or Committee. The monitoring arrangements envisaged above shall be put in place not later than three months. The monitoring of enforcement of environmental clearance conditions shall be done by the Central Pollution Control Board, Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the agency nominated by the Ministry for the purpose.”.

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers :-

1. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
2. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
3. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
4. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
5. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
6. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
7. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
8. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
9. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
10. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
11. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
12. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
13. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
14. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
15. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
16. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
17. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
18. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
19. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
20. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
21. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 20, 2016/पौष 30, 1937
No. 166] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 20, 2016/ PAUSA 30, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

का.आ.190(अ).- केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में देश के सभी जिलों में लघु खनिजों के खनन के लिए प्रवर्ग 'ख2' परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), (जिसे इसमें इसके पश्चात जिलों के लिए प्राधिकरण कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	जिला मजिस्ट्रेट या जिले का जिला कलक्टर	—अध्यक्ष
2.	जिले में ज्येष्ठतम प्रभागीय वन अधिकारी	—सदस्य
3.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ सदस्य	—सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय अधिकारी	—सदस्य-सचिव

2. जिलों के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य जिले में उक्त पदों पर अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे और विशेषज्ञ सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा ।

3. जिलों के लिए प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. जिलों के लिए प्राधिकरण अपने विनिश्चय को इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन गठित जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति की सिफारिशों पर आधारित करेगा ।

5. जिलों के लिए प्राधिकरण की सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन समिति, देश के सभी जिलों के लिए (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीईएसी कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	ज्येष्ठतम कार्य पालक इंजीनियर, सिंचाई विभाग	अध्यक्ष
2.	ज्येष्ठतम उप प्रभागीय अधिकारी (वन)	सदस्य
3.	सुदूर संवेदन विभाग या जियोलोजी विभाग या राज्य भूजल विभाग का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्रतिनिधि	सदस्य
4.	जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला व्यवसायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5.	जिला परिषद् से इंजीनियर	सदस्य
6.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति का प्रतिनिधि	सदस्य
7.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
8.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
9.	प्रभागीय आयुक्त या मुख्य वन परिरक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विशेषज्ञ	सदस्य
10.	ज्येष्ठतम सहायक इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
11.	जिले में सहायक निदेशक या उप निदेशक या जिला खान अधिकारी या भूगर्भविद, उसी क्रम में	सदस्य-सचिव

6. डीईएसी के अध्यक्ष और सदस्य जिले में अपनी पदावधि के दौरान पद धारण करेंगे तथा गैर शासकीय सदस्यों सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. डीईएसी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जो उक्त राजपत्र की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

8. डीईएसी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. जिले का जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर डी.ई.ए.सी. के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा और अभिकरण सभी संभार तंत्र समर्थन जिसके अंतर्गत परिवहन, वास-सुविधा और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी।

10. जिलों के लिए प्राधिकरण के गैर शासकीय सदस्य बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता के हकदार होंगे जिसका संदाय संबंधित राज्य सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[सं. जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

S.O.190(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the District Level Environment Impact Assessment Authority (DEIAA), for grant of environmental clearance for Category 'B2' Projects for mining of minor minerals, for all the districts in the country (hereinafter referred to as Authority for the districts) comprising of the following members, namely:—

1.	District Magistrate or District Collector of the district	—Chairperson
2.	Senior most Divisional Forest Officer in the district	—Member
3.	An expert member to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of the Forest	—Member
4.	Sub-Divisional Magistrate or Sub-Divisional Officer of the district head quarter	—Member-Secretary

2. The Chairperson and official members of the Authority for the districts shall hold office during their tenure in the district on said posts and the expert member shall hold office for a period of three years from the date of nomination by the competent authority.

3. The Authority for the districts shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority for the districts shall base its decision on the recommendations of the District Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 of this notification.

5. For the purposes of assisting the Authority for the districts, the Central Government hereby constitutes the District Level Expert Appraisal Committee for all the districts of the country (hereinafter referred to as DEAC for the district) comprising of the following members, namely:-

1.	Senior most Executive Engineer, Irrigation Department	—Chairperson
2.	Senior most Sub-Divisional Officer (Forest)	—Member
3.	A representative of Remote Sensing Department or Geology Department or State Ground Water Department to be nominated by the District Magistrate or District Collector	—Member
4.	Occupational health expert or Medical Officer to be nominated by the District Magistrate or District Collector	—Member
5.	Engineer from Zila Parishad	—Member
6.	A representative of State Pollution Control Board or Committee	—Member
7.	An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest	—Member
8.	An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest	—Member
9.	An expert to be nominated by the Divisional Commissioner or Chief Conservator of Forest	—Member
10.	Senior most Assistant Engineer, Public Works Department	—Member
11.	Assistant Director or Deputy Director or District Mines Officer or Geologist in the district in that order	—Member- Secretary

6. The Chairperson and the official members of the DEAC shall hold office during their tenure in the district and the non-official members shall hold office for three years from the date of their nomination by the competent authority.

7. The DEAC shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.

8. The DEAC shall function on the principles of collective responsibility and the Chairperson shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. The District Magistrate or District Collector of the district shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority for the districts and DEAC. The agency shall provide all logistic support including transportation, accommodation, and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The non-official members of the Authority for districts and the DEAC shall be entitled to such sitting fees, travelling allowance and dearness allowance which shall be paid in accordance with the concerned rules of the respective State Governments.

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 559] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937
No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2016

का.आ. 648(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 का कतिपय संशोधन करने के लिए प्रारुप अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन, का.आ. संख्यांक 2773 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2015 द्वारा, उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 60 दिवस की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित की गई थी;

और उपरोक्त उल्लिखित प्रारुप अधिसूचना की प्रतिक्रिया में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

पर्यावरण, समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में पैरा 12 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"13. पर्यावरण समाघात निर्धारण (ई आई ए) रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंध योजना (ई एम पी) को तैयार करना और प्रस्तुति.- पर्यावरण परामर्शी संगठनों जो परियोजना के विशिष्ट सेक्टर और प्रवर्ग के लिए प्रत्यायोजित किए गए हैं, को उस सेक्टर के लिए भारतीय क्वालिटी परिषद (क्यूसीआई), शिक्षा के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी ई टी) और कोई अन्य अभिकरण जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाए के साथ उस सेक्टर और प्रवर्ग की परियोजना की पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट और पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने के लिए और संबंद्ध विशेषज्ञ अंकन समिति (ईएसी) का राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (एस ई ए सी) के समक्ष उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया

जाएगा। मंत्रालय पर्यावरण परामर्शी संगठनों के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं का एक पैनल भी तैयार करेगा"।

[फा. सं. जे-11011/77/2008-आईए-II(1)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित अनुसार संशोधित की गई :

1. का.आ. 1737(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007
2. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009
3. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
4. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012
5. का.आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013
6. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013
7. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013
8. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014
9. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014
10. का.आ.1599(अ), तारीख 25 जून, 2014
11. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014
12. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014
13. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014
14. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015
15. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015
16. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015
17. का.आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015
18. का.आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2016

S.O. 648(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, was published under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, vide number S.O.2773 (E), dated the 7th October, 2015, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the Environment Impact Assessment notification, 2006, after paragraph 12, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"13. Preparation and presentation of Environment Impact Assessment (EIA) report and Environment Management Plan (EMP).- The Environmental consultant organisations which are accredited for a particular sector and the category of project for that sector with the Quality Council of India (QCI) or National Accreditation Board for Education and Training (NABET) or any other agency as may be notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change from time to time shall be allowed to prepare the Environmental Impact Assessment report and Environmental Management Plan of a project in that sector and category and to appear before the concerned Expert Appraisal Committee (EAC) or the State Expert Appraisal Committee (SEAC). The Ministry will also prepare a panel of national level reputed educational and research institutions to work as Environmental Consultant Organisations".

[F. No. J-11011/77/2008-IA-II (I)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification No. S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended as follows:

1. S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007
2. S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009
3. S.O.695(E), dated the 4th April, 2011
4. S.O.2896(E), dated the 13th December, 2012
5. S.O.674(E), dated the 13th March, 2013
6. S.O.2559(E), dated the 22nd August, 2013
7. S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013
8. S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014
9. S.O.637(E), dated the 28th February, 2014
10. S.O.1599(E), dated the 25th June, 2014
11. S.O. 2601 (E), dated 7th October, 2014
12. S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014
13. S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014
14. S.O. 382 (E), dated 3rd February, 2015
15. S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015
16. S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015
17. S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015
18. S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1640]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2016/आषाढ़ 10, 1938
No. 1640]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2016/ ASHADHA 10 , 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2016

का.आ. 2269 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा लघु खनिजों के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति और कलस्टर में पट्टों के लिए पर्यावरण आपत्ति पर निदेश दिए गए हैं;

और उक्त अधिसूचना में समूह का उपबंध राजस्थान राज्य में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, जहां अधिकांश छोटे आकार (15x30 वर्ग मीटर या 30x60 वर्ग मीटर) के पट्टे और खदान अनुज्ञप्तियां अनेक वर्षों से प्रचालन में हैं। ऐसे अधिकांश पट्टे वर्षों पूर्व अनुदत्त किए गए हैं और कुटुंब विभाजनों के साथ आगे विखंडित कर दिए गए हैं। ये खान दो पट्टों के मध्य कोई स्थान न छोड़ते हुए एक दूसरे के सन्निकट अवस्थित हैं, जिनसे व्यष्टिक पट्टों के लिए पर्यावरण प्रबंध योजना को तैयार करने और उसे कार्यान्वित करने में कठिनाई होती है ;

और अनेक पट्टेदार जिन्होंने व्यष्टिक पट्टों के लिए पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन किया है किंतु उक्त अधिसूचना में कलस्टर के वर्गीकरण द्वारा इन्हें बी-1 प्रवर्ग में सम्मिलित किया जा रहा है और राज्य स्तर पर प्रक्रिया की जानी है, जबकि छोटे पट्टों के लिए मूल्यांकन और पर्यावरणीय अनापत्ति का कार्य जिला स्तरीय प्राधिकारी को समनुदेशित किया जाता है;

और केन्द्रीय सरकार, खानों के बंद हो जाने के कारण राजस्थान राज्य में अधिकांश व्यक्तियों की अचानक बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्तियों से, जनहित में पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन उनसे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने वाली लोक सूचना से छूट देकर उक्त अधिसूचना का संशोधन करती है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उक्त नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करने के पश्चात् भारत सरकार के तत्कालीन वन और पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची के, स्तंभ (5) की मद 1(क) में, प्रविष्टि (ii) को प्रविष्टि (iii) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित प्रविष्टि (ii) से पहले निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(ii) खनन पट्टा क्षेत्र के कलस्टर की दशा में प्रवर्ग ‘बी 1’ के लघु खनिजों के खनन की परियोजना या क्रियाकलाप के लिए ;”;

(ख) परिशिष्ट 11 में,-

(i) पैरा 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(6) कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है, जो 9 सितंबर, 2013 को और उसके पश्चात् अनुदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों को लागू होगी ।”;

(ii) “कलस्टर स्थिति सहित लघु खनिजों की पर्यावरण अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुतिकरण से संबंधित सारणी के पश्चात् अंत में निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“टिप्पण- (1) राजस्थान राज्य में, समीपस्थ क्षेत्र में बहुत छोटे आकार (प्रत्येक एक हेक्टेयर तक) के अधिकांश पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों की स्थिति में लघु खनिजों के खनन के लिए राज्य सरकार का खान और भू-विज्ञान विभाग,-

(क) खान योजना और पर्यावरण प्रबंध योजना के प्रभावी सूत्रीकरण और कार्यान्वियन के लिए स्थानीय स्थिति के अनुसार कलस्टर के आकार को परिभाषित करेगा;

(ख) कलस्टर के लिए खान योजना और पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करेगा;

(ग) उस सामीप्य में सभी कलस्टरों को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय खान योजना और क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करेगा

(घ) कलस्टर और क्षेत्रीय पर्यावरण प्रबंध योजना के कार्यान्वियन के लिए पूर्व अवधारित अनुपात में परियोजना प्रस्तावकों से निधियों को जुटाने का उपबंध करेगा ।

(2) जिला खनिज निधि का प्रयोग पर्यावरण प्रबंध योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए निधि को बढ़ाने के लिए किया जा सकेगा ।

(3) पर्यावरण प्रबंध योजना उस कलस्टर में किसी पट्टे के लिए 15 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् अनुदत्त पर्यावरण अनापत्ति के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की अवधि से नब्बे दिन के भीतर तैयार की जाएगी और प्रस्तुत की जाएगी । राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश और राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकारी के अनुमोदन पर्यावरण प्रबंध योजना के तैयार किए जाने के साठ दिन के भीतर अनुदत्त किया जाएगा ।

(4) पर्यावरण प्रबंध योजना का कार्यान्वियन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर आरंभ किया जाएगा। पर्यावरण प्रबंध योजना संबद्ध राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा छह मास के अंतराल पर मानीटर की जाएगी।

(5) ऐसे पट्टे जो तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए प्रवर्तनशील नहीं है और ऐसे पट्टे जिन्हें 15 जनवरी, 2016 तक पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त हो गई है कलस्टर के क्षेत्र की संगणना करने के लिए नहीं गिने जाएंगे, किंतु पर्यावरण प्रबंध योजना और क्षेत्रीय पर्यावरणीय प्रबंध योजना में सम्मिलित किए जाएंगे। "।

[सं जेड-11013/98/2014-आईए-II (एम)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित के द्वारा उसमें संशोधन किए गए :-

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 25 जून, 2014;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015
26. का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016; और
27. का.आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2016

S.O. 2269(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) directions has been given on environmental clearance for minor minerals and environment clearance for leases in cluster;

And whereas, the provision of cluster in the said notification is causing practical difficulty in the State of Rajasthan, where a large number of small size (15×30 sq. mt or 30×60 sq. mt) leases and quarry licenses are operational for many years. A large number of such leases have been granted years before, and have been further fragmented with family partitions. These mines are located adjacent to each other leaving no space between two leases, which make it difficult to prepare and implement Environment Management Plan for individual leases;

And whereas, many of the lessees who applied for environmental clearance for individual leases, but by classification of cluster in the said notification are being included in B1 category and has to be processed at the State level, whereas the work of appraisal and environmental clearance for small leases is assigned to the district level authority;

And whereas, in view of the sudden unemployment of a large number of persons in the State of Rajasthan due to closure of mines, the Central Government hereby amends the said notification by exempting public notice inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986, in public interest;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5 in public interest, namely :–

In the said notification,-

(a) in the Schedule, in item 1(a), in column (5), entry (ii) shall be renumbered as entry (iii) and before entry (ii) as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely:-

"(ii) for project or activity of mining of minor minerals of Category 'B1' in case of cluster of mining lease area;";

(b) in Appendix XI,-

(i) for paragraph 6, the following shall be substituted, namely:-

"(6) A cluster shall be formed when the distance between the peripheries of one lease is less than 500 meters from the periphery of other lease in a homogeneous mineral area which shall be applicable to the mine leases or quarry licenses granted on and after 9th September, 2013.";

(ii) after the Table relating to "Schematic Presentation of Requirements on Environment Clearance of Minor Minerals including cluster situation" and before Appendix XII, the following Note shall be inserted at the end, namely:-

"Note .- (1) In the State of Rajasthan, for mining of minor minerals, in situation of a large number of leases or quarry licenses of very small size (up to one hectare each) in contiguous area, the Mines and Geology Department of the State Government shall,-

(A) define the size of cluster as per local situation for effective formulation and implementation of mine plan and Environment Management Plan;

(B) prepare mine plan and an Environment Management Plan for the cluster;

(C) prepare a Regional Mine Plan and Regional Environment Management Plan including all the clusters in that contiguity.

(D) provide for mobilistation of funds from the Project Proponents in predetermined proportion for implementation of cluster and Regional Environment Management Plan.

(2) The District Mineral Fund can also be used to augment the fund for implementation of Environment Management Plans.

(3) The Environment Management Plan shall be prepared and presented within ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette for environment clearance granted on or after 15th January, 2016 to any lease in that cluster. The recommendation of the State Expert Appraisal Committee and approval of the State Environment Impact Assessment Authority shall be granted within sixty days of presentation of the Environment Management Plan.

(4) The implementation of the Environment Management Plan shall begin within six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The Environment Management Plan shall be monitored at the interval of six months by the concerned State Environment Impact Assessment Authority.

(5) The leases not operative for three years or more and leases which have got environmental clearance as on 15th January, 2016 shall not be counted for calculating the area of cluster, but shall be included in the Environment Management Plan and the Regional Environmental Management Plan.".

[No. Z-11013/98/2014-IA-II (M)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended by :-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013;

9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016; and
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2244] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2016/भाद्र 24, 1938
No. 2244] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2016/BHADRA 24, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2016

का.आ. 2944(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के पश्चात् तत्कालीन भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पर्यावरणीय अनापत्ति(ईसी) की विधिमान्यता से संबंधित पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"9. पर्यावरणीय अनापत्ति (ईसी) की विधिमान्यता:

(i) “पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता से वह अवधि अभिप्रेत है जिससे विनियामक प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति मंजूर की जाती है या आवेदक द्वारा यह समझा जा सकेगा कि यह ऊपर पैरा 8 के उप पैरा (iii) के अधीन परियोजना या क्रियाकलाप द्वारा उत्पादन प्रचालन आरंभ करने या संनिर्माण परियोजना की दशा में (अनुसूची की मद 8) सभी संनिर्माण प्रचालन पूरा करने, जिसके लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए आवेदन का निर्देश करता है, मंजूर की गई है । किसी परियोजना या क्रियाकलाप के लिए नदी घाटी परियोजनाओं (अनूसूची की मद 1(ग) की दशा में, दस वर्ष की अवधि के लिए, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन

समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा यथा प्राक्कलित परियोजना की अवधि खनन परियोजनाओं के लिए अधिकतम तीस वर्षों के लिए और सभी अन्य परियोजनाओं तथा क्रियाकलापों की दशा में सात वर्ष होगी ।

(ii) क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरों की दशा में (मद 8(ख) सात वर्ष की विधिमान्य अवधि केवल ऐसे क्रियाकलापों तक सीमित होगी जो विकासकर्ता के रूप में आवेदक का उत्तरदायित्व हो:

परंतु उपरोक्त पैरा (i) और पैरा (ii) के संबंध में विधिमान्यता की इस अवधि को संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा तीन वर्ष की अधिकतम अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा, यदि कोई आवेदक द्वारा विनियामक प्राधिकरण को संनिर्माण परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए (अनुसूची की मद 8) अद्यतन प्ररूप 1 और अनुपूरक प्ररूप 1क सहित विधिमान्य अवधि के भीतर आवेदन किया जाता है:

परंतु यह और कि विनियामक प्राधिकरण यथास्थिति, विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति से, ऐसा विस्तार मंजूर करने के लिए परामर्श कर सकेगा ।

(iii) जहां उपरोक्त उप पैरा (i) और उप पैरा (ii) के अधीन विस्तार के लिए आवेदन-

(क) पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीस दिन के भीतर फाइल किया गया है वहां ऐसे मामले संबद्ध विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के निर्दिष्ट किए जाएंगे और उनकी सिफारिशों के आधार पर, विलंब, यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव या सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या सदस्य सचिव, जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति के सूतर पर माफ किया जा सकेगा ;

(ख) जब पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् तीस दिन से अधिक किंतु ऐसी विधिमान्य अवधि के पश्चात् नब्बे दिन से कम के भीतर फाइल किया गया है तब विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति या जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर विलंब, यथास्थिति पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री या अध्यक्ष के अनुमोदन से माफ किया जा सकेगा:

परंतु विलंब के लिए कोई माफी पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्य अवधि के पश्चात् नब्बे दिन से परे फाइल किए गए विस्तार संबंधी किसी आवेदन के लिए मंजूर नहीं की जाएगी ।"

[फा. सं. 22-27/2015-आईए- III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013, का.आ., 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013, का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ., 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013, का.आ., 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1559(अ), तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014, का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252(अ),

तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015, का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015, का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015, का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015, का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015, का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015, का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 और का.आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14 th September, 2016

S.O. 2944(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment(Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule(4) of rule 5 of the Environment(Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause(a) of sub-rule(3) of rule 5 of the said rule, in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 namely:-

In the said notification, for paragraph, 9 relating to Validity to Environment Clearance (EC), the following paragraph shall be substituted, namely:-

"**9.Validity of Environmental Clearance (EC):**

(i) The "Validity of Environmental Clearance" is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub-paragraph (iii) of paragraph 8, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects [item 1(c) of the Schedule], project life as estimated by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and seven years in the case of all other projects and activities.

(ii) In the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period of seven years shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer:

Provided that this period of validity with respect to sub-paragraphs (i) and (ii) above may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of three years if an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form I, and Supplementary Form IA, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule):

Provided further that the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, for grant of such extension.

(iii) Where the application for extension under sub-paragraphs (i) and (ii) above has been filed-

(a) within thirty days after the validity period of Environmental Clearance, such cases shall be referred to concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee and based on their recommendations, the delay shall be condoned at the level of the Joint Secretary in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee or Member Secretary, District Level Expert Appraisal Committee, as the case may be;

(b) more than thirty days after the validity period of Environmental Clearance but less than ninety days after such validity period, then, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee, the delay shall be condoned with the approval of the Minister in charge of Environment, Forest and Climate Change or Chairman, as the case may be :

Provided that no condonation for delay shall be granted for any application for extension filed beyond ninety days after the validity period of Environmental Clearance.".

[F. No. 22-27/2015-IA-III]
MANOJ KUMAR SINGH, Jt Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and amended vide S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E) dated the 1st December, 2009, S.O.695(E) dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E) dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E) dated the 13th March, 2013, S.O.2204(E) dated the 19th July, 2013, S.O.2555(E) dated the 21st August, 2013, S.O.2559(E) dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E) dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E) dated the 26th February, 2014 , S.O.637(E) dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E) dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E) dated 7th October, 2014, S.O. 2600 (E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E) dated 3rd February, 2015, S.O. 811(E) dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O.1834 (E) dated the 6th July, 2015, S.O.2571 (E) dated the 31st August, 2015, S.O.2572 (E) dated the 14th September, 2015, S.O.141 (E) dated the 15th January, 2016 and S.O.648 (E) dated the 3rd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2749] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2016/अग्रहायण 2, 1938
No. 2749] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016/ AGRAHAYANA 2, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2016

का.आ. 3518 (अ).— केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केवल, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा;

और मंत्रालय को अधिसूचना के उपबंधों के कार्यन्वयन को और सुव्यवस्थित करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस प्रकार प्राप्त सुझावों को विचारार्थ और सिफारिशों के लिए विशेषज्ञ समिति को निर्दिष्ट किया गया था । उनकी सिफारिशों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त अधिसूचना के उपबंधों का पुनर्विलोकन किया गया है ;

और कुछ औद्योगिक परियोजनाओं में, उत्पादन प्रक्रिया, उपस्करों, प्राक्कलित प्रदूषण भार और योजनाबद्ध न्यूनीकरण उपायों की जानकारी, जो पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित है, ब्यौरेवार डिजाइन इंजीनियरी, जिसे मुख्यतः पर्यावरणीय अनापत्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् आरंभ किया जाता है, के पश्चात् परिवर्तित हो जाती है । पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में, संपूर्ण पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया से पुनः गुजरे बिना वास्तविक जानकारी या डाटा के आधार पर पर्यावरणीय अनापत्ति में पारिणामिक परिवर्तन के लिए उपबंध होना चाहिए, परंतु प्रस्तावित परिवर्तन के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ;

और विद्यमान भूखंड के भीतर विद्यमान परियोजनाओं (जिन्हें पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है) के आधुनिकीकरण या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को उस समय पृथक पर्यावरणीय अनापत्ति से छूट प्रदान की जाए, यदि पूर्व में अनुमोदित परिकल्पित सीमा से परे कोई अतिरिक्त प्रदूषण भार नहीं है ;

और सीमेंट उद्योग में कोयले की मांग को कम करने और सह-प्रसंस्करण में वृद्धि करने के लिए सीमेंट भट्टों में कोयले के स्थान पर पेट कोक, जो कि पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग में एक उप-उत्पाद है, के उपयोग का संवर्धन किया जाए । सीमेंट भट्टों में ईंधन के रूप में पेट

कोक का उपयोग करने से आधिक्य SO_2 उत्सर्जन उत्पन्न नहीं होते हैं और इससे फ्लाई एश और धातुमल के उपयोग में आगे और वृद्धि करने में भी सहायता प्राप्त होती है । ईंधन मिश्रण में कोयले के स्थान पर पेट कोक को परिवर्तित करने में सीमेंट इकाइयों की पर्यावरणीय अनापत्ति में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं होना चाहिए, जहां केवल कोयले को ईंधन के रूप में विहित किया गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंधित है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी क्षेत्र में कोई प्रसंस्करण या प्रचालन करने वाले किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोपित किए जाने चाहिए, तो वह अपने ऐसा करने के आशय की सूचना देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 जो भारत के राजपत्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का.आ.246(अ) तारीख 25 जनवरी, 2016 में प्रकाशित हुई थी में कतिपय संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना पर आक्षेप् और सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि में आमंत्रित किए जाते हैं;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(I) पैरा 7 के उप पैरा (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा किया जाएगा, अर्थात् :-

"7(ii)(क) विद्यमान परियोजना के निवारण या आधुनिकीकरण या उसके उत्पाद मिश्रण के परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया: उपस्कर, प्राक्कलित प्रदूषण भार और योजनाबद्ध न्यूनीकरण उपायों के संबंध में परिवर्तन की ईप्सा करने वाला आवेदन अपेक्षित सूचना के साथ प्ररूप 1 में किया जाएगा:

(क) क्षमता से अधिक ऐसी उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विस्तार हेतु जिसके लिए इस अधिसूचना के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान की गई है, या खनन परियोजनाओं की दशा में पट्टाक्षेत्र या उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विस्तारण हेतु या न्यूनतम सीमा से अधिक कुल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ विद्यमान इकाई आधुनिकीकरण के लिए प्रक्रिया और/या प्रौद्यगिकी में परिवर्तन करके या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए इस अधिसूचना की अनुसूची में विहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की ईप्सा से सभी आवेदन प्रारूप 1 में किए जाएंगे और उन पर साठ दिन के भीतर संबंधित विशेषज्ञ आंकलन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो उस पर सम्यक् तत्परता से जिसके अंतर्गत आवश्यक पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और लोक परामर्श भी है, विनिश्चय करेगी और तदनुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन का आकलन किया जाएगा ।

(ख) विस्तृत अभियांत्रिकी के पश्चात् परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरणीय अनापत्ति से पादप के समरूपण में कोई परिवर्तन, पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त रहेगा; यदि उत्पादन और प्रदूषण भार में कोई परिवर्तन नहीं है । परियोजना समर्थक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और संबद्ध प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सूचित करेगा ।

(ग) उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन; उत्पाद में मात्रा परिवर्तन या कुछ समान प्रवर्ग के उत्पाद जिनके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदत्त की जा चुकी है पूर्ववर्ती पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त रहेगी बशर्ते कि इस अधिसूचना के अधीन पहले प्रदत्त पूर्ववर्ती पर्यावरणीय अनापत्ति में कुल मंजूर क्षमता में कोई परिवर्तन न हो और प्रदूषण भार में कोई वृद्धि न हो । परियोजना समर्थक प्रदूषण भार में अनावृद्धि प्रमाणपत्र उपाबंध-14 में दिए गए उपबंधों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का पालन करेगा।";

(II) अनुसूची में,--

(क) सीमेंट पादप में संबंधित मद 3(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3(ख)	सीमेंट पलांट	$\geq$ 1.0 मि.टन/वार्षिक उत्पादन क्षमता	$\leq$ 1.0 मि.टन/वार्षिक उत्पादन क्षमता/सभी स्टैंड अलोन ग्राईडिंग ईकाई	सामान्य दशाएं लागू होंगी: **टिप्पण:** 1. सीमेंट उद्योग के लिए ईंधन कोयला पेट कोक, कोयला मिश्रण और कूड़ सहप्रसंस्करण बशर्ते यह उत्सर्जन मानकों को पूरा करने है ।

				2. साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज्जालाना सीमेंट और स्लैग सीमेंट के विनिर्माण के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति रखने वाले पादपों द्वारा कंपोसिट सीमेंट का विनिर्माण छूट प्राप्त रहेगा बशर्ते मंजूरीकृत क्षमता में उत्पादन हो।";

(ख) मद 5(क) रसायनिक खाद संबंधित मद 5(क) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"5(क)	रसायन खाद	सभी परियोजनाओं सहित जिसमें सभी एकल सुपर फास्फेट H_2SO_4 उत्पादन सम्मिलित है।	सभी एकल सुपर फास्फेट H_2SO_4 उत्पादन और रसायन खाद का कणिकायन	सामान्य दशाएं लागू होंगी: **टिप्पण:** 1. एकल सुपर फास्फेट चूर्ण का कणिकायन छूट प्राप्त है। 2. खाद का नीम विलेपन छूट प्राप्त है बशर्ते कि कुल उत्पादन ईसी घन विलेपित प्रयुक्त सामग्री के भार में मंजूरीकृत क्षमता से अधिक नहीं होगी। 3. खाद का पुष्टीकरण छूट प्राप्त रहेगा बशर्ते कि कुल उत्पादन ईसी घन पुष्टीकृत प्रयुक्त सामग्री के भार से मंजूरीकृत क्षमता से अधिक न होगी।"।

[फा. सं जे-11013/12/2013-Iए-II(I)(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007; का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ; का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ; का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012 ; का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ; का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ; का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ; का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ; का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014; का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014; का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तुबर, 2014 ; का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ; का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015 ; का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ; का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ; का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 और का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016, का.आ.190(अ) तारीख 20 जनवरी, 2016, का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 और का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

उपाबंध-XIV

"प्रदूषण प्रभाव में कोई वृद्धि" प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र/अनुमति ।

परियोजना की पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना में तत्काल संशोधन मात्रा और प्रदूषण प्रभाव में उत्पाद मिश्रण के मामलों में परिवर्तन के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यक छूट में बदलाव किया गया । यह सुविधा उन इकाइयों को दी गई है जो पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 1994 और पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के अंतर्गत आते है । इस तरह की इकाइयों को चलाने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने आखिरी सहमति प्रमाण पत्र के साथ लागू नहीं होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में ऐसे सभी मामलों की जांच और ढंग पर निम्नलिखित रूप में निर्णय लिया जाएगा:

1. इस तरह के प्रयोजन के लिए प्राप्त आवेदन की क्षेत्रीय अधिकारी / यूनिट हेड स्तर पर ऑनलाइन छानबीन की जाएगी और आवेदक एक प्रारूप (उपाबंध 'क') इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।

2. इस उद्देश्य में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा तकनीकी समिति की जांच जाएगी और 4 बाहरी विशेषज्ञों शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण के प्रमुख सचिव द्वारा प्राप्त नाम नामांकित किए जाएंगे।

3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल किया गया कि परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण लेखा परीक्षकों और प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रदूषण प्रभाव में कोई वृद्धि का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

4. पर्यावरणीय लेखा परीक्षक के साथ आवेदक तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुति करेगा। तकनीकी समिति की बैठक एक महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट की जांच की गई कि तकनीकी समिति के विवरण आवेदक और पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों के रूप में अच्छी तरह से जांच होंगे ।

5. तकनीकी समिति विचार-विमर्श के आधार पर अपनी सिफारिशों की जांच करेगा।

6. तकनीकी समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के उद्देश्य के लिए संचालित करने के लिए परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त आवेदन के संबंध में बदलाव के लिए निर्णय लिया जाएगा।

7. आवेदक को एसएमएस / ई-मेल और ऑनलाइन सहमति / अस्वीकृति आदेश के द्वारा बोर्ड के माध्यम से लिया गया निर्णय अवगत कराया जाएगा।

***राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुजरात की प्रक्रिया और कार्यपद्धति के आधार पर।**

उत्पाद मिश्रण में बदलाव के प्रदान कर सूचना के लिए प्रारुप

विषय	
इकाई का नाम एवं पता	
उद्योग के सेक्टर	

1.0 मात्रा के साथ उत्पादों की सूची :

(प्रत्येक उत्पाद का पूरा नाम दिखाया जाना चाहिए)

2.0 मात्रा के साथ कच्चे सामग्रियों की सूची (क)*:

3.0 रासायनिक प्रतिक्रियाओं के साथ प्रत्येक उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया:

4.0 प्रत्येक उत्पाद के लिए बड़े पैमाने पर संतुलन:

5.0 जल पहलू:

5.1 कच्चे जल के स्त्रोत:

5.2 जल खपत विवरण (के एल/दिन) :

प्रस्ताव	**मौजूदा पानी की खपत**	**पानी की खपत उत्पाद मिश्रण में बदलाव के बाद दरार**	**प्रस्तावित अतिरिक्त पानी की खपत**
औद्योगिक			
प्रक्रिया + ए पी सी एम			
बायलर			
शीतलन			
धुलाई			
बागवानी			
अन्य			
कुल औद्योगिक			
घरेलू			

5.3 पानी के संतुलन का आरेख (पुन: उपयोग/पुनरावृत्ति करने के साथ में से कोई):

6.0 प्रवाह् पीढ़ी (के एल/दिन):

प्रस्ताव	**मौजूदा प्रवाह् पीढ़ी**	**उत्पाद मिश्रण में प्रस्तावित बदलाव के बाद प्रवाह् पीढ़ी**	**निपटान और अंतिम प्राप्त निकाय की विधि**
औद्योगिक			
प्रक्रिया + ए पी सी एम			
बायलर			
शीतलन			
धुलाई			
अन्य			
कुल औद्योगिक			
घरेलू			

6.1 केंद्रित धारा और उसके निपटान के पृथक्करण:

6.2 न्यूनन / पुनरावृत्ति / प्रवाह् के पुन: उपयोग का विवरण:

6.3 प्रवाह् उपचार की प्रदान सुविधाएं:

6.4 ईटीपी के उन्नयन के लिए प्रस्ताव (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

6.5 सीईटीपी की सदस्यता (इनमें से कोई):

6.6 सामान्य प्रवाह वाहन / निपटान की सुविधा की सदस्यता (इनमें से कोई):

6.7 तकनीकी औचित्य और व्यावहारिकता के साथ शून्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव:

7.0 ईंधन गैस उत्सर्जन:

क्र. सं.	**ढेर से जुड़ी**	**ईंधन**	**मौजूदा ईंधन की खपत**	**प्रस्तावित ईंधन की खपत**	**ढेर की ऊंचाई**

7.1 स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने के लिए प्रस्ताव, इनमें से कोई (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

7.2 मौजूदा ए पी सी एम के उन्नयन के लिए प्रस्ताव (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

7.3 नई ए पी सी एम की स्थापना के लिए (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

8.0 प्रक्रिया उत्सर्जन:

ढेर सं0	ढेर से जुड़ी	ढेर की ऊंचाई मीटर में	ए पी सी एम	पैरामीटर	अनुमेय सीमा

8.1 मौजूदा ए पी सी एम के उन्नयन के लिए प्रस्ताव, इनमें से कोई (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

8.2 नई ए पी सी एम की स्थापना के लिए (समयबद्ध कार्यक्रम के साथ):

9.0 खतरनाक अपशिष्ट पीढ़ी:

क्रम सं0	अपशिष्ट के प्रकार	वर्ग (निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार)	प्रति वर्ष पीढ़ी (कोई परिवर्तन नहीं)		पीढ़ी के स्रोत	भंडारण की विधि	उपचार एवं निपटान की विधि
			मौजूदा	उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के बाद			

9.1 कमी / वसूली / पुनः प्रयोग / पुनरावृत्ति / अपशिष्ट की बिक्री के लिए प्रस्ताव, इनमें से कोई:

9.2 द्रावक के कुशल वसूली के लिए प्रस्ताव (तकनीकी जानकारी के साथ):

9.3 सामान्य सुरक्षित लैंडफिल स्थल की सदस्यता (इनमें से कोई):

9.4 सामान्य खतरनाक अपशिष्ट जलाए जाने की सुविधा की सदस्यता (इनमें से कोई):

10.0 अनुपालन के विवरण:

10.1 पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन और इसकी वैधता की स्थिति

10.2 सहमति और इसकी वैधता की स्थिति:

10.3 पिछले 2 वर्षों के दौरान दिशा-निर्देश/बंद जीपीसीबी द्वारा जारी आदेशों की सूचना:

	जल अधिनियम के तहत	वायु अधिनियम के तहत	ई.पी.अधिनियम के तहत
दिशा-निर्देशों की सूचना			
बंद के आदेश			

10.4 पिछले लेखा परीक्षा अवधि के लिए पर्यावरण ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्थिति (यदि लागू हो):

10.5 पर्यावरणीय लेखा परीक्षक से ईएमएस पर्याप्तता प्रमाण पत्र :

10.6 "प्रदूषण प्रभाव में कोई वृद्धि" पर्यावरणीय लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र:

11.0 अतिरिक्त जानकारी के प्रस्ताव के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण:

11.1 उत्पाद वर्ग अलग शीट, वायु प्रदूषण में मौजूदा और प्रस्तावित परिवर्तन दिखा (जैसे कि.ग्रा./घंटे या, किग्रा/दिन), जल प्रदूषण (जैसे कि.ग्रा./दिन) और खतरनाक अपशिष्ट पीढ़ी (कि.ग्रा./महीना या, मीट्रिक टन/महीना) संबंधित प्रस्तावित नियंत्रण उपायों का सुझाव दिया है, के साथ सारणीबद्ध रूप में दिखाया जाना चाहिए। प्रदूषण भार में कुल परिवर्तन(जल, वायु, खतरनाक अपशिष्ट) के साथ विवरण।

11.2 उत्तर दिशा के साथ मौजूदा और प्रस्तावित संयंत्र मशीनरी के लिए अलग-अलग रंग के नक्शों की योजना प्रदान की जानी चाहिए।

11.3 सभी कच्चे माल और उत्पादों की एम एस डी सी का विवरण दिखाया जाना चाहिए ।

11.4 वैध सहमति की प्रति चाहिए।

11.5 तुलनात्मक विवरण संबंधित प्रदूषण की निर्धारित अनुज्ञेय सीमा के साथ डब्ल्यू/डब्ल्यू की एआर और ढेर नमूनों को दिखाया जाना चाहिए ।

(क) मात्रा के साथ कच्चे माल उत्पाद वर्ग की सूची सारणीबद्ध रूप में होनी चाहिए।

(ख) प्रत्येक चरण में रसायन प्रतिक्रियाओं प्रक्रिया को दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रत्येक अभिकारक के लिए संतुलन दिया जाता है।

(घ) उत्पाद वर्ग खपत और अपशिष्ट जल पीढ़ी का ब्यौरा(मौजूदा और प्रस्तावित) अलग शीट सारणी के रूप में दिखाया जाना चाहिए।

11.6 मशीनरी और संयंत्र नक्शों में कोई बदलाव के लिए उपक्रम ।

11.7 खतरनाक रसायनों के भंडारण की सुविधा।

11.8 उत्पाद वर्ग प्रवाह मात्रा और उनके भार।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2016

S.O.3518(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and/ or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the Ministry has received suggestions for further streamlining of the implementation of provisions of the Notification and the suggestions so received were referred to the Expert Committee for consideration and recommendations. Based on their recommendations the provisions of the said Notification have been reviewed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change;

And whereas in some industrial projects, information of production process, equipments, estimated pollution load and planned mitigation measures, which are mentioned in environmental clearance, change after detailed design engineering which is mostly undertaken after environmental clearance is granted. The Environmental Impact Assessment Notification, 2006 shall provide for resultant change in environmental clearance based on factual information or data without having to go through entire environmental clearance process again, provided the proposed change does not result in any adverse impact on environment;

And whereas, the modernisation or change in product mix of existing projects (having environmental clearance) within existing plot may be exempted from separate environmental clearance if there is no additional pollution load beyond the earlier approved limit envisaged;

And whereas, the use of pet coke, a by-product of petroleum refinery industry in place of coal, in cement kilns may be promoted to reduce coal demand of the cement industry. The Government of India also encourages co-processing. The use of pet coke as fuel in cements kilns does not produce excess SO_2 emissions and also helps in further increasing the usage of fly ash and slag. A change in fuel mix from coal to pet coke may not require an amendment in environmental clearance of cement units where only coal has been prescribed as fuel;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), a draft notification for making certain amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 was published in the Gazette of India, vide notification of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.246(E) dated the 25th January, 2016, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:–

In the Environment Impact Assessment Notification, 2006,-

(I) in paragraph 7, for sub-paragraph (ii), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

(a) All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernisation of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence necessary including preparation of Environment Impact Assessment and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

(b) Any change in configuration of the plant from the environmental clearance conditions during execution of the project after detailed engineering shall be exempt from the requirement of environmental clearance, if there is no change in production and pollution load. The project proponent shall inform the Ministry of Environment, Forest and Climate Change / State Level Environment Impact Assessment Authority and the concerned State Pollution Control Board.

(c) Any change in product-mix, change in quantities within products or number of products in the same category for which environmental clearance has been granted shall be exempt from the requirement of prior environmental clearance provided that there is no change in the total capacity sanctioned in prior environmental clearance granted earlier under this notification and there is no increase in pollution load. The project proponent shall follow the procedure for obtaining **No Increase in Pollution Load** certificate from the concerned State Pollution Control Board as per the provisions given in Appendix –XIV.";

(II) in the Schedule,-

(a) against item 3(b) relating to Cement Plants and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"3 (b)	Cement Plants	≥ 1.0 million tonnes / annum production capacity	< 1.0 million tonnes / annum production capacity. All stand alone grinding units	General Conditions shall apply **Note:** 1. Fuel for cement industry may

				be coal, petcoke, mixture of coal and petcoke and co-processing of waste provided it meets the emission standards. 2. The manufacturing of composite cement by plants having environmental clearance for manufacturing Ordinary Portland Cement(OPC), Portland Pozzolana Cement(PPC) and Portland Slag Cement(PSC) shall be exempt provided the production is within sanctioned capacity.”;

(b) against item 5(a)relating to Chemical Fertilizers and the entries relating thereto, the following shall be substituted:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“5(a)	Chemical fertilizers	All projects including all Single Super Phosphate with H_2SO_4 production except granulation of chemical fertilizers.	All Single Super Phosphate without H_2SO_4 production and granulation of chemical fertilizers.	General condition shall apply. Note: 1. Granulation of single super phosphate powder is exempt. 2. Neem coating of fertilizers is exempt provided that the total production does not exceed the sanctioned capacity in EC plus the weight of the coating material used. 3. Fortification of fertilizers is exempt provided that the total production does not exceed the sanctioned capacity in EC plus the weight of the fortification material used.”.

[F. No. J-11013/12/2013-IA-II(I)(part)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide numbers S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O.695(E), dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E), dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E), dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O.637(E), dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E), dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E), dated 7th October, 2014, S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E), dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O. 1834(E) dated 6th July, 2015 and S.O. 2572(E) dated 14th September, 2015, S.O. 141(E) dated 15th January, 2016, S.O. 190(E) dated 20th January, 2016, S.O. 648(E) dated 3rd March, 2016 and S.O. 2269(E) dated 1st July, 2016.

Appendix –XIII

Process for obtaining "No Increase in Pollution Load" certificate / permission from the State Pollution Control Board*.

The instant amendment in EIA notification exempts the requirement of prior environmental clearance for cases of change in product mix without change in quantity and pollution load as prescribed in the environmental clearance of the project. This facility is available to those units which have obtained prior environmental clearance under EIA Notification, 1994 and EIA Notification, 2006. Such units shall apply to the State Pollution Control Board along with their last Consent to Operate certificate. All such cases shall be examined and decided in following manner at the State Pollution Control Board:

1. The application received for such purpose shall be scrutinized online at the Regional Officer/Unit Head level and the applicant shall be asked to submit specific information in a format (Annexure – 'A') specified for this purpose.
2. The information so received shall be examined by the Technical Committee constituted for this purpose comprising of officers from State Pollution Control Boards, Central Pollution Control Board and 4 external experts drawn from the academic / research institutes to be nominated by Principal Secretary Environment of the State Government / Union Territory.
3. The project proponent is required to obtain a certificate of no increase in the pollution load from the Environmental Auditors and reputed institutions to be empanelled by the State Pollution Control Board / Central Pollution Control Board / Ministry.
4. The applicant along with environmental auditors shall make presentation before the Technical Committee. The meetings of the Technical Committee shall be held at least once in a month. The Technical Committee shall examine the details received from the applicant and the environmental auditors as well as the report of the scrutiny done by the officers of the State Pollution Control Board.
5. Based on the deliberations and the scrutiny the Technical Committee will make its recommendations.
6. Based on the recommendations of the Technical Committee the State Pollution Control Board shall take decision with respect to the application received from the project proponent for change in the consent to operate for the purpose of change in the product mix.
7. The decision taken by the Board shall be conveyed through sms/e-mail and online Consent/Rejection Order to the applicant.

***Based on process and procedure of State Pollution Control Board, Gujarat.**

Format for providing information on Change In Product Mix

Subject	
Name & Address of the unit	
Sector of Industry	

1.0 LIST OF PRODUCTS WITH QUANTITY:

(Full name of each product must be shown)

2.0 LIST OF RAW MATIRIALS WITH QUANTITY$^{(A)*}$:

3.0 MANUFACTURING PROCESS OF EACH PRODUCT WITH CHEMICAL REACTIONS:

4.0 MASS BALANCE FOR EACH PRODUCT:

5.0 WATER ASPECTS:

5.1 Sources of Raw water:

5.2 Water Consumption Details (KL/Day) :

Propose	**Existing Water Consumption**	**Water Consumption Break up after change in product mix**	**Proposed Additional Water Consumption**
INDUSTRIAL			
Process + APCM			
Boiler			
Cooling			
Washing			
Gardening			
Other			
Total Industrial			
DOMESTIC			

5.3 Water Balance Diagram (with reuse/recycle if any):

6.0 EFFLUENT GENERATION (KL/day) :

Propose	Existing Effluent Generation	Effluent Generation after proposed change in product mix	Mode of Disposal & Ultimate Receiving Body
INDUSTRIAL			
Process + APCM			
Boiler			
Cooling			
Washing			
Other			
Total Industrial			
DOMESTIC			

6.1 Segregation of Concentrated stream and its disposal:

6.2 Details of Reduction / Recycle / Reuse of effluent:

6.3 Effluent Treatment Facilities Provided:

6.4 Proposal for up-gradation of ETP (with time bound program):

6.5 Membership of CETP (if any):

6.6 Membership of Common Effluent Conveyance / Disposal Facility (if any):

6.7 Proposal to achieve zero discharge with technical justification and feasibility:

7.0 FLUE GAS EMISSION:

Sr. No.	Stack attached to	Fuel	Existing Fuel Consumption	Proposed Fuel Consumption	Stack Height

7.1 Proposal for switching over to cleaner fuel, if any (with time bound program):

7.2 Proposal for up-gradation of existing APCM (with time bound program):

7.3 Proposal for installation of new APCM (with time bound program):

8.0 PROCESS EMISSON:

Stack No.	Stack attached to	Stack height in Meter	APCM	Parameter	Permissible Limit

8.1 Proposal for up-gradation of existing APCM, if any (with time bound program):

8.2 Proposal for installation of new APCM (with time bound program):

9.0 HAZARDOUS WASTE GENERATION:

Sr. No.	Type of Waste	Category (As per Schedule)	Generation per Year (No Change)		Source of Generation	Mode of Storage	Mode of Treatment & Disposal
			Existing	After Change in Product Mix			

9.1 Proposal for reduction / recovery / reuse / recycle / sale of waste, if any:

9.2 Proposal for efficient recovery of solvents (with technical details):

9.3 Membership of Common Secured Landfill Site (if any):

9.4 Membership of Common hazardous waste incineration facility (if any):

10.0 DETAILS OF COMPLIANCE:

10.1 Status of environment clearance conditions compliance and its validity

10.2 Status of Consent and its Validity:

10.3 Notice of Directions / Closure Orders issued by the GPCB during last 2 years:

	Under the Water Act	Under the Air Act	Under the E.P. Act
Notice of Directions			
Closure Orders			

10.4 Status of submission of Environment Audit report for previous audit period (if applicable):

10.5 EMS adequacy certificate from environmental auditor:

10.6 "No Increase in Pollution Load" certificates from environmental auditor:

11.0 ADDITIONAL INFORMATION IMPORTANT FOR APPRAISAL OF THE PROPOSAL:

11.1 Product wise Separate Sheet, showing the existing and proposed change in Air pollutants (e.g. Kg./Hr. or, Kg/day), Water pollutants (e.g. Kg/day) and Hazardous Waste generation (Kg./Month or, MT/Month) along with respective proposed control measures suggested, must be shown in tabular form. Along with the details of total change in pollution load (Water, Air, Haz. Waste).

11.2 Separate colored Layout plans for existing and proposed plant machineries along with north direction must be provided.

11.3 Details of MSDC of all the Raw Materials & Products must be shown.

11.4 Copy of valid consents must be produced.

11.5 Comparative statement showing ARs of w/w & stacks samplings must be shown with prescribed permissible limits of respective pollutants.

(A) List of raw materials with quantities must be product wise, in tabular form.

(B) Chemicals reactions giving each step of the process must be given.

(C) Mass balance for each reactant has to be given.

(D) Separate sheet showing the details of product wise consumption and waste water generation (from existing & Proposed) must be shown in tabular form.

11.6 Undertaking for no change in machinery and plant layout.

11.7 Hazardous chemicals storage facility.

11.8 Product wise effluent quantity & their load.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2910] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938
No. 2910] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3999(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा यह निदेश दिया था कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही नवीन परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अपेक्षित संनिर्माण या उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तारण या आधुनिकीकरण के कार्य को, जिसमें प्रक्रिया या तकनीक और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता में वृद्धि किया जाना सम्मिलित है, भारत के किसी भाग में केवल, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेने के पश्चात् ही आरंभ किया जाएगा ;

केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी कारबार करने की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है और भवन तथा संनिर्माण सेक्टर, जो आवास की व्यवस्था करने के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए अनुज्ञाओं को सरल बना रही है तथा इस प्रयोजन के लिए शहरी क्षेत्र में कमजोर वर्ग सस्ता आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की स्कीम में महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है ;

और उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में यह उपबंधित है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार यह विचार करती है कि किसी उद्योग पर प्रतिषेध या निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने चाहिए, तो वह अपने ऐसा करने के आशय की सूचना देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना का.आ.1595(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना पर आक्षेप और सुझाव ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, से उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन में आमंत्रित किए जाते है ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उपरोक्त निर्दिष्ट प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--(I) उक्त अधिसूचना में,--

(1) पैरा 13 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"**14. निर्माण उप नियमों में पर्यावरणीय शर्तों का समाकलन :-**

(1) स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्माण अनुमति सहित समाकलित पर्यावरणीय दशा प्रदान की जाएगी और आकार के अनुसार इमारतों का निर्माण परिशिष्ट XIV में दिए गए लक्ष्य और निगरानी योग्य पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार किया जाएगा।

(2) राज्य जो अपनी भवन उपविधियों तथा सुसंगत राज्य विधियों में उप पैरा (1) में निर्दिष्ट इन लक्ष्यों तथा निगरानी योग्य पर्यावरणीय शर्तों को अपना रहे हैं और भवन संनिर्माण के लिए दिए गए अनुमोदनों से उन शर्तों को समाविष्ट कर रहे हैं जिससे इसे विधिक रूप से प्रवर्तनीय बनाया जा सके, व्यष्टिक इमारतों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

(3) राज्य पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपनी उपविधियों और नियमों में ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन भेजेंगे जो प्रारूप की समीक्षा करेगा और सहमति देगा।

(4) जब राज्य सरकारें, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सहमति दिए गए उपविधियों और नियमों को अधिसूचित कर देती हैं तो केन्द्रीय सरकार यह आदेश जारी करेगी कि उन राज्य या स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्रों में कोई पृथक् पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

(5) स्थानीय प्राधिकारियों जैसे विकास प्राधिकरण, नगरपालिकाएं स्थानीय निकायों में गठित पर्यावरण प्रकोष्ठ की सिफारिशों पर किन्ही भवनों के लिए नियत अपेक्षाओं के अनुसार यथा लागू किए गए समापन प्रमाणपत्र के जारी किए जाने से पूर्व इन पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन प्रमाणित करेंगे।

(6) राज्य सरकारें जहां उपविधि या नियम विरचित नहीं है, इस अधिसूचना में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, व्यष्टिक परियोजनाओं के मूल्यांकन की विद्यमान प्रक्रिया तथा इमारतों और संनिर्माणों के लिए पर्यावरण अनापत्ति की मंजूरी का पालन करते रहेंगे।"

(7) भवनों में पर्यावरण के समावेशन के संबंध में प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सक्षम अभिकरण के माध्यम से अर्हित निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक से इस अधिसूचना की अपेक्षाओं के माध्यम से निर्माण परियोजना का मूल्यांकन और प्रमाणित करेगी तथा अर्हित निर्माण पर्यावरणीय संपरीक्षक का प्रत्यानन के लिए प्रक्रिया और उनकी भूमिका परिशिष्ट XV पर दी गई है।

(8) निर्माण उपविधि में पर्यावरण शर्तों के समामेलन के अनुपालन में राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी पर्यावरण प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रकोष्ठ कहा गया है), गठन करेगी तथा अपने क्षेत्राधिकार में पर्यावरण योजना को सुनिश्चित करेगा।

(9) प्रकोष्ठ इमारतों के निर्माण के लिए पर्यावरण शर्तों के समाकलित करने के लिए बनाए गई उपविधि और नियमों के अनुपालन की निगरानी करेगा और प्रकोष्ठ किसी असावधानी, यदि कोई है, के लिए तृतीय पक्षकार संपरीक्षा प्रक्रिया की भी अनुमति देगा।

(10) प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकरणों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(11) प्रकोष्ठ का गठन और कृत्य परिशिष्ट xvi में दिया हुआ है।

(12) स्थानीय प्राधिकारी निर्माण उपविधि में पर्यावरण के संबंध में समाकलन करते समय परियोजना में उनकी सरकार के अनुसार नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी :-

भवन प्रवर्ग '1' (5000 से < 20,000 वर्ग मीटर)

पर्यावरणीय शर्तों (परिशिष्ट xiv) के अनुपालन के लिए स्व घोषणा प्ररूप और अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा प्रमाणन प्रारूप 1क के साथ परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थीय प्राधिकारी से निर्माण के लिए अनुमति हेतु आवेदन के अलावा पृथक् खाते में विनिर्दिष्ट फीस सहित आनलाइन प्रस्तुत करेगा। उसके पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी इसमें पर्यावरणीय शर्तों के

समावेशन के लिए निर्माण अनुमति जारी करेगा तथा आवेदन के साथ स्व घोषणा और प्रमाणन के आधार पर परियोजना आरंभ करने के लिए अनुमति देगा । भवन के निर्मान के समापन के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षक द्वारा की गई संपरीक्षा के आधार पर आनलाइन आधारित प्ररूप 1क को अद्यतन करेगा तथा पुनरीक्षित अनुपालन परिवचन स्थानीय प्राधिकारी को देगा । 20,000 वर्ग मीटर से कम के भवनों के अननुपालन संबंधी कोई मुद्दा विद्यमान यांत्रिकी के दौरान स्थानीय प्राधिकारी और राज्य स्तर पर विचार किया जाएगा ।

अन्य भवन प्रवर्ग (≥20,000 वर्ग मीटर)

परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण मूल्यांकन के लिए विनिर्दिष्ट फीस सहित प्ररूप 1क में आनलाइन आवेदन तथा निर्माण अनुमति के लिए अतिरिक्त फीस प्रस्तुत करेगा । पर्यावरण मूल्यांकन के लिए फीस पृथक् खाते में जमा की जाएगी । पर्यावरण प्रकोष्ठ आवेदन पर कार्यवाही करेगा और उस स्थानीय प्राधिकारी में निर्माण अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के नेतृत्व वाली बैठक में प्रस्तुत करेगा । समिति परियोजना का मूल्यांकन करेगी और पर्यावरण शर्तों को निर्माण अनुमति में समावेशन के लिए शर्त रखेगा । समिति की सिफारिशों के पश्चता निर्माण अनुमति और पर्यावरण अनापत्ति स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समेकित आरूप में जारी करेगा ।

परियोजना प्रस्तावक अर्हित निर्माण पर्यावरण संपरीक्षक से संनिर्माण के समापन के पश्चात् लागू पर्यावरणीय शर्तें मानकों के लिए परियोजना में सतत् अनुपालन के प्रमाणपत्र और अनुपालन आंकड़ें प्रत्येक पांच वर्ष में पर्यावरण प्रकोष्ठ को निम्नलिखित मानकों पर विशेष केन्द्रित करते हुए प्रस्तुत करेगा :-

(क) ऊर्जा प्रयोग (सभी ऊर्जा स्त्रोतों सहित)

(ख) साइट पर पुर्नप्रयोग ऊर्जा स्त्रोतों से साइट पर उत्तपन की ऊर्जा

(ग) साइट जल प्रयोग और अपशिष्ट जल उत्पन्न, उपचारित और पुर्नप्रयुक्त

(घ) साइट पर पृथकीकृत और उपचारित अपशिष्ट

(ङ) पौधारोपण और रखरखाव ।

परयोजना के पूर्ण होने पर, प्रकोष्ठ पांच वर्षीय संपरीक्षा रिपोर्ट सहित परियोजना अनुपालन प्रास्थिति की अचावक जांच करेगा । राज्य सरकारें पर्यावरणीय शर्तों और मानकों के अननुपालन के लिए शास्तियां लगाने के लिए समुचित विधि अधिनियमित करेगी । प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकारी शर्तें या मानकों के अननुपालन के लिए सुसंगत राज्य विधि के अधीन यथा लागू वित्तीय शास्तियों की सिफारिश करेगा । प्रकोष्ठ की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय प्राधिकारी सुसंगत राज्य विधि के अधीन शास्तियां अधिरोपित करेगा । असत्य घोषणा या प्रकाशन की दशा में प्रत्यानन निकाय को रिपोर्ट करेगा और स्थानीय निकाय अर्हित भवन पर्यावरण संपरीक्षकों को काली सूची में डाल देगा तथा मालिक और अर्हित निर्माण पर्यावरण संपरीक्षक पर वित्तीय शास्ति लगाएगा ।

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारक तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन स्थापन तथा प्रचालन की सहमति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति 1,50,000 वर्ग मीटर के लिए रिहायशी निर्माण हेतु अपेक्षित नहीं होगी,";

(II) अनुसूची में मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8.		भवन/योजना संनिर्माण/विकास योजना और नगरीय		
8(क)	भवन निर्माण और संनिर्माण परियोजना		निर्मित क्षेत्र का ≥ 20,000 वर्ग मीटर और ≤ 1,50,000 वर्ग मीटर	इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" पद, सभी तलों को एक साथ मिलाकर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र जिसके अंतर्गत उसका बेसमेंट भी है, जो भवन निर्माण तथा संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित है । **टिप्पण 1-** परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अंतर्गत औद्योगिक शेड, विश्वविद्यालयों,

				महाविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए छात्रावास, किंतु ऐसे भवन पोषणीय पर्यावरणीय प्रबंधन, ठोस और तरल तथा परिशिष्ट 14 में दी गई शर्तों को सुनिश्चित करेगी । **टिप्पण 2:** साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी । **टिप्पण 3:** टिप्पण 1 में प्रदत्त छूट स्थानीय प्राधिकारी के स्तर पर भवन अनुमति सहित पर्यावरणीय मानकों के समाकलन के पश्चात् औद्योगिक शेड के लिए ही उपलब्ध होगी ।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास योजनाएं	निर्मित क्षेत्र का $\geq$ 3,00000 वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का $\geq$ 150 हेक्टेयर	निर्मित क्षेत्र का $\geq$1,50000 वर्ग मीटर और < 3,00000 वर्ग मीटर या आच्छादित क्षेत्र का $\geq$ 50 हेक्टेयर और <150 हेक्टेयर	**टिप्पण:** साधारण शर्तें लागू नहीं होंगी

[फा. सं. जे-19-2/2013-आईए-III(भाग)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन का.आ. 1737 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007, का.आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009, का.आ. 695 (अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011, का.आ. 2896 (अ) तारीख 10 दिसंबर, 2012, का.आ. 574 (अ) तारीख 13 मार्च, 2011, का.आ. 2896 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012, का.आ. 674 (अ) तारीख 13 मार्च, 2013, का.आ. 2559 (अ) तारीख 22 अगस्त, 2013, का.आ. 2731 (अ) तारीख 9 सिंतबर, 2013, का.आ. 562 (अ) तारीख 26 फरवरी, 2014, का.आ. 637 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2014, का.आ. 1599 (अ) तारीख 25 जून, 2014, का.आ. 2600 (अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2014, का.आ. 3252 (अ) तारीख 22 दिसंबर, 2014, का.आ. 382 (अ) तारीख 3 फरवरी, 2015 और का.आ. 811 (अ) तारीख 23 मार्च, 2015, का.आ. 996 (अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015, का.आ. 1142 (अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015, का.आ. 1141 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015, का.आ. 1834 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2015 और का.आ. 2572 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2015, का.आ. 141 (अ) तारीख 15 जनवरी, 2016, का.आ. 190 (अ) तारीख 20 जनवरी, 2016, का.आ. 648 (अ) तारीख 3 मार्च, 2016 और का.आ. 2269 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 द्वारा किए गए ।

परिशिष्ट – XIV

भवनों तथा निर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें

(श्रेणी-'1': 5,000 से लेकर 20,000 वर्ग मीटर से कम)

माध्यम	क्र.सं.	पर्यावरणीय शर्तें
स्थलाकृति तथा प्राकृतिक ड्रेनेज	1	जल के अबाधित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक ड्रेन प्रणाली का रखरखाव किया जाना चाहिए । किसी भी निर्माण कार्य को स्थल से होकर गुजरने वाले प्राकृतिक ड्रेनेज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी । नम भूमि तथा जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ड्रेनेज पद्धति का रखरखाव करने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-स्वेल, लैंडस्केप और अन्य वहनीय शहरी ड्रेनेज प्रणालियों की अनुमति है ।
जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल स्तर में वृद्धि	2	जल-सक्षम उपस्करों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा । वर्षा जल संचयन संबंधी स्थानीय उपनियम के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा । यदि स्थानीय उपनियम के उपबंध उपलब्ध न हों, तो शहरी विकास मंत्रालय के मॉडल भवन उपनियम, 2016 के अनुसार भण्डारण तथा रिचार्ज के लिए उचित उपबंध का अनुपालन किया जाएगा ।

		वर्षा जल संचयन की एक योजना बनाए जाने की आवश्यकता है जिसमें रिचार्ज बोर (प्रत्येक 5,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र पर न्यूनतम एक रिचार्ज) की सिफारिश की जाती है। संचित वर्षा जल के भण्डारण तथा पुन:प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जहां भू-जल स्तर को बढ़ाना व्यवहार्य न हो, वर्षा जल का भण्डारण और पुन:प्रयोग किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना भू-जल नहीं निकाला जाएगा। सभी रिचार्ज को उथले जलभृत तक सीमित रखा जाना चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20% खुला स्थान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50% ओपनिंग के साथ पेवर, पेवर ब्लॉकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा।
अपशिष्ट प्रबंधन	3	ठोस अपशिष्ट: अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा भू-तल पर अलग-अलग नम और शुष्क बिनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीवेज: ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां ऑनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए। लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित बहि:स्राव का पुन:प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधित बहि:स्राव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सेप्टिक टैंकों सहित ऑनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 का अनुपालन किया जाएगा।
ऊर्जा	4	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालन किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1% समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए अथवा स्थानीय भवन उपनियमों की आवश्यकतानुसार, जो भी अधिक हो, सोलर वाटर हीटिंग की व्यवस्था की जाएगी। आवासीय भवनों के लिए भी यथासंभव अपनी गर्म जल मांग की पूर्ति हेतु सोलर वाटर हीटरों की सिफारिश की जाती है। भवन डिजायनों में पैसिव सोलर डिजायन की संकल्पना शामिल की जाएगी जिसमें डिजायन के तत्वों जैसे भवन अभिमुखीकरण, लैंडस्केपिंग, दक्ष भवन एन्वेलप, समुचित खिड़कियों की व्यवस्था, दिन में अधिक प्रकाश करने की व्यवस्था में सुधार और थर्मल मास इत्यादि का प्रयोग करके भवनों में ऊर्जा खपत को न्यूनतम किया जाता है। दीवारें, खिड़कियां और छत के यू-वॉल्व ईसीबीसी विशिष्टियों के अनुसार होंगे।
वायु गुणवत्ता तथा शोर	5	भवन और साथ ही स्थल के लिए धूल, धुंआ एवं अन्य वायु प्रदूषण निवारण के उपाय किए जाएंगे। इन उपायों में निर्माणाधीन भवन, स्थल के चारों ओर धूल/धूल रोकने वाली दीवारों का निर्माण (कम से कम 3 मीटर की ऊंचाई तक) के लिए आवरण में शामिल हो सकेंगे। प्लाटिक/तारपोलिन स्थल से कचरा उठाने के साथ-साथ बालू, सीमेंट, मुर्रम में चलती हुई गाड़ियां तथा अन्य निर्माण सामग्रियां धूल प्रदूषण का कारण हो सकती है। साइट पर बालू, मूर्रम, बिखरी मिट्टी, सीमेंट भंडार को उचित तरीके से ढक कर रखा जाएगा जिससे कि धूल प्रदूषण को रोका जा सके। पिसाई तथा पत्थर कटाई के लिए वेट जेट का प्रबंध किया जाएगा। धूल को दबाने के लिए

		बिना पटरी बिछा हुआ धरातल तथा बिखरी मिट्टी पर उचित तरीके से पानी का छिड़काव किया जाएगा। निर्माण तथा विध्वंस सारे मलबे को उचित तरीके से निपटान से पहले साइट के पास इकट्ठा किया जाएगा (तथा सड़के के किनारे ढेर या बाहर खुली जगह में इकट्ठा नहीं) सभी विध्वंस तथा निर्माण अपशिष्ट को निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधित होगा। निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी कामगारों तथा निर्माण सामग्री की लोडिंग अनलोडिंग में शामिल, निर्माण सामग्री की ढुलाई तथा निर्माण के कचरे या धूल प्रदूषण के किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यक्ति को डस्ट मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। आंतरिक वायु गुणवत्ता के लिए भारत के राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार वातायन के प्रावधान तैयार किए जाएंगे।
	5(क)	डीजी सेट का स्थान निर्धारण तथा निकास पाइप की ऊंचाई सीपीसीबी मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार होगा।
हरित क्षेत्र	6	प्रति80 वर्ग मीटर की भूमि के लिए कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान पेड़ों की गिनती की जाएगी। देशीय जाति के पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	6(क)	जहां पेड़ों की कटाई आवश्यक हो, 1:3 के अनुपात में प्रतिपूरक वृक्षारोपण अर्थात प्रत्येक एक पेड़ की कटाई के लिए 3 पौधों को लगाना तथा उनका रख-रखाव करना होगा।

(श्रेणी **'2'** : **20,000** वर्ग मीटर से लेकर **50,000** से कम)

माध्यम	क्रम.सं.	पर्यावरणीय शर्तें
स्थलाकृति तथा प्राकृतिक जल निकास	1	जल की अबाधित धारा सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक जल निकास प्रणाली का प्रबंध होना चाहिए। साइट के माध्यम से प्राकृतिक जल निकास को अवरोध करने के लिए निर्माण की अनुमति नहीं होगी। नमभूमि और जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं होगी। जल निकास पैटर्न तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-स्वाल्स, लैंडस्केप तथा अन्य धारणीय शहरी जल निकास प्रणालियों (एसयूडीएस) की अनमुति होगी। जहां तक संभव हो सके, भवनों की डिजाइन में प्राकृतिक स्थलाकृति का पालन किया जाएगा। कम से कम कटाई तथा भराई होनी चाहिए।
जल संरक्षण, वर्षा जल सिंचाई तथा भूमि जल को रिचार्ज करना	2	जल संचयन, जल क्षमता और संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना तैयार की जाए। न्यून फिक्चर या सेंसरों वाले जल क्षमता वाले उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वर्षा संचयन के संबंध में स्थानीय उप नियम, उपबंधों का पालन किया जाएगा। अगर स्थानीय उप नियम उपलब्ध नहीं है तो शहरी विकास मंत्रालय का मॉडल भवन उप नियम, 2016 के अनुसार भंडारण तथा रिचार्ज के लिए पर्याप्त प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन योजना का डिजाइन बनाने की आवश्यकता है जहां 5000 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र में कम से कम एक रिचार्ज बोर हो तथा कम से कम कुल एक दिन के शुद्ध जल के प्रबंधन की भंडारण क्षमता की आवश्यकता होगी। उन क्षेत्रों, जहां भूमिगत जल को रिचार्ज करना संभव नहीं है, में वर्षा जल संचयन चाहिए तथा पुन: उपयोग के लिए भंडारण किया जाएगा। भूमिगत जल को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं निकाला जाएगा। सभी रिचार्ज सीमित उथले जलभृत तक सीमित होनी चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उप-नियमों द्वारा यथाअपेक्षित खुले स्थानों का कम से कम 20% भाग भेद्य होगा। न्यूनतम 50% खाली जगह, भूदृश्य आदि सहित हरित खंड़जों, खंडज प्रखंड के उपयोग सहित यथा प्रवेश्य धरातल के रूप में विचार किया जाएगा।
अपशिष्ट प्रबंधन	3	ठोस अपशिष्ट: प्रत्येक इकाई में और भू तल पर पृथक-पृथक गीले और सूखे कचरे के डिब्बे, अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। मलजल: अपशिष्ट 100% अपशिष्ट जल के शोधन की स्थल पर मलजल शोधन क्षमता संस्थापित की

		जानी है। शोधित अपशिष्ट जल को स्थल पर भूदृश्य, फलशिंग, कूलिंग टावर और अन्य प्रयोजनार्थ पुन:प्रयोग किया जाएगा। अतिरिक्त शोधित जल को सीपीसीबी मानकों के अनुसार छोड़ा जाएगा। प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सेप्टिक टैंको सहित स्थल पर (ऑन साईट) शोधन से अवमल का मल-निर्यास और मलजल शोधन प्रणाली, 2013 पर शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ), के मैनुअल के अनुसार संग्रहण, ढुलाई और निपटान किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।
	3 (क)	सभी गैर-जैवक्रमणीय अपशिष्ट प्राधिकृत पुनचर्क्रणकर्ताओं को सौंपा जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुनचर्क्रणकर्ताओं के साथ लिखित में गठजोड़ किया जाना चाहिए।
	3 (ख)	जैविक अपशिष्ट कम्पोस्ट/0.3 कि./प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन की न्यूनतम क्षमता वाला वर्मीकल्चर/पिट संस्थापित किया जाना चाहिए।
ऊर्जा	4	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में जिन भवनों ने अपने स्वयं ईसीबीसी अधिसूचित किए हैं, वे भवन राज्य ईसीबीसी का अनुपालन करेंगे। बाहरी क्षेत्र और साझा क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था एलईडी की होगी। पैसिव सौर डिजाइन की संकल्पना, जिसमें भवनोन्मुख, भू-दृश्य निर्माण, कौशलपूर्ण भवन आवरण, उचित गवाक्षीकरण, दिन में उन्नत प्रकाश व्यवस्था डिजाइन और ताप विद्युत मास आदि का उपयोग करके भवनों में ऊर्जा उपभोग न्यूनतम किया जाता है, भवन डिजाइन में समावेशित किया जाएगा। दीवार, खिड़की और रूफ-यू-वैल्यूज, ईसीबीसी विनिर्देशों अनुसार होनी चाहिए।
	4 (क)	भार की मांग के 1% के बराबर विद्युत उत्पादन अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उप-नियमों की अपेक्षानुसार जो भी अधिक हो, को पूरा करने के लिए सौर, पवन अथवा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित की जाएगी।
	4 (ख)	वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों की गर्म जल की 20% मांग अथवा स्थानीय भवन उप-नियमों के यथा अपेक्षा अनुसार, जो भी अधिक हो, को पूरा करने के लिए सौर जल तापक प्रदान किए जाएंगे। आवासीय भवनों को भी यथासंभव सौर जल हीटरों से अपनी गर्मपानी की मांग पूरा करने के लिए सुझाव दिया गया है।
	4 (ग)	निर्माण सामग्री की मात्रा के कम से कम 20% मात्रा हेतु ईटों, प्रखंडों और अन्य निर्माण सामग्रियों में पर्यावरण अनुकूलन सामग्री का उपयोग करना अपेक्षित होगा। इनके फ्लाई ऐश ईंटे, खोखली (हौलो) ईंटें, एएसी, फ्लाई ऐश चूनापत्थर, जिप्सम प्रखंड, कम्प्रैस्ड मृदा प्रखंड और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियां शामिल हैं। फ्लाई ऐश को समय-समय पर यथा संशोधित सितम्बर, 1999 की फ्लाई ऐश अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार निर्माण में भवन सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
वायु गुणवत्ता और ध्वनि	5	भवन के साथ-साथ निर्माण स्थल के लिए धूल कण, धुंधा और अन्य वायु प्रदूषण उपशमन उपाय अपनाएं जाएंगे। इन उपायों में निर्माणाधीन भवनों के लिए स्क्रीन, निर्माण स्थल के चारों ओर सतत धूलकण/पवन को मंद करने के लिए दीवारों (कम से कम 3 मीटर ऊँची) का निर्माण शामिल हैं। निर्माण स्थल में बालू, सीमेंट, लोहबान और अन्य निर्माण सामग्रियां, जिनके कारण स्थल पर धूल प्रदूषण उत्पन्न होता है, लाने वाले और निर्माण स्थल से डेबरी ले जाने वाले वाहनों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल की शीट कवर प्रदान किए जाने चाहिए। स्थल पर भण्डारण किए हुए बालू, लोहबान, खुली मृदा, सीमेंट को पर्याप्त रूप से ढ़का होना चाहिए ताकि धूलकण से प्रदूषण की रोकथाम की जा सके। निर्माण सामग्री की पिसाई और पत्थरों की कटाई के लिए वेटजेट प्रदान किए जाएं। निर्माण और विध्वंस का समस्त कचरा उचित ढंग से निपटान किए जाने से पूर्व स्थल पर ही रखा जाएगा (सड़क अथवा बाहर खुले स्थान पर ढेर नहीं लगाया जाएगा)। समस्त विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट का प्रबंधन निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

		निर्माण स्थल पर कार्यरत तथा निर्माण सामग्री और निर्माण कचरे को लादने, उतराने, ढुलाई अथवा धूल प्रदूषण वाले किसी क्षेत्र में कार्यरत सभी मजदूरों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएं। भीतरी वायु गुणवत्ता के संबंध में भारत के राष्ट्रीय भवन क्रोड के अनुसार वायुसंचार प्रावधान किए जाएं।
	5(क)	डीजी सेट का स्थान और निकास नली की ऊँचाई सीपीसीबी मानदण्डों के प्रावधानों के अनुसार होगी।
हरित आवरण	6	प्रति 80 वर्गफुट भूमि के लिए कम से कम एक वृक्ष लगाया जाना चाहिए और उसकी देख-रेख की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान वृक्षों की गणना की जाएगी। स्थानिक प्रजातियों के रोपण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	6(क)	जहां वृक्षों को काटे जाने की आवश्यकता है, 1:3 (अर्थात् काटे गए प्रत्येक 1 वृक्ष के लिए 3 वृक्षों का रोपण) के अनुपात में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए और उसका रख-रखाव किया जाए।
ऊपरी मृदा का परिरक्षण और पुन: उपयोग	7	भवनों, सड़कों, पेवड क्षेत्रों और बाह्य सेवाओं हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों से ऊपरी मृदा को 20 सेमी. की गहराई तक खोदा जाए। इसे निर्दिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त तरीके से संचित किया जाए तथा स्थल पर प्रस्तावित पेड़-पौधों के रोपण के दौरान पुन: उपयोग किया जाए।
परिवहन	8	एमओयूडी सर्वोत्तम पद्धतियां दिशा-निर्देश(यूआरडीपीएफआई) के अनुसार, एक व्यापक मोब्लिटी योजना बनाई जाए ताकि मोटर-सज्जित, गैर-मोटर-सज्जित, सार्वजनिक और निजी नेटवकों को शामिल किया जा सके। सड़क का डिजाइन पर्यावरण, और उपयोक्ताओं की सुरक्षा को पर्याप्त ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। सड़क प्रणाली का डिजाइन इन मूलभूत मापदंडों के अनुसार बनाया जा सकता है। वाहनीय और पैदल यातायात के उचित पृथक्करण से सड़कों का अनुक्रम। यातायात शामक उपाय। प्रवेश और निकासी बिदुंओं का उचित डिजाइन। स्थानीय विनियम के अनुसार पार्किंग मानक ।

(श्रेणी '3' : 50000 से 150000 वर्ग मीटर)

माध्यम	क्र.सं.	पर्यावरणीय स्थिति
स्थलाकृति और प्राकृतिक निकासी	1	जल का अबाधित बहाव सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक निकासी प्रणाली का रख-रखाव किया जना चाहिए। ऐसे किसी निर्माण की अनुमति न दी जाए जिससे कि स्थल के माध्यम से प्राकृतिक निकासी बाधित हो। आर्द्रभूमि ओर जल निकायों पर किसी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है। निकासी पेटर्न को बनाए रखने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चक बांध, बॉयो.स्वेलस, भू-दृश्य, और अन्य सतत शहरी निकासी प्रणालियां (एसयूडीएस) अनुमत हैं। भवनों का डिजाइन, जहां तक संभव हो, प्राकृतिक स्थलाकृति के अनुसार बनाया जाना चाहिए। पेड़ों को काटना और गिराना न्यूनतम होना चाहिए।
जल संरक्षण-वर्षा जल संचयन और भू जल रिचार्ज	2	वर्षा जल संचयन, जल के गुणवत्ता तथा संरक्षण के लिए एक पूर्ण योजना बनाई जाए। वर्षा जल संचयन के संबंध में स्थानीय उपविधि का पालन किया जाए। यदि स्थानीय उपविधि उपलब्ध न हों, तो शहरी विकास मंत्रालय के मॉडल भवन उपविधि, 2016 के अनुसार भंडारण और रिचार्ज संबंधी उपयुक्त प्रावधानों का पालन किया जाए। एक वर्षा जल संचयन योजना डिजाइन किए जाने की आवश्यकता है जहां निर्मित क्षेत्र के प्रति 5,000 वर्ग मीटर न्यूनतम एक रिचार्ज बोर और कुल ताजा जल आवश्यकता की न्यूनतम एक दिन की भंडारण क्षमता का रिचार्ज बोर प्रदान किया जाए। ऐसे क्षेत्र जहां भूजल रिचार्ज व्यवहार्य नहीं है, वहां वर्षा जल का संचयन और पुन:उपयोग हेतु भंडारण किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिए बिना भूजल न निकाला जाए।

		सभी रिचार्ज ऊपरी जलभृत एक सीमित होने चाहिए।
	2 (क)	स्थानीय भवन उप-नियमों द्वारा का यथा अपेक्षित खुले स्थान कम से कम 20% प्रवेश्य होगा। कम से कम 50% खुले स्थान वाले ग्रास पेवर, पेवर ब्लॉक, भू-दृश्य इत्यादि को प्रवेश्य सतह माना जाएगा।
	2 (ख)	जल किफायती उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। लो-फ्लो फिक्सरों अथवा सेंसरों का प्रयोग जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया जाए।
	2 (ग)	दोहरी प्लंबिग प्रणाली के प्रयोग द्वारा भूरे और काले पानी को पृथक किया जाए। सिंगल स्टेक प्रणाली के मामले में दोहरी प्लंबिग प्रणाली द्वारा फ्लशिंग के लिए अलग पुनर्संचरण लाइनें बनाई जायेंगी।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	3	ठोस अपशिष्ट: अपशिष्ट के अलग-अलग करने को आसान बनाने के लिए प्रत्येक इकाई और भूतल पर अलग-अलग गीले और सूखे कूड़े दान उपलब्ध कराए जांए। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016, और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।
	3 (क)	सभी गैर जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट को प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के हवाले कर दिया जाएगा जिसके लिए प्राधिकृत पुनचर्क्रणकर्ताओं के साथ लिखित समझौता किया जाएगा।
	3 (ख)	न्यूनतम 0.3 किग्रा/व्यक्ति/दिन की क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कम्पोस्टर/वर्मीकल्चर गड़ढे बनाए जायेंगे।
मल-जल शोधन संयंत्र	4	स्थल पर 100% अपशिष्ट जल शोधन क्षमता के मल-जल शोधन की अवस्थापना किया जाना। शोधित मल-जल का पुनर्प्रयोग स्थल पर लैंड-स्कैप, फ्लशिंग, कूलिंग टावर और अन्य अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए किया जाए। अतिरिक्त शोधित जल को केद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार बहाया जाएगा। प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। सेप्टिक टैंकों सहित साइट पर मल-जल शोधन से उत्पन्न तलछठ को एकत्र किया जाएगा और उसे शहरी विकास मंत्रालय, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और मल-जल एवं मल-जल शोधन संयंत्र, 2013 संबंधी पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) मैनुअल के अनुसार ढोकर निपटान किया जाएगा।
ऊर्जा	5	ऊर्जा दक्षता ब्यरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिन राज्यों ने अपना स्वयं का ईसीबीसी अधिसूचित किया है, भवन अभिकल्पन में राज्य ईसीबीसी का अनुपालन करेंगे। प्रकाश व्यवस्था बाहरी और कॉमन एरिया में एलईडी की होगी। भवन अभिकल्पन में भवन अनुस्थापन, भू-दृश्यीकरण, प्रभावी भवन विकास, खिड़कियों की समुचित व्यवस्था, जिनमें प्रकाश बढ़ाने वाला अभिकल्पन और थर्मल मास इत्यादि जैसे अभिकल्पन तत्वों का प्रयोग करके भवन में न्यूनतम ऊर्जा खपत वाले पैसिव सोलर अभिकल्पन की संकल्पना को शामिल किया जाएगा। दीवार, खिड़की और छत यू-वेल्यूज़ ईसीबीसी विनिर्देशों के अनुसार होंगे।
	5 (क)	सौर, पवन या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था ताकि मांग भार या राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उप-नियमों या जो भी अधिक हो, के अनुसार 1% के बराबर विद्युत उत्पादन पूरा किया जा सके।
	5 (ख)	व्यावसायिक और सांस्थानिक भवनों की 20% गर्म पानी की मांग को पूरा करने या स्थानीय भवन उप-नियमों की आवश्यकता, जो भी अधिक हो, के अनुसार सोलर वाटर हीटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। आवासीय भवनों को भी, जहां तक संभव हो, अपनी गर्म पानी की मांग को सोलर वाटर से पूरा करने की सिफारिश की जाती है।
	5 (ग)	ईंटों, ब्लॉक्स और अन्य निर्माण सामग्री में कम से कम 20% पर्यावरण अनुकूल सामग्री के प्रयोग की आवश्यकता होगी। इसमें फ्लाई ऐश, ईंटें, हॉलों ईंटों, एएसी, फ्लाई ऐश लाइम जिप्सम ब्लॉक्स,

		कम्प्रेस्ड अर्थ बलॉक्स और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री शामिल होगी। समय-समय पर यथा संशोधित सितंबर, 1999 की फ्लाई ऐश अधिसूचना के अनुसार निर्माण में भवन सामग्री के रूप में फ्लाई ऐश का प्रयोग किया जाना चाहिए।
जल गुणवत्ता और ध्वनि	6	भवन और स्थान में धूल, धुंआं और अन्य वायु प्रदूषण निवारक उपाय किए जाए। इन उपायों में निर्माणाधीन भवन के लिए स्क्रीन, स्थल के चारों और सतत रूप से धूल/हवा रोकने वाली दीवारें कम से कम 3 मीटर ऊंचाई की) शामिल हैं। स्थल पर रेत, सीमेंट, लोहबान और अन्य निर्माण सामग्री, जो कि धूल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, के साथ-साथ स्थल से मलबे को बाहर ले जाने वाले वाहनों के लिए प्लास्टिक/तिरपाल के शीट कवर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रयुक्त वाहनों के पहियों की धुलाई की जाएगी। स्थल पर भण्डारित रेत, लोहबान, खुली मृदा, सीमेंट को अच्छी प्रकार से ढका जाएगा ताकि धूल प्रदूषण को रोका जा सके। पिसाई और पत्थर कटाई के लिए वेट जेट उपलब्ध कराया जाएगा। धूल को दबाने के लिए कच्ची सतहों और खुली मृदा पर पर्याप्त जल छिड़काव किया जाएगा। सभी निर्माण और विध्वंस मलबे के समुचित निपटान (बाहर सड़कों या खुले स्थानों पर ढेर नहीं लगाया जाएगा) से पहले, स्थल पर उनका भण्डारण किया जाएगा। सभी विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट का, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार प्रबंधन किया जाएगा। निर्माण स्थल पर कार्यरत और निर्माण सामग्री और निर्माण मलबे की लदाई, उतराई और ढुलाई में शामिल अथवा धूल प्रदूषण से युक्त किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी कामगारों को धूल रोधी मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। भीतरी वायु गुणवत्ता के लिए राष्ट्रीय भारतीय भवन संहिता के अनुसार वातायान-व्यवस्था के प्रावधान।
	6(क)	डीजी सेट का स्थान और निकास पाइप की ऊंचाई, सीपीसीबी मापदंडों के उपबंधों के अनुसार होगी।
हरित आवरण	7	प्रत्येक 80 वर्ग मीटर भूमि के लिए न्यूनतम 1 पेड़ लगाया जाएगा और उसका रखरखाव किया जाएगा। इस प्रयोजन से मौजूदा पेड़ों की गिनती की जाएगी। स्थानिक प्रजातियों लगाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
	7(क)	जहां पर पेड़ों को काटे जाने की आवश्यकता है वहां पर 1:3 के अनुपात (अर्थात काटे गए प्रत्येक 1 पेड़ के लिए 3 पेड़ लगाना) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा और रखरखाव किया जाएगा।
ऊपरी मृदा परिरक्षण और पुनउर्पयोग	8	भवनों, सड़कों, पक्के क्षेत्रों और बाहरी सेवाओं के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों से 20 सेमी की गहराई तक ऊपरी मृदा को खोदा जाना चाहिए। इसका निर्धारित क्षेत्रों में समुचित ढंग से भण्डारण किया जाना चाहिए और स्थल पर प्रस्तावित वनस्पति के रोपण के दौरान इसका पुनउर्पयोग किया जाएगा।
परिवहन	9	शहरी विकास मंत्रालय की उत्तम प्रक्रियाओं संबंधी दिशा-निर्देशों (यूआरडीपीएफआई) के अनुसार मोटरयुक्त, गैर-मोटरयुक्त, सार्वजनिक और निजी तंत्रों को शामिल करने के लिए एक व्यापक गतिशीलता योजना तैयार की जाएगी। सड़कों को पर्यावरण और प्रयोक्ताओं की सुरक्षा पर अपेक्षित विचार करते हुए अभिकल्पित किया जाना चाहिए। सड़क प्रणाली को इन आधारभूत मानदण्डों के साथ अभिकल्पित किया जा सकता है। 1. वाहनीय और पैदल-पथ यातायात के उचित पृथक्करण के साथ सड़कों का वर्गीकरण 2. यातायात को सुचारू रखने के उपाय 3. प्रवेश और निकास बिंदुओं का उचित अभिकल्प 4. स्थानीय विनियमन के अनुसार पार्किंग मापदंड

पर्यावरण प्रबंधन योजना	10	उपरोक्त मद सं. 1 से 9 में विनिर्दिष्ट पर्यावरणीय शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) तैयार और क्रियान्वित की जाएगी। ईएमपी को क्रियान्वित करने के लिए परिभाषित क्रियाकलापों और उत्तरदायित्व के साथ एक समर्पित पर्यावरण निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह पर्यावरणीय प्रकोष्ठ सुनिश्चित करेगा कि मलजल शोधन संयंत्र, भू-दृश्य निर्माण, वर्षा-जल संचयन, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण, जल दक्षता और संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि जैसी पर्यावरण अवसंरचना प्रचालनारत है और अपेक्षित मानकों को पूरा करती है। पर्यावरणीय प्रकोष्ठ, पर्यावरण निगरानी और पर्यावरण अवसंरचना से संबंधित अभिलेखों का रखरखाव भी करेगा।

परिशिष्ट-XV

पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों (योग्य भवन लेखा परीक्षक) की मान्यता

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) योग्य अभिकरणों के माध्यम से योग्य भवन पर्यावरण लेखा परीक्षकों (क्यूबीईए) को मान्यता देगा । योग्य भवन पर्यावरण लेखा परीक्षक फर्म/संगठन अथवा वैयक्तिक विशेषज्ञ हो सकते हैं, जो अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। मंत्रालय, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्युसीआई), राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संगठन के माध्यम से मान्यता की इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करेगा। भारतीय हरित भवन परिषद, उर्जा दक्षता ब्यूरो इत्यादि जैसे संगठन भी मान्यता देने, प्रशिक्षण और नवीकरण की प्रक्रिया से जोड़े जा सकते हैं। भवन क्षेत्र के लिए क्युसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय परामर्शी क्यूबीईए के रूप में योग्य होंगे। क्यूबीईए निम्नलिखित मानदंड पूरा करेंगे। मान्यता देने वाला प्राधिकरण इन मानदंडों का सुधार कर सकता है।

लेखा परीक्षक की योग्यताएं :

क. शिक्षा: वास्तुकार (डिग्री अथवा डिप्लोमा), नगर नियोजक (डिग्री), सिविल इंजीनियर/मैकनिकल इंजीनियर (डिग्री अथवा डिप्लोमा), पर्यावरणीय विज्ञान में स्नातकोत्तर अथवा मान्यता की स्कीम के अनुसार कोई अन्य योग्यता

प्रशिक्षण :

ख. प्रत्यायन निकाय अथवा उनके अनुमोदित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह मान्यता की स्कीम के अनुसार होगा।

अनुभव :

ग. संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का कार्य अनुभव अथवा क्युसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त भवन और पर्यावरण प्रभाव आकलन परामर्शदाता अथवा मान्यता की स्कीम के अनुसार किसी अन्य प्रकार का अनुभव मानदंड ।

अवसंरचना एवं उपकरण :

घ. मान्यता की स्कीम के अनुसार

नवीकरण:

ड. प्रत्यायन 5 वर्षों के लिए मान्य होगा ओर प्रत्यायन स्कीम के अंतर्गत विकसित प्रक्रिया के अनुसार नवीकृत किया जाएगा।

उत्तरदायित्व/शिकायत निवारण कार्यतंत्र: क्यूबीईएएस के कार्य की गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत प्रत्यायन निकाय को की जाएगी। प्रत्यायन निकाय शिकायत पर विचार करेगा और काली सूची में डालने अथवा व्यापक सार्वजनिक सूचना के साथ प्रत्यायन को रद्द करने सहित उपयुक्त कार्यवाही करेगा। यह दण्ड देने और काली सूची में डालने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही के अलावा होगा। विशिष्ट शिकायत अथवा फीडबैक के मामले में मंत्रालय भी इस प्रकार की कार्यवाही कर सकता है।

परिशिष्ट-XVI

स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर पर्यावणीय प्रकोष्ठ:

भवनों में पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन और मानीटरी को सहायता देने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर पर्यावरणीय प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह प्रकोष्ठ अपने क्षेत्राधिकार के तहत पर्यावरणीय आयोजना और क्षमता निर्माण में सहायता भी प्रदान करेगा। इस प्रकोष्ठ के उत्तरदायित्व, इस अधिसूचना के कार्यान्वियन की मानीटरी करना और तीसरे-पक्षकार की लेखा-परीक्षा प्रक्रिया का अनुरक्षण करना है। यह प्रकोष्ठ स्थानीय प्राधिकरण के तहत संचालित होगा।

प्रकोष्ठ का संघटन :

इस प्रकोष्ठ में निम्नलिखित क्षेत्रों में कम से कम 3 समर्पित व्यक्ति शामिल होंगे:

क. अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और द्रव्य)

ख. जल संरक्षण और प्रबंधन

ग. निर्माण सामग्रियों सहित संसाधन की कार्यकुशलता

घ. ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा

च. वायु गुणवत्ता प्रबंधन सहित पर्यावरणीय आयोजना

छ. परिवहन आयोजना और प्रबंधन

यह प्रकोष्ठ समर्पित विशेषज्ञों की आवश्यकता और पृष्ठभूमि के अनुसार कम से कम दो बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करेगा। स्थानीय प्राधिकरण के स्तर पर मौजूदा पर्यावरणीय प्रकोष्ठों को सह-योजित और इस प्रकोष्ठ के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता:

पर्यावरणीय शर्तों के समाकलन और इसकी मॉनीटरिंग के लिए निर्माण अनुमति हेतु कार्यवाही शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। स्थानीय प्राधिकरण समय-समय पर इस अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित और संशोधित कर सकता है। इस शुल्क की धनराशि, एक पृथक बैंक खाते में जमा किया जाएगा और विशेषज्ञों के वेतन/पारिश्रमिक की आवश्यकता को पूरा करने और ऑनलाईन प्रार्थना पत्र की प्रणाली को जारी रखने, सत्यापन और पर्यावरणीय प्रकोष्ठ के लिये उपयोग में लाया जाएगा।

प्रकोष्ठ के कार्य

1. यह प्रकोष्ठ अपने क्षेत्राधिकार में उस क्षेत्र के पर्यावरण सरोकारों का मूल्यांकन और आकलन करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां निर्माण कार्यकलाप करना प्रस्तावित है। यह प्रकोष्ठ अपेक्षाओं के अनुसार अतिरिक्त पर्यावरणीय शर्तें विकसित कर सकता है और शर्तों का प्रस्ताव रख सकता है। ये शर्तें क्षेत्र विशिष्ट हो सकती हैं तथा समय-समय पर पहले से अधिसूचित की जाएंगी। ये अतिरिक्त शर्तें परामर्श की यथा प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुमोदित की जाएंगी। ये पर्यावरणीय शर्तें अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निर्माण अनुमति में समेकित की जाएंगी।

2. आवेदन और शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑन लाइन प्रणाली बनाना तथा उसकी देख-रेख करना। यह प्रकोष्ठ प्राप्त सभी आवेदनों, अनुमोदित परियोजनाओं, अनुपालन लेखापरीक्षण रिपोर्ट, किए गए औचक निरीक्षणों का एक आनलाइन डाटाबेस बनाएगा। यह प्रकोष्ठ परियोजना द्वारा पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की लोगों द्वारा संवीक्षा के लिए अर्हता-प्राप्त निर्माण पर्यावरण लेखा-परीक्षकों द्वारा दर्ज लेखा-परीक्षा रिपोर्टों के स्व-प्रमाणीकरण और अनुपालन सहित परियोजना ब्यौरों का सार्वजनिक प्रकटन के लिए एक पोर्टल बनाएगा।

3. अर्हता-प्राप्त निर्माण लेखा-परीक्षकों द्वारा कराई गई पर्यावरणीय लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के कार्य की निगरानी करेगा।

4. यह प्रकोष्ठ आवेदनों की समीक्षा करेगा; स्थानीय प्राधिकरणों को आवेदन प्रस्तुत करने के 30 दिन के अंदर अतिरिक्त पर्यावरणीय शर्तों, यदि अपेक्षित हो तो, को अंतिम रूप देगा।

5. यह प्रकोष्ठ क्यूबीए के प्रमाणीकरण, पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन और पंच वर्षीय लेखा रिपोर्ट के लिए स्थल पर जांच करने के लिए परियोजनाओं का जोखिम आधारित औचक चयन अंगीकृत करेगा।

6. यह प्रकोष्ठ परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए वित्तीय अर्थदंड के लिए स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिश करेगा।

7. यह प्रकोष्ठ किसी भी अर्हता-प्राप्त निर्माण पर्यावरण लेखा-परीक्षकों के विरूद्ध, यदि उनके कार्य में कोई त्रुटि पाई जाती है तो, प्रत्यायोजन निकाय और स्थानीय प्राधिकरण को सिफारिश करेगा।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3999(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received suggestions for ensuring Ease of Doing Responsible Business; and streamlining the permissions for buildings and construction sector which is important for providing houses and for this purpose the scheme of Housing for all by 2022 with an objective of making available affordable housing to weaker sections in urban area has ambitious target;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 issued in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.1595 (E) dated the 29th April 2016, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the said Notification,-

(I) after paragraph 13, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"14 . Integration of environmental condition in building bye-laws.-

(1) The integrated environmental conditions with the building permission being granted by the local authorities and the construction of buildings as per the size shall adhere to the objectives and monitorable environmental conditions as given at Appendix-XIV.

(2) The States adopting the objectives and monitorable environmental conditions referred to in sub-paragraph (1), in the building bye-laws and relevant State laws and incorporating these conditions in the approvals given for building construction making it legally enforceable shall not require a separate environmental clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for individual buildings.

(3) The States may forward the proposed changes in their bye-laws and rules to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, who in turn will examine the said draft bye-laws and rules and convey the concurrence to the State Governments.

(4) When the State Governments notifies the bye-laws and rules concurred by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the Central Government may issue an order stating that no separate environmental clearance is required for buildings to be constructed in the States or local authority areas.

(5) The local authorities like Development Authorities, Municipal Corporations, may certify the compliance of the environmental conditions prior to issuance of Completion Certificate, as applicable as per the requirements stipulated for such buildings based on the recommendation of the Environmental Cell constituted in the local authority.

(6) The State Governments where bye-laws or rules are not framed may continue to follow the existing procedure of appraisal for individual projects and grant of Environmental Clearance for buildings and constructions as per the provisions laid down in this notification.

(7) For the purpose of certification regarding incorporation of environmental conditions in buildings, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may empanel through competent agencies, the Qualified Building Environment Auditors (QBEAs) to assess and certify the building projects, as per the requirements of this notification and the procedure for accreditation of Qualified Building Auditors and their role as given at Appendix-XV.

(8) In order to implement the integration of environmental condition in building bye-laws, the State Governments or Local Authorities may constitute the Environment Cell (herein after called as Cell), for compliance and monitoring and to ensure environmental planning within their jurisdiction.

(9) The Cell shall monitor the implementation of the bye-laws and rules framed for Integration of environmental conditions for construction of building and the Cell may also allow the third part auditing process for oversight, if any.

(10) The Cell shall function under the administrative control of the Local Authorities.

(11) The composition and functions of the Cell are given at Appendix-XVI.

(12) The Local Authorities while integrating the environmental concerns in the building bye-laws, as per their size of the project, shall follow the procedure, as given below:

BUILDINGS CATEGORY '1' (5,000 to < 20,000 Square meters)

A Self declaration Form to comply with the environmental conditions (Appendix XIV) along with Form 1A and certification by the Qualified Building Environment Auditor to be submitted online by the project proponent besides application for building permission to the local authority along with the specified fee in separate accounts. Thereafter, the local authority may issue the building permission incorporating the environmental conditions in it and allow the project to start based on the self declaration and certification along with the application. After completion of the construction of the building, the project proponent may update Form 1A online based on audit done by the Qualified Building Environment Auditor and shall furnish the revised compliance undertaking to the local authority. Any non-compliance issues in buildings less than 20,000 square meters shall be dealt at the level of local body and the State through existing mechanism.

OTHER BUILDINGS CATEGORIES (≥ 20,000 Square meters)

The project proponent may submit online application in Form 1 A alongwith specified fee for environmental appraisal and additional fee for building permission. The fee for environmental appraisal will be deposited in a separate account. The Environment Cell will process the application and present it in the meeting of the Committee headed by the authority competent to give building permission in that local authority. The Committee will appraise the project and stipulate the environmental conditions to be integrated in the building permission. After recommendations of the Committee, the building permission and environmental clearance will be issued in an integrated format by the local authority.

The project proponent shall submit Performance Data and Certificate of Continued Compliance of the project for the environmental conditions parameters applicable after completion of construction from Qualified Building Environment Auditors every five years to the Environment Cell with special focus on the following parameters:-

(a) Energy Use (including all energy sources).

(b) Energy generated on site from onsite Renewable energy sources.

(c) Water use and waste water generated, treated and reused on site.

(d) Waste Segregated and Treated on site.

(e) Tree plantation and maintenance.

After completion of the project, the Cell shall randomly check the projects compliance status including the five years audit report. The State Governments may enact the suitable law for imposing penalties for non-compliances of the

environmental conditions and parameters. The Cell shall recommend financial penalty, as applicable under relevant State laws for non-compliance of conditions or parameters to the local authority. On the basis of the recommendation of the Cell, the local authority may impose the penalty under relevant State laws. The cases of false declaration or certification shall be reported to the accreditation body and to the local body for blacklisting of Qualified Building Environment Auditors and financial penalty on the owner and Qualified Building Environment Auditors.

No Consent to Establish and Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 will be required from the State Pollution Control Boards for residential buildings up to 1,50,000 square meters.";

(II) In the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8		Building / Construction projects / Area Development projects and Townships		
8 (a)	Building and Construction projects		≥ 20,000 sq. mtrs and < 1,50,000 sq. mtrs of built up area	The term "built up area" for the purpose of this notification is the built up or covered area on all floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings and construction projects. Note 1. The projects or activities shall not include industrial shed, universities, college, hostel for educational institutions, but such buildings shall ensure sustainable environmental management, solid and liquid and implement environmental conditions given at Appendix-XIV. Note 2.-General Condition shall not apply. Note 3.-The exemptions granted at Note 1 will be available only for industrial shed after integration of environmental norms with building permissions at the level of local authority.
8 (b)	Townships and Area Development projects	≥ 3,00,000 sq. mtrs of built up area or Covering an area ≥ 150 ha	≥1,50,000 sq. mtrs and < 3,00,000 sq. mtrs built up area or covering an area ≥ 50 ha and < 150 ha	Note.- General Condition shall not apply".

[F. No. 19-2/2013-IA-III (Pt.)]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide numbers S.O.1737(E) dated the 11th October, 2007, S.O. 3067(E), dated the 1st December, 2009, S.O.695(E), dated the 4th April, 2011, S.O.2896(E), dated the 13th December, 2012 , S.O.674(E), dated the 13th March, 2013, S.O.2559(E), dated the 22nd August, 2013, S.O. 2731(E), dated the 9th September, 2013, S.O. 562(E), dated the 26th February, 2014, S.O.637(E), dated the 28th February, 2014, S.O.1599(E), dated the 25th June, 2014, S.O. 2601 (E), dated 7th October, 2014, S.O. 2600(E) dated 9th October, 2014, S.O. 3252(E) dated 22nd December, 2014, S.O. 382 (E), dated 3rd February, 2015, and S.O. 811(E), dated 23rd March, 2015, S.O. 996 (E) dated 10th April, 2015, S.O. 1142 (E) dated 17th April, 2015, S.O. 1141 (E) dated 29th April, 2015, S.O. 1834(E) dated 6th July, 2015 and S.O. 2572(E) dated 14th September, 2015, S.O. 141(E) dated 15th January, 2016, S.O. 190(E) dated 20th January, 2016, S.O. 648(E) dated 3rd March, 2016 and S.O. 2269(E) dated 1st July, 2016.

APPENDIX –XIV

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

(CATEGORY '1': 5,000 to less than 20,000 Square meters)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
Water Conservation, Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	Use of water efficient appliances shall be promoted. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-Laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores (minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area) is recommended. Storage and reuse of the rain water harvested should be promoted. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer.
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
Waste Management	3	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Sewage: In areas where there is no municipal sewage network, onsite treatment systems should be installed. Natural treatment systems which integrate with the landscape shall be promoted. As far as possible treated effluent should be reused. The excess treated effluent shall be discharged following the CPCB norms. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
Energy	4	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be Light Emitting Diode (LED). Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

Air Quality and Noise	5	Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India shall be made.
	5 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	6	A minimum of 1 tree for every 80 square meters of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	6 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.

(Category '2': 20,000 to less than 50,000 Square meters)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
Water Conservation, Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared. Use of water efficient appliances should be promoted with low flow fixtures or sensors. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.

Waste Management	3	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Sewage: Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per CPCB norms. Natural treatment systems shall be promoted. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
	3 (a)	All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
	3(b)	Organic waste compost/ Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
Energy	4	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be LED. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
	4 (a)	Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.
	4 (b)	Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
	4 (c)	Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification of September, 1999 as amended from time to time.
Air Quality and Noise	5	Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with

		dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
	5 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	6	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	6 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
Top Soil preservation and reuse	7	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
Transport	8	A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria. 1. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic. 2. Traffic calming measures. 3. Proper design of entry and exit points. 4. Parking norms as per local regulation.

(Category '3': 50000 to 150000 m^2)

MEDIUM	S.N.	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Topography and Natural Drainage	1	The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
Water conservation - Rain Water Harvesting, and Ground Water Recharge	2	A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provisions are not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer.
	2(a)	At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
	2 (b)	Use of water efficient appliances should be promoted. Low flow fixtures or sensors be used to promote water conservation.

	2 (c)	Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
Solid Waste Management	3	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
	3 (a)	All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
	3(b)	Organic waste composter/Vermiculture pit with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
Sewage Treatment Plant	4	Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per CPCB norms. Natural treatment systems shall be promoted. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.
Energy	5	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be LED. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
	5 (a)	Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.
	5 (b)	Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
	5 (c)	Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification of September, 1999 as amended from time to time.
Air Quality and Noise	6	Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murram and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Wheel washing for the vehicles used be done. Sand, murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction

		and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
	6 (a)	The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the CPCB norms.
Green Cover	7	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
	7 (a)	Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
Top Soil Preservation and Reuse	8	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
Transport	9	A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria. 1. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic. 2. Traffic calming measures. 3. Proper design of entry and exit points. 4. Parking norms as per local regulation.
Environment Management Plan	10	An environmental management plan (EMP) shall be prepared and implemented to ensure compliance with the environmental conditions specified in item number 1 to 9 above. A dedicated Environment Monitoring Cell with defined functions and responsibility shall be put in place to implement the EMP. The environmental cell shall ensure that the environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Landscaping, Rain Water Harvesting, Energy efficiency and conservation, water efficiency and conservation, solid waste management, renewable energy etc. are kept operational and meet the required standards. The environmental cell shall also keep the record of environment monitoring and those related to the environment infrastructure.

APPENDIX-XV

Accreditation of Environmental Auditors (Qualified Building Auditors)

The Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), through qualified agencies shall accredit the Qualified Building Environment Auditors (QBEAs). The Qualified Building Environment Auditors could be a firm / organization or an individual expert, who fulfils the requirements. The Ministry will implement this process of accreditation through Quality Council of India (QCI), National Productivity Council or any other organization identified by the Government. The organizations like Indian Green Building Council, Bureau of Energy Efficiency etc. can also be associated in the process of accreditation, training, and renewal. The environmental consultants accredited by the QCI for building sector will be qualified as QBEAs. The QBEAs will meet the following criteria. The accrediting agency can improvise on these criteria.

Qualifications of the Auditor:

a. Education: Architect (Degree or Diploma), Town Planners (Degree), Civil Engineer / Mechanical Engineer (Degree or Diploma), PG in Environmental Science or any other qualification as per the scheme of the accreditation.

Training:

b. Mandatory training to be given by the accreditation body or their approved training providers. This will be as per the scheme of the accreditation.

Experience:

c. At least 3 years of work experience in the related field or building sector Environment Impact Assessment consultants accredited by QCI or any other experience criteria as per the scheme of the accreditation.

Infrastructure and equipment:

d. As per the scheme of the accreditation

Renewal:

e. The accreditation will be valid for 5 years and will be renewed as per the process developed under the accreditation scheme.

Accountability/Complaint redressal mechanism: Any complaints regarding the quality of the work of QBEAs shall be made to the accreditation body. The accreditation body shall evaluate the complaint and take appropriate action including black listing or cancellation of the accreditation with wide public notice. This will be in addition to the action at the level of local authority for penalty and blacklisting. The Ministry can also take such action in case of specific complaint or feedback.

APPENDIX-XVI

Environmental Cell at the level of Local Authority:

An Environmental Cell shall be setup at the local authority level to support compliance and monitoring of environmental conditions in buildings. The Cell shall also provide assistance in environmental planning and capacity building within their jurisdiction. The responsibility of this cell would be monitoring the implementation of this notification and providing an oversight to the Third-Party Auditing process. The cell will operate under the local authority.

Constitution of the cell:

The cell will comprise of at least 3 dedicated experts in following fields:

a. Waste management (solid and liquid)

b. Water conservation and management

c. Resource efficiency including Building materials

d. Energy Efficiency and renewable energy

e. Environmental planning including air quality management.

f. Transport planning and management.

The Cell shall induct at least two outside experts as per the requirements and background of dedicated experts. Existing environmental cells at the level of local authority can be co-opted and trained for this Cell.

Financial Support:

An additional fee may be charged along with processing fee for building permission for integrating environmental conditions and it's monitoring. The local authority can fix and revise this additional fee from time to time. The amount of this fee shall be deposited in a separate bank account, and used for meeting the requirement of salary / emoluments of experts and running the system of online application, verifications and the Environmental Cell.

Functions of the Cell:

1. The cell shall be responsible for assessing and appraising the environmental concerns of the area under their jurisdiction where building activities are proposed. The Cell can evolve and propose additional environmental conditions as per requirements. These conditions may be area specific and shall be notified in advance from time to time. These additional conditions shall be approved following a due consultation process. These environmental conditions will be integrated in building permissions by the sanctioning authority.

2. Develop and maintain an online system for application and payment of fees. The Cell shall maintain an online database of all applications received, projects approved, the compliance audit report, random inspections made. The Cell shall maintain a portal for public disclosure of project details including self certification and compliance audit reports filed by the Qualified Building Environment Auditors for public scrutiny of compliance of environmental conditions by the project.

3. Monitoring the work of Environmental Audit process carried by the Qualified Building Auditors.

4. The Cell shall review the applications; finalize the additional environmental conditions if required within 30 days of the submission of the application to the local authority.

5. The Cell shall adopt risk based random selection of projects for verifying on site for certification of QBA, compliance of environmental conditions and five yearly audit report.

6. The Cell shall recommend to the local authority for financial penalty for non-compliance of environmental conditions by the project proponent.

7. The Cell shall recommend to the accrediting body and the local authority against any Qualified Building Environment Auditor, if any lapse is found in their work.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3112] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2016/ पौष 9, 1938
No. 3112] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016/PAUSA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4241(अ).—पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने के बारे में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त् अधिसूचना कहा गया है);

2. और जबकि अन्य बातों के साथ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 562/2009 तारीख 30 जुलाई, 2015 में यह निदेश दिया कि तत्कालीन प्रवर्ग 'ग' खनन पट्टों के पट्टेदार के पक्ष में विद्यमान कानूनी अनुमोदन/अनापत्ति नए पट्टेदारों के पक्ष में अंतरित हो जाएंगी और संबद्ध प्राधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति और अनुमोदन/अस्थायी कार्य अनुज्ञा जैसे कानूनी अनुमोदनों की मंजूरी के लिए शीघ्र कार्रवाई करेगा ;

3. और जबकि कर्नाटक राज्य से संबंधित प्रवर्ग 'ग' लौह अयस्क खनन पट्टा रद्द कर दिया गया था और उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार कर्नाटक सरकार द्वारा नीलाम किया गया था;

4. और जबकि खान मंत्रालय ने, विधि के अनुसार कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क ब्लाकों की अनापत्ति को शीघ्र निबटाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुरोध किया है;

5. और जबकि केंद्रीय सरकार, खान मंत्रालय के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, उन व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव, जिनसे उनके प्रभावित होने की संभावना है, जनहित में आमंत्रित करने के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त होकर उक्त अधिसूचना को संशोधित करती है;

6. अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में जनहित में उक्त नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त होकर निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में पैरा 11 के उप पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) जहां कर्नाटक राज्य से संबंधित लौह अयस्क ब्लाक का आबंटन किसी विधिक कार्यवाही में या विधि के अनुसार सरकार द्वारा रद्द किया जाता है, वहां ऐसे लौह ब्लाक के संबंध में अनुदत्त पर्यावरणीय अनापत्ति को उस विधिमान्यता अवधि जिसमें, इसे आरंभ में अनुदत्त किया गया था, के अधीन रहते हुए किसी ऐसे विधिक व्यक्ति को अंतरित की जाएगी जिसको ऐसा ब्लाक बाद में आबंटित किया जाता है और ऐसे मामले में पर्यावरणीय अनापत्ति धारक से या संबंधित विनियामक प्राधिकारी से "अनापत्ति" प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा और संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को कोई निर्देश नहीं किया जाएगा ।";

[सं. जैड-11013/54/2016-आईए-II (एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 को प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949(अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का. आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ;
12. का. आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का. आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014 ;
15. का. आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;
16. का. आ. 2600(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
17. का. आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
18. का. आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का. आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
21. का. आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का. आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का. आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015 ;
25. का. आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015 ;
26. का. आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 ;
27. का. आ. 190(अ), तारीख 20 जनवरी, 2016 ;
28. का. आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016 ;
29. का. आ. 2269(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016 ;
30. का. आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 ;

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2016

S.O. 4241(E).—Whereas the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), regarding granting of Environmental Clearances, (hereinafter referred to as the said notification);

2. And whereas, the Hon'ble Supreme Court, in Writ Petition no. 562/2009, dated the 30th July 2015, inter-alia, directed that the existing statutory approvals/clearances in favour of the lessee of the erstwhile Category 'C' mining leases will be transferred in favour of the new lessees and the concerned authority will take expeditious action for the grant of the statutory approvals such as the environmental clearance and approval/Temporary Work Permission under the Forest (Conservation) Act, 1980;

3. And whereas, Category 'C' iron ore mining lease pertaining to the State of Karnataka, were cancelled and auctioned by the Government of Karnataka as per the direction of the Hon'ble Supreme Court;

4. And whereas, the Ministry of Mines, requested the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to expedite the clearances of Iron Ore Blocks in Karnataka State in accordance with law;

5. And whereas, in view of the request of Ministry of Mines, the Central Government hereby amends the said notification by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 regarding inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, in public interest;

6. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5, in public interest, namely :–

In the said notification, after sub-paragraph (2) of paragraph 11, following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3) Where an allocation of iron ore block pertaining to the State of Karnataka is cancelled in any legal proceeding, or by the Government in accordance with law, the environmental clearance granted in respect of such iron block may be transferred subject to the same validity period it was initially granted, to any legal person to whom such block is subsequently allocated, and in such case, obtaining of "no objection" from either the holder of environmental clearance or from the regulatory authority concerned shall not be necessary and no reference shall be made to the Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee concerned.";

[No. Z-11013/54/2016-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended by:—

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;

15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;

16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;

17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;

18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;

19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;

20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;

21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;

22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;

23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;

24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;

25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;

26. S.O.141 (E), dated the 15th January, 2016;

27. S.O.190 (E), dated the 20th January, 2016;

28. S.O.648 (E), dated the 3rd March, 2016;

29. S.O.2269 (E), dated the 1st July, 2016;

30. S.O.3518 (E), dated the 23rd November, 2016;

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2827] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 2018/श्रावण 3, 1940
No. 2827] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 2018/SHRAVANA 3, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

का.आ. 3611(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की गई थी, जिसके द्वारा पूर्व पर्यावरण निकासी के संबंध में निदेश जारी किए गए हैं ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में उक्त अधिसूचना को का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित किया है, जिसमें गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया को विहित किया गया है ;

और रांची स्थित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 2015 की रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 1806, स्वप्रेरणा बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में रिट याचिका (पीआईएल) सं. 2013 की 290, हेमंत कुमार शिल्कारवर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में, अन्य बातों के साथ, तारीख 11 अप्रैल, 2018 और 19 जून, 2018 के आदेश में बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने या बालू और रेत से भिन्न गौण खनिजों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के लिए राज्य सरकार और/या जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण और जिला विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को निदेश दिया है ;

और केंद्रीय सरकार लोक हित में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना देने की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करती है ;

और केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट 10 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परिशिष्ट 10

[पैरा 7 (iii) (क) देखें]

1. बालू खनन या नदी तल खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रक्रिया

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य (भरणीय बालू खनन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार) निम्नलिखित को सुनिश्चित करना है :--

उच्चयन या जमाव के क्षेत्रों की पहचान, जहां खनन को अनुज्ञात किया जा सकता है ; और भूक्षयण के क्षेत्रों की पहचान तथा अवसंरचना ढांचों और प्रतिष्ठापनों से निकटतता जहां खनन को प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए और भराई की वार्षिक दर की गणना तथा उस क्षेत्र में खनन के पश्चात् भराई के लिए समय को अनुज्ञात करना ।

रिपोर्ट के निम्नलिखित संघटक होंगे :

(1) प्रस्तावना ;
(2) जिले में खनन कार्यकलापों का विहंगावलोकन ;
(3) अवस्थिति क्षेत्र और वैधता की अवधि सहित जिले में खनन पट्टों की सूची ;
(4) पिछले तीन वर्ष में प्राप्त स्वामिस्व या राजस्व के ब्यौरे ;
(5) पिछले तीन वर्ष के दौरान बालू या रेत या गौण खनिज के उत्पादन के ब्यौरे ;
(6) जिले की नदियों में तलछट के जमा होने की प्रक्रिया ;
(7) जिले का साधारण प्रोफाइल ;
(8) जिले में भू उपयोग का पैटर्न : वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि ;
(9) जिले की भूगर्भीय स्थिति ;
(10) मासवार वर्षा ;
(11) भूगर्भ और खनीज संपदा ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित अंतर्विष्ट होंगे :

(क) जिलावार नदी या धारा और अन्य रेत के स्रोत के ब्यौरे ;
(ख) जिलावार रेत या कंकड़ या समग्र संसाधनों की उपलब्धता ;
(ग) जिलावार विद्यमान रेत के खनन पट्टों के ब्यौरे और समग्र ।

जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा भूविज्ञान विभाग या सिंचाई विभाग या वन विभाग या लोक निर्माण विभाग या भू-जल बोर्ड या सुदूर संवेदन विभाग या खनन विभाग आदि की सहायता से जिले में सर्वेक्षण किया जाएगा ।

मुख्य नदियों के विवरण सहित निकासी प्रणाली

क्रम सं.	नदी का नाम	निष्कासन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	जिले में प्रतिशत निष्कासित क्षेत्र
(1)			
(2)			

महत्वपूर्ण नदियों और धाराओं की मुख्य विशेषताएं :

क्रम सं.	नदी या धारा का नाम	जिले में कुल लंबाई (किलोमीटर में)	उद्भव का स्थान	उद्भव के स्थान पर ऊंचाई
(1)				
(2)				

खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (किलोमीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन में) (कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत)

खनिज क्षमता

बोल्डर (मीट्रिक टन)	रेत (मीट्रिक टन)	बालू (मीट्रिक टन)	कुल खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन)

वार्षिक जमाव

क्रम सं.	नदी या धारा	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया नदी या धारा का भाग	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की लंबाई (किलोमीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किए गए क्षेत्र की औसत चौड़ाई (मीटर में)	खनिज छूट के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	खनन योग्य खनिज क्षमता (मीट्रिक टन में) (कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत)
(1)						
(2)						
जिले के लिए योग						

उप प्रभागीय समिति, जो (i) उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट (ii) निम्नलिखित विभागों के अधिकारियों (क) सिंचाई विभाग (ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति (ग) वन विभाग (घ) भू-विज्ञान या खनन अधिकारी से मिलकर बनेगी, खनन के लिए उपयुक्तता या खनन को प्रतिषिद्ध करने के लिए प्रत्येक स्थान का, जिसके लिए पर्यावरण निकासी का आवेदन किया गया है, भ्रमण करेगी।

खनन क्षमता की संगणना करने के लिए अंगीकृत विधि :

खनन क्षमता की संगणना स्थान की जांच और नदी या धारा के आवाह क्षेत्र के भू-विज्ञान के आधार पर की जाएगी। स्थल स्थिति और अवस्थिति, खनन योग्य खनिजों को परिभाषित किया जाएगा। किसी नदी या धारा में खनिजों के खनन का विनिश्चय भू-आकृति विज्ञान और अन्य कारकों के आधार पर किया जा सकता है, यह किसी विशिष्ट नदी या धारा के क्षेत्र का 50 से 60 प्रतिशत हो सकता है। उदाहरणार्थ कुछ पहाड़ी राज्यों में खनिज संघटक, जैसे बोल्डर, नदी से उत्पन्न रेत, बालू को एक मीटर तक संसाधन खनिज माना जाता है। अन्य संघटक जैसे क्ले और तलछट को किसी विशिष्ट नदी या धारा की खनिज क्षमता की संगणना करते समय अपशिष्ट माना जाता है।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिले में तैयार की जाएगी और उसके प्रारूप को पब्लिक डोमेन में कलेक्टर के कार्यालय में

उसकी एक प्रति रखकर रखा जाएगा तथा उसे 21 दिन के लिए जिले की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा । प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा तथा यदि सही पाया जाता है तो जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा छह मास के भीतर तैयार की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में उसे सम्मिलित किया जाएगा ।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण निकासी, रिपोर्टों और मूल्यांकन परियोजनाओं को तैयार करने का आधार बनेगी । रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाएगा ।

II. बालू खनन या नदी तल खनन से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिले में प्रत्येक गौण खनिज के लिए पृथक् रूप से तैयार किया जाएगा और उसके ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में कलेक्टर के कार्यालय में उसकी एक प्रति रखकर रखा जाएगा तथा उसे 21 दिन के लिए जिले की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा । प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जाएगा तथा यदि सही पाया जाता है तो जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा छह मास के भीतर तैयार की जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में उसे सम्मिलित किया जाएगा ।

बालू खनन या नदी तल खनन से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट नीचे वर्णित संघटकों के अनुसार होगी :--

बालू खनन या नदी तल खनन से भिन्न गौण खनिजों के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप

(1) प्रस्तावना ;

(2) जिले में खनन कार्यकलापों का विहंगावलोकन ;

(3) जिले का साधारण प्रोफाइल ;

(4) जिले की भूगर्भीय स्थिति ;

(5) सिंचाई निष्कासन पैटर्न ;

(6) जिले में भू उपयोग का पैटर्न : वन, कृषि, उद्यान कृषि, खनन आदि ;

(7) जिले में सतह जल और भूमिगत जल का परिदृश्य ;

(8) जिले में वर्षा वृत्ति और जलवायु स्थिति ;

(9) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार जिले में खनन पट्टों के ब्यौरे :--

क्रम सं.	खनिज का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम और संपर्क संख्या	खनन पट्टा अनुदान आदेश संख्या एवं तारीख	खनन पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	खनन पट्टे की अवधि (प्रारंभिक)		खनन पट्टे की अवधि (पहला/दूसरा ..... नवीकरण)	
						से	तक	से	तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

खनन प्रचालन के प्रारंभ होने की तारीख	प्रास्थिति (कार्यशील/गैर-कार्यशील पारेषण आदि के लिए स्थायी रूप से कार्यशील)	कैप्टिव/गैर-कैप्टिव	पर्यावरणीय निकासी अभिप्राप्त (हां/नहीं) यदि हां तो पर्यावरण निकासी अनुदत्त करने की तारीख सहित पत्र संख्या	खनन पट्टे की अवस्थिति (अक्षांश एवं देशांतर)	खनन की विधि (खुली/भूमिगत)
11	12	13	14	15	16

(10) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त स्वामिस्व या राजस्व

(11) पिछले तीन वर्ष के दौरान उत्पादन किए गए गौण खनिज के ब्यौरे

(12) जिले का खनिज मानचित्र

(13) निम्नलिखित प्ररूप के अनुसार जिले में आशय पत्र के धारकों की उसकी वैधता सहित सूची :--

क्रम सं.	खनिज का नाम	पट्टेदार का नाम	आशय पत्र धारक का पता एवं संपर्क संख्या	आशय पत्र आदेश की संख्या एवं तारीख	आबंटित किए जाने वाले खनन पट्टे का क्षेत्र	आशय पत्र की वैधता	उपयोग (कैप्टिव/ गैर-कैप्टिव)	खनन पट्टे की अवस्थिति (अक्षांश एवं देशांतर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(14) जिले में उपलब्ध कुल खनिज भंडार ;

(15) जिले में उपलब्ध खनिज की क्वालिटी / ग्रेड ;

(16) खनिज का उपयोग ;

(17) पिछले तीन वर्षों के दौरान खनिज की मांग और पूर्ति ;

(18) जिले के मानचित्र पर चिह्नांकित खनिज पट्टे ;

(19) उस क्षेत्र के ब्यौरे, जहां खनिज पट्टों का समूह है, अर्थात् खनिज पट्टों की संख्या, अवस्थिति (अक्षांश और देशांतर) ;

(20) जिले में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, यदि कोई हो ;

(21) पर्यावरण (वायु, जल, ध्वनि, मृदा, वनस्पति और प्राणी, भू-उपयोग, कृषि, वन आदि) पर खनन कार्यकलाप का संघात ;

(22) पर्यावरण पर खनन संघात को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय ;

(23) खनन किए गए क्षेत्र को पुन: प्राप्त करना (जिले में नियमों और विनियम, प्रस्तावित पुन: प्राप्ति योजना के अनुसार) सर्वोत्तम व्यवहार को पहले ही कार्यान्वित किया गया है ;

(24) जोखिम निर्धारण एवं आपदा प्रबंधन योजना ;

(25) जिले में व्यवसायिक सुरक्षा मुद्दों के ब्यौरे (सिलिकोसिस एवं तपेदिक के रोगियों के पिछले पांच वर्ष के डाटा को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है) ;

(26) जिले में पहले ही अनुदत्त पट्टों के संबंध में पौधा रोपण और हरित पट्टी विकास ;

(27) कोई अन्य सूचना ।

जिला पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए) जिले में गौण खनिज की किस्म की प्रकृति के आधार पर संबंधित राज्य सरकार के खनिज और भू-विज्ञान विभाग के परामर्श से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अतिरिक्त मानकों को सम्मिलित कर सकेगी ।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरणीय निकासी, रिपोर्टों को तैयार करने और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आधार होगी । रिपोर्ट को प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार अद्यतन किया जाएगा ।"।

[फा. सं. एल-11011/26/2018-आईए-II(एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया :--

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर , 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 ;

10 का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;

11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 2 9 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ) तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ) तारीख 23 नवंबर 2016;
31. का. आ. 3999 दिसंबर (अ) तारीख 9 दिसंबर, 2016; और
32. का. आ. 4241 (अ) तारीख 30 दिसंबर, 2016

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2018

S.O. 3611(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest issued *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said notification) directions have been given regarding the prior environmental clearance;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has amended the said Notification *vide* S.O. 141 (E) dated 15th January, 2016 wherein the procedure for preparation of District Survey Report for minor mineral has been prescribed;

And whereas, the Hon'ble High Court of Jharkhand at Ranchi in its orders dated the 11th April, 2018 and 19th June, 2018 in W.P. (PIL) No. 1806 of 2015, in the matter of Court on its Own Motion Versus the State of Jharkhand & Others with W.P. (PIL) No. 290 of 2013, in the matter of Hemant Kumar Shilkarwar Versus the State of Jharkhand & Others, has *inter-alia* directed the preparation of District Survey Report for minor minerals other than Sand and Bajri or delegation of the powers for preparation of format of District Survey Report of minor minerals other than sand and bajri to the State Government and/or District Environment Impact Assessment Authority and District Expert Appraisal Committee;

And whereas, the Central Government hereby in the public interest dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: –

In the said notification, for Appendix X, the following shall be substituted, namely: -

"APPENDIX - X

[See paragraph 7 (iii) (a)]

I. PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT FOR SAND MINING OR RIVER BED MINING

The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the Sustainable Sand Mining Guideline) is to ensure the following: -

Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

The report shall have the following structure:

(1) Introduction;

(2) overview of Mining Activity in the District;

(3) the List of Mining Leases in the District with location, area and period of validity;

(4) details of Royalty or Revenue received in last three years;

(5) detail of Production of Sand or Bajri or minor mineral in last three years;

(6) process of Deposition of Sediments in the rivers of the District;

(7) general Profile of the District;

(8) land Utilization Pattern in the district: Forest, Agriculture, Horticulture, Mining etc.;

(9) physiography of the District;

(10) rainfall: month-wise;

(11) geology and Mineral Wealth.

In addition to the above, the report shall contain the following:

(a) District wise detail of river or stream and other sand source;

(b) District wise availability of sand or gravel or aggregate resources;

(c) District wise detail of existing mining leases of sand and aggregates.

A survey shall be carried out by the District Environment Impact Assessment Authority with the assistance of Geology Department or Irrigation Department or Forest Department or Public Works Department or Ground Water Boards or Remote Sensing Department or Mining Department etc. in the district.

Drainage system with description of main rivers

S. No.	Name of the River	Area drained (Sq. Km)	% Area drained in the District
(1)			
(2)			

Salient Features of Important Rivers and Streams:

S. No.	Name of the River or Stream	Total Length in the District (in Km)	Place of origin	Altitude at Origin
(1)				
(2)				

Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)

Mineral Potential

Boulder (MT)	Bajari (MT)	Sand (MT)	Total Mineable Mineral Potential (MT)

Annual Deposition

S. No.	River or Stream	Portion of the river or stream recommended for mineral concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)
(1)						
(2)						
Total for the District						

A Sub-Divisional Committee comprising of (i) Sub-Divisional Magistrate, (ii) Officers from (a) Irrigation department, (b) State Pollution Control Board or Committee, (c) Forest department, (d) Geology or mining officer shall visit each site for which environmental clearance has been applied for and make recommendation on suitability of site for mining or prohibition thereof.

Methodology adopted for calculation of Mineral Potential:

The mineral potential is calculated based on field investigation and geology of the catchment area of the river or streams. As per the site conditions and location, depth of minable mineral is defined. The area for removal of the mineral in a river or stream can be decided depending on geo-morphology and other factors, it can be 50 % to 60 % of the area of a particular river or stream. For Example, in some hill States mineral constituents like boulders, river born Bajri, sand up to a depth of one meter are considered as resource mineral. Other constituents like clay and silt are excluded as waste while calculating the mineral potential of particular river or stream.

The District Survey Report shall be prepared in the district and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on the district's website for twenty-one days. The comments received shall be considered and if found correct, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the District Environment Impact Assessment Authority.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years.

II. PROCEDURE FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT OF MINOR MINERALS OTHER THAN SAND MINING OR RIVER BED MINING

The District Survey Report shall be prepared for each minor mineral in the district separately and its draft shall be placed in the public domain by keeping its copy in Collectorate and posting it on district's website for twenty-one days. The comments received shall be considered and if found fit, shall be incorporated in the final Report to be finalised within six months by the DEIAA.

The District Survey Report for minor minerals other than sand mining or River bed mining shall be as per structure mentioned below: -

FORMAT FOR PREPARATION OF DISTRICT SURVEY REPORT FOR MINOR MINERALS OTHER THAN SAND MINING OR RIVER BED MINING

(1) Introduction;

(2) overview of Mining Activity in the District;

(3) general Profile of the District;

(4) geology of the District;

(5) drainage of Irrigation pattern;

(6) land Utilisation Pattern in the District: Forest, Agricultural, Horticultural, Mining etc.;

(7) surface Water and Ground Water scenario of the district;

(8) rainfall of the district and climatic condition;

(9) details of the mining leases in the District as per the following format: -

Sl. No.	Name of the Mineral	Name of the Lessee	Address & Contact No. of Lessee	Mining lease Grant Order No. & date	Area of Mining lease (ha)	Period of Mining lease (Initial)		Period of Mining lease (1st/2nd…renewal)	
						From	To	Form	To
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**

Date of commencement of Mining Operation	Status (Working/Non-Working/Temp. Working for dispatch etc.)	Captive/ Non-Captive	Obtained Environmental Clearance (Yes/No), If Yes Letter No with date of grant of EC.	Location of the Mining lease (Latitude & Longitude)	Method of Mining (Opencast/Underground)
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**

(10) details of Royalty or Revenue received in last three years;

(11) details of Production of Minor Mineral in last three years;

(12) mineral Map of the District;

(13) list of Letter of Intent (LOI) Holders in the District along with its validity as per the following format :-

(14) total Mineral Reserve available in the District;

Sl. No.	Name of the Mineral	Name of the Lessee	Address & Contact No. of Letter of Intent Holder	Letter of Intent Grant Order No. & date	Area of Mining lease to be allotted	Validity of LoI	Use (Captive/ Non-Captive)	Location of the Mining lease (Latitude & Longitude)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

(15) quality /Grade of Mineral available in the District;

(16) use of Mineral;

(17) demand and Supply of the Mineral in the last three years;

(18) mining leases marked on the map of the district;

(19) details of the area of where there is a cluster of mining leases viz. number of mining leases, location (latitude and longitude);

(20) details of Eco-Sensitive Area, if any, in the District;

(21) impact on the Environment (Air, Water, Noise, Soil, Flora & Fauna, land use, agriculture, forest etc.) due to mining activity;

(22) remedial Measures to mitigate the impact of mining on the Environment;

(23) reclamation of Mined out area (best practice already implemented in the district, requirement as per rules and regulation, proposed reclamation plan);

(24) risk Assessment & Disaster Management Plan;

(25) details of the Occupational Health issues in the District. (Last five-year data of number of patients of Silicosis & Tuberculosis is also needs to be submitted);

(26) plantation and Green Belt development in respect of leases already granted in the District;

(27) any other information.

The District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) based on the nature and type of minor mineral in the District may include the additional parameters in the District Survey Report in consultation with the Department of Mines and Geology of the concerned State Government.

The District Survey Report shall form the basis for application for environmental clearance, preparation of reports and appraisal of projects. The Report shall be updated once every five years";

[F.No. L-11011/26/2018-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended by :-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;

21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O.141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O.648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269 (E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944 (E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated the 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016; and
32. S.O. 4241 (E) dated the 30th December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3181] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940
No. 3181] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

का. आ. 3977 (अ).—भारत सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया गया कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही उक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, जिसमें प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता वर्धन, इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार से या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यकत: गठित राज्यस्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् हो, भारत में किसी भी भाग में किया जाएगा ;

उक्त मंत्रालय ने राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (एसईआईएए) और जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को पर्यावरण अनापत्ति को प्रदान करने के संबंध में और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए अनुरोध को स्वीकार किया है ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) उपबंध करता है कि जहां केंद्रीय सरकार का विचार है कि किसी उद्योग या किसी प्रक्रिया को चलाने या प्रचालन करने पर किसी क्षेत्र के प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोप किया जाना चाहिए तो ऐसे करने के अपने आशय का नोटिस देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3933(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 दिसंबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक्त: विचार किया गया था ;

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद 1(क), 1(ग) और लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत परिशिष्ट-XI में समूह स्थिति भी है और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

परियोजना या कार्यकलाप		प्रारंभिक सीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें यदि कोई हों
		क	ख	
1		खनन, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण तथा विद्युत उत्पादन (विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)		
(क) (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(क)	(i) खनिजों का खनन (ii) पिच्छल पाइप लाईने (कोयला लिग्नाइट और अन्य अयस्क) जो राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों /कोरल रीफ, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों से गुजरती है	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में > हे. खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में > 150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना अज़बेस्टो का खनन क्षेत्र सभी परियोजनाएं।	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में < 100 हे. खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में < 150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र	सामान्य शर्तें लागू होंगी, सिवाय : (i) प्रवर्ग 'ख2' लघु खनिजों के खनन (25 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र तक) के लिए परियोजना का कार्यकलाप ; (ii) खनन पट्टा क्षेत्र के समूह की दशा में 'ख1' प्रवर्ग के लघु खनिज के खनन की परियोजना और क्रियाकलाप के लिए ; और (iii) अंतरराज्यीय सीमा के कारण नदी तल खनन परियोजनाएं। टिप्पण : (1) खनिज के पूर्वेक्षण को छूट दी गई है। (2) लघु खनिजों, जिनके अंतर्गत समूह अवस्थिति है, के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट XI में दी गई है ;
1(ग)	(i) नदी घाटी परियोजनाएं (ii) सिंचाई परियोजना	(i) <50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) >50,000 हे. खेती योग्य कमान क्षेत्र	(i) $\geq$25 मे.वा. और <50 मे.वा.जल विद्युत उत्पादन (ii) >2000 हे और <50,000 हे.. खेती योग्य कमान क्षेत्र **सिंचाई प्रणाली** — **ईसी की अपेक्षा** (क) लघु सिंचाई प्रणाली (<2000 हे.) — छूट प्राप्त (ख) मध्यम सिंचाई — इएमपी और राज्य स्तरीय	साधारण शर्तें लागू होंगी टिप्पण : (i) एक से अधिक राज्य में आने वाली प्रवर्क 'ख' नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार स्तर पर किया जाएगा ; (ii) किसी विद्यमान परियोजना द्वारा पर्यावरणीय लाभयुक्त सिंचाई प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया जाना (उदाहरणार्थ बाढ़ सिंचाई से ड्रिप सिंचाई) जिसके फलस्वरूप खेती योग्य कमान क्षेत्र में वृद्धि हो, किंतु बांध की ऊंचाई और जलमग्नता में वृद्धि न हो, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी।

			प्रणाली (>2000 <10,000 हे.)	(ख2 प्रवर्ग) तैयार करना अपेक्षित।	
			(ग) महा सिंचाई प्रणाली (≥10000 से <50000 हे.)	इआईए/इएमपी और राज्य स्तरीय (ख1 प्रवर्ग) तैयार करना अपेक्षित।	

लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत परिशिष्ट-XI में समूह स्थिति भी है

पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	परियोजना का प्रवर्ग	ईआईए/ ईएमपी की अपेक्षा	लोक सुनवाई की अपेक्षा	ईसी की अपेक्षा	कौन ईआईए/ ईएमपी तैयार कर सकता है	ईसी के लिए कौन आवेदन करेगा	ईसी का मूल्यांकन/ स्वीकृति देने के लिए प्राधिकारी	ईसी की अनुपालना की मानीटरी करने के लिए प्राधिकारी
व्यष्टिक खनन पट्टे के आधार पर बालू खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए ईसी प्रस्ताव								
0-5 हे.	'ख2'	प्रारुप-1 एमपीएफआर,डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	डीईआईएए एसईआईएए एपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी एमओईएफसीसी अभिकरण द्वारा नामनिर्देशिती
>5 हे. और <25 हे.	'ख2'	प्रारुप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईएमपी	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
>25 हे. और <100 हे.	'ख1'	प्रारुप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईआईए तथा ईएमपी	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
>100 हे.	'क'	प्रारुप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईआईए तथा ईएमपी	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	
समूह स्थिति में बालू खनन और अन्य लघु खनिज के लिए ईसी प्रस्ताव								
5 हे. तक खनन पट्टे का समूह क्षेत्र	'ख2'	प्रारुप-1 एमपीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	डीईआईएए एसईआईएए एपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी एंजेसी द्वारा नामनिर्देशिती
>5 हे. और <25 हे. के खनन पट्टे के समूह क्षेत्र, >5 हे. के बिना किसी व्यष्टिक पट्टे के	'ख2'	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	

खनन पट्टे के समूह क्षेत्र, >5 हे. के किसी व्यष्टिक पट्टे के साथ	ख 2	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
व्यष्टिक पट्टा आकार <100 हे. के साथ >25 के खनन पट्टों का समूह	'ख1'	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईआईए/ईएमपी	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	सीईएसी/ एसईआईएए	
>100 हे. से किसी व्यष्टिक पट्टे के आकार का कोई समूह	'क'	प्रारुप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टो के लिए एक ईआईए/ईएमपी	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	

[फा. सं. 19-2/2013-आईए.III (पार्ट. II)]

ज्ञानेश भारती , संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए :--

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;

21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015,
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015,
26. का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016,
27. का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;
28. का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2016; और
33. का.आ. 3611(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018 I

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

S.O. 3977(E).— Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing capacity addition with change in process or technology or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received requests, for delegation of more powers to State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) with respect to grant of Environment Clearances;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.3933 (E) dated the 18th December 2017, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 18th December 2017;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 namely:-

In the said Notification, in the SCHEDULE, for item 1(a), 1(c), and the Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Project or Activity</td><td colspan="2">Category with threshold limit</td><td rowspan="2">Conditions if any</td></tr>
<tr><td>A</td><td>B</td></tr>
<tr><td colspan="2">1</td><td colspan="3">Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td></tr>
<tr><td>1 (a)</td><td>(i) Mining of minerals

(ii)Slurry pipelines (coal, lignite and other ores) passing through national parks / sanctuaries / coral reefs, ecologically sensitive areas.</td><td>> 100 ha. of mining lease area in respect of non-coal mine lease.

> 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease

Asbestos mining irrespective of mining area.

All projects.</td><td>≤ 100 ha of mining lease area in respect of non-coal mine lease.

≤ 150 ha of mining lease area in respect of coal mine lease.</td><td>General Conditions shall apply except:
(i) for project or activity of mining of minor minerals of Category ‘B2’ (up to 25 ha of mining lease area);

(ii) for project or activity of mining of minor minerals of Category ‘B1’ in case of cluster of mining lease area; and

(iii) River bed mining projects on account of inter-state boundary.

Note:

(1) Mineral prospecting is exempted;

(2) The prescribed procedure for environmental clearance for mining of minor minerals including cluster situation is given in Appendix XI;</td></tr>
<tr><td>1(c)</td><td>(i) River Valley projects

(ii) Irrigation projects</td><td>(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;

(ii) ≥ 50,000 ha. of culturable command area</td><td>(i) ≥ 25 MW and < 50 MW hydroelectric power generation;

(ii) > 2000 ha. and < 50,000 ha. of culturable command area.

<table><tr><td>Irrigation system</td><td>Requirement of EC</td></tr><tr><td>(a) Minor Irrigation system (≤ 2000 Ha)</td><td>Exempted</td></tr><tr><td>(b) Medium irrigation system (> 2000 and < 10,000 ha.)</td><td>Required to prepare EMP and to be dealt at State Level (B_2 category).</td></tr></table></td><td>General Condition shall apply.

Note:-
(i) Category ‘B’ river valley projects falling in more than one state shall be appraised at the central Government Level.

(ii) Change in irrigation technology having environmental benefits (eg. From flood irrigation to Drip irrigation etc.) by an existing project, leading to increase in Culturable Command Area but without increase in dam height and submergence, will not require amendment/ revision of EC.</td></tr>
</table>

			(c) Major irrigation system (≥10,000 to < 50,000 ha.)	Required to prepare EIA/EMP and to be dealt at State Level (B_1 category).	

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI:

Area of Lease (Hectare)	Category of Project	Requirement of EIA / EMP/ DSR	Requirement of Public Hearing	Requirement of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	'B2'	Form –1M, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
> 5 ha and < 25 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
≥ 25ha and ≤ 100ha	'B1'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
> 100 ha	'A'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	'B2'	Form –1M, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with any individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	

Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size ≤ 100ha	'B1'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP forall leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease > 100ha	'A'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP for all leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	

[F. No. 19-2/2013-IA.III (Pt.II)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;

30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-11..64
and Published by the Controller of Publications, Delhi-11..54.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4516] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2018/कार्तिक 23, 1940
No. 4516] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018/KARTIKA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2018

का.आ. 5733(अ).—केंद्रीय सरकार, अधिभोग प्रमाणपत्र/समापन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से पूर्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भवन अनुज्ञा सहित 20,000≥ वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर तक के निर्मित क्षेत्र वाले भवन या संनिर्माण परियोजनाओं और 20,000≥ वर्ग मीटर से 1,50,000 वर्ग मीटर तक के औद्योगिक शेडों, शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रावासों के संबंध में परिशिष्ट में यथा विनिर्दिष्ट पर्यावरण शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकरणों, जैसे नगरपालिकाओं, विकास प्राधिकरणों, जिला पंचायतों को शक्ति प्रत्यायोजित करती है ।

परिशिष्ट

भवनों तथा निर्माण के लिए पर्यावरणीय शर्तें

(श्रेणी : भवन या निर्माण परियोजना या क्षेत्रीय विकास परियोजना और नगरीय 20,000≥ वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर साथ ही साथ शैक्षणिक संस्थानों के लिए औद्योगिक, शैक्षणिक संस्थानओं, अस्पतालों शेडों और छात्रावासों के लिए 20,000≥ वर्ग मीटर से 1,50,000 वर्ग मीटर)

क्रम सं.	माध्यम	पर्यावरणीय शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	स्थलाकृति तथा प्रकृतिक ड्रेनेज	जल के अवाधित प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए प्रकृतिक ड्रेन प्रणाली का रखरखाव किया जाना चाहिए । किसी भी निर्माम कार्य को स्थल से होकर गुजरने वाले प्रकृतिक ड्रेनेज में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी । नम भूमि तथा जल निकायों पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ड्रेनेज पद्धति का रखरखाव करने तथा वर्षा जल संचयन के लिए चेक डैम, बायो-स्वेल, लैंडस्केप और अन्य वहनीय शहरी ड्रेनेज प्रणालियों की अनुमति है ।

		भवन जहां तक संभव हो, प्राकृतिक स्थलाकृति के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे। कम से कम कटाई और भराई की जानी चाहिए।
2.	जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल स्तर में वृद्धि	वर्षा जल संचयन, जल दक्षता और संरक्षण के लिए एक संपूर्ण योजना तैयार और कार्यान्वित की जानी चाहिए। निम्न प्रवाह सज्जाओं या संवेदकों के साथ जल दक्ष साधित्रों के उपयोग का संवर्धन किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन पर स्थानीय उपविधियों के उपबंधों का अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि स्थानीय उपविधियों के उपबंध उपलब्ध नहीं हों तो शहरी विकास मॉडल भवन उपविधि 2016 के अनुसार भंडारण और रिचार्ज के लिए समुचित उपबंधों का अनुसरण किया जाना चाहिए। वर्षा जल संचयन योजना का वहां डिजाइन किए जाने की आवश्यकता है जहां निर्मित क्षेत्र के प्रति पांच हजार वर्ग मीटर तथा ताजा जल की एक दिन की आवश्यकता की भंडारण क्षमता के न्यूनतम एक रिचार्ज बोर को उपलब्ध कराया जाएगा। उन क्षेत्रों में, जहां भू-जल रिचार्ज साध्य नहीं है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना भू-जल की निकासी नहीं की जाएगी। सभी रिचार्ज सतही जलभृत तक सीमित होंगे।
2(क)		स्थानीय भवन उपनियमों में यथा अपेक्षित कम से कम 20 प्रतिशत खुला स्तान प्रभावनीय होगा। कम से कम 50 प्रतिशत ओपनिंग के साथ पेवर, पेवर ब्लाकों, लैंडस्केप इत्यादि को प्रभावनीय तल समझा जाएगा।
3.	अपशिष्ट प्रबंधन	ठोस अपशिष्ट – अपशिष्ट के पृथक्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक इकाई में तथा भूतल पर अलग-अलग नम और शुष्क बिनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीवेज – ऐसे क्षेत्रों में जहां नगरीय सीवेज नेटवर्क नहीं है, वहां आनसाइट शोधन प्रणालियां संस्थापित की जानी चाहिए। लैंडस्केप से एकीकृत होने वाली प्राकृतिक शोधन प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जहां तक संभव हो शोधित बहिःस्राव का पुनः प्रयोग किया जाना चाहिए। अतिरिक्त शोधित बहिःस्राव को सीपीसीबी प्रतिमानों के अनुपालन में निस्तारित किया जाएगा। सैप्टिक टैंकों सहित आनसाइट सीवेज शोधन से निकले गाद को शहरी विकास मंत्रालय, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) के सीवरेज तथा सीवेज शोधन प्रणाली मैनुअल, 2013 के अनुसार एकत्रित, भेजना और निस्तारित किया जाएगा। ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को अनुपालन किया जाएगा।
3(क)		सभी गैर जैविक रूप से नष्ट होने वाले अपशिष्ट को प्राधिकृत पुन:चक्रक को सौंप दिया जाएगा, जिसके लिए प्राधिकृत पुन:चक्रों के साथ अनिवार्य रूप से एक लिखित गठबंधन किया जाएगा।
3(ख)		प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 0.3 किलोग्राम की न्यूनतम क्षमता वाले जैविक अपशिष्ट कंपोस्ट/कृमि खेती खड्डा संस्थित करना चाहिए।
4.	ऊर्जा	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के ऊर्जा संरक्षण भवन कोड (ईसीबीसी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्यों में ऐसे भवन जिनमें उनके अपने ईसीबीसी अधिसूचित हैं, उनमें राज्य ईसीबीसी का अनुपालि किया जाएगा। आउटडोर तथा साझा क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था में लाईट एमिटिंग डायोड (एलईडी) का प्रयोग होगा। डिमांड लोड के 1 प्रतिशत समतुल्य अथवा राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपनियमों की अपेक्षा अनुसार बिजली उत्पादन की पूर्ति करने हेतु सौर, पवन अथवा नवीकरणीय ऊर्जा, जो भी अधिक हो, की संस्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक तथा संस्थागत भवनों की गर्म जल की मांग को पूरा करने के लिए अथवा स्थानीय भवन उपनियमों की आवश्यकतानुसार, जो भी अधिक हो,

		सोलर वाटर हीटिंग की व्यवस्था की जाएगी । आवासीय भवनों के लिए भी यथासंभव अपनी गर्म जल मांग की पूर्ति हेतु सोलर वाटर हीटरों की सिफारिश की जाती है । भवन डिजाइनों में पैसिव सोलर डिजाइन की संकल्पना शामिल की जाएगी जिसमें डिजाइन के तत्वों जैसे भवन अभिमुखीकरण, लैंडस्केपिंग, दक्ष भवन एनवेलप, समुचित खिड़कियों की व्यवस्था, दिन में अधिक प्रकाश करने की व्यवस्था में सुधार और थर्मल माल इत्यादि का प्रयोग करके भवनों में ऊर्जा खपत को न्यूनतम किया जाता है । दीवारों, खिड़कियां और छत के यू-वाल्व ईसीबीसी विशिष्टियों के अनुसार होंगे ।
4(क)		मांग भार या राज्य स्तरीय/स्थानीय भवन उपविधियों की अपेक्षाओं, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के एक प्रतिशत के समतुल्य विद्युत सृजन को पूरा करने के लिए सौर/पवन या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा का प्रतिष्ठापन किया जाएगा ।
4(ख)		व्यवसायिक और संस्थागत भवन की गर्म जल की मांग का 20 प्रतिशत सौर ऊर्जा जलीय ताप से व्यस्थित होगा या स्थानीय भवन उपविधि की अपेक्षानुसार, जहां कहीं उच्चतम आवासीय भवन हैं जहां तक संभव हो उनकी गर्म जल की मांग सौर ऊर्जा जलीय ताप से देने की व्यवस्था की जाएगी ।
4(ग)		ईंटों, ब्लॉकों, अन्य संनिर्माण सामग्रियों में पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उपयोग संनिर्माण सामग्री मात्रा का कम से कम 20 प्रतिशत के लिए अपेक्षित होगा, इनके अंतर्गत फ्लाईऐश, खोखली ईंटें, भाप-सह-पात्र वातित कंक्रीट (एएसी) फ्लाईऐश, चूना जिम्सम के ब्लॉक, संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री भी है । फ्लाईऐश का उपयोग समय-समय पर यथा संशोधित फ्लाईऐश अधिसूचना का.आ. 763(अ) तारीख 14 सितंबर, 1999 के उपबंधों के अनुसार संनिर्माण में निर्माण सामग्री के रूप में किया जाना चाहिए ।
5.	वायु गुणवत्ता और ध्वनि	संनिर्माण स्थलों की ओर जाने वाली या उस पर सड़के तैयार की जानी चाहिए और उन्हें ब्लैक टॉप (अर्थात् पक्की सड़कें) किया जाना चाहिए । किसी मृदा उत्खनन कार्यरत पर्याप्त धूल शमन उपायों के बिना नहीं किया जाएगा । खुली मृदा या रेत या संनिर्माण या ध्वस्त अवशिष्ट या कोई अन्य संनिर्माण सामग्री, जिसके कारण धूल होती हो, खुला नहीं जोड़ा जाएगा । हवा रोधक की पर्याप्त ऊंचाई भवन की ऊंचाई का 1/3 और अधिकतम 10 मीटर तक उपबंधित होगा । जल छिड़काव प्रणाली उपयोग में लाई जाएगी । धूल शमन उपयोग संनिर्माण स्थल पर सहज लोक दर्शन के लिए प्रमुखतया से प्रदर्शित किया जाएगा । भवन सामग्री की पिसाई और कटाई खुले क्षेत्र में प्रतिषिद्ध होगी । संनिर्माण सामग्री और अवशिष्ट केवल चिन्हित क्षेत्र के भीतर भंडारित किया जाएगा और सड़क किनारे संनिर्माण सामग्री और अवशिष्ट का भंडारण प्रतिषिद्ध होगा । किसी वाहन को संनिर्माण सामग्री और अवशिष्ट आच्छादित के बिना ले जाने के लिए स्वीकृत नहीं दी जाएगी । संनिर्माण और ध्वस्त अवशिष्ट प्रक्रिया और निपटान स्थल चिन्हित तथा अपेक्षित धूल शमन उपयोग स्थल पर अधिसूचित किए जाएंगे । धूल, धुंआ और अन्य वायु प्रदूषण प्रतिषिद्ध उपाय भवन और साथ ही साथ स्थल के लिए व्यवस्थित किए जाएंगे । वेटजेट की पिसाई और पत्थरों कटाने के लिए उपयोग किया जाएगा । उबड़-खाबड़ सतह और खुली मृदा की धूल कों दबाने के लिए पर्याप्त जल का छिड़काव किया जाएगा । सभी ध्वस्त और संनिर्माण अपशिष्ट, ध्वस्त और संनिर्माण अपशिष्ट नियम,

		2016 के उपबंधों के अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे। निर्माण स्थलों पर कार्यरत तथा निर्माण सामग्री और निर्माण कचरे को लादने, उतारने और ढुलाई या धूल प्रदूषण करने वाले किसी क्षेत्र में कार्यरत सभी मजदूरों को डस्ट मास्क उपलब्ध कराए जाएं। भीतर वायु गुणवत्ता के संबंध में भारत के राष्ट्रीय भवन कोड के अनुसार वायु संचार प्रावधान किए जाएं।
5(क)		जेनसेट की अवस्थिति और सम्वातन पाइप की ऊंचाई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कानूनी मानकों के उपबंधों के अनुसार होगी।
6.	हरित क्षेत्र	प्रति 80 वर्ग मीटर की भूमि के लिए कम से कम एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल की जानी चाहिऑए। इस उद्देश्य के लिए विद्यमान पेड़ों की गिनती की जाएगी। देशीय जाति के पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6(क)		जहां पेड़ों की कटाई आवश्यक हों,1:3 के अनुपात में प्रतिपूरक वृक्षारोपण अर्थात् प्रत्येक एक पेड़ की कटाई के लिए 3 पौधों को लगाना तथा उनका रख-रखाव करना होगा।
7.	ऊपरी मृदा परिरक्षण और पुनरुपयोग	भवनों, सड़कों, पक्के क्षेत्रों और बाहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों से 20 सेंटीमीटर की गहराई तक ऊपरी मृदा को खोदा जाना चाहिए। इसका निर्धारित क्षेत्र में समुचित ढंग से भंडारण किया जाना चाहिए और स्थल पर प्रस्तावित वनस्पति के रोपण के दौरान इसका पुनरुपयोग किया जाना चाहिए।
8.	परिवहन	भवन निर्माण योजना व्यापक गतिशीलता योजना अनुमोदन के साथ संरेखित की जाएगी (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के उत्तम, पद्धति मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुसार (यूआरडीपीएफआई)।

[फा. सं. 3-49/2017-आईए.III-भाग]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्यांक का.आ.1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन निम्नलिखित संख्याओं द्वारा किया गया :-

1. का.आ. 1949.(अ) तारीख 13 नवंबर, 2006 ;
2. का.आ. 1737.(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 ;
3. का.आ. 3067.(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
4. का.आ. 695 .(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156 (अ) तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896 (अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ) तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ) तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ) तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731 (अ) तारीख 9 सिंतबर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ) तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून, 2014 ;
15. का.आ. 2601(अ) तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;

16. का.आ. 2600(अ) तारीख 9 अक्तूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ) तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
21. का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ) तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ) तारीख 31 अगस्त, 2015 ;
25. का.आ. 2572(अ) तारीख 14 सितंबर, 2015 ;
26. का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2015 ;
27. का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;
28. का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;
29. का.आ. 2944(अ) तारीख 14 सितंबर, 2016 ;
30. का.आ. 3518(अ) तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31. का.आ. 3999(अ) तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
32. का.आ. 4241 (अ) तारीख 30 दिसंबर, 2016 ;
33. का.आ. 3611(अ) तारीख 25 जुलाई, 2018 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2018

S.O. 5733(E).—In exercise of the powers conferred by section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby delegates the power to local bodies such as Municipalities, Development Authorities, District Panchayatsas the case may be,to ensure the compliance of the environmental conditions as specified in the Appendix in respect of building or construction projects with built-up area ≥20,000 sq. mtrs. To 50,000 sq. mtrs. and industrial sheds, educational institutions, hospitalsand hostels for educational institutions≥20,000 sqmupto 1,50,000 sqm along with building permissionand to ensure that the conditions specified in Appendix are complied with, before granting the occupation certificate/completion certificate.

APPENDIX

Environmental Conditions for Buildings and Constructions

(Category: Building or Construction projects or Area Development projects and Townships≥ 20,000 to <50,000 Square meters as well as for industrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutionsfrom 20,000 sq.mto<1,50,000 sq.m)

S.N.	MEDIUM	ENVIRONMENTAL CONDITIONS
(1)	(2)	(3)
1	Topography and Natural Drainage	The natural drain system shall be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site. No construction is allowed on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
2	Water Conservation,	A complete plan for rain water harvesting, water efficiency and conservation should be prepared and implemented.

	Rain Water Harvesting and Ground Water Recharge	Use of water efficient appliances should be promoted with low flow fixtures or sensors. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Bye-laws, 2016. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meters of built up area and storage capacity of minimum one day of total fresh water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority. All recharge should be limited to shallow aquifer.
2(a)		At least 20 per cent of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks, landscape etc. with at least 50 per cent opening in pavingwhich would be considered as pervious surface.
3	Waste Management	Solid waste: Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Sewage: Onsite sewage treatment of capacity of treating 100 per cent waste water to be installed. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses. Excess treated water shall be discharged as per statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Natural treatment systems shall be promoted. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organisation(CPHEEO)Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules 2016 and the e-waste (Management) Rules 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules 2016 shall be followed.
3 (a)		All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
3(b)		Organic waste compost/ Vermiculture pit with a minimum capacityof 0.3 kg per person per day must be installed.
4	Energy	Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be Light Emitting Diode (LED). Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
4 (a)		Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1 per cent of the demand load or as per the state level/ local building bye-laws requirement, whichever is higher.
4 (b)		Solar water heating shall be provided to meet 20 per cent of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.
4 (c)		Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20 per cent of the construction material quantity. These include flyash bricks, hollow bricks, Autoclaved Aerated Concrete (AAC), Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and

		other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of the Fly Ash Notification,S.O. 763(E) dated 14th September, 1999 as amended from time to time.
5	Air Quality and Noise	Roads leading to or at construction sites must be paved and blacktopped (i.e. metallic roads). No excavation of soil shall be carried out without adequate dust mitigation measures in place. No loose soil or sand or Construction & Demolition Waste or any other construction material that causes dust shall be left uncovered. Wind-breaker of appropriate height i.e. 1/3rd of the building height and maximum up to 10 meters shall be provided. Water sprinkling system shall be put in place. Dust mitigation measures shall be displayed prominently at the construction site for easy public viewing. Grinding and cutting of building materials in open area shall be prohibited. Construction material and waste should be stored only within earmarked area and road side storage of construction material and waste shall be prohibited. No uncovered vehicles carrying construction material and waste shall be permitted. Construction and Demolition Waste processing and disposal site shall be identified and required dust mitigation measures be notified at the site Dust, smoke and other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
5 (a)		The location of the Genset and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the statutory norms notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change The Genset installed for the project shall follow the emission limits, noise limits and general conditions notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide GSR 281(E) dated 7th March 2016 as amended from time to time.
6	Green Cover	A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species.
6 (a)		Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained.
7	Top Soil preservation and reuse	Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
8	Transport	The building plan shall be aligned with the approved comprehensive mobility plan (as per Ministry of Housing and Urban Affairs best practices guidelines (URDPFI)).

[F. No 3-49/2017-IA.III-Pt]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4519] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2018/कार्तिक 24, 1940
No. 4519] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

का.आ.5736(अ).--भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 का और संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 1132(अ), तारीख 13 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, भारत के राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, उन व्यक्तियों के जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए है ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केंद्रीय सरकार, पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

(i) उक्त अधिसूचना में, पैरा 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"14 स्थानीय निकाय यथा-नगरपालिका, विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत भवन की अनुमति देते समय पर्यावरण परिस्थितियों को निर्धारित करेंगे, अधिसूचना का.आ. 5733(अ) तारीख 14 नवम्बर, 2018 में विनिर्दिष्ट भवन या निर्माण परियोजना के लिए निर्मित क्षेत्र $\geq$ 20,000 वर्ग मीटर और < 50,000 वर्ग मीटर होगा तथा औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्मित क्षेत्र $\geq$ 20,000 वर्गमीटर से < 1,50,000 वर्ग मीटर होगा ।"

(ii) अनुसूची में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8	भवन निर्माण और संनिर्माण परियोजनाओं या क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरी के साथ औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास			
8(क)	भवन निर्माण और संनिर्माण परियोजना		निर्मित क्षेत्र ≥ 50,000 वर्गमीटर से < 1,50,000 वर्गमीटर	**टिप्पण 1 :** इस अधिसूचना में प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" पद, सभी तलों को एक साथ मिलाकर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उसका बेसमेंट भी है, जो भवन निर्माण तथा संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित है। **टिप्पण 2 :** परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अंतर्गत औद्योगिक शेड, औद्योगिक संस्थान, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास नहीं आएंगे। **टिप्पण 3:** साधारण शर्तें लागू नहीं होगी।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाओं के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं के लिए औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास		निर्मित क्षेत्र का ≤ 1,50,000 वर्गमीटर क्षेत्र और या आच्छादित क्षेत्र का ≥ 50 हेक्टेयर	इस मद के अधीन आच्छादित बोर्ड नगरी परियोजना और क्षेत्रीय विकास परियोजना के लिए पर्यावरण निर्धारण स्थिति और 'बी' परियोजना श्रेणी के रूप में आंकन। टिप्पण : साधारण शर्तें लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 3-49/2017-आईए.III-पीटी]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए :--

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 ;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015,

25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2015,

26. का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016,

27. का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;

28. का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;

29. का.आ. 2944(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2016 ;

30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2016 ;

31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2016 ;

32. का.आ. 4241(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2016 ; और

33. का.आ. 3611(अ) तारीख 25 जुलाई, 2018 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2018

S.O. 5736(E).—Whereas, a draft notification further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E) dated the 14th September 2006 was published in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 *vide* S.O. 1132(E) dated the 13th March, 2018, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected there by, within a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely: -

(i) in the said notification, for paragraph 14, the following shall be substituted, namely:-

"14 Local bodies such as Municipalities, Development Authorities and District Panchayats, shall stipulate environmental conditions while granting building permission, for the Building or Construction projects with built-up area≥20,000 sq. mtrs and<50,000 sq. mtrsandindustrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions from built-up area ≥ 20,000 sqm to <1,50,000 sq.m as specified in Notification S.O. 5733(E) dated 14th November, 2018".

(ii) in the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8	Building or Construction projects or Area Development projects and Townships as well as for industrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions			
8 (a)	Building or Construction projects		≥50,000 sq. mtrs. and <1,50,000 sq. mtrs.of built-up area	**Note-1:** The term "built-up area" for the purpose of this notification is the built-up or covered area on all the floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings or construction projects.**Note 2:** The projects or activities shall not include industrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions. **Note 3:** General Conditions shall not apply.
8 (b)	Townships and Area Development projects as well as industrial sheds,		≥1,50,000 sq. mtrs. of built-up area and or covering an area ≥ 50 ha.	A project of Township and Area Development Projects covered under this item shall require an Environment Assessment Report and be appraised as Category 'B_1' Project. **Note: -** General Conditions shall not apply.

	educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions			

[F. No. 3-49/2017-IA.III-Pt.]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4624] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 28, 2018/अग्रहायण 7, 1940
No. 4624] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2018/AGRAHAYANA 7, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2018

का.आ. 5845(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा निदेशित किया गया है कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण प्रक्रिया और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन सहित क्षमता में परिवर्धन करते हुए और या मिश्रित उत्पाद भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार द्वारा या इस अधिसूचना में इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् ही किया जाएगा;

और उक्त अधिसूचना में, का0आ0 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 द्वारा यथा संशोधित पैरा 10 की उप-पैरा **(ii)** में यह उपबंधित किया गया है कि "परियोजना प्रबंधन के लिए प्रत्येक कलेंडर वर्ष की 1 जून और 1 दिसंबर को संबंधित विनियामक प्राधिकरण को निश्चित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों को अर्धवार्षिक रूप में हार्ड और साफ्ट प्रतियों में प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा";

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में बहुत अधिक संख्या में अर्धवार्षिक मॉनीटरी रिपोर्ट जो केवल हार्ड प्रति में प्राप्त हो रही हैं, का पुनर्विलोकन करना और कार्यालय में रिकॉर्ड रखा जाना अत्यंत कठिन है और इसके अतिरिक्त, उक्त मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल के रूप में संपूर्ण पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया और पश्च अनापत्ति मानीटर करने को ऑनलाइन किया जाना प्रक्रियाधीन है जिसके लिए अर्धवार्षिक मानीटरी रिपोर्ट की साफ्ट प्रतियां उपयोगी होंगी;

और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिसूचना का संशोधन, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सूचना की अपेक्षा बाबत लोकहित में ऐसे व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, से अभिमुक्ति प्रदान करना आवश्यक समझती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान करने के पश्चात्, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006, का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 द्वारा यथासंशोधित, द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 10 में, उप-पैरा (ii) में "हार्ड और सॉफ्ट प्रतियों" शब्दों के स्थान पर "सॉफ्ट प्रति" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 22-25/2018-आईए-III]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा संशोधित की गई :-

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 966(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;

25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2015;
26. का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648(अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269(अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2016;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2016 और
33. का.आ. (अ), तारीख 25th जुलाई , 2018 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2018

S.O. 5845(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, in the said notification, as amended *vide* S.O. 3067 (E) dated 1st December 2009, in paragraph 10, in sub-paragraph (ii), it has been provided that "It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year";

And whereas, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, large number of half-yearly monitoring reports which are being received only in hard copy, made it difficult to review and record in the office, and moreover, as an e-governance initiative, the said Ministry is in the process of making the entire environment clearance process and post clearance monitoring online for which soft copies of the half-yearly monitoring reports will be useful;

And whereas, in view of the above, the Central Government finds it necessary to amend the said notification, by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 regarding inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v)of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rule 5, hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006,namely:-

In the said notification, in paragraph 10, in sub-paragraph (ii), for the words "hard and soft copies" the words "soft copy" shall be substituted.

[F. No. 22-25/2018-IA.III]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:—

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5011] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940
No. 5011] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6250(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख़ 14 सितम्बर, 2006, के द्वारा भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही भारत के किसी भी भाग में परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों के अपेक्षित निर्माण का कार्य अथवा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध की गई मौजूदा परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों के विस्तारण अथवा आधुनिकीकरण का कार्य, जिसमें प्रकिया अथवा प्रौद्योगिकी अथवा उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता संवर्धन आवश्यक है, को केन्द्रीय सरकार से अथवा यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से गठित किए गए राज्य स्तर के पर्यावरण समाघात मूल्यांकन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करने के बाद शुरू किया जाएगा।

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 3 के उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1), द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी उक्त अधिसूचना में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र में प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए; का.आ.3018 (अ), को 21 जून, 2018 के द्वारा प्रकाशित किया गया था,

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, की धारा 3 के उपधारा (2) के खंड (v) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी उक्त अधिसूचना में

संशोधन करने के लिए एक प्रारूप अधिसूचना, भारत के राजपत्र में प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए; का.आ.5213 (अ), को 08 अक्टूबर, 2018 के द्वारा प्रकाशित किया गया था,

और उपरोक्त उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के प्रतिउत्तर में प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों को केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है

अतः अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, मद 7 (ज) और तत्संबंधी प्रविष्टियां के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

परियोजना अथवा क्रियाकलाप		शुरुआती सीमा सहित श्रेणी		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7 (ज)	साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	-	सभी परियोजनाएं	सामान्य शर्तें लागू होंगी **टिप्पण:** परियोजनाओं के भीतर अथवा ऐसे क्रियाकलापों,जिनके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है, के लिए सीईटीपी की स्थापना हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट प्राप्त है, और पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा किए जाने वाले किसी उत्पाद को प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए अथवा उक्त सीईटीपी उत्पादन की इकाई के विद्यमान या प्रस्तावित सदस्य में से किसी को पर्यावरणीय अनापत्ति करने की आवश्यकता होगी।

[फा.सं. 22-28/2018-आईए-III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1533 (अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्तपश्चात निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था :-

1. का.आ.1949 (अ), तारीख़ 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ.1737 (अ), तारीख़ 11 अक्तूबर, 2007
3. का.आ. 3067 (अ), तारीख़ 01 दिसम्बर, 2009;
4. का.आ. 695 (अ), तारीख़ 04 अप्रैल, 2011;
5. का.आ. 156 (अ), तारीख़ 25 जनवरी, 2012;

6. का.आ. 2896 (अ), तारीख़ 13 दिसम्बर, 2012;
7. का.आ. 674 (अ), तारीख़ 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204 (अ), तारीख़ 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555 (अ), तारीख़ 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559 (अ), तारीख़ 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731 (अ), तारीख़ 09 सितम्बर, 2013;
12. का.आ. 562 (अ), तारीख़ 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637 (अ), तारीख़ 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599 (अ), तारीख़ 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601 (अ), तारीख़ 07 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600 (अ), तारीख़ 09 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252 (अ), तारीख़ 22 दिसम्बर, 2014;
18. का.आ. 382 (अ), तारीख़ 03 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811 (अ), तारीख़ 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996 (अ), तारीख़ 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142 (अ), तारीख़ 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141 (अ), तारीख़ 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834 (अ), तारीख़ 06 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571 (अ), तारीख़ 31 अगस्त, 2015;
25. का.आ. 2572 (अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2015;
26. का.आ. 141 (अ), तारीख़ 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648 (अ), तारीख़ 03 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269 (अ), तारीख़ 01 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944 (अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2016
30. का.आ. 3518 (अ), तारीख़ 23 नवम्बर, 2016;
31. का.आ. 3999 (अ), तारीख़ 09 दिसम्बर, 2016;
32. का.आ. 4241 (अ), तारीख़ 30 दिसम्बर, 2016;
33. का.आ. 3611 (अ), तारीख़ 25 जुलाई, 2018;
34. का.आ. 3977 (अ), तारीख़ 14 अगस्त, 2018
35. का.आ. 5733 (अ), तारीख़ 14 नवम्बर, 2018;
36. का.आ. 5736 (अ), तारीख़ 15 नवम्बर, 2018 और
37. का.आ. 5845 (अ), तारीख़ 26 नवम्बर, 2018.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2018

S.O. 6250(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, issued under sub-section (1), read with clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, hereinafter referred to as the said notification, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing the capacity addition with change in process or technology and or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, a draft notification for making amendments in the said notification, issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published vide S.O. 3018 (E), dated the 21st June, 2018, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected there by, within a period of thirty days from the date of publication of the draft notification in the Gazette of India;

And whereas, a draft notification to extend the notice period was issued in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published vide S.O. 5213(E), dated the 8th October, 2018, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected there by, within a period of another thirty days from the date of publication of the draft notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above-mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification which shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for item 7(h) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely: -

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)	-	All projects	General Condition shall apply **Note:** Environmental clearance for CETPs setup for or within projects or activities which do not require environmental clearance are exempted, and if any of the existing or proposed member units of the said CETP produces or proposes to produce any product requiring environmental clearance, then the CETP shall need environmental clearance."

[F.No. 22-28/2018-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14^{th} September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13^{th} November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11^{th} October, 2007;

3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd. February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd. March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.
34. S.O. 3977 (E) dated the 14thAugust, 2018
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018 and
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1752] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941
No. 1752] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2019

का.आ. 1960(अ).—भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 का और संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम(3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रारूप अधिसूचना सं. का.आ. 387(अ), तारीख 24 जनवरी, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है;

वर्ष 2030 तक पर्यावरणीय सुरक्षाओं के साथ समझौता किए बिना पेट्रोल के साथ 20 प्रतिशत मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने हेतु जैव-ईंधनों के उत्पादन में वृद्धि पर जोर को ध्यान में रखते हुए आसवनियों और इथेनॉल भंडारण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना और उसमें शीघ्रता लाना आवश्यक है ।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: —

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में- (क) मद सं. 5(छ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

परियोजना/कार्यकलाप	अधिकतम सीमा के साथ श्रेणी		शर्तें, यदि कोई हों
	क	ख	
5	विनिर्माण/संविरचन		
“5(छ) आसवनी	शीरा आधारित आसवनियां > 100 केएलडी गैर-शीरा आधारित आसवनियां > 200 केएलडी	शीरा आधारित आसवनियां ≤ 100 केएलडी गैर-शीरा आधारित आसवनियां ≤ 200 केएलडी	सामान्य शर्तें लागू होंगी”;

(ख) मद सं. 6(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. आईए-जे-11013/55/2017.आईए.II(1) भाग]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण्, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्यांकों द्वारा इसमें संशोधन किया गया था:—

1. का.आ.1949(अ) , तारीख़ 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख़ 11 अक्तूबर, 2007
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 01 दिसम्बर, 2009;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 04 अप्रैल, 2011;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का.आ. 674(अ), तारीख13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 07 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;

19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का.आ. 141(अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648(अ), तारीख 03 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269(अ), तारीख 01 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 09 दिसंबर, 2016;
32. का .आ. 4241 (अ) , तारीख़ 30 दिसंबर,2016;
33. का.आ. 3611(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का.आ. 3977(अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का.आ. 5733(अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का.आ. 5736(अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का.आ. 5845(अ), तारीख 26 नवंबर, 2018; और
38. का.आ. 345(अ), तारीख 17 जनवरी, 2019.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2019

S.O. 1960(E).—Whereas, a draft notification further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest vide number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006 was published in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 *vide* S.O. 387(E), dated the 24th January, 2019, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

Whereas, all objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, there is a need for rationalising and expediting the environment clearance for distilleries and ethanol storage in view of the emphasis on increasing production of biofuels to meet the target of 20 percent blending with petrol by the year of 2030 without compromising the environmental safeguards.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:—

In the said notification, in the SCHEDULE—(a) For item 5(g), and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

Project/ Activity	Category with threshold limit		Conditions, if any
	A	B	
5	Manufacturing/Fabrication		
"5(g) Distilleries	Molasses based distilleries > 100 KLD Non-molasses based distilleries >200 KLD	Molasses based distilleries ≤ 100 KLD Non-molasses based distilleries≤ 200 KLD	General Condition shall apply";

(b) Item 6(b) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F No.IA-J-11013/55/2017.IA.II(I) pt]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:—

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;

15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E) dated the 14th August, 2018
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018; and
38. S.O. 345(E) dated the 17th January, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012020-215557
CG-DL-E-18012020-215557

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2020/पौष 26, 1941
No. 226] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2020/PAUSHA 26, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2020

का.आ. 236(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार ने परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख़ 14 सितम्बर, 2006, के द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है ;

और, यह सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन के कारण चीनी मिलें बी-हैवी मोलासेस या गन्ना रस या चीनी सिरप या इथेनॉल के उत्पादन का कार्य करेंगी, और इथेनॉल की बेहतर पैदावार के कारण, पर्यावरण की अनापत्ति से परे इथेनॉल उत्पादन में वृद्धि की क्षमता, मौजूदा संयंत्र और मशीनरी या प्रौद्योगिकी के किसी भी विस्तार के बिना; क्षमता प्रदान की जाती है ;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बी-भारी मोलासेस या गन्ना रस या चीनी सिरप या चीनी का उपयोग करने के कारण इथेनॉल के उत्पादन में आकस्मिक वृद्धि के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा की छूट के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; विद्यमान भट्टियों या चीनी मिलों या सिंथेटिक कार्बनिक रासायनिक इकाइयों में कुल प्रदूषण भार में वृद्धि के बिना बहु औषधि विनिर्माण के मामले में उत्पाद-मिश्रण में परिवर्तन जिसके लिए पर्यावरणीय अनापत्ति पहले ही दी गई थी ;

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपतट और तटवर्ती तेल और गैस के संबंध में अन्वेषण ड्रिलिंग के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा की छूट के लिए भी निर्देश प्राप्त हुए हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के साथ पठित उप-धारा (1) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा के साथ अभिमुक्ति प्रदान करने के पश्चात,भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533 (अ) तारीख़ 14 सितम्बर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

i . पैरा 7 में, उप-पैरा (ii) में, खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"(ग) कच्चे माल-मिश्रण या उत्पाद-मिश्रण में कोई परिवर्तन, उसी श्रेणी में उत्पादों या उत्पादों की संख्या के भीतर मात्रा में परिवर्तन जिसके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति दी गई हो, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट दी जाएगी परन्तु प्रदूषण भार में पहले पर्यावरण अनापत्ति में अनुज्ञात उत्पादन में परिणामी वृद्धि 50% से अधिक उत्पादन क्षमता कोई वृद्धि नहीं हुई है और परियोजना प्रस्तावक परिशिष्ट -XIII में दिए गए उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति से 'प्रदूषण भार कोई वृद्धि नहीं' प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे";

ii अनुसूची में--

मद 1 (ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''1 (ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज , विकास और उत्पादन	खोज के सिवाय अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस विकास और उत्पादनके संबंध में सभी परियोजना		टिप्पण 1: भूकंपीय सर्वेक्षण जो खोज सर्वेक्षण का भाग है छूट प्राप्त है परंतु सुविधा प्राप्त क्षेत्र को वास्तविक सर्वेक्षण के लिए पहले ही अनापत्ति प्राप्त है टिप्पण 2: अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस खोज के संबंध में सभी परियोजना को "बी 2 परियोजन" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

[फा.सं. 22-33/2019-आईए-III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2006 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्तपश्चात निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किया गया था :—

1. का.आ.1949(अ), तारीख़ 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ.1737(अ), तारीख़ 11 अक्तूबर, 2007
3. का.आ. 3067(अ), तारीख़ 01 दिसम्बर, 2009;

4. का.आ. 695(अ), तारीख़ 04 अप्रैल, 2011;
5. का.आ. 156(अ), तारीख़ 25 जनवरी, 2012;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख़ 13 दिसम्बर, 2012;
7. का.आ. 674(अ), तारीख़ 13 मार्च, 2013;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख़ 19 जुलाई, 2013;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख़ 21 अगस्त, 2013;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख़ 22 अगस्त, 2013;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख़ 09 सितम्बर, 2013;
12. का.आ. 562(अ), तारीख़ 26 फरवरी, 2014;
13. का.आ. 637(अ), तारीख़ 28 फरवरी, 2014;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख़ 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख़ 07 अक्तूबर, 2014;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख़ 09 अक्तूबर, 2014;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख़ 22 दिसम्बर, 2014;
18. का.आ. 382(अ), तारीख़ 03 फरवरी, 2015;
19. का.आ. 811(अ), तारीख़ 23 मार्च, 2015;
20. का.आ. 996(अ), तारीख़ 10 अप्रैल, 2015;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख़ 17 अप्रैल, 2015;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख़ 29 अप्रैल, 2015;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख़ 06 जुलाई, 2015;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख़ 31 अगस्त, 2015;
25. का.आ. 2572(अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2015;
26. का.आ. 141(अ), तारीख़ 15 जनवरी, 2016;
27. का.आ. 648(अ), तारीख़ 03 मार्च, 2016;
28. का.आ. 2269(अ), तारीख़ 01 जुलाई, 2016;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख़ 14 सितम्बर, 2016
30. का.आ. 3518(अ), तारीख़ 23 नवम्बर, 2016;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख़ 09 दिसम्बर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख़ 30 दिसम्बर, 2016;
33. का.आ. 3611(अ), तारीख़ 25 जुलाई, 2018;
34. का.आ. 3977(अ), तारीख़ 14 अगस्त, 2018;
35. का.आ. 5733(अ), तारीख़ 14 नवम्बर, 2018;
36. का.आ. 5736(अ), तारीख़ 15 नवम्बर, 2018;
37. का.आ. 5845(अ), तारीख़ 26 नवम्बर, 2018;
38. का.आ. 345(अ), तारीख़ 17 जनवरी, 2019; और
39. का.आ. 1960(अ), तारीख़ 13 जून, 2019।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2020

S.O. 236(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

AND WHEREAS, it was informed that due to incentives provided by the Government of India, sugar mills shall undertake production of ethanol from B-heavy Molasses or Sugar cane Juice or Sugar Syrup or Sugar, and because of the better yield of the ethanol there will be increase in the ethanol production beyond the environmental clearance granted capacity, even without any expansion of existing plant and machinery or technology;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance under the provisions of the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 for the incidental increase in the production of ethanol due to use of B-heavy Molasses or Sugar cane Juice or Sugar Syrup or Sugar; change in the product-mix in case of bulk drug manufacturing without any increase in the total pollution load in the existing distilleries or sugar mills or synthetic organic chemical units for which environmental clearance was already granted;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has also received references requesting for exemption from requirement of prior environmental clearance under the provisions of the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 for exploration drilling in respect of on-shore and off-shore oil and gas;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification,-

i. in paragraph 7, in sub-paragraph (ii), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

> *"(c) Any change in raw material-mix or product-mix, change in quantities within products or number of products in the same category for which prior environmental clearance has been granted, shall be exempted from the requirement of prior environmental clearance provided there is no increase in pollution load and the resultant increase in production is not more than 50 percent of the production capacity permitted in the earlier environmental clearance and the project proponent shall follow the procedure for obtaining 'No Increase in Pollution Load' certificate from the concerned State Pollution Control Board or Union Territory Pollution Control Committee, as the case may be, as per the provisions given in Appendix –XIII";*

ii. in the Schedule -

for item 1(b) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely:-

1(b)	*Off-shore and onshore oil and gas exploration, development and production*	*All projects in respect of off-shore and onshore oil and gas development and production except exploration*		*Note 1: Seismic surveys which are part of Exploration Surveys are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey* *Note 2: All project in respect of off-shore and onshore oil and gas exploration are categorized as 'B2' projects"*

[F. No. 22-33/2019-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;

27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E) dated the 14th August, 2018
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E) dated the 17th January, 2019 and
39. S.O. 1960(E) dated the 13th June, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216265
CG-DL-E-19022020-216265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2020/माघ 29, 1941
No. 686]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020/MAGHA 29, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

का.आ. 751(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के द्वारा पर्यावरणीय समाधात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है ;

और, पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्रक्रिया, जिसमें चार चरण अंतर्वलित हैं, अर्थात् छटनी करना, विस्तारण, लोक राय और अंकन । विस्तारण, परियोजना या क्रियाकलाप के लिए, जिसे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति कहा गया है, के संबंध में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरणीय प्रबंध रिपोर्ट को तैयार करने के लिए संबंधी इंगित सभी सुसंगत पर्यावरणीय ब्यौरे और व्यापक विचारार्थ विषयों को (जिसे इसमें इसके पश्चात् टीओआर कहा गया है) विनिश्चित करने की प्रक्रिया है ;

और, विस्तारण की प्रक्रिया को सहज बनाने और एक मानक प्रचालन प्रक्रिया के रूप में प्रस्तावों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से मंत्रालय ने ईआईए अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 39 परियोजनाओं/कार्यकलापों के लिए क्षेत्र विशिष्ट मानक विचारार्थ विषय तैयार किए हैं ;

और, ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति मानक टीओआर को उपांतरित कर सकती है और प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल और हरित स्थल परियोजनाओं और क्रियाकलापों के संबंध में विशिष्ट अपेक्षा परियोजनाओं की परीक्षा के आधार पर अतिरिक्त टीओआर को विहित कर सकती है ;

और, विस्तारित प्रस्तावों और अधिसूचित औद्योगिक संपदा के भीतर स्थित परियोजना के संबंध में, जिसमें वैकल्पिक स्थलों की जांच अंतर्वलित नहीं है, मानक विचारार्थ विषयों को प्राप्त करने की प्रदान करने की प्रक्रिया को समीचीन करने के लिए, मंत्रालय विनियामक प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 1 में प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात् एक आनलाइन मानक विचारार्थ

विषय के प्रचालन के विचार को शुरू करने का प्रस्ताव करता है, जिसे परियोजना प्रस्तावक को मंत्रालय द्वारा विकसित वेब पोर्टल के माध्यम से स्वत: जारी किया जाएगा ;

और, प्रारूप अधिसूचना ईआईए अधिसूचना, 2006 का और संशोधन करने के लिए, का.आ. सं. 4085(अ), तारीख 11 नवंबर, 2019 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 13 नवंबर, 2019 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, कोई आक्षेप या सुझाव उपर्युक्त उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त नहीं किए गए थे ;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना में, पैरा 7 के उप पैरा 7(i) में उपशीर्ष II चरण (2)-विस्तारण और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :--

"II. चरण (2)-विस्तारण :

(i) "विस्तारण" का अर्थ परियोजना अथवा कार्यकलाप, जिसके लिए पर्यावरणीय पूर्वानुमति मांगी जाती है, के संबंध में पर्यावरणीय समाघात निर्धारण/पर्यावरण प्रबंधन रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सभी संबंधित पर्यावरणीय सरोकारों का समाधान करने वाले विस्तृत और व्यापक विचारार्थ विषय का निर्धारण करने की प्रक्रिया है।

(ii) अनुसूची की श्रेणी "ख2" के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए विस्तारण अपेक्षित नहीं होगा।

(iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विकसित क्षेत्र विशिष्ट मानक विचारार्थ विषयों को इसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ;

(iv) आवेदन की स्वीकृति पर सात कार्य दिवस के अंदर, मानक विचारार्थ विषय मंत्रालय द्वारा ईएसी/एसईएसी, जैसा भी मामला हो, को संदर्भित किए बिना निम्नलिखित परियोजनाओं अथवा कार्यकलापों के लिए ऑनलाइन रीति के माध्यम से जारी होंगे:

   (क) अनुसूची की मद 7(च) के सामने कॉलम (3) और (4) की प्रविष्टि (i) और (ii) के अंतर्गत शामिल सीमावर्ती राज्यों में सभी राजमार्ग परियोजनाएं ;

   (ख) संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित औद्योगिक संपदाओं अथवा उद्यानों (अनुसूची की मद 7(ग)) में स्थित प्रस्तावित सभी परियोजनाएं अथवा कार्यकलाप और जिनके लिए ऐसे अनुमोदनों की अनुमति नहीं है ;

   (ग) विद्यमान परियोजनाओं के विस्तार के सभी प्रस्ताव, जिन्हें पूर्व में पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त हो।

परंतु यह कि ईएसी या एसईएसी आवेदन की स्वीकृति से 30 दिनों के अंदर परियोजना या कार्यकलाप के लिए मानक टीओआर के अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो विशिष्ट विचारार्थ विषय की सिफारिश कर सकती है।

(v) मानक टीओआर के अतिरिक्त, विशिष्ट विचारार्थ विषय की सिफारिश करने के लिए, यदि आवश्यक समझा जाए तो आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अंदर उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (4) में विनिर्दिष्ट के अलावा सभी नई परियोजनाएं और कार्यकलाप विनियामक प्राधिकारी द्वारा ईएसी या एसईएसी को, जैसा भी मामला हो संदर्भित किए जाएंगे। यदि विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्रपत्र-1 में आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अंदर ईएसी/एसईएसी को संदर्भित नहीं किया जाता है तो विनियामक प्राधिकरण द्वारा 30 दिनों के अंदर क्षेत्र विशिष्ट मानक टीओआर को आनलाइन जारी किया जाएगा।

(vi) विचारार्थ विषय के लिए आवेदनों को संबंधित ईएसी या एसईएसी की सिफारिशों पर संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। ऐसी अस्वीकृति के मामले में, समुचित व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् इसके लिए कारणों सहित निर्णय की सूचना आवेदक को आवेदन की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर लिखित में दी जाएगी।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र विशिष्ट मानक टीओआर के साथ-साथ ईएसी/एसईएसी द्वारा अनुबंधित अतिरिक्त विशिष्ट टीओआर, यदि कोई हो, के आधार पर ईआईए रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

(viii) संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर परियोजनाओं या कार्यकलापों के लिए जारी विचारार्थ विषय की वैधता जारी होने के तारीख से चार वर्षों की होगी । नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं की वैधता पांच वर्षों की होगी ।

[फा. सं. 22-1/2019-आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना का.आ.सं.1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित सं. द्वारा संशोधित की गई :--

1. का.आ. 1949(अ) तारीख 13 नवंबर, 2006 ;
2. का.आ. 1737(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2007 ;
3. का.आ. 3067(अ) तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
4. का.आ. 695(अ) तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156(अ) तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896(अ) तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ) तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ) तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ) तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ) तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
11. का.आ. 2731(अ) तारीख 09 सितंबर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ) तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ) तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ) तारीख 25 जून, 2014 ;
15. का.आ. 2601(अ) तारीख 07 अक्तूबर, 2014 ;
16. का.आ. 2600(अ) तारीख 09 अक्तूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ) तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ) तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ) तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ) तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
21. का.आ. 1142(अ) तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ) तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ) तारीख 06 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ) तारीख 31 अगस्त, 2015 ;
25. का.आ. 2572(अ) तारीख 14 सितंबर, 2015 ;
26. का.आ. 141(अ) तारीख 15 जनवरी, 2016 ;
27. का.आ. 648(अ) तारीख 03 मार्च, 2016 ;
28. का.आ. 2269(अ) तारीख 01 जुलाई, 2016 ;
29. का.आ. 2944(अ) तारीख 14 सितंबर, 2016 ;
30. का.आ. 3518(अ) तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31. का.आ. 3999(अ) तारीख 09 दिसंबर, 2016 ;
32. का.आ. 4241(अ) तारीख 30 दिसंबर, 2016 ;
33. का.आ. 3611(अ) तारीख 25 जुलाई, 2018 ;
34. का.आ. 3977(अ) तारीख 14 अगस्त, 2018 ;
35. का.आ. 5733(अ) तारीख 14 नवंबर, 2018 ;

36. का.आ. 5736(अ) तारीख 15 नवंबर, 2018 ;

37. का.आ. 5845(अ) तारीख 26 नवंबर, 2018 ;

38. का.आ. 345(अ) तारीख 17 जनवरी, 2019 ;

39. का.आ. 1960(अ) तारीख 13 जून, 2019 ; और

40. का.आ. 236(अ) तारीख 16 जनवरी, 2020 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2020

S.O. 751(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating Prior Environmental Clearance for certain category of projects;

AND WHEREAS, the Prior Environmental Clearance process involves four stages namely, screening; scoping; public consultation; and appraisal. The scoping is the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (hereinafter referred to as ToR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environmental Impact Assessment and Environment Management Report in respect of the project or activity for which Prior Environmental Clearance is sought;

AND WHEREAS, in order to streamline the process of scoping and bring the uniformity across the proposals, as a standard operating procedure, the Ministry has developed sector specific Standard Terms of References for all 39 class of projects or activities listed in the Schedule to the EIA Notification, 2006;

AND WHEREAS, the Expert Appraisal Committee constituted under the provisions of EIA Notification, 2006 can modify standard ToR and prescribe additional ToR based on examination of alternative sites proposed and the project specific requirements in respect of green field projects or activities;

AND WHEREAS, to expedite the process of granting standard Terms of Reference (ToR) in respect of expansion proposals and projects located within notified Industrial Estates, where there is no examination of alternative sites involved, the Ministry proposes to introduce the concept of issuance of an online Standard Terms of Reference (ToR) after acceptance of the proposal in Form-1 by the Regulatory Authority, automatically through the web portal developed by the Ministry to the Project Proponent;

AND WHEREAS, a draft notification further to amend the EIA Notification, 2006 was published in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 *vide* number S.O. 4085 (E), dated the 11th November, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the said notification were made available to the public on 13th November, 2019;

AND WHEREAS, no objections or suggestions were received in response to the above-mentioned draft notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification, in paragraph 7, in sub-paragraph 7(i), for sub-heading II Stage (2)-Scoping and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"II. Stage (2)-Scoping:

(i) "Scoping" refers to the process to determine detailed and comprehensive Terms of Reference (ToR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environmental Impact Assessment and Environment Management Report in respect of the project or activity for which Prior Environmental Clearance is sought.

(ii) All projects or activities listed under Category "B2" of the schedule shall not require Scoping.

(iii) Sector specific Standard Terms of References developed by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, from time to time shall be displayed on its website.

(iv) The Standard Terms of References shall be issued to the following projects or activities through online mode, on acceptance of application within 7 working days, without referring to EAC or SEAC by the Ministry or SEIAA, as the case may be:

(a) All Highway projects in Border States covered under entry (i) and (ii) of column (3) and (4) against item 7(f) of the Schedule;

(b) All projects or activities proposed to be located in industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals; and

(c) All expansion proposals of existing projects having earlier Prior Environmental Clearance:

Provided that EAC or SEAC may recommend additional specific Terms of Reference in addition to the Standard ToR, if found necessary, for a project or activity, within 30 days from the date of acceptance of application.

(v) All new projects or activities other than specified in sub-paragraph (iv) above, shall be referred to the EAC or SEAC by the Regulatory Authority, as the case may be, within 30 days from the date of application, for recommending the specific ToR in addition to the Standard ToR, deemed necessary. In case, the regulatory authority does not refer the matter to the EAC or SEAC, as the case may be, within 30 days of date of application in Form-I, sector specific Standard ToR shall be issued, online, on 30th day, by the Regulatory Authority.

(vi) Applications for Terms of Reference may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same after due personal hearing shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

(vii) The project proponent shall prepare the EIA report based on the sector specific Standard ToR as well as additional specific ToR, if any, stipulated by the EAC or SEAC.

(viii) The Terms of Reference for the projects or activities except for River valley and Hydro-electric projects, issued by the regulatory authority concerned, shall have the validity of four years from the date of issue. In case of the River valley and Hydro-electric projects, the validity will be for five years.

[F. No. 22-1/2019-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;

5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November, 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E) dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E) dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E) dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E) dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E) dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E) dated the 13th June, 2019; and
40. S.O. 236(E) dated the 16th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218947
CG-DL-E-28032020-218947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1087]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2020/चैत्र 7, 1942
No. 1087]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2020/CHAITRA 7, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2020

का.आ.1223(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में परियोजनाओं के कतिपय प्रवर्गों के लिए पूर्व पर्यावरण अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 प्रकाशित किया है;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, थोक औषधियों और मध्यवर्तियों के बाबत परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में तेजी लाने के लिए आवश्यक समझता है। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रकोप को कम करने के लिए व्यापक और मजबूत प्रणाली के एक भाग के रूप में, नोवेल कोरोना वायरस (कोविड -19) के समाघात को कम करने के लिए औषधि की उपलब्धता या उत्पादन को सुनिश्चित किया जाना है। मंत्रालय ने यह आवश्यक समझा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड -19) जैसी बीमारियों का पता लगाने के लिए थोक औषधियों और मध्यवर्तियों की बाबत विनिर्मित सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों और इसी तरह के लक्षणों वाले रोगों को 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के लिए 'बी2' के रूप में वर्गीकृत किया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 सितंबर, 2020 तक की अवधि के लिए भारत के

राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, स्तंभ (5) के मद 5 (च) के सामने उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"30 सितंबर, 2020 तक प्राप्त एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएंट्स (एपीआई) की बाबत परियोजनाओं या क्रियाकलापों के सभी प्रस्तावों को श्रेणी 'बी2' परियोजनाओं के रूप में निर्धारित किया जाएगा, परन्तु 30 सितंबर, 2020 के पश्चात् कोई पश्चात्वर्ती संशोधन या उत्पाद मिश्रण में विस्तार या परिवर्तन उस समय तक प्रवृत्त उपबंधों के अनुसार माना जाएगा।"

[फा. सं. 19-21/2020 – आई ए. III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2020

S.O. 1223(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior environmental clearance for certain category of projects;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary to expedite the prior Environmental Clearances to the projects or activities in respect of bulk drugs and intermediates. As a part of comprehensive and robust system to handle the Novel Corona Virus (COVID-19) outbreak, drug availability or production to reduce the impact of the Novel Corona Virus (COVID-19) are to be ensured. The Ministry deems it necessary that all projects or activities in respect of bulk drugs and intermediates manufactured for addressing ailments such as Novel Corona Virus (COVID-19) and those with similar symptoms are categorized as 'B2' for a period up to the 30th September 2020, as an interim measure.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the rules in public interest hereby makes the following further amendments in the said notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, for a period up to 30th September 2020 from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:-

In the said notification, in the Schedule, against the item 5(f), in the column (5), after entries relating thereto the following entries shall be inserted, namely:-

"All proposals for projects or activities in respect of Active Pharmaceutical Ingredients (API), received up to the 30th September 2020, shall be appraised, as Category 'B2' projects, provided that any subsequent amendment or expansion or change in product mix, after the 30th September 2020, shall be considered as per the provisions in force at that time.".

[F.No. 19-21/2020-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088]	**नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942**
No. 1088]	**NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्बाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंत:स्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टादार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।";

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज वाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।"

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।

2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।

3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।

6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर–2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।

9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।

10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।

11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सकें।

13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[फा. सं. जेड–11013 / 47 / 2018–आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 जून, 2019;
40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020;
41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1224(E).—WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10th day of January, 2020 and, *inter alia*, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006);

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29th November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier:

Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.";

(ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.";

(iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.
6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.
10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.
11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.
12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.
13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity."

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;

14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E), dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E), dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E), dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019;
40. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020;
41. S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020; and
42. S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219496
CG-DL-E-21052020-219496

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1401] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31 , 1942
No. 1401] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

का.आ.1562 (अ).—केंद्रीय सरकार,तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय,पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसूची के प्रवर्ग'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से और उक्त अनुसूची के प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए राज्य स्तर पर, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का. आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 केद्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006(इसमें इसके पश्चात् ई आई ए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां गठित की जाएंगी जिसका तीन वर्ष का नियत कार्यकाल होगा।

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रवर्ग "ख"प्रस्तावों के अंतर्गत विषयों के निर्बाध व्यौहार के लिए महामारी कोविड 19 जैसी कुछेक स्थिति में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों का तीन वर्ष के पश्चात् कार्य अवधि के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

और, केंद्रीय सरकार आपवादिक परिस्थितियों में मौजूदा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों के कार्यकाल में विस्तार करना आवश्यक समझा है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में,उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, इस ई आई ए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 3 के उप-पैरा (6) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा,अर्थात् :-

"परंतु यह कि जब कभी भी आवश्यक और समीचीन माना जाएगा, केंद्रीय सरकार और छ: माह से अनधिक अवधि के लिए कार्यकाल में विस्तार दे सकती है।"

(ii) पैरा 5 में, उप पैरा (ग) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"विशेषज्ञ आंकलन समिति और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समिति का प्रत्येक तीन वर्ष पर पुनर्गठन किया जाएगा:

"परंतु यह कि जब कभी भी आवश्यक और समीचीन माना जाएगा, केंद्रीय सरकार और छ: माह से अनधिक अवधि के लिए कार्यकाल में विस्तार दे सकती है।"

(iii) परिशिष्ट VI में, मद 7 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु यह कि जब कभी भी आवश्यक और समीचीन माना जाएगा, केंद्रीय सरकार ऐसे सदस्य के कार्यकाल में और छ: माह से अनधिक अवधि के लिए विस्तार दे सकती है।"

[फा. सं. जे-11013/30/2007 – आई ए. II (i)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. का. आ. 1224(अ), तारीख 28 मार्च, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

S.O. 1562(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006) *vide* number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior Environmental Clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority for matters falling under Category 'B' in the said Schedule;

AND WHEREAS, the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for a fixed term of three years;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for extension of tenure of the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, beyond three years in certain situation like pandemic COVID 19, for uninterrupted dealing the matters under Category "B" proposals;

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to extend the tenure of the existing State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, in exceptional circumstances;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 3, in sub-paragraph (6), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term for a further period not exceeding six months."

(ii) in paragraph 5, for sub-paragraph (c), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(c) The Expert Appraisal Committee and State Level Expert Appraisal Committee shall be reconstituted after every three years:

Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term for a further period not exceeding six months."

(iii) in the APPENDIX VI, in item 7, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that wherever considered necessary and expedient, the Central Government may extend the term of such member for a further period not exceeding six months."

[F. No. J-11013/30/2007-IA.II(I)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 1224(E), dated the 28th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222503
CG-DL-E-16102020-222503

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3224] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942**
No. 3224] **NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942**

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3636(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त हो जाने के पश्चात्, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं0 5(च) के स्तंभ (5) में, "30 सितंबर, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "30 मार्च, 2021" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. 19-21/2020-आई.ए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार का.आ. 1562(अ), तारीख 21 मई, 2020 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 2020

S.O. 3636(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment Protection Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-section (4) of rule 5 of the said rules in the public interest, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest, Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O 1533 (E), dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in the Schedule, in sl. Number 5(f), in column (5), for the figures, letters and word "30th September, 2020", at both the places where they occur, the figures, letters and word " 30th March, 2021" shall be substituted.

[F.No. 19-21/2020-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide number S.O 1562 (E), dated the 21st May, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102020-222661
CG-DL-E-23102020-222661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3325] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2020/आश्विन 30, 1942
No. 3325] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2020/ASVINA 30, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3752(अ).—केंद्रीय सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में अनुसूची के प्रवर्ग 'क' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय से और उक्त अनुसूची के प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए राज्य स्तर पर, राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति आज्ञापक बनाते हुए का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 के द्वारा पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (इसमें इसके पश्चात् ई आई ए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) प्रकाशित किया है;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियां गठित की जाएंगी जिसका तीन वर्ष के नियत कार्य अवधि होगी।

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रवर्ग ''ख'' प्रस्तावों के अंतर्गत विषयों के निर्बाध व्यौहार के लिए महामारी कोविड 19 जैसी कतिपय स्थिति में राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों का तीन वर्ष के पश्चात् कार्य अवधि के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

और, केंद्रीय सरकार आपवादिक परिस्थितियों में मौजूदा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण और राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकलन समितियों के अवधि में विस्तार करना आवश्यक समझा है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन

सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात्, इस ई आई ए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :–

उक्त अधिसूचना में,–

(i) पैरा 3 में, उप–पैरा (6) मे, परंतुक में, शब्दों में ''छह महीने'' के स्थान पर, ''बारह महीने'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) पैरा 5 में, उप–पैरा (ग) मे, परंतुक में, शब्द में ''छह महीने'' के स्थान पर, ''बारह महीने'' शब्द रखे जाएंगे।

(ii) परिशिष्ट VI में, मद 7 में, परंतुक में, शब्द में ''छह महीने'' के स्थान पर, ''बारह महीने'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. जे–11013/30/2007.आईए– II(I)]

अरविंद कुमार नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 15 अक्तूबर, 2020 के का.आ. 3636 (अ) द्वारा इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2020

S.O. 3752(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006, mandating prior Environmental Clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority for matters falling under Category 'B' in the said Schedule;

AND WHEREAS, the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for a fixed term of three years;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for extension of tenure of the State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, beyond three years in certain situation like pandemic COVID 19, for uninterrupted dealing the matters under Category "B" proposals;

AND WHEREAS, the Central Government deems it necessary to extend the tenure of the existing

State Environment Impact Assessment Authority and State Level Expert Appraisal Committees, in exceptional circumstances;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 3, in sub-paragraph (6), in the proviso, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.

(ii) in paragraph 5, in sub-paragraph (c), in the proviso, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.

(iii) in the APPENDIX VI, in item 7, in the proviso, for the words "six months", the words "twelve months" shall be substituted.

[F. No. J-11013/30/2007-IA. II(I)]
ARVIND KUMAR NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide notification number S.O. 3636(E), dated the 15th October, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2020

का. आ. 3753(अ).—केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में तारीख 17 मार्च, 2017 के का.आ. 850(अ) द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:
उक्त अधिसूचना में,

(i) पैरा 2 क मे, अंक, अक्षर और शब्द ''16 सितम्बर 2020'' के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द ''16 मार्च 2021 या नए प्राधिकरण के गठन तक, महाराष्ट्र, जो भी पहले हो'' रखें जाएंगे ।

(ii) पैरा 8 क मे, अंक, अक्षर और शब्द ''16 सितम्बर 2020'' के स्थान पर अंक, अक्षर और शब्द ''16 मार्च 2021 या नए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आंकलन समितियों, महाराष्ट्र के गठन तक जो भी पहले हो'' रखें जाएंगे ।

[फा. सं. जे–11013/30/2007.आईए– II(I)]
अरविंद नौटियाल,संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.आ. 850 (अ) तारीख 17 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् तारीख 12 मार्च, 2017 के का.आ. 4040 (अ) तथा तारीख 8 जून, 2020 के का.आ. 1788(अ) द्वारा इसे संशोधित किया गया था।

स्पष्टीकारक ज्ञापन: ''16 मार्च, 2021'' के रूप में ''16 मार्च, 2021'' को प्रतिस्थापित करके पैरा 2क और पैरा 8क में संशोधन करके, किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2020

S.O. 3753(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 850(E), dated the 17th March, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 2A, for the figures, letters and word "16th September, 2020", the figures, letters and word "16th March, 2021 or till the constitution of new Authority, Maharashtra, whichever is earlier.", shall be substituted.

(ii) in paragraph 8A, for the figures, letters and word "16th September, 2020", the figures, letters and word "16th March, 2021 or till the constitution of new SEACs, Maharashtra, whichever is earlier.", shall be substituted.

[F.No. J-11013/30/2007-IA.II(I)]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 850 (E), dated the 17th March, 2017 and subsequently amended vide number S.O. 4040(E), dated the 12th December, 2017 and vide number S.O. 1788(E), dated the 8th June, 2020.

Explanatory Memorandum: By making amendments in paragraph 2A and paragraph 8A by substituting "16th September, 2020" as the "16th March, 2021", the interest of no person shall be adversely affected.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112020-223373
CG-DL-E-27112020-223373

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3749] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 27, 2020/अग्रहायण 6, 1942
No. 3749] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 27, 2020/AGRAHAYANA 6, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

का.आ. 4254(अ).—केंद्रीय सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 को प्रकाशित कर चुकी है, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं और क्रियाकलापों के लिए उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन, यथास्थिति, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, कोई संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।

और, कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (पूर्ण या आंशिक) ने, क्षेत्र में परियोजनाओं और क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है, मंत्रालय उक्त अधिसूचना में अनुज्ञात पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की अधिकतम अवधि से परे विधिमान्यता के विस्तार के लिए अनुरोधों की संख्या प्राप्ति में है । मंत्रालय में मामले की पड़ताल की गई है और लॉकडाउन के कारण (पूर्ण या आंशिक) क्षेत्र में क्रियाकलापों का जारी रखना कठिन हो सकता है, तथ्य को ध्यान में रखते हुए चिंता वास्तविक है ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 9 के पश्चात् और पैरा 10 के पहले निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"9क. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परियोजनाओं और क्रियाकलापों के संबंध में इस अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन स्वीकृत की गई पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता जिसकी विधिमान्यता वित्तीय वर्ष 2020-2021 में समाप्त हो रही है, को 31 मार्च, 2021 या विधिमान्यता समाप्ति की तारीख से छह मास, जो भी बाद में हो, तक विस्तारित किया जाना समझा जाएगा । ऐसा विस्तार संबंधित अनापत्ति पत्रों में पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति उन्हीं निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन है कि ऐसी परियोजनाओं और क्रियाकलापों का अविच्छिन्न संचालन जो कोराना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप और तत्पश्चात् इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (पूर्ण या आंशिक) के कारण रूके हुए हैं, सुनिश्चित किया जा सके ।

[फा. सं. 22-25/2020-आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3752 (अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2020

S.O. 4254(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) *vide* number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects or activities listed in the Schedule to the said notification, their expansion and modernization and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;

And whereas, in view of the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, implementation of projects or activities in the field has been affected. Ministry is in receipt of number of requests for extension of the validity of prior environmental clearances beyond the maximum period allowed in the said Notification, as the COVID19 pandemic has not yet come to an end. The matter has been examined in the Ministry and the concern is genuine keeping in view the fact that due to lockdowns (total or partial), continuation of activities in the field may be difficult.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (II), namely:-

In the said notification, after paragraph 9 and before paragraph 10, the following shall be inserted, namely:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st March, 2021 or six months from the date of expiry

of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control".

[F. No. 22-25/2020-IA.III]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 3752(E), dated the 20th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012021-224513
CG-DL-E-18012021-224513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 18, 2021/पौष 28, 1942
No. 201] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 18, 2021/PAUSHA 28, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2021

का.आ. 221(अ).— केंद्रीय सरकार, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) संख्या का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सभी संबंधित सूचीबद्ध नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया जा सकता है यथास्थिति, भूमि को अभिप्राप्त करने के सिवाय, परियोजना प्रबंधन द्वारा किसी भी संनिर्माण कार्य या भूमि को तैयार करने से पूर्व संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी ।

और कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) ने , क्षेत्र में परियोजनाओं या क्रियाकलापों के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उक्त अधिसूचना में अनुज्ञात अधिकतम अवधि से परे पूर्व पर्यावरणीय अनापत्तियों की विधिमान्यता के विस्तार के लिए अनुरोधों की संख्या प्राप्ति में है, क्योंकि कोविड 19 महामारी अभी तक समाप्त नहीं हुई है। मामले की उक्त मंत्रालय में समीक्षा की गई है और चिंता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए है कि लॉकडाउन (कुल या आंशिक) के कारण, क्षेत्र में क्रियाकलापों को जारी रखना कठिन हो सकता है।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के (4) खंड के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) की उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा अभिमुक्ति के पश्चात भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपखंड (II), में प्रकाशित, भारत सरकार की तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: -

उक्त अधिसूचना में,

(i) उप शीर्ष II "चरण (2)_विस्तारण", के अधीन पैरा 7 के उप पैरा 7(i) में, खंड (viii) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"(ix) उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ,तथापि उक्त संदर्भ की शर्तों के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे ।";

(ii) पैरा 9 क के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् : -

"9 क. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबंधो के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यताकी अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ,तथापि उक्त पर्यावरणीय अनापत्ति के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे ।";

[फा. सं. 22-25/2020-आईए.III]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) संख्या का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना अधिसूचना संख्या का.आ. 4254 (अ),तारीख 27 नवंबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th January, 2021

S.O. 221(E).—Whereas, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification) *vide* number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects or activities listed in the Schedule to the said notification, their expansion and modernisation and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;

And whereas, in view of the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, implementation of projects or activities in the field has been affected. Ministry of

Environment, Forest and Climate Change is in receipt of number of requests for extension of the validity of prior environmental clearances beyond the maximum period allowed in the said notification, as the COVID-19 pandemic has not yet come to an end. The matter has been examined in the said Ministry and the concern is genuine keeping in view the fact that due to lockdowns (total or partial), continuation of activities in the field has been difficult.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (II), namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 7, in sub-paragraph 7(i), under sub-heading II. "Stage (2) – Scoping", after clause (viii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ix). Notwithstanding anything contained above, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Terms of Reference granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the said Terms of Reference shall be treated as valid.";

(ii) for paragraph 9A, the following paragraph shall be substituted namely:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

[F.No.22-25/2020-IA.III]

GEETA MENON, Joint Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended vide the notification number S.O. 4254(E), dated the 27th November, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Part 2

Other Notification, Pertaining to EC/EIA

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 14, 2017/फाल्गुन 23, 1938

No. 723] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 14, 2017/PHALGUNA 23, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2017

का.आ. 804(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1705(अ) तारीख 10 मई, 2016, पर्यावरणीय अनापत्ति के निदेश निबंधनों को अनुदत्त करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, जिनमें स्थल पर कार्य आरंभ कर दिया है, पर्यावरणीय अनापत्ति की सीमा से परे उत्पादन का विस्तार किया है या पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी ;

2. और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 मई, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

3. और पूर्वोक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सभी सुझावों या आक्षेपों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक्तः विचार कर लिया गया है ;

4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अध्यधीन, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को ऐसे सभी उपाय करने की शक्ति है, जो वह पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और समाप्त करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक और समीचीन समझती है ;

5. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 केंद्रीय सरकार को निदेश देने के लिए सशक्त करती है, जो इस प्रकार है "केंद्रीय सरकार किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित निदेश दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ;

6. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उल्लंघन के मामलों में पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए प्रक्रिया स्थापित करने के लिए तारीख 12.12.2012 और तारीख 27.06.2013 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है ;

7. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में 2014 की रिट याचिका (सिविल) सं0 2364 में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के तारीख 28 नवंबर, 2014 के आदेश के अनुसरण में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि तारीख 12 दिसंबर, 2012 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन पैरा सं0 5(i) और पैरा सं0 5(ii) की शर्तें अवैध और असंवैधानिक थीं और न्यायालय ने यह और अभिनिर्धारित किया कि अभिकथित अतिक्रमण की कार्रवाई स्वतंत्र कार्यवाही और पृथक् कार्यवाही होगी और इसलिए पर्यावरण अनापत्ति के लिए प्रस्ताव पर विचार करने के लिए परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती । माननीय न्यायालय ने यह व्यवस्था और दी कि पर्यावरण अनापत्ति के प्रस्ताव की परीक्षा इसके गुणागुण, पर्यावरण विधियों के अभिकथित अतिक्रमण के लिए किसी प्रस्तावित कार्रवाई से मुक्त आधार पर की जानी चाहिए ;

8. और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ ने 2015 के मूल आवेदन सं0 37 तथा 2015 के मूल आवेदन सं0 213 में तारीख 7 जुलाई, 2015 के अपने आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 या पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अतिक्रमणों वाले निर्देश के निबंधनों या पर्यावरण अनापत्ति या तटीय विनियमन जोन अनापत्ति के प्रस्तावों पर विचार के विषय पर तारीख 12 दिसंबर, 2012 और 24 जून, 2013 के कार्यालय ज्ञापन पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों को परिवर्तित या संशोधित नहीं कर सकते थे और अधिकरण ने उसे अपास्त कर दिया था ;

9. और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को कतिपय प्रस्ताव, निर्देशों के निबंधनों और पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने स्थल पर कार्य आरंभ कर दिया है, पर्यावरणीय अनापत्ति की सीमा से परे उत्पादन का विस्तार किया है या पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति को प्राप्त किए बिना उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन कर दिया है ;

10. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार के प्रयोजन के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण का उपशमन करने के लिए यह आवश्यक समझा कि वह सभी निकाय, जो पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पर्यावरण विनियम का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, को समीचीन रीति में पर्यावरणीय विधियों की अनुपालना के लिए उसके अंतर्गत लाया जाए ;

11. और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसी परियोजनाओं और क्रियाकलापों को शीघ्रतम पर्यावरणीय विधियों की अनुपालना के अधीन लाना आवश्यक समझता है न कि उन्हें अविनियमित और बिना किसी जांच के छोड़ना, जो पर्यावरण के लिए अधिक नुकसानदायक होगा तथा इस उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए भारत सरकार ऐसी सत्ताओं को, जो अननुपालक थे, अनुपालक बनाने के लिए समुचित रक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करना आवश्यक समझती है, प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जो पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के उल्लंघन पर रोक लगाए, जिससे अननुपालना और अननुपालना के धनीय लाभ भयोपरित हों तथा पर्यावरण के नुकसान के लिए समुचित रूप से प्रतिकर हो ;

12. और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंडियन काउंसिल फार एन्वायरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (बिछड़ी गांव औद्योगिक प्रदूषण का मामला) में 13 फरवरी, 1996 को निर्णय देते समय विधि के सभी सुसंगत उपबंधों का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष दिया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन नुकसानी की वसूली की जा सकती है (1996(3) एससीसी 212) । माननीय न्यायालय ने यह संप्रेक्षित किया कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 केंद्रीय सरकार (या, यथास्थिति, उसके प्रतिनिधि) को "ऐसे सभी उपाय करने, जो वह पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे........................." अभिव्यक्त रूप से सशक्त करती है । धारा 5 केंद्रीय सरकार (या उसके प्रतिनिधि) को अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है । धारा 2(क), धारा 3 और धारा 5 में "पर्यावरण" की विस्तृत परिभाषा के अनुसार केंद्रीय सरकार को ऐसी सभी शक्तियां हैं, जो "पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और सुधार के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन" हैं । केंद्रीय सरकार, ऐसे सभी उपाय करने और ऐसे सभी निदेश जारी करने के लिए सशक्त है, जो पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो । इस मामले में उक्त शक्तियों के अंतर्गत गाढे कीचड़ को हटाने, उपचारिक उपाय करने और उपचारिक उपाय करने की लागत को उल्लंघन करने वाले उद्योग पर अधिरोपित करने की शक्ति भी है तथा इस प्रकार वसूल की गई रकम का, उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग करना भी है । माननीय न्यायालय ने यह और संप्रेक्षित किया है कि उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित लागत का उद्ग्रहण धारा 3 और धारा 5 में अंतर्निहित है, जिसे अत्यधिक विस्तृत और व्यापक भाषा में व्यक्त किया गया है । पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और धारा 5 जल और वायु अधिनियमों के अन्य उपबंधों के अतिरिक्त सरकार को ऐसे सभी निदेश करने के लिए और ऐसे सभी उपाय करने के लिए सशक्त करते हैं, जो "पर्यावरण" के संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक या समीचीन हों, जिस अभिव्यक्ति को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 2(क) में अत्यधिक विस्तृत और व्यापक शब्दों में परिभाषित किया गया है । इस शक्ति के अंतर्गत किसी उद्योग कि निकट किसी क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध करने, उपचारिक उपायों को कार्यान्वित करने का निदेश देने और जहां कहीं आवश्यक हो, उल्लंघन करने वाले उद्योग पर उपचारिक उपायों

की लागत अधिरोपित करने की शक्ति भी है । प्रत्यर्थियों के उपचारिक उपायों की लागत की अदायगी के दायित्व का प्रश्न दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, जिसे अब सार्वभौमिक रूप से ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है, जैसे "प्रदूषणकर्ता संदाय करता है" का सिद्धांत । "प्रदूषणकर्ता संदाय करता है, सिद्धांत की यह मांग है कि प्रदूषण द्वारा कारित नुकसान को रोकने या उसका उपचार करने की वित्तीय लागत इस वचनबंध, कि जो प्रदूषण कारित करता है या ऐसे माल का उत्पादन करता है, जो प्रदूषण कारित करता है, के साथ होती है ।"

13. (1) इसलिए अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि परियोजना या क्रियाकलाप या विद्यमान परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण या क्रियाकलाप, जिनके द्वारा पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित है भारत के किसी भाग में, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित केंद्रीय सरकार या राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किए बिना, जिसमें प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता में वर्धन या दोनों को शामिल किया गया है, को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा और उससे निम्नलिखित रीति में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार व्यौहार किया जाएगा ;

(2) उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या क्रियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए लायी जाती हैं या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अतिक्रमण के मामले के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मामलों में यहां तक कि प्रवर्ग ख की परियोजनाएं, जिन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त की गई है, का पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर पर अनुदत्त की जाएगी ।

(3) उल्लंघन के मामलों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के उपबंधों के अधीन संबंधित राज्य या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और इसके अतिरिक्त परियोजना को पर्यावरण अनापत्ति अनुदत्त किए जाने तक प्रचालन करने के लिए या अधिभोग प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित संबंधित क्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा उल्लंघन के मामलों का यह मूल्यांकन करने के लिए निर्धारण किया जाएगा कि परियोजना का ऐसे स्थल पर संनिर्माण किया गया है जो लागू विधियों के अधीन अनुज्ञेय है और विस्तार किया गया है, जिसको पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना के अधीन भरणीय रूप से चलाया जा सकता है ; और उस दशा में जहां विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक है, विधि के अधीन अन्य कार्रवाईयों के साथ परियोजना को बंद करने की सिफारिश की जाएगी ।

(5) उस दशा में जहां पूर्वोक्त उप पैरा (4) के बिन्दु पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष सकारात्मक हैं, इस प्रवर्ग के अधीन परियोजनाओं को पर्यावरण संघात निर्धारण करने और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए समुचित निदेश निबंधनों के साथ विहित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण पर परियोजना के विशिष्ट निदेश निबंधनों को विहित करेगी और उनको प्रत्यायित परामर्शदाताओं द्वारा पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जाएगा । पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना तैयार करने और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण के लिए डाटा का संग्रहण और विश्लेषण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सम्यकता अधिसूचित प्रयोगशाला या राष्ट्रीय जांच और अशांकन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा ।

(6) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना से मिलकर बनने वाली पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को उपदर्शित करेगी, जो कि मूल्यांकन किए गए पर्यावरणीय नुकसान और पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्त के उल्लंघन के कारण उदभूत आर्थिक फायदे की तत्स्थानी होगी ।

(7) परियोजना प्रस्तावक से सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना की रकम के समतुल्य बैंक प्रत्याभूति को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी और मात्रा की सिफारिश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी और इसको विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा बैंक प्रत्याभूति को पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने

से पूर्व जमा किया जाएगा और उसे मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात् निर्मुक्त किया जाएगा ।

14. ऐसी परियोजनाएं और क्रियाकलाप, जो इस अधिसूचना की तारीख को उल्लंघनकारी हैं, इस अधिसूचना के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे और परियोजना प्रस्तावक इस अधिसूचना के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केवल इस अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर ही आवेदन कर सकते हैं ।

[फा. सं. 22-116/2015-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2017

S.O. 804(E).—Whereas, a draft notification under sub-section (1), and clause (v) of sub-section (2) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 1705(E), dated the 10th May, 2016, as required by sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for finalising the process for appraisal of projects for grant of Terms of Reference and Environmental Clearance, which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

2. And whereas, copies of the said notification were made available to the public on the 10th May, 2016;

3. And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government.

4. Whereas, subject to the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, under sub-section (1) of section 3 of the Act, the Central Government has the power to take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling, and abating environment pollution;

5. Whereas, section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 empowers the Central Government to give directions which reads as "Notwithstanding anything contained in any other law but subject to the provisions of this Act, the Central Government may, in the exercise of its powers and performance of its functions under this Act, issue directions in writing to any person, officer or any authority and such person, officer or authority shall be bound to comply with such directions;

6. Whereas the Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued Office Memoranda dated 12.12.2012 and 27.06.2013 to establish a process for grant of environmental clearance to cases of violation.

7. Whereas, the Hon'ble High Court of Jharkhand had passed an order dated the 28th November, 2014 in W.P. (C) No. 2364 of 2014 in the matter of Hindustan Copper Limited *Versus* Union of India in which the High Court held that the conditions laid down under Office Memorandum dated 12th December, 2012 in paragraph No. 5 (i) and 5 (ii) were illegal and unconstitutional and had further held that action for alleged violation would be an independent and separate proceeding and therefore, consideration of proposal for environment clearance could not await initiation of action against the project proponent. The Hon'ble Court further ruled that the proposal for environment clearance must be examined on its merits, independent of any proposed action for alleged violation of the environmental laws;

8. And whereas, Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench *vide* its order dated 7th July, 2015 in Original Application No. 37 of 2015 and Original Application No. 213 of 2015 had also held that the Office Memoranda dated 12th December, 2012 and 24th June, 2013 on the subject of consideration of proposals for Terms of Reference or Environment Clearance or Coastal Regulation Zone Clearance involving violations of the Environment (Protection) Act, 1986 or Environment Impact Assessment Notification, 2006 Coastal Regulation Zone Notification, 2011 could not alter or amend the provisions of the Environment Impact Assessment notification, 2006 and had quashed the same;

9. And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and State Environment Impact Assessment Authorities have been receiving certain proposals under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 for grant of Terms of References and Environmental Clearance for projects which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance;

10. Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and abating environmental pollution that all entities not complying with environmental regulation under Environment Impact Assessment Notification, 2006 be brought under compliance with in the environmental laws in expedient manner;

11. And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary to bring such projects and activities in compliance with the environmental laws at the earliest point of time, rather than leaving them unregulated and unchecked, which will be more damaging to the environment and in furtherance of this objective, the Government of India deems it essential to establish a process for appraisal of such cases of violation for prescribing adequate environmental safeguards to entities and the process should be such that it deters violation of provisions of Environment Impact Assessment Notification, 2006 and the pecuniary benefit of violation and damage to environment is adequately compensated for;

12. And whereas, Hon'ble Supreme Court in *Indian Council for Enviro-Legal Action Vs. Union of India* (the Bichhri village industrial pollution case), while delivering its judgment on 13th. February, 1996, analyzed all the relevant provisions of law and concluded that damages may be recovered under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (1996 [3] SCC 212). The Hon'ble Court observed that …… section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 expressly empowers the Central Government [or its delegate, as the case may be] to "take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of environment.........". Section 5 clothes the Central Government [or its delegate] with the power to issue directions for achieving the objects of the Act. Read with the wide definition of "environment" in Section 2 (a), Sections 3 and 5 clothe the Central Government with all such powers as are "necessary or expedient for the purpose of protecting and improving the quality of the environment". The Central Government is empowered to take all measures and issue all such directions as are called for the above purpose. In the present case, the said powers will include giving directions for the removal of sludge, for undertaking remedial measures and also the power to impose the cost of remedial measures on the offending industry and utilize the amount so recovered for carrying out remedial measures…….. Hon'ble Court has further observed that levy of costs required for carrying out remedial measures is implicit in Sections 3 and 5 which are couched in very wide and expansive language. Sections 3 and 5 of the Environment (Protection) Act, 1986, apart from other provisions of Water and Air Acts, empower the Government to make all such directions and take all such measures as are necessary or expedient for protecting and promoting the `environment', which expression has been defined in very wide and expansive terms in Section 2 (a) of the Environment (Protection) Act. This power includes the power to prohibit an activity, close an industry, direct to carry out remedial measures, and wherever necessary impose the cost of remedial measures upon the offending industry. The question of liability of the respondents to defray the costs of remedial measures can also be

looked into from another angle, which has now come to be accepted universally as a sound principle, viz., the "Polluter Pays" Principle. "The polluter pays principle demands that the financial costs of preventing or remedying damage caused by pollution should lie with the undertakings which cause the pollution, or produce the goods which cause the pollution”.

13 (1). Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986; the Central Government hereby directs that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 entailing capacity addition with change in process or technology or both undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Level Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of Section 3 of the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006 and will be dealt strictly as per the procedure specified in the following manner:-

(2) In case the projects or activities requiring prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned Regulatory Authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and in such cases, even Category B projects which are granted environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority constituted under sub-section (3) Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be appraised for grant of environmental clearance only by the Expert Appraisal Committee and environmental clearance will be granted at the Central level.

(3) In cases of violation, action will be taken against the project proponent by the respective State or State Pollution Control Board under the provisions of section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 and further, no consent to operate or occupancy certificate will be issued till the project is granted the environmental clearance.

(4) The cases of violation will be appraised by respective sector Expert Appraisal Committees constituted under sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 with a view to assess that the project has been constructed at a site which under prevailing laws is permissible and expansion has been done which can be run sustainably under compliance of environmental norms with adequate environmental safeguards; and in case, where the finding of the Expert Appraisal Committee is negative, closure of the project will be recommended along with other actions under the law.

(5) In case, where the findings of the Expert Appraisal Committee on point at sub-para (4) above are affirmative, the projects under this category will be prescribed the appropriate Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan. Further, the Expert Appraisal Committee will prescribe a specific Terms of Reference for the project on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as an independent chapter in the environment impact assessment report by the accredited consultants. The collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory duly notified under Environment (Protection) Act, 1986, or a environmental laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research institution working in the field of environment.

(6) The Expert Appraisal Committee shall stipulate the implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation as a condition of environmental clearance.

(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by Expert Appraisal Committee and finalized by Regulatory Authority and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and will be released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after the recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority.

14. The projects or activities which are in violation as on date of this notification only will be eligible to apply for environmental clearance under this notification and the project proponents can apply for environmental clearance under this notification only within six months from the date of this notification.

[F. No. 22-116/2015-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.15 14:46:39 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1598] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 6, 2017/ ज्येष्ठ 16, 1939
No. 1598] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 6, 2017/ JYAISTHA 16, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 जून, 2017

का.आ. 1805(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ. 804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उन परियोजनाओं का जिन्होंने पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किए बिना कार्य आरम्भ कर दिया है और ऐसे मामलों को उल्लंघन माना गया है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध किया है।

और उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (1) द्वारा निर्देश दिया गया है कि यथास्थिति केन्द्रीय सरकार से अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण से, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत के किसी भी भाग में प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी अथवा दोनों में परिवर्तन सहित अतिरिक्त क्षमता के लिए शुरू की गई पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों या मौजूदा परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा;

और उपर्युक्त अधिसूचना में यह और उपबंध है कि ऊपर उल्लिखित परियोजनाओं और क्रियाकलापों से उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (2) से (7) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा;

और उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (4) के अनुसरण में सभी क्षेत्रों में उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन करने और केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर बनने वाली विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) का गठन करने का प्रस्ताव है;

और अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या का.आ. 804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 के पैरा 13 के उप-पैरा (4) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार निम्नानुसार विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन करती है:—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	भूमिका
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. एस.आर. वाटे, निदेशक (सेवानिवृत्त) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर	अध्यक्ष;
2.	डॉ. पी.ए. जोशी अध्यक्ष, एंकर इंस्टीट्यूट और प्रोफेसर, केमिकल इंजीनियरिंग, धर्मसिंह देसाई विश्वविद्यालय, नडियाद - 387 001 (गुजरात)	सदस्य;
3.	डॉ. जी.वी. सुब्रामण्यम सलाहकार (सेवानिवृत्त), एमओईएफसीसी डी-II /183, काका नगर, नई दिल्ली - 75	सदस्य;
4.	डॉ. एल.ए. रामनाथन प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली - 67	सदस्य;
5.	डॉ. एम.वी. रमन्ना मूर्ति सलाहकार, आईसीएमएएम, एनआईओटी कैंपस, पल्लीकरै, चेन्नै- 600 100	सदस्य;
6.	श्री के. गोवरप्पन, प्लॉट नं. 6, गणेश एवेन्यू, II स्ट्रीट, शक्ति नगर, पोरूर, चेन्नै-600116	सदस्य;
7.	डॉ. दिलीप एस रामटेके वैज्ञानिक (सेवानिवृत्त), नीरी, 64 बी, अध्यापक कॉलोनी, जेटला चौक, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर - 440 020	सदस्य;
8.	डॉ. पूनम कुम्रिया प्रोफेसर, भूगोल विभाग, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 7	सदस्य;
9.	डॉ. भरत जैन उप-मुख्य इंजीनियर (सेवानिवृत्त), जीआईडीसी गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन केंद्र, उद्योग भवन, गांधीनगर - 11	सदस्य;
10.	डॉ. सुब्रत मैती, प्रोफेसर (सेवानिवृत्त), बीसीकेवी (कृषि विश्वविद्यालय), बी 2/210 कल्याणी, नाडिया - 741235 (पश्चिम बंगाल)	सदस्य;
11.	श्री एस.के. श्रीवास्तव, वैज्ञानिक ई, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली -3	सदस्य सचिव

2. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगी जो उपर्युक्त अधिसूचना में उपदर्शित है।

3. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्वानुमोदन से सुसंगत क्षेत्र में एक विशेषज्ञ का एक सदस्य के रूप में विकल्प चुन सकती है।

4. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए पदभार संभालेंगे।

5. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठकें दिल्ली में होंगी, तथापि, विशेष मामलों में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व सहमति से, देश में कहीं भी बैठक आयोजित की जा सकती है।

6. विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक फीस, यात्रा और मंहगाई भत्ते का संदाय भारत सरकार के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

[फा. सं. 19-43/2017-आईए-III]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 6th June, 2017

S.O. 1805(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without taking prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation;

And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraph (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification;

And whereas, in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, it is proposed to constitute the Expert Appraisal Committee (EAC) comprising of members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors;

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, the Central Government hereby constitutes the Expert Appraisal Committee, as follows:—

S. No.	Chairman/Member	Role
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. S.R. Wate, Director (Retired) National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur	Chairman;
2.	Dr. P.A. Joshi Chairman, Anchor Institute & Professor, Chemical Engineering, Dhrarmsinh Desai University, Nadiad - 387 001 (Gujarat)	Member;
3.	Dr. G.V. Subrahmanyam Advisor (Retired), MoEFCC D-II/183, Kaka Nagar, New Delhi - 75	Member;
4.	Dr. A.L. Ramanathan Professor, School of Environmental Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Mehrauli Road, New Delhi - 67	Member;

5.	Dr. M.V. Ramana Murthy Advisor, ICMAM, NIOT Campus, Pallikarai, Chennai - 600 100	Member;
6.	Shri K Gowarappan, Plot No. 6, Ganesh Avenue, II Street, Sakthi Nagar, Porur,Chennai – 600116	Member;
7.	Dr. Dilip S. Ramteke Scientist (Retired), NEERI, 64 B, Adhyapak Colony, Jaitala Chowk, Trimurti Nagar, Nagpur - 440 020	Member;
8.	Dr. Poonam Kumria Professor, Geography Department, Miranda House, University of Delhi, Delhi - 7	Member;
9.	Dr. Bharat Jain Dy. Chief Engineer (Retired), GIDC Gujarat Cleaner Production Centre, Udyog Bhavan, Gandhinagar - 11	Member;
10.	Dr. Subrata Maity, Professor (Retired), BCKV (Agriculture University), B2/210 Kalyani, Nadia - 741235 (West Bengal)	Member;
11.	Sri S. K. Srivastava, Scientist E, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jorbagh Road, New Delhi - 3	Member Secretary.

2. The Expert Appraisal Committee shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

3. The Expert Appraisal Committee may co-opt an expert as a Member in a relevant field with prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

4. The Chairman and Members of the Expert Appraisal Committee shall hold office for a term of three years from the date of publication of this order in the Official Gazette.

5. The meetings of the Expert Appraisal Committee shall be held in Delhi, however, in special cases, with the prior concurrence of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, a meeting may be held elsewhere in the country.

6. The sitting fee, travelling and dearness allowances to the Chairman and Members of the Expert Appraisal Committee shall be paid as per the Government of India rules.

[F. No. 19-43/2017-IA-III]

MANOJ KUMAR SINGH, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.06 20:11:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 914] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939
No. 914] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

का.आ.1030(अ).—पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना सं. का.आ. 804(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति और निदेश निबंधनों को अनुदत्त करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की है, जिसमें स्थल पर पर्यावरण समाघात अधिसूचना 2006 [का.आ. 1533(अ), तारीख 14 दिसंबर, 2006] के अधीन यथा आज्ञापक पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अभिप्राप्त किए बिना पर्यावरणीय अनापत्ति के परे उत्पादन का विस्तार या उत्पादन मिश्रण में परिवर्तन का कार्य आरंभ कर दिया है।

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) उक्त अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ, पैरा 13 के उपपैरा (2) द्वारा निदेश दिया है कि उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या क्रियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए लायी जाती हैं या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अतिक्रमण के मामले के रूप में समझा जाएगा और ऐसे मामलों में यहां तक कि प्रवर्ग ख की परियोजनाएं, जिन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित राज्य पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त की गई है, का पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा ही मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर पर अनुदत्त की जाएगी ;

और मंत्रालय को उक्त अधिसूचा के अनुसरण में प्रवर्ग 'क' और प्रवर्ग 'ख' के अंतर्गत आने वाले सभी सेक्टरों से विचार करने के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

और मंत्रालय को लोक प्रतिनिधित्वों तथा औद्योगिक संगमों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कार्यचालन संबंधी कारणों तथा प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए उल्लंघन संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए संबंधित राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का अनुरोध किया गया है;

और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अपने तारीख 27 नवंबर, 2017 के आदेश द्वारा मैसर्स अंजली इन्फ्रा हाउसिंग एल एल पी बनाम भारत संघ और अन्य नामक मूल आवेदन सं. 570/2016 के वैसे ही मामले में, मैसर्स अंकुल खुशाल कंस्ट्रक्शन एल एल पी बनाम भारत संघ और अन्य नामक मूल आवेदन सं. 576/2016 के मामले में और अंजली इन्फ्रा हाउसिंह एल एल पी बनाम भारत संघ और अन्य मामले में मूल आवेदन सं. 579/2016 के मामले में राज्य स्तर पर परियोजनाओं पर विचार किए जाने के लिए निदेश पारित किए हैं और विधि के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रदान करने/का इन्कार करने के संबंध में उचित आदेश पारित किया है ।

और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार को यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वह लोकहित में, उन व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित करने के बारे में पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना की अपेक्षा का त्याग करके उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 804(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 का संशोधन करे ।

इसलिए अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) में निदेश की सूचना की अपेक्षा के साथ वितरण द्वारा उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उक्त अधिसूचना में, पैरा 13 में,-

(क) उपपैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(2) उस दशा में, जब पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन संबंधित विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाएं या क्रियाकलाप संनिर्माण कार्य आरंभ करने के पश्चात् पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए लायी जाती हैं या जिन्होंने पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के बिना विस्तार, आधुनिकीकरण और उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन किया है, उन परियोजनाओं को अतिक्रमण के मामले के रूप में समझा जाएगा और पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 की अनुसूची के प्रवर्ग 'क' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों का, जिनमें विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण भी है, मंत्रालय में विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा और पर्यावरणीय अनापत्ति केंद्रीय स्तर पर प्रदान की जाएगी और प्रवर्ग 'ख' परियोजनाओं के लिए, उनका मूल्यांकन और अनुमोदन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य या संघ राज्यक्षेत्रीय स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों और राज्य या संघ राज्य क्षेत्रीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरणों में निहित होगा ।";

(ख) उपपैरा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन गठित केंद्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा उल्लंघन के मामलों का यह मूल्यांकन करने के लिए निर्धारण किया जाएगा कि परियोजना का ऐसे स्थल पर संनिर्माण किया गया है जो लागू विधियों के अधीन अनुज्ञेय है और विस्तार किया गया है, जिसको पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षोपायों के साथ पर्यावरणीय मानकों की अनुपालना के अधीन भरणीय रूप से चलाया जा सकता है ; और उस दशा में जहां प्रवर्ग 'क' के अधीन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या प्रवर्ग 'ख' के अधीन परियोजना के लिए राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक है, विधि के अधीन अन्य कार्रवाईयों के साथ परियोजना को बंद करने की सिफारिश की जाएगी ।";

(ग) उपपैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) उस दशा में जहां पूर्वोक्त उप पैरा (4) के बिन्दु पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष सकारात्मक हैं, इस प्रवर्ग के अधीन परियोजनाओं को पर्यावरण संघात निर्धारण करने और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तैयार करने के लिए समुचित निदेश निबंधनों के साथ विहित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण पर परियोजना के विशिष्ट निदेश निबंधनों को विहित करेगी और उनको प्रत्यायित परामर्शदाताओं द्वारा पर्यावरण संघात निर्धारण रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जाएगा । पारिस्थितिकीय नुकसान, सुधारकारी योजना तैयार करने और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के निर्धारण के लिए डाटा का संग्रहण और विश्लेषण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन सम्यकता

अधिसूचित प्रयोगशाला या राष्ट्रीय जांच और अशांकन प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा ।";

(घ) उपपैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पर्यावरणीय प्रबंधन योजना, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना से मिलकर बनने वाली पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को उपदर्शित करेगी, जो कि मूल्यांकन किए गए पर्यावरणीय नुकसान और पर्यावरणीय अनापत्ति की शर्त के उल्लंघन के कारण उदभूत आर्थिक फायदे की तत्स्थानी होगी ।";

(ङ) उपपैरा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) परियोजना प्रस्तावक से सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना की रकम के समतुल्य बैंक प्रत्याभूति को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा या प्रवर्ग 'क' परियोजना के लिए मात्रा की सिफारिश विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी और इसको विनियामक प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा तथा बैंक प्रत्याभूति को पर्यावरणीय अनापत्ति अनुदत्त करने से पूर्व जमा किया जाएगा और उसे मंत्रालय के प्रादेशिक कार्यालय, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आवर्धन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात् निर्मुक्त किया जाएगा ।"।

[फा. सं. जेड-11013/22/2017-आईए-II(एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना का.आ. 804(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2018

S.O. 1030(E). —Whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017 (hereinafter referred to as the said notification) has notified the process for appraisal of projects for grant of Terms of Reference and Environmental Clearance, which have started the work on site, expanded the production beyond the limit of environmental clearance or changed the product mix without obtaining prior environmental clearance as mandated under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006];

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (hereinafter referred to as the Ministry) in the said notification *inter alia*, directed *vide* sub-paragraph (2) of paragraph 13, that in case the projects or activities requiring prior environmental clearance under Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned Regulatory Authority, are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernization, and change in product- mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and in such cases, even Category B projects which are granted environmental clearance by the State Environment Impact Assessment Authority constituted under sub-section (3) section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 shall be appraised for grant of environmental clearance only by the Expert Appraisal Committee and environmental clearance will be granted at the Central level;

And whereas, the Ministry has received a number of proposals relating to all sectors covered under category A and category B, for consideration in pursuance of the said notification;

And whereas, the Ministry is in receipt of representations from the public representatives and Industrial Associations, requesting delegation of powers to the respective States to deal with the violation cases for operational reasons and expediting the proposals;

And whereas, the National Green Tribunal, Principal Bench at New Delhi *vide* their order dated the 27th November, 2017 in similar matters in OA No.570/2016 titled M/s Anjli Infra Housing LLP Vs Union of India & othrs, OA No.576/2016 in the matter of M/s Ankur Khusal Construction LLP Vs Union of India & others and OA No.579/2016 in the matter of Anjli Infra Housing LLP Vs Union of India & others, has passed directions for consideration of the projects at the State level and pass appropriate orders in regard to grant/refusal of the environmental clearance in accordance with law;

And whereas, in view of the above, the Central Government finds it necessary to amend the said notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017 by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 regarding inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification by dispensing with the requirement of notice referred to in clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules, in public interest, namely:-

In the said notification, in paragraph 13, -

(a) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) In case the projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 from the concerned regulatory authority are brought for environmental clearance after starting the construction work, or have undertaken expansion, modernisation, and change in product-mix without prior environmental clearance, these projects shall be treated as cases of violations and the projects or activities covered under category A of the Schedule to the Environment Impact Assessment Notification, 2006, including expansion and modernisation of existing projects or activities and change in product mix, shall be appraised for grant of environmental clearance by the Expert Appraisal Committee in the Ministry and the environmental clearance shall be granted at Central level, and for category B projects, the appraisal and approval thereof shall vest with the State or Union territory level Expert Appraisal Committees and State or Union territory Environment Impact Assessment Authorities in different States and Union territories, constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986.";

(b) for sub-paragraph (4), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(4) The cases of violations will be appraised by the Expert Appraisal Committee at the Central level or State or Union territory level Expert Appraisal Committee constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 with a view to assess that the project has been constructed at a site which under prevailing laws is permissible and expansion has been done which can run sustainably under compliance of environmental norms with adequate environmental safeguards, and in case, where the findings of Expert Appraisal Committee for projects under category A or State or Union territory level Expert Appraisal Committee for projects under category B is negative, closure of the project will be recommended along with other actions under the law.";

(c) for sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(5) In case, where the findings of the Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee on point at sub-paragraph (4) above are affirmative, the projects will be granted the appropriate Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan and the Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee, will prescribe specific Terms of Reference for the project on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as an independent chapter in the environment impact assessment report by the accredited consultants, and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environment (Protection) Act, 1986, or a environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board

for Testing and Calibration Laboratories, or a laboratory of the Council of Scientific and Industrial Research institution working in the field of environment.”;

(d) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(6) The Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee, as the case may be, shall stipulate the implementation of Environmental Management Plan, comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefit derived due to violation as a condition of environmental clearance.”;

(e) for sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

“(7) The project proponent will be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with the State Pollution Control Board and the quantification will be recommended by the Expert Appraisal Committee for category A projects or by the State or Union territory level Expert Appraisal Committee for category B projects, as the case may be, and finalised by the concerned Regulatory Authority, and the bank guarantee shall be deposited prior to the grant of environmental clearance and released after successful implementation of the remediation plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan, and after recommendation by regional office of the Ministry, Expert Appraisal Committee or State or Union territory level Expert Appraisal Committee and approval of the Regulatory Authority.”.

[F.No.Z-11013/22/2017-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017.

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2018

का.आ. 1031(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (i) के उपखंड (क) और खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार की, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अधिसूचना संख्या का.आ.804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उन परियोजनाओं का जिन्होंने पूर्व पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त किए बिना कार्य आरंभ कर दिया है और ऐसे मामलों को उल्लघंन माना गया है, का मूल्यांकन करने के लिए प्रबंध किया है ।

और उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (1) द्वारा निर्देश दिया गया है कि यथास्थिति केन्द्रीय सरकार से अथवा उपर्युक्त अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से, पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना भारत के किसी भी भाग में प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी अथवा दोनों में परिवर्तन सहित अतिरिक्त क्षमता के लिए शुरू की गई पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 [का.आ.1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006] के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों या मौजूदा परियोजनाओं अथवा क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण को पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के उल्लंघन का मामला माना जाएगा;

और उपर्युक्त अधिसूचना में यह और उपबंध है कि ऊपर उल्लिखित परियोजनओं और क्रियाकलापों से उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उपपैरा (2) से (7) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा;

और पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 13 के उप पैरा (4) के अनुसरण में सभी क्षेत्रों में उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन करने और केन्द्रीय सरकार को सिफोरिशें करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से मिलकर बनने वाली भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संख्यांक का.आ.1805(अ), तारीख 6 जून, 2017 की अधिसूचना द्वारा एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) का गठन किया गया था ;

और इस प्रकार गठित की गई विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति में, श्री एस.के.श्रीवास्तव, वैज्ञानिक ई को उक्त समिति के सदस्य सचिव के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रतिनिधि रूप में नामनिर्देशित किया गया था।

और प्रशासनिक तथा प्रचालन संबंधी कारणों से, अतिक्रमण मामलों में कार्यवाई करने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्य सचिव के रूप में यथास्थिति श्री एस.के.श्रीवास्तव, वैज्ञानिक ई के साथ वैज्ञानिक ई या वैज्ञानिक एफ या वैज्ञानिक जी का नामांकन प्रतिस्थापित करना समीचीन हुआ है;

और अत: अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिसूचना सं0 का.आ.804(अ) तारीख 14 मार्च, 2017 के पैरा 13 के उपपैरा (4) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 जून, 2017 में प्रकाशित भारत सरकार की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संख्या का.आ.1805(अ), तारीख 6 जून, 2017 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--

उक्त आदेश की सारणी में, क्रम सं0 11 के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:--

"वैज्ञानिक ई या वैज्ञानिक एफ या वैज्ञानिक जी, यथास्थिति, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-3।

[फा.सं.जेड-11013/22/2017-आईए-II(एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश सं. का.आ.1805(अ) तारीख 6 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 8th March, 2018

S.O. 1031(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 804(E), dated the 14th March, 2017, issued under sub-section (1), sub-clause (a) of clause (i) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government has established an arrangement to appraise the projects, which have started the work without obtaining prior environmental clearance and such cases have been termed as cases of violation;

And whereas, vide sub-paragraph (1) of paragraph 13 of the said notification, it has been directed that the projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities requiring prior environmental clearance under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 [S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006] entailing capacity addition with change in process or technology or both, undertaken in any part of India without obtaining prior environmental clearance from the Central Government or by the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, duly constituted by the Central Government under the said Act, shall be considered a case of violation of the Environment Impact Assessment Notification, 2006;

And whereas, the said notification further provides that the projects and activities referred above, shall be dealt strictly as per the procedure specified in sub-paragraph (2) to (7) of paragraph 13 of the said notification;

And whereas, in exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification, an Expert Appraisal Committee (EAC) was constituted by notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017 comprising members with expertise in different sectors to appraise and make recommendations to the Central Government as cases of violation in all the sectors;

And whereas, in this Expert Appraisal Committee so constituted, Shri S K Srivastava, Scientist E was nominated as representative of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as Member Secretary of the said Committee;

And whereas, due to administrative and operating reasons, it has become expedient to replace the nomination of Shri S. K. Srivastava, Scientist E with the Scientist E or Scientist F or Scientist G, as the case may be, as Member Secretary of the Expert Appraisal Committee constituted to deal with violation cases;

And now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of sub-paragraph (4) of paragraph 13 of the said notification number S.O.804(E), dated the 14th March, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the order of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th June, 2017, namely:-

In the said order, in the Table, against serial number 11, for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:-

"Scientist E or Scientist F or Scientist G, as the case may be, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Jorbagh Road, New Delhi-3".

[F. No. Z-11013/22/2017-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal order was published vide number S.O.1805(E), dated the 6th June, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.12 11:09:12 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1385] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940
No. 1385] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

का.आ. 1530(अ).—माननीय उच्चतम न्यायालय ने कामन कॉज बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में रिट याचिका (सिविल) सं. 2014 का 114, तारीख 2 अगस्त, 2017 के निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ यह निर्देश दिया है कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 60(अ) तारीख 27 जनवरी, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 1994 कहा गया है) के अधीन खनन परियोजनाओं को प्रदान किए गए पर्यावरण निर्बाधन की विधिमान्यता पांच वर्ष के लिए होगी और ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन विस्तार पर विचार करने के लिए 1993-94 या उसके तुरंत पूर्व का वार्षिक उत्पादन आधार वर्ष होगा ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने गोवा फाउंडेशन बनाम मैसर्स सीसा स्टेरेलाइट लिमिटेड और अन्य के मामले में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 2015 का 32138 तारीख 7 फरवरी, 2018 में दिए गए निर्णय द्वारा यह दोहराया है कि ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन खनन परियोजनाओं के लिए प्रदान किए गए पर्यावरण निर्बाधन की विधिमान्यता पांच वर्ष होगी ;

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 7 फरवरी, 2018 के अपने उपरोक्त निर्णय में यह कहा है कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) का पैरा 9 यह उपबंधित करता है कि पर्यावरण निर्बाधन 30 वर्षों की अधिकतम अवधि के अध्यधीन रहते हुए प्राक्कलित परियोजना जीवन के लिए विधिमान्य होगी ;

और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन खनन परियोजनाओं से संबंधित मामलों की दो श्रेणियां होंगी, अर्थात् :--

(क) खनन परियोजनाएं, जिन्हें ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन पर्यावरण निर्बाधन प्रदान किया गया था और ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन विस्तार करने या आधुनिकीकरण या संशोधन करने के लिए भी पर्यावरण निर्बाधन प्रदान किया गया था ; और

(ख) खनन परियोजनाएं, जिन्हें ईआईए अधिसूचना, 1994 के अधीन पर्यावरण निर्बाधन प्रदान किया गया था और परंतु ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन विस्तार करने या आधुनिकीकरण या संशोधन करने के लिए भी पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त नहीं किया गया था।

और उपरोक्त तीसरे पैरा के अनुसार, उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (क) में उल्लिखित परियोजनाएं पांच वर्ष के होते हुए पर्यावरण निर्बाधन की विधिमान्यता के शिथिलीकरण से ग्रस्त नहीं होगी ;

और उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (क) में उल्लिखित परियोजनाएं आधार उत्पादन के मुकाबले विस्तार के शैथिलीय से ग्रसित नहीं होगी क्योंकि इन परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन पहले से ही अंकित किया गया था और पर्यावरण निर्बाधन प्रदान किया गया था ;

और उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (ख) में उल्लिखित सभी खनन परियोजनाओं से माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त करना अपेक्षित है ;

और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वियन के लिए साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी गुणवता में सुधार के लिए तथा पर्यावरण प्रदूषण को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक समझता है कि उपरोक्त चौथे पैरा के खंड (ख) में उल्लिखित सभी परियोजनाओं को ईआईए अधिसूचना, 2006 के विनियामक ढांचे के अधीन लाया जाए,

अत: अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को छोड़ने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वियन के लिए यह निदेश देती है कि पर्यावरण निर्बाधन की विधिमान्यता और आधार उत्पादन के मुकाबले परियोजनाओं के विस्तार को अंतर्वलित करने वाले ऐसे मामलों में परियोजना प्रस्तावक ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अधीन पर्यावरण निर्बाधन प्रदान करने के लिए, ईआईए अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट-2 में दिए गए प्ररूप 1 में इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर आवेदन करेगा, और ऐसे सभी आवेदनों पर, यथास्थिति, संबद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो आवश्यक सम्यक् तत्परता पर, जिसके अंतर्गत पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट को तैयार करना और लोक परामर्श भी है, पर विनिश्चय करेंगे और आवेदन तदनुसार पर्यावरण निर्बाधन प्रदान करने के लिए अंकित किया जाएगा।

[फा.सं. एल-11011/69/2014-आईए. II (एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2018

S. O. 1530(E).—Whereas, the Hon'ble Supreme Court, vide judgment dated the 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors., *inter-alia,* has directed that the validity of the environmental clearance granted for mining projects under the notification number S.O. 60(E), dated the 27th January, 1994 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 1994) of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests shall be five years, and for considering expansion under the EIA Notification, 1994, the annual production of 1993-94 or immediately preceding year shall be the base year;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide judgment dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., & Ors. has reiterated that the validity of the environmental clearance for mining projects granted under the EIA Notification, 1994 shall be five years;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court in its aforesaid judgment dated the 7th February, 2018 has held that para 9 of the notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), provides that the environmental clearance would be valid for the estimated project life subject to a maximum of 30 years;

And whereas, in the view of the above, there would be two categories of cases related to mining projects under EIA Notification, 1994, namely: -

(a) mining projects, which were granted environmental clearance under the EIA Notification, 1994, and also granted environmental clearance for expansion / modernisation / amendment under the EIA Notification, 2006; and

(b) mining projects, which were granted environmental clearance under the EIA Notification, 1994, and but not obtained environmental clearance for expansion / modernisation / amendment under the EIA Notification, 2006.

And whereas, as per third paragraph above, the projects mentioned in clause (a) of fourth paragraph above do not suffer from the infirmity of validity of environmental clearance being five years;

And whereas, the projects mentioned in clause (a) of fourth paragraph above, do not suffer from the infirmity of expansion vis-à-vis the base production as these projects were already appraised and granted environmental clearance under the EIA Notification, 2006;

And whereas, all mining projects mentioned in clause (b) of fourth paragraph above are required to obtain environmental clearance under the EIA Notification, 2006, in pursuance of the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for implementation of the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court as well as for the protecting and improving the quality of environment and abating the environmental pollution, that all projects mentioned in clause (b) of fourth paragraph above, be brought under the regulatory framework of the EIA Notification, 2006;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest, for implementation of the aforesaid judgments of the Hon'ble Supreme Court, that the project proponent in all such cases involving validity of the environmental clearance and expansion of mining projects vis-à-vis the base production, shall make application within six months from the date of issue of this notification in Form-1 as given in Appendix-II of the EIA Notification, 2006, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006, and all such applications shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, who shall decide on the due diligence necessary including preparation of Environmental Impact Assessment Report and public consultation and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

[F.No. L-11011/69/2014-IA.II(M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.11 17:31:01 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1959] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 29, 2018/ज्येष्ठ 8, 1940
No. 1959] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 29, 2018/JYAISTHA 8, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2018

का.आ. 2172(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति के सिवा उक्त अधिसूचना में किए गए उपबंधों के अनुसार अरावली श्रृंखला के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कुछ प्रक्रियाएं और कार्यकलाप संचालित करने पर प्रतिबंध लगाया था;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1189 (अ) तारीख 29 नवम्बर, 1999 द्वारा उक्त अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त उपर्युक्त शक्तियों को हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने 5 हेक्टेयर से अधिक खनन पट्टा क्षेत्रफल में अंतर्ग्रस्त प्रमुख खनिजों के लिए खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने की एकरूप प्रक्रिया अपनाने की दृष्टि से अरावली श्रृंखला के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में खनन कार्यकलापों को विनियमित करने हेतु भारत सरकार के सं. का.आ.319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 द्वारा प्रकाशित अरावली अधिसूचना के साथ भारत सरकार सं. का. आ. 60 (अ), तारीख 27 जनवरी, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 1994 कहा गया है) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना के उपबंधों को एकीकृत किया था;

और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त ईआईए अधिसूचना कहा गया है) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख

14 सितम्बर, 2006 जिसके द्वारा ईआईए अधिसूचना, 1994 को अधिक्रांत किया गया था, अनुसूची में शामिल की गई सभी परियोजनाओं या कार्यकलापों, जिनमें विद्यमान परियोजनाओं या कार्यकलापों का विस्तार और आधुनिकीकरण तथा खनन कार्य सहित उत्पाद मिक्स में परिवर्तन शामिल हैं, के लिए पहले ही पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा को अधिदेशित किया गया था;

और, दीपक कुमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य आदि के मामले में 2009 की स्पेशल लीव पेटिशन (सिविल) सं. 19628-19629 में 2011 की आई.ए सं. 12-13 में माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 27 फरवरी, 2012 के आदेश के अनुसरण में, लघु खनिजों के खनन के लिए अब पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है तथा केन्द्रीय सरकार खनन पट्टा के आकार पर विचार किए बिना सभी खनिजों (प्रमुख और गौण) के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति को अनिवार्य करते हुए अधिसूचना सं.का.आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016 प्रकाशित किया है;

और, सभी खनन पट्टा धारकों के लिए केन्द्रीय सरकार के स्तर पर विशेषज्ञ आकलन समितियों, राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति तथा जिला स्तर पर जिला स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति की सिफारिशों के आधार पर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करना आवश्यक है;

और, केन्द्रीय सरकार, आगे भी प्रमुख और गौण खनिजों की खनन परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में एकरूपता कायम करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 को अरावली अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 के साथ एकीकृत करने का विचार करती है;

और, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (4) में यह उपबंध किया गया है कि जब कभी भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त कर सकती है;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 की में संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा को समाप्त करना जनहित में है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 319 (अ), तारीख 7 मई, 1992 में, पैरा 1 में खंड (ii) लोप किया जाएगा।

[फा.सं. जैड-11013/64/2017-आईए-II (एम)]

ज्ञानेश भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, आसाधारण में सं.का.आ. 319 (अ) द्वारा तारीख 7 मई, 1992 को प्रकाशित किया गया था तत्पश्चात् सं.का.आ. 1189 (अ), तारीख 29 नवम्बर, 1999 और का.आ. 248 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2003 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2018

S.O. 2172(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.319(E), dated the 7th May, 1992 (herein referred to as the said notification) issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (herein referred to as the said Act) read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (herein referred to as the said rules), the Central Government had imposed prohibitions on carrying out certain processes and operations in the specified areas of Aravalli range as provided in the said notification, except with prior permission of the Central Government;

And whereas, the Central Government had delegated the aforesaid powers conferred on it by the said notification, to the State Governments of Haryana and Rajasthan vide notification of the Government of India in the Erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1189(E), dated the 29th November, 1999;

And whereas, the Central Government with a view to adopt uniform procedure for grant of environmental clearance to mining projects for major minerals involving mining lease areas of more than five hectares had integrated the provisions of the notification of the Government of India published in the Gazette of India vide number S.O.60(E), dated the 27th January, 1994 (hereafter referred as the EIA Notification, 1994) with the Aravalli Notification published in the Gazette of India, vide number S.O.319(E), dated the 7th May, 1992 for regulation of mining activities in the specified areas of Aravalli range;

And whereas, the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest Notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) (hereinafter referred to as the said EIA Notification, 2006) which superseded the EIA Notification, 1994 had mandated the requirement of prior environmental clearance for all projects or activities included in the Schedule, including expansion and modernisation of existing projects or activities and change in product mix including mining operations;

And whereas, pursuant to the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 27th February, 2012 in I.A. No.12-13 of 2011 in Special Leave Petition (Civil) No.19628-19629 of 2009, in the matter of Deepak Kumar etc. Vs. State of Haryana and Others etc., prior environmental clearance has now become mandatory for mining of minor minerals and the Central Government has published notification number S.O.141(E), dated the 15th January, 2016 making prior environment clearance mandatory for all minerals (major as well as minor) irrespective of size of the mine lease;

And whereas, all mine lease holders are required to obtain prior environment clearance based on the recommendations of the Expert Appraisal Committees at the Central Government, State level Expert Appraisal Committee at the State or Union territory level and District level Expert Appraisal Committee at the district level;

And whereas, the Central Government opines to further integrate the provisions of notification number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 to maintain uniformity in the procedure for grant of environmental clearance to mining projects of major as well as minor minerals with the Aravalli Notification number S.O.319(E), dated the 7th May, 1992;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the said rules provides that, whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the notifications of the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 319(E), dated the 7th May, 1992.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette namely:

In the notification of the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 319(E), dated the 7th May, 1992, in paragraph 1, clause (ii), shall be omitted.

[F.No Z-11013/64/2017-IA-II (M)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note:— The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O.319(E) dated the 7th May, 1992 and subsequently amended vide number S.O. 1189(E) dated the 29th November, 1999 and S.O.248(E) dated 28th February, 2003.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.31 19:02:15 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 17, 2019/पौष 27, 1940
No. 241] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 2019/PAUSHA 27, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2019

का.आ. 345(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम,1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (फ) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की सं. का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना (इसके पश्चात् इसे ई.आइ.ए अधिसूचना कहा जाएगा) में, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं/क्रियाकलापों, यथास्थिति उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को सुरक्षित करने के सिवाय किसी संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पहले संबंधित विनियमन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण निर्बाधन की आवश्यकता को आज्ञापक बनाती है।

और 5(छ) के अधीन उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं या क्रियाकलापों में डिस्टिलरी (शीरा और गैर शीरा आधारित) सम्मिलित है, और यथास्थिति विभिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण निर्बाधन की आवश्यकता है;

और, केन्द्र सरकार ने जैविक ईंधन पर राष्ट्र नीति, 2018 प्रकाशित की है जिसमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लैंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम को उसका मुख्य घटक के रूप में अनुबद्ध किया है, स्वदेशी और गैर-प्रदूषणकारी अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों को प्रस्तावित किया है और कार्यक्रम का सफलता-पूर्वक परिपालन न सिर्फ वायु प्रदूषण को बहुत कम करने में किन्तु आयात प्रतिस्थापन द्वारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचाने में प्रभावी होगा।

और, पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने के उद्देश्य से बायो-इथेनॉल के विनिर्माण की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण निर्बाधन को आवश्यक मानता है;

और डिस्टिलरी से संबंधित पूर्व पर्यावरण निर्बाधन के मामलों में प्राप्त पर्याप्त अनुभव के आधार पर, पर्यावरण निर्बाधन देने की शर्तों मानकीकृत किया गया है;

और, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज नियमों का पालन कर रही डिस्टिलरी एकक आस-पास के पर्यावरण के संबंध में उचित सुरक्षा प्रदान करें;

और, पर्याप्त पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का पालन कर रहीं डिस्टिलरी को एक वर्ष के लिए पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपर्युक्त स्थापित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एक वर्ष के लिए विशेष छूट प्रदान की जा सकती है ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात्, अनन्य रूप से जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के सीमित उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए विशेष प्रावधान बनाती है, अर्थात्:-

"(1) चीनी उत्पादन या डिस्टिलरी की सभी विस्तारित परियोजनाएं, जो पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन उनके वर्तमान औद्योगिक परिचालन और पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए आशयित इथेनॉल उत्पादन करने के लिए पर्यावरण निर्बाधन रखती है, पर्यावरण प्रबंधन योजना, भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रमाण-पत्र के साथ ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुबध-1 में दिए गए प्ररूप-1 में यह बताते हुए एक आवेदन करेगी कि, यह प्रस्ताव पेट्रोल के साथ बायो-इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रयोजन के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अधीन पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त करने हेतु है और ऐसे सभी आवेदनों पर संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो पानी की पर्याप्त उपलब्धता और डिस्टिलरी से संबंधित मानक शर्तों के पालन के विषय में केन्द्रीय भू जलबोर्ड के प्रमाण-पत्र पर आधारित, ईआईए अधिसूचना, 2006 में विनिर्दिष्ट वर्ग बी 2 को लागू प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी (अनुबंध)।

(2) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इस अधिसूचना के अनुबंध में दी गई मानक पर्यावरण निर्बाधन की शर्तों के अतिरिक्त अलग अलग मामलों के अनुसार विशिष्ट शर्तें निर्धारित कर सकेगी।"

यह अधिसूचना, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[फा. सं. आईए-जे-11013/55/2017-आईए.II(I)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

<u>परिशिष्ट</u>

<u>पर्यावरण स्वीकृति की मानक शर्तें</u>

I. सांविधिक शर्तें

i. परियोजना में वनेतर प्रयोजन हेतु वन भूमि के अपवर्तन के संलिप्त होने के मामले में, परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन संरक्षण (अधिनियम), 1986 के उपबंधों के अंतर्गत वन स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से, यदि लागू हो, स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक स्थल-विशिष्ट संरक्षण योजना एवं वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी जो मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमोदित होगा। अनुमोदित स्थल-विशिष्ट संरक्षण योजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना की सिफारिशें राज्य वन विभाग के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

कार्यान्वयन रिपोर्ट, छमाही अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी (अध्ययन क्षेत्र में अनुसूची-I की प्रजातियों की उपस्थिति के मामले में)।

iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अंतर्गत स्थापना/प्रचालन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा।

vi. कंपनी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिसंकटमय रसायन का उत्पादन, भंडारण और आयात (एमएसआइएचसी) नियम, 1989 के अंतर्गत नियमों तथा दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। खतरनाक रसायनों का सभी परिवहन कार्यकलाप मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए), 1989 के अनुसार किया जाएगा।

II. वायु गुणवत्ता निगरानी और परिरक्षण

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में निर्धारित मानकों के संदर्भ में स्टैक उत्सर्जन की निगरानी के लिए प्रक्रिया स्टैकों में 24x7 निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली संस्थापित की जाएगी और यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑन लाइन सर्वरों से जुड़ी होगी तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं अथवा एनएबीएल से प्रत्यायोजित प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपकरण आपूर्तिकर्ता की विशिष्टियों के अनुसार इन प्रणालियों को कैलीब्रेट करेगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक संयंत्र क्षेत्र के अन्दर और बाहर कम से कम चार स्थानों पर (प्रत्येक 120^0 के कोण पर एक संयंत्र क्षेत्र के अन्दर और तीन बाहर), पवन की ओर तथा पवन के विपरीत दिशाओं को शामिल करके (मामला-दर-मामला आधार पर : हस्तचालित; बड़े संयंत्र : निरंतर) उत्सर्जित होने वाले मुख्य प्रदूषकों (अर्थात् पीएम उत्सर्जन के संदर्भ में पीएम$_{10}$ तथा पीएम$_{2.5}$, और एसओ$_2$ एवं एनओ $_X$ उत्सर्जनों के संदर्भ में) से संबंधित सामान्य/मानदंड के पैरामीटरों को परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रणाली संस्थापित करेगा।

iii. परियोजना प्रस्तावक निरंतर स्टैक उत्सर्जन तथा वायु गुणवत्ता निगरानी की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और वायु गुणवत्ता/अस्थायी उत्सर्जनों की हस्तचालित स्टैक निगरानी और हस्तचालित निगरानी के परिणामों को छमाही निगरानी रिपोर्ट के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंचलिक कार्यालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा।

iv. सभी प्रवण क्षेत्रों से धूल सहित धूल उत्पन्न करने वाले सभी स्थानों के लिए समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण (एपीसी) प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निर्धारित स्टैक उत्सर्जन और अस्थायी उत्सर्जन मानकों का अनुपालन हो सके।

v. मंत्रालय द्वारा सा.का.नि.सं. 826 (अ) दिनांक 16 नवम्बर, 2009 के द्वारा जारी किए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता उत्सर्जन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

vi. विविक्त उत्सर्जनों को अनुमेय सीमाओं (यथा प्रयोज्य) नियंत्रित करने के लिए कोयला चालित बॉयलरों में प्रयोग हेतु कोयले में सल्फर का अंश 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। गैसीय उत्सर्जनों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त ऊंचाई के स्टैक के माध्यम से विक्षेपित किया जाएगा।

vii. डीजी सैटों को उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों तथा पर्याप्त स्टैक ऊंचाई से युक्त किया जाएगा ताकि इनसे होने वाला उत्सर्जन वर्तमान विनियमों तथा इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

viii. कच्ची सामग्रियों, कोयले इत्यादि का भंडारण मिट्टी अथवा ढंके क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि धूल से होने वाले प्रदूषण और अन्य अस्थायी उत्सर्जनों को रोका जा सके।

III. जल गुणवत्ता की निगरानी और परिरक्षण

i. बहिस्राव की ऑनलाइन निरंतर निगरानी के लिए, इकाई द्वारा परिसरों के अंदर बहिस्राव प्रवाहित करने वाले चैनलों/नालों में रात्रि दृश्यता क्षमता वाला वेब कैमरा लगाया जाएगा (जेडएलडी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के मामले में लागू) और इसे एसपीसीबी एवं सीपीसीबी के सर्वरों से जोड़ा जाएगा।

ii. शून्य तरल निस्सारण सुनिश्चित किया जाएगा और परिसर के बाहर कोई अपशिष्ट/शोधित जल प्रवाहित नहीं किया जाएगा (जेडएलडी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के मामले में लागू)

iii. प्रक्रिया बहिस्राव/किसी अपशिष्ट जल को र्स्टाम जल से नहीं मिलने दिया जाएगा। परिसर से स्टार्म जल को एकत्रित किया जाएगा और एक पृथक परिवहन प्रणाली के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

iv. वायु/जल अधिनियम के तहत अनुमति प्रदान करते समय, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानकों, जो भी अधिक कड़े हों, के अनुसार बहि:स्रावों का निस्सारण किया जाएगा।

v. समस्त ताजे जल की आवश्यकता, प्रस्तावित मात्रा अथवा समिति द्वारा यथा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी। इस संबंध में संबंधित विनियामक प्राधिकरण/सीजीडब्ल्यूए से पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी।

vi. औद्योगिक/व्यापार बहि:स्राव को उच्च सीओडी/टीडीएस और निम्न सीओडी/टीडीएस बहि:स्राव धाराओं में पृथक्कृत किया जाएगा। उच्च टीडीएस/सीओडी को स्ट्रिपर के बाद एमईई और एटीएफडी (एजिटेटिड थिन फिल्म ड्रायर) की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। निम्न टीडीएस धारा को ईटीपी में शोधित किया जाएगा और उसके बाद आरई प्रणाली से गुजारा जाएगा।

vii. कम्पनी, भू-जल पुनर्भरण के लिए भवनों के रूफ टॉप और बरसाती पानी के नालों से वर्षा जल संचयन करेगी तथा संयंत्र के अंदर ही विभिन्न औद्योगिक प्रचालनों के लिए इसका उपयोग करेगी।

IV. ध्वनि निगरानी और निवारण

i. ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजी सेट में एकोस्टिक एनक्लोसर लगाए जाएंगे।

ii. संयंत्र क्षेत्र में और उसके आस-पास समस्त ध्वनि स्तरों को, ध्वनि उत्सर्जन के सभी स्रोतों पर एरोस्टिक हूड, साइलेन्सर, एन्क्लोज़र आदि सहित ध्वनि नियंत्रण यंत्र लगाकर मानकों के अंदर भली-भांति रखा जाएगा।

iii. परिवेशी ध्वनि स्तर, ई(पी)ए नियम, 1986 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों अर्थात दिन के समय 75 dB(A) और रात के समय 70 dB(A) होने चाहिए।

V. ऊर्जा संरक्षण उपाय

i. प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु ऊर्जा के स्रोत, अधिमानत: एलईडी आधारित होंगे।

VI. अपशिष्ट प्रबंधन

i. खतरनाक रसायनों को टैंक, टैंक फार्म, ड्रम, कारबॉय आदि में रखा जाएगा। पम्प के माध्यम से टैंक फार्म और साल्वेंट ट्रांसफर पर फ्लेम अरेस्टर लगाए जाएंगे।

ii. प्रसंस्करण उपरांत जैविक अवशिष्ट और स्पेंट कार्बन, यदि कोई हो, को सीमेंट उद्योगों में भेजा जाएगा। ईटीपी स्लज, प्रसंस्करण से उत्पन्न अजैविक और वाष्पीकरण नमक का टीएसडीएफ में निपटान किया जाएगा।

iii. कम्पनी, अपशिष्ट न्यूनीकरण उपाय निम्नानुसार करेगी :-

क. अपशिष्ट के न्यूनीकरण हेतु सक्रिय संघटकों की मात्राओं का मापन और नियंत्रण।

ख. प्रसंस्करण से प्राप्त लघु-उत्पादों का, अन्य प्रक्रियाओं में कच्ची सामग्रियों अथवा कच्ची सामग्रियों के प्रतिस्थापनों के तौर पर पुनर्उपयोग।

ग. छलकाव को न्यूनतम करने के लिए स्वचालित भराई का उपयोग।

घ. बैच रिएक्टरों में क्लोज फीड सिस्टम का उपयोग।

ङ. वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली के माध्यम से निकासी उपकरण।

च. अपशिष्ट जल उत्सर्जन को कम करने के लिए उपकरण की सफाई हेतु उच्च दबाव की नलियों का उपयोग।

VII. हरित पट्टी

i. सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में देशज वृक्ष प्रजातियों के साथ संयंत्र क्षेत्र के 33% भाग के समान क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित की जाएगी। इस हरित पट्टी में, अन्य के साथ-साथ, संयंत्र की समस्त परिधि शामिल होगी।

VIII. सुरक्षा, जन सुनवाई और मानव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

i. खतरे की पहचान और जोखिम आकलन (एचआईआरए) और आपदा प्रबंधन योजना के आधार पर आपातकालीन तत्परता योजना क्रियान्वित की जाएगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक, कारखाना अधिनियम के मानदण्डों के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध कराएंगे।

iii. रसायन हथालन से सुरक्षा और संबंधित स्वास्थ्य पहलुओं के बारे में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सभी कर्मचारियों की नियमित आधार पर पूर्व-रोज़गार और नेमी आवधिक चिकित्सा जांच कराई जाएगी। रसायनों के हथालन के बारे में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

iv. सभी आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं, जैसे कि खाना पकाने के ईंधन, मोबाइल टॉयलेट, मोबाइल एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि से युक्त स्थल के अंदर ही निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। यह आवास-व्यवस्था, अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है जिसे परियोजना पूर्ण होने के बाद हटा दिया जाएगा।

v. कामगारों की व्यावसायिक स्वास्थ्य की निगरानी, नियमित आधार पर की जाएगी और कारखाना अधिनियम के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा

vi. कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई करने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए संयंत्र परिसरों के अंदर पर्याप्त स्थान निर्धारित किया जाएगा तथा सार्वजनिक स्थलों पर बाहर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

IX. कारपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व

i. परियोजना प्रस्तावक, कारपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के संबंध में इस मंत्रालय के का.ज्ञा. फा. सं. 22-56/2017-आइए-III दिनांक 1 मई, 2018 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का, यथा प्रयोज्य, अनुपालन करेगा।

ii. कम्पनी की, निदेशक मंडल द्वारा उचित रूप से अनुमोदित एक सुनिर्धारित पर्यावरणीय नीति होगी। पर्यावरणीय नीति में उचित रोकथाम और संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरणीय/वन/वन्यजीव मापदण्डों/शर्तों के किसी अतिक्रमण/विपथन/उल्लंघन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मानक प्रचालन क्रियाविधियों को विहित किया जाना चाहिए। कम्पनी की पर्यावरणीय /वन संबंधी /वन्यजीव संबंधी मानकों/शर्तों और/या शेयर धारकों/हितधारकों के अतिक्रमण/विपथन/उल्लंघन की सूचना देने की सुपरिभाषित व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में बोर्ड संकल्प की प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छमाही रिपोर्ट के भाग के रूप में भेजी जाएगी।

iii. परियोजना और कम्पनी मुख्यालय, दोनों के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी जो सीधे संगठन के प्रमुख को सूचित करेगा कि नियंत्रण के अधीन एक अलग पर्यावरणीय प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा जिसमें अर्हता प्राप्त कर्मचारी हो।

iv. कम्पनी की उत्तरदायित्व योजना सहित ईएमपी और पर्यावरणीय शर्तों के कार्यान्वयन की कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। पर्यावरणीय संरक्षण उपायों के लिए निर्धारित वर्षवार निधियों को अलग खाते में रखा जाएगा और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपवर्तित नहीं किया जाएगा। कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्षवार प्रगति की रिपोर्ट, छमाही अनुपालन रिपोर्ट सहित मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी।

v. प्रतिवर्ष स्वयं-पर्यावरणीय लेखापरीक्षा की जाएगी। प्रति तीन वर्ष के पश्चात तृतीय पक्षकार से पर्यावरणीय लेखापरीक्षा कराई जाएगी।

X. प्रकीर्ण

i. परियोजना प्रस्तावक सात दिन के भीतर जिले या राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में अपने खर्चे पर प्रमुख रूप से इसका विज्ञापन देकर जिनमें से एक देशीय भाषा में होगा, पर्यावरणीय शर्तों और सुरक्षापायों सहित अपनी परियोजना के लिए प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्वजनिक रूप से सूचना देगा और इसके साथ-साथ इसे परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट पर स्थाई रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

ii. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतियां मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों के साथ-साथ स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाएगी और उन्हें इसे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन तक इसे प्रदर्शित करना है।

iii. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति, निगरानी किये गए आंकड़ों के परिणाम सहित अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे छमाही आधार पर अद्यतित करेगा।

iv. परियोजना प्रस्तावक परियोजनाओं के लिए संकेतित मानदण्ड प्रदूषक स्तर नामत:; PM_{10}, SO_2, NO_x (परिवेशी स्तरों और समूह उत्सर्जनों संबंधी) या अति गंभीर सेक्टोरल मापदण्ड की निगरानी करेगा और उसे आम जनता की जानकारी के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित करेगा और कम्पनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत करेगा।

v. परियोजना प्रस्तावक, निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में छमाही रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर पर्यावरणीय स्वीकृति के पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।

vi. परियोजना प्रस्तावक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरणीय विवरण पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन यथा विहित तथा बाद में यथा संशोधित रूप में प्रपत्र-V में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और कंपनी की वेबसाइट पर डालेगा।

vii. परियोजना प्रस्तावक, भूमि के विकास कार्य की शुरूआत और परियोजना द्वारा उत्पादन कार्य की शुरूआत से लेकर वित्तीय परिसमापन और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा परियोजना के अंतिम अनुमोदन की तारीख की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय और मंत्रालय को भी देगा।

viii. परियोजना प्रस्तावक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा लगाई शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट, में की गई प्रतिबद्धताओं और सिफारिशों, जन सुनवाई के दौरान और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष दिए गए प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए सभी वचनों का पालन करेगा।

x. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना संयंत्र में और कोई विस्तार या सुधार नहीं किए जाएंगे।

xi. तथ्यात्मक आंकड़ों को छुपाने या झूठे/बनावटी आंकड़े प्रस्तुत करने पर इस पर्यावरणीय स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

xii. यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी कार्यान्वियन संतोषजनक नहीं होता है तो मंत्रालय स्वीकृति को रद्द या निलम्बित कर सकता है।

xiii. यदि आवश्यक पाया गया, तो मंत्रालय अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कंपनी समयबद्ध रीति से इन शर्तों को क्रियान्वित करेगी।

xiv. इस मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा। परियोजना के प्राधिकारीगण को चाहिए कि वे अपेक्षित आंकड़ों/जानकारी/निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी को पूरा सहयोग दें।

xv. उपर्युक्त शर्तों को, जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमा पार संचलन) नियम, 2016 और लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991, उनके संशोधनों और नियमों तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों तथा विषय वस्तु से संबंधित किसी अन्य विधि न्यायालय द्वारा पारित किन्ही अन्य आदेशों के प्रावधानों सहित लागू किया जाएगा।

xvi. इस ईसी के विरुद्ध अपील यदि कोई हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के अधीन यथा विहित, 30 दिन की अवधि के भीतर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जाएगी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2019

S.O. 345(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification) vide S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects/activities listed in the schedule to the said notification, their expansion and modernization and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;

AND WHEREAS, the projects/activities listed in the schedule to the said notification include distilleries (molasses and non-molasses based) under item 5(g), and thus requiring prior environmental clearance from the Ministry or the State Environment Impact Assessment Authorities in different States/Union Territory, as the case may be;

AND WHEREAS, the Central Government has published the National Policy on Bio-fuels, 2018 stipulating Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme as its main component, offering indigenous and non-polluting renewable energy source and successful implementation of the programme would not only result in substantial reduction in air pollution but also saving of precious foreign exchange through import substitutions;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for expediting environmental clearances to the projects for manufacturing of bio-ethanol for the purpose of blending with the petrol under the Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme;

AND WHEREAS, based on substantial experience gained in matters relating to prior environmental clearance related to distilleries, conditions of grant of environmental clearance have been standardized;

AND WHEREAS, distillery units adhering to Zero Liquid Discharge norms provide reasonable safeguard with respect to ambient environment;

AND WHEREAS, distilleries adhering to Zero Liquid Discharge in areas with adequate water availability can be provided special dispensation for a year with view to achieving objective set as above without adverse environmental impact for a year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest, for expediting production of Ethanol for its limited purpose of blending with petrol exclusively for its usage as bio-fuel, hereby makes thefollowing special provision, namely:-

“(1) All expansion projects of sugar manufacturing or distilleries, having environmental clearances for their present industrial operations and intended to produce Ethanol for blending with petrol under the Ethanol Blended with Petrol (EBP)Programme, shall make an application in Form-1 given in Appendix-I of the EIA Notification, 2006 along with the Environmental Management Plan, certificate from the Government of India, the Ministry of Petroleum and Natural Gas stating that the proposal is for the purpose ofblending the bio-ethanol with the petrol, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006, and all such applications shall be considered by the concerned sectoral Expert Appraisal Committee or State Expert Appraisal Committee, who shall appraise the proposal as per the procedure applicable to category B2 projects specified in the EIA Notification, 2006 based on certificate from the Central Ground Water Board regarding adequate availability of water and adherence to standard conditions related to distilleries (appendix).

(2) The Expert Appraisal Committee may prescribe, in addition to the standard environmental clearance conditions given in the appendix to this notification, the specific conditions on case to case basis.”

This notification shall remain in force for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. IA-J-11013/55/2017-IA.II(I)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

APPENDIX

Standard EC Conditions

I. Statutory compliance

i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.

ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (incase of the presence of schedule-I species in the study area)

iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.

v. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

vi. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989

II. Air quality monitoring and preservation

i. The project proponent shall install 24×7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall install system carryout to Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NOx in reference to SO_2 and NOx emissions) within and outside the plant area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120°each), covering upwind and downwind directions. (case to case basis small plants: Manual; Large plants: Continuous)

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality /fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

iv. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.

v. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

vi. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.

vii. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.

viii. Storage of raw materials, coal etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.

III. Water quality monitoring and preservation

i. For online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises (applicable in case of the projects achieving ZLD) and connected to SPCB and CPCB online servers.

ii. Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises (applicable in case of the projects achieving the ZLD).

iii. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.

iv. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the State Pollution Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.

v. Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.

vi. Industrial/trade effluent shall be segregated into High COD/TDS and Low COD/TDS effluent streams. High TDS/COD shall be passed through stripper followed by MEE and ATFD (agitated thin film drier). Low TDS effluent stream shall be treated in ETP and then passed through RO system.

vii. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

IV. Noise monitoring and prevention

i. Acoustic enclosure shall be provided to DG set for controlling the noise pollution.

ii. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.

iii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time

V. Energy Conservation measures

i. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

VI. Waste management

i. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.

ii. Process organic residue and spent carbon, if any, shall be sent to cement industries. ETP sludge, process inorganic & evaporation salt shall be disposed off to the TSDF.

iii. The company shall undertake waste minimization measures as below:-

a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.

b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.

c. Use of automated filling to minimize spillage.

d. Use of Close Feed system into batch reactors.

e. Venting equipment through vapour recovery system.

f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 33% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant

VIII. Safety, Public hearing and Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

vi. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest /wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

iv. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

v. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).

xi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xiv. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.

xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.01.21 22:02:00 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3869] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 29, 2019/अग्रहायण 8, 1941
No. 3869] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 29, 2019/ AGRAHAYANA 8, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2019

का.आ. 4307(अ).—जबकि, तारीख 14 सितम्बर, 2006 के का.आ. 1533 द्वारा जारी की गई प्रभाव आकलन अधिसूचना (इसमें इसके पश्चात ईआईए अधिसूचना, 2006 के रूप में उल्लिखित) और भारत सरकार द्वारा तदुपरांत जारी किए गए संशोधन प्रावधान करते हैं कि खनिजों के खनन हेतु ''पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता'' से तात्पर्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा जिला स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अधिकतम तीस वर्षों की शर्त के अध्यधीन, यथा अनुमानित परियोजना काल की अवधि से है;

और जबकि गोवा फांउडेशन बनाम मेसर्स सेसा स्टेरलाईट लिमिटेड, और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के 2015 की अपील सं. 32138 की विशेष अनुमति में दिनांक 7 फरवरी 2018 के निर्णय द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने का निदेश दिया है, जो नए खनन पट्टे प्राप्त करने में सफल रहे हैं,

और जबकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उपधारा (6) निम्नवत निर्धारित करता है:-

''उप धारा (2), उप-धारा (3) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां खनिज का उपयोग कैप्टिव प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया जाता है, खान और खनिज (विकास और विनियमन)

संशोधन अधिनियम, 2015 के प्रारंभ की तारीख के पूर्व अनुदत्त पट्टे की कालावधि का, उसके अंतिम बार किए गए नवीकरण की कालावधि के अवसान की तारीख से 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली कालावधि तक के लिए नवीकरण की कालावधि, यदि कोई हो, के पूरा होने तक के लिए या ऐसा पट्टा अनुदत्त किए जाने की तारीख से पचास वर्ष की कालावधि के लिए, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पट्टे के सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया गया है, विस्तार किया जाएगा और विस्तार किया गया समझा जाएगा"

और जबकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उपधारा (4) निम्नवत निर्धारित करता है:-

"पट्टा कालावधि के अवसान पर पट्टे को इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा"

और जबकि, उपरोक्त के आलोक में, ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदत्त खनन परियोजना से संबंधित ऐसे मामले होगें, जिसमें खनन पट्टे के लिए प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवसान नहीं हुई हो, किंतु खनन पट्टा की अवधि अवसान पर खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपाबंधों के अनुसार सफल बोली दाता को नया पट्टा पुन: आबंटित कर दिया हो।

और जबकि उपरोक्त पैरा में उल्लिखित खनन परियोजनाओं के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पुन: पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी अपेक्षित है;

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वयन के साथ-साथ, ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपाबंधों के तहत प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में विनिर्दिष्ट किए गए अनुमोदित खनन स्कीम, खनन योजना, उत्पादन क्षमता, खनन पट्टा क्षेत्र के अनुसार खनन कार्यकलाप को जारी रखना आवश्यक समझे, क्योंकि इन खनन परियोजनाओं का पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका था और मामले के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) और पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) पर विचार किया गया है और संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई। इन परियोजनाओं को शीघ्र ही नये सिरे से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है, ताकि पूर्व अनुमोदित पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार उनके खनन क्रियाकलाप अवरूद्ध न हो;

और एक प्रारूप अधिसूचना तारीख 27 फरवरी, 2019 को का.आ. 1038 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम,1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, भारत के राजपत्र में, उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझाओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है,

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित उक्त पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2)

के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए, गोवा फाउन्डेशन बनाम मैसर्स सेवा स्टरलाइट तथा अन्य के मामले में 2015 की अपील (सिविल) सं. 32138 की विशिष्ट अनुमति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 7 फरवरी, 2018 के पूर्वोक्त निर्णय को कार्यान्वित करने और ईआइए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अधीन एक त्वरित तंत्र के माध्यम से प्रदत्त नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति में विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता, खान पट्टा क्षेत्र में कोई परिवर्तन किये बिना, खनन क्रियाकलाप को जारी रखने का निदेश देती है कि इन सभी मामलों में सरकार द्वारा, विधि के अनुसार चयनित सफल बोलीदाता, ईआइए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अधीन, पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के लिए, ईआइए अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट-I में दिये गए प्रपत्र-I के द्वारा आवेदन करेगा और ऐसे सभी आवेदनों पर सम्बद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति अथवा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति जैसा भी मामला हो, द्वारा विचार किया जाएगा जो विद्यमान ईआईए/ईएमपी और पूर्वत्तर अनुदत्त पर्यावरणीय स्वीकृत की आवश्यकता सम्यक तत्परता के साथ, अनुमोदित ईआइए/ईएमपी के आलोक में निर्णय लेगी और तदनुसार आवेदन का, पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वैधता अवधि के अध्यधीन जो आरम्भ में स्वीकृत की गई थी, मूल्यांकन करेगी, तथापि, सम्बद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, जैसा भी मामला हो, ऐसी खनन परियोजनाओं के लिए, मामला विशिष्ट आधार पर, अतिरिक्त शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

[फा.सं. जेड-11013/47/2018-आईए-II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2019

S.O. 4307(E).—Whereas, the Environment Impact Assessment Notification vide S.O. 1533 dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006), and subsequent amendments issued by the Government of India provides the "Validity of Environmental Clearance" for mining of minerals is meant for period of project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee or District Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court vide judgment dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., &Ors., *inter alia*, has directed to obtain fresh environmental clearance to those who are successful in obtaining fresh mining leases;

And whereas, the sub-section (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) prescribes as:-

"*Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015, where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with*".

And whereas, the sub-section (4) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) prescribes as:-

"On the expiry of the lease period, the lease shall be put up for auction as per the procedure specified in this Act"

And whereas, in the view of the above, there would be cases related to mining projects granted environmental clearance under EIA Notification, 2006, wherein validity of the environmental clearance granted for the mining lease may not have expired, but the mining lease will have ended and freshly re-allocated to the successful bidder as per the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957).

And whereas, the mining projects mentioned in paragraph above are required to obtain fresh environmental clearance under the EIA Notification, 2006, in pursuance of the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court;

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for implementation of the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court as well as continuation of the mining activity as per the approved mining scheme, mining plan, production capacity, mine lease area specified in the environmental clearance granted under the provisions of the EIA Notification, 2006, as these mining projects were already appraised and the Environmental Impact Assessment (EIA) and Environmental Management Plan (EMP) have been considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, and granted environmental clearance by the regulatory authority concerned, these projects need to be granted fresh environmental clearance expeditiously so that their mining activity does not get disrupted as per the earlier approved environmental clearance;

And whereas, therefore, a draft notification was published in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 *vide* S. O. 1038 (E), dated the 27th February, 2019, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the said Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs that for implementation of the aforesaid judgment of the Hon'ble Supreme Court dated the 7th February, 2018 in Special Leave to Appeal (Civil) No. 32138 of 2015 in the matter of Goa Foundation versus M/s Sesa Sterlite Ltd., &Ors, as well as, continuation of the mining activity without any changes to production capacity, mine lease area specified in the environmental clearance granted under the provisions of the EIA Notification, 2006 through an expeditious mechanism for grant of fresh environmental clearance, the successful bidder selected by the Government in accordance with law, in all such cases, shall make an application in Form-1 as given in Appendix-I of the EIA Notification, 2006, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006 and all such applications shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, who shall decide with due diligence, considering the existing EIA/EMP and the environmental clearance granted earlier, and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance subject to the same validity period as was initially granted, however, the concerned Expert Appraisal Committee or the State Level Expert Appraisal Committee, as the case may be, may stipulate case specific additional conditions to such mining projects.

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.12.03 12:19:04 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216266
CG-DL-E-19022020-216266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2020/माघ 29, 1941
No. 685] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020/MAGHA 29, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

का.आ. 750(अ).—केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्यांक का.आ. 345(अ), तारीख 17 जनवरी, 2019 द्वारा इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के अधीन पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के प्रयोजन हेतु बायो एथेनोल के विनिमनि के लिए परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरण अनापत्ति को त्वरित करने हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष से अधिक तक प्रवृत रहने वाली अधिसूचना प्रकाशित की है;

और, मंत्रालय को एथेनोल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचना की वैधता एक वर्ष और बढाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात्, अनन्य रूप से जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए पेट्रोल के साथ ब्लेंडिग के सीमित उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए, संख्यांक का.आ. 345(अ), तारीख 17 जनवरी, 2019 द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता को इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढाती है।

[फा. सं. आईए जे-11013/55/2017-आईए-II(I)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2020

S.O. 750(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government has published notification for expediting prior environmental clearances to the projects for manufacturing of bio-ethanol for the purpose of blending with the petrol under the Ethonol Blending Programme *vide* number S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019 to remain in force for a period of one year from the date of publication of the notification;

AND WHEREAS, the Ministry is in the receipt of representations for extension of validity of the notification for one more year to encourage to increase the ethanol production;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, for expediting production of Ethanol for its limited purpose of blending with petrol exclusively for its usage as bio-fuel, hereby extend the validity of the notification issued *vide* number S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019 for a further period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. IA-J-11013/55/2017-IA.II(I)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF ENVIRONMENT FOREST AND CLIMATE CHANGE

Indira Paryavaran Bhavan, Jor Bagh Road,

NEW DELHI - 110003